

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021



भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग



सत्यमेव जयते
भारत सरकार

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
नई दिल्ली -110003

विषयवस्तु

अध्याय 1 प्रारंभिक

नियम	विषय	पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1
2.	लागू होना	1
3.	परिभाषाएं	4
4.	जिन सेवाओं और पदों को ये नियम लागू न हों उनसे स्थानांतरित किए गए सरकारी कर्मचारी	7

अध्याय 2

साधारण शर्तें

5.	पेंशन या कुटुंब पेंशन के दावों का विनियमन	8
6.	पेंशनों की संख्या की परिसीमाएं	8
7.	पेंशन या कुटुंब पेंशन भविष्य में आचरण के अच्छे बने रहने के अधीन होगी	9
8.	पेंशन रोकने और प्रत्याहृत करने का अधिकार	13
9.	सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन	18
10.	सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत से बाहर की किसी सरकार के अधीन नियोजन	23

अध्याय 3

अर्हक सेवा

11.	अर्हक सेवा का प्रारंभ	25
12.	वे शर्तें जिनके अधीन सेवा अर्हक होती है	25
13.	राज्य सरकारों में सेवा	25
14.	स्वायत्त निकायों में सेवा	26
15.	अस्थायी कामगार द्वारा अस्थायी हैसियत में की गई सेवा	28
16.	परिवीक्षा पर की गई सेवा की गणना	28
17.	प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा की गणना	28
18.	संविदा पर की गई सेवा की गणना	28

नियम	विषय	पृष्ठ
19.	पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों की दशा में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना	29
20.	सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना	31
21.	छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना	33
22.	प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना	34
23.	निलंबन की अवधियों की गणना	35
24.	पदच्युति अथवा हटा दिए जाने पर सेवा का समपहरण	35
25.	बहाली पर विगत सेवा की गणना	35
26.	पदत्याग पर सेवा का समपहरण	36
27.	सेवा में व्यवधान का प्रभाव	38
28.	सेवा में व्यवधान को माफ किया जाना	38
29.	संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति	39
30.	अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन	40

अध्याय 4

परिलब्धियां और औसत परिलब्धियां

31.	परिलब्धियां	41
32.	औसत परिलब्धियां	43

अध्याय 5

पेंशनों के वर्ग और उनके प्रदान को शासित करने वाली शर्तें

33.	अधिवर्षिता पेंशन या सेवा उपदान	46
34.	सेवानिवृत्त पेंशन या सेवा उपदान	46
35.	राज्य सरकार में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन	47
36.	निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन	49
37.	सरकारी विभाग के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन के संदाय के लिए शर्तें	52
38.	सरकारी विभाग के केंद्रीय स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन के संदाय के लिए शर्तें	59
39.	अशक्त पेंशन	64
40.	अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन	67
41.	अनुकंपा भत्ता	68

नियम	विषय	पृष्ठ
	अध्याय 6	
	समयपूर्व सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	
42.	तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति	71
43.	बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति	71
	अध्याय 7	
	पेंशन और उपदान का विनियमन	
44.	पेंशन की रकम	76
45.	सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान	79
46.	नामनिर्देशन	82
47.	वे व्यक्ति जिन्हें उपदान संदेय है	85
48.	किसी व्यक्ति का उपदान प्राप्त करने से विवर्जन	88
49.	सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का व्यपगत होना	88
	अध्याय 8	
	कुटुंब पेंशन	
50.	कुटुंब पेंशन	90
51.	लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के कुटुंब की पात्रता	118
	अध्याय 9	
	महंगाई राहत	
52.	पेंशन और कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत	123
	अध्याय 10	
	पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण और प्राधिकृत किया जाना	
53.	ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति प्रणाली में पेंशन मामलों पर कार्रवाई	126
54.	सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची की तैयारी	126
55.	‘बेबाकी प्रमाणपत्र’ जारी करने की बाबत संपदा निदेशालय को प्रज्ञापना	126
56.	पेंशन मामलों पर कार्रवाई की तैयारी	128
57.	अधिवर्षिता पर पेंशन पत्रों की तैयारी के प्रक्रम	128
58.	अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्ररूपों की प्रस्तुति	133
59.	पेंशन मामले को पूरा करना	134

नियम	विषय	पृष्ठ
60.	पेंशन मामले का लेखा अधिकारी को अग्रेषण	134
61.	किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किसी सरकारी शोध्यों से संबंध है लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना	135
62.	विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के अलावा अन्य कारणों से अनंतिम पेंशन	136
63.	पेंशन और उपदान का लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना	140
64.	प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी	143
65.	उपदान, पेंशन और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज	144
66.	प्राधिकृत किए जाने के पश्चात पेंशन का पुनरीक्षण	147
67.	सरकारी शोध्यों की वसूली और समायोजन	149
68.	सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों का समायोजन और वसूली	150
69.	सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों से भिन्न शोध्यों का समायोजन और वसूली	153
70.	सेवानिवृत्ति की तारीख का अधिसूचित किया जाना	153

अध्याय 11

सरकारी सेवा में रहते हुए मरने वाले या लापता होने वाले सरकारी कर्मचारी की बाबत कुटुंब पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण और प्राधिकृत किया जाना

71.	कुटुंब पेंशन और उपदान के दावे अभिप्राप्त करना	155
72.	कुटुंब पेंशन और उपदान के लिए सेवा और परिलब्धियों का सत्यापन	158
73.	अपूर्ण सेवा अभिलेख की दशा में की जाने वाली कार्यवाही	159
74.	कुटुंब पेंशन कागज पत्रों का लेखा अधिकारी को भेजा जाना	161
75.	किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनंतिम कुटुंब पेंशन और अनंतिम उपदान की संस्वीकृति, आहरण और संवितरण	162
76.	अंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान के अतिशेष का लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना	165
77.	सरकारी शोध्यों का समायोजन	170
78.	प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या लापता हो जाने की दशा में कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान का संदाय	174

नियम	विषय	संख्या	पृष्ठ
	अध्याय 12		
	मृत या लापता पेंशनभोगी अथवा कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कुटुंब पेंशन और अवशिष्ट उपदान की संस्वीकृति		
79.	पेंशनभोगी अथवा कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या लापता होने पर कुटुंब पेंशन और अवशिष्ट उपदान की संस्वीकृति		175
80.	लेखा अधिकारी द्वारा संदाय का प्राधिकरण		180
	अध्याय 13		
	पेंशनों का संदाय		
81.	पेंशन किस तारीख से संदेय होती है		183
82.	पेंशन किस करेंसी में संदेय है		184
83.	उपदान और पेंशन संदाय की रीति		184
84.	अन्य नियमों का लागू किया जाना		184
	अध्याय 14		
	विविध		
85.	निर्वचन		185
86.	शिथिल करने की शक्ति		185
87.	निरसन और व्यावृत्ति		185
संख्या	प्ररूप		
1.	केंद्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् एक वर्ष तक की अवधि के भीतर वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन	187	
2.	सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने हेतु अनुज्ञा के लिए पेंशनभोगी के अनुरोध पर कार्रवाई करने हेतु जांच सूची	189	
3.	उपदान, सामान्य भविष्य निधि तथा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लिए सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप	191	
4.	कुटुंब के ब्यौरे	194	
5.	सेवानिवृत्ति के पश्चात् विवाह/बच्चे के जन्म के संबंध में प्रज्ञापना	196	
6.	सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिप्राप्त की जाने वाली विशिष्टियां	199	
7.	पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप	204	
	7—क ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित थी और जिसे नियम 8 के		

संख्या	प्ररूप	पृष्ठ
	अनुसार अनंतिम पेंशन संस्वीकृत की गई थी, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान निर्धारण करने के लिए प्ररूप	
8.	पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर के नामों को सम्मिलित करने/सह-प्राधिकृत करने के लिए सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी या उसके पति/पत्नी द्वारा आवेदन	228
9.	मृत/लापता सरकारी कर्मचारी की बाबत उपदान दिए जाने के लिए आवेदन	231
10.	सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने अथवा कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने या अपात्र होने अथवा सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के लापता हो जाने पर कुटुंब पेंशन के लिए कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन	233
11.	सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने/लापता होने की दशा में कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान का संदाय निर्धारित और प्राधिकृत किया जाना	238
12.	पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन को शुरू करने के लिए पति अथवा पत्नी/सह-प्राधिकृत कुटुंब के सदस्य द्वारा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के लिए आवेदन	250
13.	किसी पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर अवशिष्ट उपदान की संस्वीकृति के लिए आवेदन	253
संख्या	फॉर्मेट	
1.	किसी आसूचना या सुरक्षा संबंधित संगठन में कार्य कर चुके सरकारी कर्मचारियों द्वारा वचनबंध	255
2.	सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए संस्वीकृति	256
3.	सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए ज्ञापन	257
4.	पेंशन और उपदान के लिए सेवा सत्यापन का प्रमाणपत्र	260
5.	तत्काल आमेलन होने पर किसी राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्ति आदेश	261
6.	चिकित्सा प्रमाणपत्र	263
7.	अवयस्क को उपदान के संदाय के लिए संरक्षक द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति बंध-पत्र	264
8.	लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी	267

संख्या	फॉर्मेट	पृष्ठ
	की दशा में उपदान या कुटुंब पेंशन के दावेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला क्षतिपूर्ति बंध-पत्र	
9.	वचनबंध	277
10.	उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ लेखा अधिकारी को पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान के संदाय के लिए सरकारी कर्मचारी के कागज पत्र भेजे जाएंगे	278
11.	उपदान दिए जाने के संबंध में मृतक/लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के नामनिर्देशिती/सदस्य को भेजे जाने वाला पत्र	280
12.	कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब सदस्य को भेजे जाने वाला पत्र	282
13.	पेंशनभोगी की मृत्यु होने/लापता होने या कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने/अपात्र होने/लापता होने पर कुटुंब पेंशन मंजूर करने वाला पत्र	283

***केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021**

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ये नियम 31 दिसंबर, 2003 को या उसके पूर्व, संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर, जो पेंशनी स्थापनों के हों, अधिष्ठायी रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को, जिसमें रक्षा सेवाओं के सिविल सरकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं, लागू होंगे, किंतु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, -

(क) रेलवे कर्मचारी;

(ख) आकस्मिक तथा दैनिक दर वाले नियोजन में लगे व्यक्ति;

* पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 20 दिसंबर, 2021 के सं.38/3/2017-पी&पीडब्ल्यू(ए) द्वारा अधिसूचित और दिनांक 20 दिसंबर, 2021 को भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड -3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. सं.868(अ) के रूप में प्रकाशित

- (ग) वे व्यक्ति जिन्हें आकस्मिक निधि में से संदाय किया जाता है;
- (घ) वे व्यक्ति जो अंशदायी भविष्य-निधि की प्रसुविधा के हकदार हैं;
- (ङ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य;
- (च) विदेशों में राजनयिक, कौंसलीय या अन्य भारतीय स्थापनों में सेवा के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्ति;
- (छ) संविदा पर नियोजित व्यक्ति तब के सिवाय जब कि संविदा में अन्यथा व्यवस्था की गई हो; और
- (ज) वे व्यक्ति जिनकी सेवाओं के निबंधन और शर्तें संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन विनियमित की जाती हैं।

स्पष्टीकरण - ये नियम लागू होंगे,

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी पर भी जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व प्रवेश प्रेरण प्रशिक्षण पर रखा गया था, तत्पश्चात् 31 दिसंबर, 2003 के बाद नियमित आधार पर नियुक्ति की गई:

परंतु प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना पद पर नियमित रूप से नियुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त था, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी वेतन या वृत्ति का पात्र था और प्रशिक्षण की अवधि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के उपबंधों के अनुसार अर्हक सेवा के रूप में गणना के लिए पात्र थी।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी पर भी, जिसे प्रारंभ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व नियुक्त किया गया था,-

- (i) केंद्रीय सरकार के ऐसे किसी स्थापन या विभाग में जिसके कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अतिरिक्त किसी अन्य पेंशन योजना द्वारा समावेश किए गए थे; या
- (ii) राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में जहां केंद्रीय सिविल सेवा

(पेंशन) नियमावली, 1972 के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना है।

और तत्पश्चात् 31 दिसंबर, 2003 के बाद केंद्रीय सरकार के किसी ऐसे स्थापन में नियुक्त किया गया, जिसे ये नियम लागू होते हैं, इस शर्त के अधीन कि इन नियमों या इस संबंध में जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार उक्त सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय के ऐसे स्थापन में दी गई सेवा की गणना के लिए अन्य सभी शर्तें पूरी करता हो।

(3) ये नियम संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवा या पद में 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारी पर भी, यदि वह इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किसी विशेष या सामान्य आदेश के अनुसार इन नियमों के तहत समावेशन के लिए शर्तों को पूरा करता हो।

(4) नियम 15 के उपबंधों के अधीन, उन व्यक्तियों पर भी, जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियमित आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, किन्तु 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अधिसूचित भारत सरकार की “अस्थायी कामगार (अस्थायी हैसियत प्रदान करना और नियमितीकरण) योजना, 1993” के अनुसार अस्थायी हैसियत प्रदान की गई थी और इस तरह की अस्थायी हैसियत के बाद बिना किसी व्यवधान के, सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति हो गई है।

(5) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं या पदों पर 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियुक्त किए जाने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) नियमावली, 2021 द्वारा कवर किया गया हो, की मृत्यु होने या अशक्तता होने पर सेवा से कार्यमुक्त होने की स्थिति में नियम 39 के अधीन अशक्त पेंशन और नियम 50 के अधीन कुटुंब पेंशन, यथास्थिति सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार को देय होगी, यदि सरकारी कर्मचारी ने केंद्रीय सिविल सेवा

(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) नियमावली, 2021 के नियम 10 के अधीन इस आशय का विकल्प चुना है या जिसके मामले में इन नियमों या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत हितलाभ के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प उपलब्ध है।

(6) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे संघ के कार्यकलापों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया था, जो अधिष्ठायी रूप से नियुक्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए या सेवा से निवृत्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन हितलाभ, केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 में निहित उपबंधों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को देय होंगे।

3. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "लेखा अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, उसका पदीय पदनाम चाहे जो भी क्यों न हो, जो केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय के लेखा बनाए रखता है और इसके अंतर्गत वह महालेखाकार भी है जिसको केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के लेखे या उनका कोई भाग बनाए रखने का कार्य सौंपा जाता है;
- (ख) "आवंटिति" से ऐसा सरकारी कर्मचारी अभिप्रेत है; जिसे अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर या अन्यथा सरकारी आवास आवंटित किया गया है;
- (ग) "औसत परिलब्धियां" से वे औसत परिलब्धियां अभिप्रेत हैं, जो नियम 32 के अनुसार अवधारित की गई हों;
- (घ) "भविष्य" से एक ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें सेवानिवृत्ति हितलाभों की संस्वीकृति और पेंशन की संस्वीकृति और संदाय की ट्रेकिंग सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी को पेंशन की संस्वीकृति देने से संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जाती है;

- (ड) "बालक" से सरकारी कर्मचारी का पुत्र अथवा पुत्री अभिप्रेत है जो नियम 45 के अंतर्गत मृत्यु उपदान और नियम 50 के अंतर्गत कुटुंब पेंशन प्राप्त करने का पात्र है और 'बालक' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
- (च) "महंगाई राहत" से नियम 52 में यथापरिभाषित पेंशन और कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत अभिप्रेत है;
- (छ) "रक्षा सेवाएं" से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन, रक्षा लेखा विभाग की वे सेवाएं अभिप्रेत हैं जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों में से अदायगी की जाती है, और जो स्थायी रूप से वायु सेना अधिनियम 1950 (1950 का 45) या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) के अधीन नहीं हैं;
- (ज) "परिलब्धियां" से नियम 31 में यथापरिभाषित परिलब्धियां अभिप्रेत हैं;
- (झ) "कुटुंब पेंशन" से नियम 50 के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन अभिप्रेत है किन्तु इसमें महंगाई राहत सम्मिलित नहीं है;
- (ञ) "विदेश सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी को उसका वेतन भारत की समेकित निधि या किसी राज्य की समेकित निधि या संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से भिन्न किसी अन्य स्रोत से, सरकार की संस्वीकृति से मिलता हो;
- (ट) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ठ) "फॉर्मेट" से इन नियमों में संलग्न फॉर्मेट अभिप्रेत है;
- (ड) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (ढ) "सरकारी शोध" से नियम 67 के उपनियम (2) में यथापरिभाषित शोध अभिप्रेत है;
- (ण) "उपदान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं-
- (i) नियम 44 के अधीन संदेय 'सेवा उपदान';

- (ii) नियम 45 के उपनियम (1) के अधीन संदेय 'सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान; और
 - (iii) नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन संदेय 'अवशिष्ट उपदान';
- (त) "विभागाध्यक्ष" से वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति आता है जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट करें;
- (थ) "कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसा राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है जिसे वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 के नियम 14 के अधीन ऐसा घोषित किया गया हो और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति आता है जिसे सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के रूप में विनिर्दिष्ट करे;
- (द) "सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि" से ऐसे किसी निकाय द्वारा प्रशासित निधि अभिप्रेत है, जो विधि या विधि का बल रखने वाले नियम द्वारा सरकार के नियंत्रण में आती है और जिसके व्यय पर सरकार अपना पूरा-पूरा और सीधा नियंत्रण बनाए रखती है;
- (ध) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी न की हो;
- (न) "पेंशन" के अंतर्गत तब के सिवाय उपदान आता है जब पेंशन शब्द का प्रयोग उपदान से सुभिन्नता सूचित करने के लिए किया जाता है, किन्तु इसमें महंगाई राहत सम्मिलित नहीं है;
- (प) "पेंशन संवितरण प्राधिकारी" से अभिप्रेत है-
- (i) लेखा महानियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन का संदाय करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से चुने गए सभी बैंक, या
 - (ii) डाक घर, या
 - (iii) खजाना, जिसके अंतर्गत उप खजाना है, या

(iv) लेखा अधिकारी;

(फ) "पेंशन संदाय आदेश" में ई-पेंशन संदाय आदेश भी शामिल है।

(ब) "अर्हक सेवा" से कर्तव्य पर रह कर या अन्यथा की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशनों और उपदानों के प्रयोजन के लिए लेखे में ली जाएगी;

(भ) "सेवानिवृत्ति हितलाभ" के अंतर्गत पेंशन या सेवा उपदान, और सेवानिवृत्ति उपदान, जहां वह अनुज्ञेय हो, हैं;

(म) "सेवा पुस्तिका" के अंतर्गत सेवानिवृत्त, यदि कोई हो, है; और

(य) "खजाना" के अंतर्गत उपखजाना भी है।

(2) जिन शब्दों और पदों का यहां प्रयोग किया गया है और जो यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु मूल नियम, 1922 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें उन नियमों में क्रमशः दिए गए हैं।

4. जिन सेवाओं और पदों को ये नियम लागू न हों उनसे स्थानांतरित किए गए सरकारी कर्मचारी- (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे किसी ऐसी सेवा या पद से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते हैं किसी ऐसी सेवा या पद को, जिसे ये नियम लागू होते हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता है, इन नियमों के अधीन हो जाएगा:

परंतु वह अपने स्थायी स्थानांतरण के आदेश के जारी किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर अथवा यदि वह उस दिन छुट्टी पर है, तो उसके छुट्टी से लौट आने के छह मास के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, इस बात का निर्वाचन कर सकेगा कि उसे उन पेंशन नियमों द्वारा प्रशासित किया जाए जिनके अधीन वह अपने स्थानांतरण की तारीख से ठीक पहले था।

(2) उप-नियम (1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग लिखित रूप में किया जाएगा और स्थानांतरण का ऐसा आदेश देने वाले प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

(3) एक बार किया गया विकल्प अंतिम होगा।

अध्याय 2

साधारण शर्तें

5. पेंशन या कुटुंब पेंशन के दावों का विनियमन-

(1) पेंशन या कुटुंब पेंशन संबंधी कोई भी दावा उस समय, जब सरकारी कर्मचारी, यथास्थिति, सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवामुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पदत्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है या मर जाता है, प्रवृत्त इन नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(2) जिस दिन सरकारी कर्मचारी, यथास्थिति, सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवामुक्त कर दिया जाता है या उसे सेवा से पदत्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है, उसका कार्य का अंतिम पूर्ण दिन माना जाएगा और मृत्यु की तारीख भी कार्य का दिन मानी जाएगी: परंतु ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो अपनी सेवानिवृत्ति या मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित था अथवा निलंबित था, उसकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु का दिन ऐसे अवकाश या अनुपस्थिति या निलंबन का हिस्सा होगा।

6. पेंशनों की संख्या की परिसीमाएं –

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी एक ही सेवा या पद में एक ही समय में या एक ही लगातार सेवा करके दो पेंशन अर्जित नहीं करेगा।

(2) नियम 19 या नियम 20 में यथाउपबंधित के सिवाय, ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो अधिवर्षिता पेंशन या सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त हो चुका है या जो सेवा से पदच्युत किए जाने या हटा दिए जाने पर अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा हो और जिसे तत्पश्चात् पुनर्नियोजित किया जाता है, अपने पुनर्नियोजन की अवधि के लिए अलग पेंशन या उपदान का हकदार नहीं होगा:

परंतु ऐसा सरकारी कर्मचारी जो पूर्व में किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् उस निकाय या उपक्रम की उचित अनुमति के साथ, 31 दिसंबर, 2003 को या

उससे पूर्व सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, तो उस निकाय या उपक्रम में की गई सेवा के लिए स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उसे प्राप्त पेंशन और उपदान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त सरकार में की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान प्राप्त करने का पात्र होगा।

परंतु यह और कि स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा और सरकार के अधीन की गई सेवा की बाबत उपदान की कुल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकार में सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई संपूर्ण सेवा और सरकार से सेवानिवृत्ति पर मिली परिलब्धियों पर विचार करते हुए अनुज्ञेय होती।

स्पष्टीकरण 1: किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार में उचित अनुमति के साथ नियुक्त किया गया माना जाएगा यदि उसने स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की पूर्व अनुमति के साथ सरकार में सेवा या पद के लिए आवेदन किया था तथा स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का आदेश स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि कर्मचारी यथास्थिति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, की उचित अनुमति के साथ सरकार में पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

स्पष्टीकरण 2: स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा के लिए पेंशन, यदि कोई हो, संबंधित स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ही संदत्त की जाएगी और सरकार के अधीन किसी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उक्त स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा की पेंशन के लिए सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।

7. पेंशन या कुटुंब पेंशन भविष्य में आचरण के अच्छे बने रहने के अधीन होगी – (1) (क) इन नियमों के अधीन पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि भविष्य में आचरण अच्छा बना रहे।

(ख) यदि पेंशनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो नियुक्ति प्राधिकारी पेंशन या उसके किसी भाग को, लिखित आदेश द्वारा, स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकेगा या प्रत्याहृत कर सकेगा:

परंतु यह और कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाता या प्रत्याहृत कर लिया जाता है वहां ऐसी पेंशन की रकम नियम 44 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से और कम नहीं की जाएगी।

(2) जहां कि कोई पेंशनभोगी न्यायालय द्वारा किसी गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है वहां उपनियम (1) के अधीन कार्यवाई न्यायालय के ऐसी सिद्धदोषी से संबंधित निर्णय के प्रकाश में की जाएगी।

(3) यदि किसी ऐसे मामले में, जो उपनियम (2) के अंतर्गत न आता हो, उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह समझता है कि पेंशनभोगी गंभीर अवचार का प्रथम दृष्टया दोषी है वह प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व,-

(क) पेंशनभोगी पर एक सूचना तामील करेगा जिसमें उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाई और उस आधार का उल्लेख होगा जिस पर उस कार्यवाई के किए जाने की स्थापना है और जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, अथवा पंद्रह दिन से अनधिक उतनी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जितनी उक्त प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए, ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जो वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहे; और

(ख) उपखंड (क) के अधीन पेंशनभोगी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

(4) (क) उप-नियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा सरकारी कर्मचारी जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005(2005 का 22) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित ऐसे आसूचना या सुरक्षा से संबंधित

संगठन में कार्य कर चुका है, सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागाध्यक्ष की बिना पूर्व अनुमति के निम्नलिखित से संबंधित अथवा निम्न किसी भी सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा,-

- (i) संगठन का अधिकार क्षेत्र जिसमें किसी भी कार्मिक और उसके पदनाम के बारे में कोई भी संदर्भ या सूचना, और उस संगठन में कार्य करने के कारण प्राप्त हुई विशेषज्ञता या जानकारी सम्मिलित हैं; और
- (ii) संवेदनशील सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों अथवा किसी विदेशी राष्ट्र के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, या जिससे किसी अपराध का उद्घोष हो।

(ख) ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005(2005 का 22) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी आसूचना या सुरक्षा-संबंधित संगठन में कार्य कर चुके हों, वे उपर्युक्त प्रतिबंध के विषय में फॉर्मेट 1 में वचनपत्र देंगे और ऐसे वचन का पालन करने में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की विफलता को इस नियम के अधीन गंभीर अवचार माना जाएगा।

(ग) खंड(ख) में निर्दिष्ट किसी संगठन से, प्रतिनियुक्ति पूरी होने पर या अन्यथा सरकारी कर्मचारी को बाहर स्थानांतरित किए जाने की दशा में, स्थानांतरण के समय सरकारी कर्मचारी से अपेक्षित वचनपत्र, दो प्रतियों में प्राप्त किया जाएगा और वचनपत्र की एक प्रति सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखी जाएगी और इस आशय की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाएगी और वचनपत्र की दूसरी प्रति रिकॉर्ड के लिए उपर्युक्त संगठन में रखी जाएगी।

(5) संगठन के प्रमुख के पास यह निर्णय करने का प्राधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील या असंवेदनशील है, और क्या वह संगठन के अधिकार क्षेत्र में आती है।

(6) जहां कि उप-नियम (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति हो, किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाएगा।

(7) राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रपति को की जा सकेगी और राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, अपील पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे वह ठीक समझे।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ,-

- (क) 'पेंशन' पद के अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है और 'पेंशनभोगी' पद के अंतर्गत कुटुंब पेंशनभोगी भी है।
- (ख) 'गंभीर अपराध' पद के अंतर्गत ऐसा अपराध आता है जिसमें शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के अधीन कोई अपराध अन्तर्गस्त हो।
- (ग) 'गंभीर अवचार' पद के अंतर्गत कोई गुप्त शासकीय संकेत को या संकेत शब्द या किसी रेखाचित्र रेखांक, प्रतिमान, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज या सूचना को, जैसा कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923(1923 का 19) की धारा 5 में वर्णित है (जो कि सरकार के अधीन किसी पद को धारण करते समय प्राप्त हुई थी) संसूचित अथवा प्रकट करना आता है जिससे कि जनसाधारण के हितों पर अथवा राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (घ) 'प्रकाशन' पद के अंतर्गत प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संसूचित करना या प्रकाशन करना या किसी पुस्तक, पत्र, पुस्तिका, पोस्टर या अन्य दस्तावेज का किसी भी रूप में प्रकाशन करना आता है।
- (ङ) 'सूचना' पद के अंतर्गत किसी भी रूप में कोई भी सामग्री आती है जिसमें सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित या उसकी पहुंच में रखे गए, रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, परामर्श, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात,

नमूने, मॉडल और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा सामग्री सम्मिलित है।

8. पेंशन रोकने और प्रत्याहृत करने का अधिकार - (1) राष्ट्रपति किसी पेंशन या उपदान को, अथवा दोनों को, पूर्णतः या अंशतः रोकने, अथवा पेंशन को पूर्णतः या अंशतः, स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रत्याहृत करने तथा सरकार को कारित किसी धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंशतः पेंशन या उपदान में से वसूल करने का आदेश देने का अधिकार उस दशा में अपने पास आरक्षित रखते हैं जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में पेंशनभोगी के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में, जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या उपेक्षा का दोषी रहा है :

परंतु कोई भी अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां पेंशन का कोई भाग रोक लिया जाए या प्रत्याहृत किया जाए, वहां ऐसी पेंशन की रकम नियम 44 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से नीचे कम नहीं की जाएगी।

(2) (क) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाहियां, उस समय, जब सरकारी कर्मचारी सेवा में रहा हो, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनर्नियोजन के दौरान, संस्थित की गई हो तो उन कार्यवाहियों के बारे में सरकारी कर्मचारी के अंतिम रूप से सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात्, यह समझा जाएगा कि वे इस नियम के अधीन की कार्यवाहियां हैं, और वे उस प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा वे प्रारंभ की गई थीं, उसी रीति से जारी रखी जायेंगी और उन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा, मानो वह सरकारी कर्मचारी सेवा में बना रहा हो:

परंतु ऐसे सभी मामलों में जहां कि विभागीय कार्यवाहियां राष्ट्रपति के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा संस्थित की जाएं, वहां वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक रिपोर्ट

राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उप-नियम(1) के अनुसार इस मामले में अंतिम निर्णय लेगा।

(ख) उपनियम (1) और खंड (क) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, यदि विभागीय कार्यवाहियां तब संस्थित की गई जब सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 16 के अधीन सेवा में था और सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी रहा, तो पेंशनभोगी की पेंशन और उपदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) यदि विभागीय कार्यवाहियां उस समय, जब सरकारी कर्मचारी सेवा में था, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसके पुनःनियोजन के दौरान, संस्थित न की गई हों, तो वे, -

(i) फॉर्मेट 2 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएगी;

(ii) ऐसी किसी घटना की बाबत नहीं होगी, जो उक्त संस्थिति से पूर्व चार वर्ष से अधिक पहले घटी हो; और

(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान में जिनके बारे में राष्ट्रपति निदेश दे और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जायेंगी, जो ऐसी विभागीय कार्यवाहियों को लागू होती हों जिसमें सरकारी कर्मचारी के संबंध में सेवा से पदच्युति का आदेश उसकी सेवा के दौरान दिया जा सकता हो:

परंतु इस उपनियम के अधीन विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के प्रयोजन से, फॉर्मेट 3 में संबंधित पेंशनभोगी को आरोपों का ज्ञापन भेजा जाएगा।

(घ) जहां केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अनुसार कार्यवाहियों के दौरान पेंशनभोगी को हेतुक दर्शित करने का अवसर देते हुए पूर्ण रूप से जांच शुरू की जाती है, तो उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व और हेतुक दर्शित करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

(3) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ हो और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हों या जहां केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अधीन संस्थित विभागीय कार्यवाहियां, उप-नियम (2) के अधीन जारी रखी गई हों, उप-नियम (4) में यथा उपबंधित अनंतिम पेंशन संस्वीकृत की जाएगी।

(4) (क) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी की बाबत, लेखा अधिकारी उस अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगा जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबित रहा था, तो उसके निलंबित किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख तक, उसकी अर्हक सेवा के आधार पर उसे अनुज्ञेय होती।

(ख) लेखा अधिकारी उस अवधि के लिए अनंतिम पेंशन प्राधिकृत करेगा, जो सेवानिवृत्ति की तारीख से प्रारंभ होकर और उस तारीख तक है, जिसमें वो तारीख भी सम्मिलित है जिसको विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं।

(ग) सरकारी कर्मचारी को तब तक कोई भी उपदान नहीं दिया जाएगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती और उन पर अंतिम आदेश नहीं दे दिया जाता।

(घ) इस उप-नियम के उपबंध यहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अवचार के आरोपों की जांच की जा रही हो अथवा जहां किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां करने पर विचार किया जा रहा है, किन्तु सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक उप-नियम (9) के खंड (क) के अनुसार वस्तुतः संस्थित नहीं की गई हैं या संस्थित किया गया नहीं समझा गया है। ऐसे मामलों में, नियम 62 के अनुसार सरकारी कर्मचारी को उसकी

सेवानिवृत्ति पर पेंशन और उपदान का संदाय प्राधिकृत किया जाएगा।

परंतु सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् संस्थित की गई कोई भी विभागीय कार्यवाहियां उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन होंगी।

(5) उप-नियम (4) के अधीन अनंतिम पेंशन का संदाय ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी को संस्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति हितलाभों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा, किन्तु जहां अंतिम रूप में संस्वीकृत पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या जहां पेंशन कम हो गई है या स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधारित कर ली जाती है वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी।

(6) जहां कि राष्ट्रपति यह विनिश्चय करें कि पेंशन न तो रोकी ही जाए और न ही प्रत्याहृत की जाए, किन्तु धन संबंधी हानि की पेंशन में से वसूली के आदेश दें, वहां वह वसूली सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय पेंशन की एक तिहाई से अधिक की दर पर सामान्यतया नहीं की जाएगी।

(7) राष्ट्रपति किसी भी समय स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकते हैं और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश की पुनरीक्षा कर सकते हैं और आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकते हैं, या मामले को किसी प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए विप्रेषित कर सकते हैं कि वह आगे ऐसी जांच करे जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे या ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकते हैं जैसे वह ठीक समझें:

परंतु विधारित या प्रत्याहरित की जाने वाली पेंशन या उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है और जब तक संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।

(8) ऐसी परिशमनकारी अथवा विशेष परिस्थितियां जो पुनर्विलोकन के लिए समुचित आधार हैं या कोई नई सामग्री या साक्ष्य जिसे पुनरीक्षाधीन आदेश के पारित किए जाने के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या जो उपलब्ध नहीं थे और जो मामले के स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रभाव रखती हैं, के नोटिस में आने या लाए जाने पर, राष्ट्रपति किसी भी समय, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं।

परंतु विधारित या प्रत्याहरित की जाने वाली पेंशन या उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है और जब तक संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, -

- (1) (क) विभागीय कार्यवाहियां उस तारीख को, जिसको आरोपों का विवरण सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया है, अथवा यदि सरकारी कर्मचारी किसी पूर्वतर तारीख से निलंबित कर दिया गया है तो ऐसी तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी; तथा

(ख) न्यायिक कार्यवाहियां -

- (i) दांडिक कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिसका कि मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है, की गई हो; और
- (ii) सिविल कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको वादपत्र न्यायालय में पेश किया जाता है।

- (2) इस नियम में, "अवचार" अभिव्यक्ति से पेंशनभोगी द्वारा सेवा की अवधि के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन के दौरान की

गई सेवा भी है, किया गया या नहीं किया कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है, और जो केंद्रीय सिविल सेवा(आचरण) नियमावली, 1964 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन था, जिसके लिए सेवा की अवधि के दौरान केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

(3) उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई की जा सकती है, यदि पेंशनभोगी निम्न के लिए दोषी पाया जाता है, -

- (i) सेवा के दौरान कोई भी भ्रष्ट आचरण;
- (ii) शासकीय कर्तव्य के निष्पादन की बाबत या अन्यथा कोई अवचार; तथा
- (iii) किसी प्रकार का अवचार जिसके परिणामस्वरूप सरकार को आर्थिक नुकसान हो या अन्यथा।

(4) "सिविल कार्यवाहियां" अभिव्यक्ति से ऐसी कार्यवाहियां अभिप्रेत होंगी जो केवल सरकार द्वारा दायर सिविल वाद की बाबत हों।

9. सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन- (1) यदि कोई पेंशनभोगी, जो अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व केंद्रीय सेवा समूह 'क' का सदस्य था, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के अवसान से पूर्व कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करना चाहता है, तो वह ऐसी स्वीकृति के लिए, प्ररूप-1 में एक आवेदन प्रस्तुत करके, सरकार की पूर्व संस्वीकृति प्राप्त करेगा:

परंतु ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसे सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान या अस्वीकृत छुट्टी के दौरान किसी विशेष प्रकार का वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा अनुज्ञात किया गया था, सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए बाद में कोई अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी:

परंतु यह और कि कोई सरकारी कर्मचारी प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना सेवा के दौरान वाणिज्यिक नियोजन के लिए बातचीत नहीं करेगा और ऐसी अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा करने के विशेष कारण न हों।

(2) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार पेंशनभोगी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किए जाने पर लिखित आदेश द्वारा, -

(क) ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसी कि वह आवश्यक समझे, ऐसे पेंशनभोगी को, आवेदन में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए आवश्यक अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी; या

(ख) ऐसे पेंशनभोगी को आवेदन में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए अनुज्ञा देने से ऐसे कारणों से इन्कार कर सकती है जो आदेश में लेखबद्ध किए जाएंगे।

(3) पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने या इन्कार करने में, सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्:-

(क) क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से और उस कार्यालय से जहां से अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ था, कोई 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया गया है;

(ख) क्या अधिकारी अपनी सेवा के अंतिम तीन वर्षों में ऐसी संवेदनशील या रणनीतिक सूचना का संसर्ग था जो उस संगठन, जिसमें उसने कार्यग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है, के हितों या कार्य के क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में वह प्रैक्टिस करने या परामर्श करने का प्रस्ताव करता है, से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों से उस कार्यालय की नीतियों जिसमें वह कार्यरत था, और उस संगठन जिसमें उसके कार्यग्रहण करने का प्रस्ताव है, के हितों या उस संगठन द्वारा किए गए कार्य के बीच हितों का टकराव हुआ है;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "हितों का टकराव" में सरकार या इसके उपक्रमों के साथ सामान्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा सम्मिलित नहीं होगी।

- (घ) क्या वह संगठन जिसके अधीन उसका नियोजन प्रस्थापित है, किसी भी तरह से भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक समन्वय के साथ कभी टकराव की स्थिति में रहा है या उसके कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, और क्या संगठन खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई गतिविधि कर रहा है;
- (ङ) क्या अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड, विशेषकर सत्यनिष्ठा और गैर-सरकारी संगठनों के साथ व्यवहार की बाबत निष्कलंक है;
- (च) क्या प्रस्तावित परिलब्धियां और आर्थिक लाभ, वर्तमान में उद्योग में प्रचलित परिलब्धियों और आर्थिक लाभों से कहीं अधिक हैं;

स्पष्टीकरण.- इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "कहीं अधिक" शब्दों को ऐसे लाभ में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाएगा जो पूर्णतः उद्योग या अर्थव्यवस्था में उछाल के परिणामस्वरूप हो सकता है।

- (छ) कोई अन्य सुसंगत तथ्य जो प्रशासनिक मंत्रालय की जानकारी में हो सकते हैं, किन्तु इस नियम में उन मानदंडों को सम्मिलित नहीं किया गया है या ऐसे मामले जिन पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर विशिष्ट निर्देश जारी किए जा सकेंगे।
- (4) वाणिज्यिक नियोजन की अनुज्ञा स्वीकार करने के लिए पेंशनभोगियों के आवेदनों पर भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार विचार किया जाएगा।
- (5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित ध्यान दिया गया है, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्ररूप 2 में जांच-सूची बनाकर रखी जाएगी।

(6) जहां उपनियम (3) के खंड (ख) से खंड (छ) में उल्लिखित तथ्यों में से किसी भी आधार पर पेंशनभोगी को निरहित नहीं ठहराया जाता है, तो सरकार,-

- (i) किसी कंपनी के निदेशक-पद या परामर्श या वृत्तिक क्षेत्रों में प्रैक्टिस के लिए उदारतापूर्वक अनुज्ञा प्रदान कर सकती है;
- (ii) वैज्ञानिक, साक्षरता, सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक गतिविधियों में सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर सकती है;
- (iii) गैर-सरकारी क्षेत्र में जिम्मेदारी के पदों के लिए अनुज्ञा देने में उदार हो सकती है; तथा
- (iv) अवैतनिक और वेतन वाले नियोजन और स्वनियोजन के बीच अंतर न करे।

(7) जहां सरकार आवेदित अनुज्ञा किन्हीं शर्तों पर प्रदान करती है अथवा ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने से इंकार करती है, वहां आवेदक सरकार से इस आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी किसी शर्त या मनाही के विरुद्ध व्यपदेशन कर सकता है और सरकार उस पर ऐसा आदेश कर सकती है जैसा वह ठीक समझे:

परंतु इस उप-नियम के अधीन कोई आदेश, सिवाय उस आदेश के जो ऐसी शर्त को रद्द करने के लिए अथवा ऐसी अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान करने के लिए किया गया हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यपदेशन करने वाले पेंशनभोगी को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(8) यदि कोई पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के अवसान से पूर्व सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण कर लेता है अथवा जिन शर्तों के अधीन कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने की अनुज्ञा इस नियम अधीन उसे प्रदान की गई है, उनमें से किसी को भंग करता है तो सरकार, लिखित आदेश द्वारा, और ऐसे कारणों से जो उसमें लेखबद्ध किए जाएंगे, यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगी कि वह पेंशनभोगी समस्त पेंशन का या उसके ऐसे किसी भाग का तथा ऐसी अवधि के लिए जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए,

हकदार नहीं होगा:

परंतु ऐसा कोई आदेश संबंधित पेंशनभोगी को ऐसी घोषणा के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि इस उप-नियम के अधीन कोई आदेश करने में सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्: -

- (i) संबंधित पेंशनभोगी की वित्तीय परिस्थितियां;
- (ii) संबंधित पेंशनभोगी द्वारा ग्रहण किए गए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और परिलब्धियां; और
- (iii) कोई अन्य सुसंगत तथ्य।

(9) इस नियम के अधीन सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनभोगी को संसूचित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, -

(क) "वाणिज्यिक नियोजन" अभिव्यक्ति से: -

- (i) व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या वृत्तिक व्यवसाय में लगी हुई किसी कंपनी, सहकारी सोसायटी (इसके अंतर्गत किसी पद का चाहे वह निर्वाचन करके मिलता हो या अन्यथा, धारण करना आता है, भले ही उस सोसायटी में वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जैसे अध्यक्ष, सभापति, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादि शामिल हैं), फर्म या व्यक्ति के अधीन किसी भी हैसियत में कोई नियोजन अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अभिकर्ता के रूप में नियोजन भी है और इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी का निदेशक-पद और ऐसी फर्म की भागीदारी भी सम्मिलित है, किंतु ऐसे निगमित निकाय के अधीन, जिस पर केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का पूर्णतः या सारतः स्वामित्व या नियंत्रण हो, नियोजन इसके अंतर्गत नहीं आता है;
- (ii) स्वतंत्र रूप से अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप में, ऐसे मामलों में, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में प्रैक्टिस स्थापित करना अभिप्रेत है जिसकी बाबत पेंशनभोगी -

- (अ) के पास कोई वृत्तिक अर्हताएं न हों और जिन मामलों की बाबत प्रैक्टिस की स्थापना करनी है या उसे संचालित करना है उनका संबंध उसके पदीय ज्ञान या अनुभव से हो; अथवा
- (आ) के पास वृत्तिक अर्हताएं हों किन्तु जिन मामलों की बाबत ऐसी प्रैक्टिस संस्थापित करनी है वे ऐसे हों कि उसकी पूर्व पदीय स्थिति के कारण उसके ग्राहकों को अऋजु फायदा होना संभाव्य हो; अथवा
- (इ) को ऐसा काम लेना पड़े जिसमें सरकार के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संपर्क या संबंध स्थापित करना पड़ता हो।
- (ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात्, बिना किसी व्यवधान के सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य समूह 'क' पद पर या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य समकक्ष पद पर, पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी के संबंध में “सेवानिवृत्ति की तारीख अभिव्यक्ति से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख” को ऐसे सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा में इस प्रकार पुनर्नियोजित किया जाना अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है।

10. सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत से बाहर की किसी सरकार के अधीन नियोजन - (1) यदि कोई पेंशनभोगी, जो अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व केंद्रीय सेवा, समूह 'क' का सदस्य था और भारत से बाहर किसी सरकार के अधीन कोई नियोजन स्वीकार करना चाहता है, तो उसे ऐसी संस्वीकृति के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी, और ऐसे किसी पेंशनभोगी को जो बिना उचित अनुज्ञा के ऐसा कोई नियोजन स्वीकार करता है, ऐसी किसी अवधि के लिए जिसके लिए वह इस प्रकार नियोजित है या ऐसी दीर्घतर अवधि के लिए, जैसी कि सरकार निर्दिष्ट करे, कोई पेंशन संदेय नहीं होगी:

परंतु ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जिसे अपनी सेवानिवृत्ति-पूर्व अवकाश के दौरान भारत से बाहर की किसी सरकार के अधीन किसी विशेष प्रकार का नियोजन ग्रहण करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात किया गया था, सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में बने रहने के लिए बाद में कोई अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) भारत से बाहर की किसी सरकार के अधीन नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा के लिए पेंशनभोगी के आवेदन पर भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम 1961 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

अध्याय 3

अर्हक सेवा

11. अर्हक सेवा का प्रारंभ - इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तारीख से प्रारंभ होगी जिससे वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है जिस पर वह अधिष्ठायी रूप से या स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में पहली बार नियुक्त हुआ था;

परंतु यह तब जब स्थानापन्न या अस्थायी सेवा के पश्चात् उसी अथवा किसी अन्य सेवा या पद में अधिष्ठायी नियुक्ति व्यवधान रहित रूप में हुई हो:

परंतु यह और कि नियम 20 के अधीन सिविल पेंशन के लिए सैन्य सेवा की गणना के मामलों को छोड़कर अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी।

12. वे शर्तें जिनके अधीन सेवा अर्हक होती है - (1) सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक अर्हक नहीं होगी जब तक उसके कर्तव्य और वेतन, सरकार द्वारा या सरकार द्वारा अवधारित शर्तों के अधीन विनियमित नहीं कर दिए जाते।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सेवा" पद से सरकार के अधीन की गई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसके लिए अदायगी उस सरकार द्वारा भारत की समेकित निधि से अथवा उस सरकार द्वारा प्रशासित किसी स्थानीय निधि से की जाती है, किंतु इसके अंतर्गत किसी गैर-अंशदायी पेंशन योजना स्थापन में की सेवा तब तक नहीं आती जब तक कि ऐसी सेवा उस सरकार द्वारा अर्हक सेवा के रूप में न मानी जाए।

13. राज्य सरकारों में सेवा - (1) राज्य सरकार के किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसकी, प्रारंभ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व राज्य सरकार के किसी पेंशनी स्थापन में नियुक्ति हुई हो, और जिसे किसी ऐसी सेवा में या पद पर, जिसे ये नियम लागू होते हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता है, उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न

या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई लगातार सेवा अर्हक होगी:

परंतु उस सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई लगातार सेवा, जिस सेवा के पश्चात् यदि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार में व्यवधान रहित रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो, अर्हक होगी।

(2) राज्य सरकार के किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसकी किसी ऐसी सेवा या पद में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्य सरकार की सेवा से अपने त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात्, उचित अनुज्ञा से नियुक्ति हुई हो, उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई लगातार सेवा इस शर्त के अध्वधीन अर्हक होगी कि सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई सेवा के पश्चात् राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार में व्यवधान रहित रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो।

स्पष्टीकरण: किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार में उचित अनुज्ञा के साथ नियुक्त किया गया समझा जाएगा यदि उसने राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के साथ सरकार में सेवा या पद के लिए आवेदन किया था और राज्य सरकार का आदेश स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि कर्मचारी राज्य सरकार की उचित अनुज्ञा लेकर सरकार के अधीन पद में कार्यग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन आने वाले मामलों में पेंशन और उपदान का दायित्व केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और राज्य सरकार से आनुपातिक पेंशन की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

14. स्वायत्त निकायों में सेवा - (1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसकी, प्रारंभ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में, इन नियमों के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले स्थापन में नियुक्ति हुई हो और उक्त स्वायत्त निकाय से उसके त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात्, जिसे केंद्रीय सरकार की किसी ऐसी सेवा में या पद पर, जिसे ये नियम लागू होते हैं, उचित अनुज्ञा लेकर तत्पश्चात् नियुक्त किया गया था, उक्त स्वायत्त निकाय

के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई सेवा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अर्हक सेवा होगी, अर्थात्: -

- (क) केंद्रीय सरकार में स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में उस सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के पश्चात् व्यवधान रहित रूप से अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो;
 - (ख) सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र की स्वीकृति से पूर्व उस निकाय में की गई सेवा के लिए उक्त स्वायत्त निकाय से अलग से पेंशन आहरित नहीं कर रहा है; और
 - (ग) स्वायत्त निकाय में की गई सेवा के लिए पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का एकमुश्त भुगतान करके उक्त स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन देयता का निर्वहन किया गया है; और
 - (घ) पेंशन की एकमुश्त रकम, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 में अधिकथित संराशीकरण तालिका के संदर्भ में अवधारित की जाएगी।
- (2) राज्य सरकार के अधीन इन नियमों के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन देयता के निर्वहन की शर्त, केंद्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ की गई पारस्परिक व्यवस्था के अनुसार उस स्वायत्त निकाय के लिए बाध्यकारी होगी।

स्पष्टीकरण: किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार में उचित अनुज्ञा के साथ नियुक्त किया गया समझा जाएगा यदि उसने स्वायत्त निकाय की पूर्व अनुज्ञा के साथ सरकार में सेवा या पद के लिए आवेदन किया था और स्वायत्त निकाय का आदेश स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि कर्मचारी स्वायत्त निकाय की उचित अनुज्ञा लेकर सरकार के अधीन पद में कार्यग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

(3) इन नियमों के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार में नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रम में की गई सेवा की गणना, अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

15. अस्थायी कामगार द्वारा अस्थायी हैसियत में की गई सेवा- ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व अस्थायी हैसियत प्रदत्त की गई थी और तत्पश्चात् कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अधिसूचित भारत सरकार की "अस्थायी कामगार (अस्थायी हैसियत प्रदान करना और नियमितीकरण) योजना, 1993" के अनुसार सरकारी सेवा में नियमित किया गया था, द्वारा 'अस्थायी हैसियत' क्षमता में की गई सेवा का पचास प्रतिशत, इन नियमों के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना में लिया जाएगा।

16. परिवीक्षा पर की गई सेवा की गणना - किसी पद पर परिवीक्षा पर की गई सेवा, यदि उसके पश्चात् उसी अथवा किसी अन्य पद पर पुष्टि हो जाती है तो अर्हक होगी।

17. प्रशिक्षु के रूप में की गई सेवा की गणना - प्रशिक्षु के रूप में की गई कोई भी सेवा, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग या रक्षा लेखा विभाग में अधीनस्थ लेखा परीक्षा अथवा लेखा सेवा प्रशिक्षु की दशा में के सिवाय, अर्हक नहीं होगी।

18. संविदा पर की गई सेवा की गणना - ऐसा व्यक्ति,

- (i) जिसे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सरकार द्वारा आरम्भ में किसी संविदा पर लगाया गया हो और तत्पश्चात् 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व किसी ऐसे स्थापन में, जहां ये नियम लागू होते हैं अस्थायी, स्थानापन्न, या अधिष्ठायी हैसियत में उसी या किसी अन्य पद पर, कर्तव्य में व्यवधान आए बिना नियुक्त किया गया हो; और
- (ii) जिसने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, उस सेवा के

लिए किसी भी अन्य मुआवजे सहित अंशदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान को, उस पर देय ब्याज सहित सरकार को वापस कर दिया,

उक्त संविदा पर की गई उसकी सेवा की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

19. पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी की दशा में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना: (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो प्रतिकर पेंशन या अशक्त पेंशन या प्रतिकर उपदान या अशक्त उपदान पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात् पुनर्नियोजित किया जाता है और किसी ऐसी सेवा या पद में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व नियुक्त किया जाता है और जो ऐसे पुनर्नियोजन या नियुक्ति होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार, अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और-

- (i) पहले ली गई पेंशन,
- (ii) पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य, और
- (iii) सेवा उपदान की रकम, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, भी है

वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत है, उसकी पहले की सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(2) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अनुसार, सुसंगत नियम के अधीन पिछली सेवा की गणना के लिए,

- (i) पुनर्नियोजन की तारीख से पूर्व आहारित पेंशन को वापस करना अपेक्षित नहीं होगा,
- (ii) पेंशन का वह अंश जिसे उसका वेतन नियत करने में छोड़ दिया गया था, जिसके अंतर्गत पेंशन का वह अंश भी है जो वेतन नियत करने के लिए गणना में नहीं लिया गया था, सरकारी कर्मचारी द्वारा वापस किया

जाएगा, और

- (iii) उपदान के समतुल्य पेंशन का अंश, जिसके अंतर्गत पेंशन के संराशीकृत भाग का अंश, यदि कोई हो, भी है, जो उसका वेतन नियत करने के लिए गणना में लिया गया था, सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन के संराशीकृत मूल्य से मुजरा दिया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, उसके द्वारा वापस किया जाएगा।

(3) ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो अपनी पूर्व सेवा की गणना के लिए विकल्प देता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी पूर्व सेवा की बाबत प्राप्त उपदान, छत्तीस से अनधिक मासिक किस्तों में, जिनमें से पहली किस्त उस मास के, जिसमें उसने विकल्प का प्रयोग किया था, ठीक बाद के मास से आरम्भ होगी, वापस दे। ऐसी दशा में, पहले की सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना कराने का अधिकार तब तक पुनःप्रवर्तित नहीं होगा जब तक कि पूरी रकम वापस न दी गई हो।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो उपदान वापस करने का निर्वाचन करके पूरी रकम वापस करने से पहले ही मर जाए, उपदान की वह रकम जो वापस नहीं की गई, उस मृत्यु उपदान के मद्दे समायोजित कर दी जाएगी, जो उसके कुटुंब को संदेय हो जाए।

(5) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसने पेंशन जारी रखने या अपनी पूर्व सेवा के लिए अनुज्ञेय उपदान को प्रतिधारित करने का विकल्प दिया था, और उस दशा में उसकी पूर्व सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी, तो उसकी पश्चात्त्वर्ती सेवा के लिए अनुज्ञेय पेंशन या उपदान इस परिसीमा के अध्यक्षीन है कि सेवा उपदान अथवा पेंशन का पूंजी मूल्य और सेवानिवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, पेंशन के मूल्य और सेवानिवृत्ति उपदान के, यदि कोई हो, जो यदि सेवा की दोनों अवधियां मिला दी जाएं तो, सरकारी कर्मचारी के अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने के समय उसे अनुज्ञेय हो तथा पहले की सेवा के लिए उसे पहले से ही अनुदत्त सेवानिवृत्ति हितलाभों के मूल्य के अंतर से

अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - पेंशन का पूंजी मूल्य, दूसरी या अंतिम सेवानिवृत्ति के समय लागू केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विहित सारणी के अनुसार, संगणित किया जाएगा।

20. सिविल नियोजन से पूर्व की गई सैन्य सेवा की गणना - (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे सैन्य सेवा करने के पश्चात् किसी सिविल सेवा या पद में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व पुनर्नियोजित किया जाता है और ऐसे पुनर्नियोजन होने पर वह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार अपनी पेंशन का आहरण बंद कर देता है और-

- (i) पहले ली गई पेंशन; और
- (ii) सैनिक पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए स्वीकार किए गए मूल्य; और
- (iii) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम, जिसके अंतर्गत सेवा उपदान, यदि कोई हो, भी है;

वापस कर देता है या वापस करने के लिए सहमत है, अपनी पिछली सैन्य सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 1: केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अनुसार, सुसंगत नियम के अधीन पिछली सैन्य सेवा की गणना के लिए,

- (i) पुनर्नियोजन की तारीख से पूर्व आहरित पेंशन को वापस करना अपेक्षित नहीं होगा।
- (ii) पेंशन का वह अंश जिसे उसका वेतन नियत करने में छोड़ दिया गया था, जिसके अंतर्गत पेंशन का वह अंश भी है जो पुनर्नियोजन पर वेतन नियत करने के लिए गणना में नहीं लिया गया था, उसके द्वारा वापस किया जाएगा।
- (iii) उपदान के समतुल्य पेंशन का अंश जिसके अंतर्गत पेंशन के संराशीकृत भाग का अंश, यदि कोई हो, भी है, जो वेतन नियत करने के लिए गणना में लिया गया था,

सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन के संराशीकृत मूल्य से मुजरा दिया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, उसके द्वारा वापस किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2: ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिसने सैनिक सेवा की थी और जिसने 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के अनुसार सैनिक पेंशन को जारी रखने या सैनिक सेवा से कार्यमुक्त होने पर प्राप्त उपदान को धारित करने का विकल्प चुना था, इन नियमों के अधीन उसकी पूर्व सैनिक सेवाओं की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण 3: ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसने 31 दिसंबर, 2003 के पश्चात् सैनिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् उसमें सेवा की थी, वह सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजित होने पर सैनिक पेंशन का आहरण जारी रखता है या सैनिक सेवा से कार्यमुक्त होने पर प्राप्त उपदान को धारित करता है और सिविल सेवा या पद पर पुनर्नियोजन होने पर, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को प्रशासित करने वाले नियमों के अंतर्गत कवर होगा।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी से, जो उप-नियम (1) के खंड (ख) के लिए विकल्प देता है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी पहले की सैनिक सेवा की बाबत प्राप्त पेंशन, बोनस या उपदान, छत्तीस से अनधिक मासिक किस्तों में, जिसमें से पहली किस्त उस मास के, जिसमें उसने विकल्प का प्रयोग किया था, ठीक बाद के मास से आरंभ होगी, वापस दे और पहले की सेवा की अर्हक सेवा के रूप में गणना कराने का अधिकार तब तक पुनःप्रवर्तित नहीं होगा जब तक कि पूरी रकम वापस न दी गई हो।

(3) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो पेंशन, बोनस या उपदान को वापस देने का निर्वाचन करके पूरी रकम वापस देने से पहले ही मर जाए, पेंशन या उपदान से वह रकम जो वापस नहीं की गई, उस मृत्यु उपदान

के मद्दे समायोजित कर दी जाएगी जो उसके कुटुंब के संदेय हो जाए।

(4) जबकि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन ऐसा कोई आदेश पारित किया गया हो जिसमें यह अनुज्ञा दी गई हो कि पहले की गई सैनिक सेवा की गणना सिविल पेंशन के लिए अर्हक सेवा के एक भाग के रूप में की जाएगी तब उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें सैनिक सेवा में और सैनिक तथा सिविल सेवा के बीच सेवा में व्यवधान, यदि कोई हो, का माफ किया जाना सम्मिलित है।

(5) सिविल सेवा या पद में पुनर्नियोजन के पश्चात् की गई सेवा के लिए पेंशन और उपदान, सैनिक सेवा की बाबत सरकारी कर्मचारी द्वारा ली गई पेंशन और उपदान के संदर्भ में किसी परिसीमा के अध्यधीन नहीं होगा।

21. छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना - सेवा के दौरान ली गई ऐसी सभी छुट्टी की, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई सभी असाधारण छुट्टी की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी:

परंतु चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छुट्टी से भिन्न असाधारण छुट्टी की दशा में नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ऐसी छुट्टी मंजूर करते समय, उस छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गणना किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि ऐसी छुट्टी सरकारी कर्मचारी को, -

- (i) नागरिक संक्षोभ के कारण कार्यभार ग्रहण या पुनःग्रहण करने में उसकी असमर्थता के कारण; या
- (ii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के लिए मंजूर की गई है।

स्पष्टीकरण:- चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छुट्टी और इस नियम के परंतुक के अधीन अर्हक सेवा के रूप में गणना के लिए अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी से भिन्न अन्य असाधारण छुट्टी की दशा में, ऐसी छुट्टी की मंजूरी देने के समय, सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी कि असाधारण

छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा नहीं माना जाएगा और सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि, यदि असाधारण छुट्टी की मंजूरी के समय नहीं की गई हो, तो तत्पश्चात् की जा सकेगी, किंतु अधिवर्षिता पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व, के पश्चात् नहीं की जा सकेगी और यदि सेवा पुस्तिका में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, तो असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा माना जाएगा।

22. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना— (1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे ग्रुप सी पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व कोई विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित था और ऐसे प्रशिक्षण के दौरान वेतनमान में वेतन या वृत्तिका या अभिहित भत्ता प्राप्त कर रहा था, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कवर न होने की दशाओं में, सरकार आदेश द्वारा यह विनिश्चित कर सकेगी कि उस सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी या नहीं।

(3) जहां सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है, प्रशिक्षण और नियमित नियुक्ति विभिन्न स्टेशनों पर होने के कारण हुआ ऐसा व्यवधान, जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यग्रहण समय से अनधिक हो, भी इन नियमों के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा।

(4) जहां प्रशासनिक कारणों से व्यवधान की अवधि, कार्यग्रहण समय की अवधि से अधिक हो, कार्यग्रहण समय से अधिक ऐसी व्यवधान की अवधि को छुट्टी मंजूर कर, यदि शेष हो, या यदि शेष न हो, तो असाधारण छुट्टी की मंजूरी दे कर विभागाध्यक्ष द्वारा विनियमित किया जाएगा और असाधारण छुट्टी मंजूर करके नियमित की गई व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

23. निलंबन की अवधियों की गणना – (1) निलंबित सरकारी कर्मचारी ने जो अवधि आचरण की जांच होने तक व्यतीत की है, उसकी गणना, जहां कि ऐसी जांच समाप्त हो जाने पर उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है अथवा केवल मामूली शास्ति लगायी गई है और निलंबन को पूर्णतः अन्यायपूर्ण ठहराया गया है वहां, अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन समावेश न होने की दशाओं में, निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे मामलों को शासित करने वाले नियम के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना केवल उसी सीमा तक की जाएगी जिसकी घोषणा सक्षम प्राधिकारी करे।

(3) निलंबन के सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए, परिसीमा, यदि कोई हो, को विनिर्दिष्ट करने के लिए आदेश पारित करेगा और इस विषय में सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी।

24. पदच्युति अथवा हटा दिए जाने पर सेवा का समपहरण - सरकारी कर्मचारी के किसी सेवा या पद से पदच्युत किए जाने या हटा दिए जाने से उसकी विगत सेवा समपहत हो जाएगी।

25. बहाली पर विगत सेवा की गणना – (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया था, हटा दिया गया था अथवा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, और तत्पश्चात् अपील पर या पुनर्विलोकन पर बहाल कर दिया गया है, अपनी विगत सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में कराने का हकदार है।

(2) यथास्थिति, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख तथा बहाली की तारीख के बीच सेवा में जितनी अवधि का व्यवधान हुआ है, उस अवधि और निलंबन की, यदि कोई हो, अवधि की गणना तब तक अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी, जब तक उसे उस प्राधिकारी के,

जिसने बहाली का आदेश पारित किया था, किसी विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा कर्तव्य अथवा छुट्टी के रूप में विनियमित नहीं कर दिया जाता।

26. पदत्याग पर सेवा का समपहरण- (1) किसी सेवा या पद से पदत्याग करने पर, तब के सिवाय विगत सेवा समपहत हो जाएगी जब नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा लोकहित में ऐसा पदत्याग वापस लेने की अनुज्ञा दे दी जाती है।

(2) पदत्याग से विगत सेवा का समपहरण नहीं होगा यदि ऐसा पदत्याग, समुचित अनुज्ञा से, ऐसी सरकार के अधीन वहां जहां सेवा अर्हक होती है, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, कोई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए किया गया हो।

(3) पदत्याग स्वीकार करने वाले आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी ने समुचित अनुज्ञा से अन्य नियुक्ति ग्रहण करने के लिए पदत्याग किया है और सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इस आशय की विशिष्ट प्रविष्टि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भी की जाएगी।

(4) उप-नियम (2) के अधीन आने वाले मामले में सेवा का व्यवधान, जो दो विभिन्न स्थानों पर दो नियुक्तियों के कारण हो गया हो और जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यभार-ग्रहण करने की अवधि से अधिक न हो, सरकारी कर्मचारी को उसके कार्यमुक्त होने की तारीख को शोध्य किसी भी प्रकार के अवकाश को मंजूर करके अथवा उस सीमा तक जिस तक वह अवधि उसके शोध्य अवकाश से पूरी न होती हो, उसे औपचारिक रूप से माफ करके दूर कर दिया जाएगा।

(5) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी किसी व्यक्ति को उसका पदत्याग लोकहित में वापस लेने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों पर दे सकता है, अर्थात्:-

- (i) यह कि सरकारी कर्मचारी ने पदत्याग ऐसी विवशता के कारणों से दिया था, जिसका संबंध उसकी ईमानदारी, दक्षता या आचरण की बाबत किसी लांछन से नहीं है और पदत्याग

को वापस लेने का अनुरोध उन परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाने के कारण किया गया है जिन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी मूलतः पदत्याग करने के लिए विवश हुआ था;

(ii) यह कि पदत्याग के प्रभावी होने की तारीख और पदत्याग वापस लेने का अनुरोध करने की तारीख के बीच की अवधि में संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था;

(iii) यह कि पदत्याग प्रभावी होने की तारीख और व्यक्ति द्वारा पदत्याग वापस लेने की अनुज्ञा देने का अनुरोध करने की तारीख के बीच कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, नब्बे दिन से अधिक नहीं है;

(iv) यह कि वह पद, जो सरकारी कर्मचारी का पदत्याग स्वीकार करने पर रिक्त हुआ था अथवा उसके समतुल्य कोई पद, उपलब्ध है।

(6) पदत्याग को वापस लेने का अनुरोध नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा जब सरकारी कर्मचारी ने सेवा या पद से पदत्याग किसी निजी वाणिज्यिक कंपनी में या उसके अधीन अथवा सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी में अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन कोई नियुक्ति ग्रहण करने के उद्देश्य से किया गया था।

(7) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अपना पदत्याग वापस लेने और पुनः कार्यग्रहण करने का आदेश पारित किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे आदेश में सेवा में किसी व्यवधान को माफ करने का आदेश भी है, किन्तु व्यवधान की अवधि अर्हक सेवा के रूप में गणना में नहीं ली जाएगी।

(8) नियम 35 या नियम 36 के प्रयोजन के लिए दिए गए पदत्याग में

सरकार के अधीन की गई विगत सेवा समपहत नहीं होगी।

27. सेवा में व्यवधान का प्रभाव – (1) सरकारी कर्मचारी की सेवा में व्यवधान से, निम्नलिखित मामलों के सिवाय, उसकी विगत सेवा समपहत हो जाएगी, अर्थात्: -

- (क) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी;
- (ख) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी के अनुक्रम में अप्राधिकृत अनुपस्थिति तक जब तक अनुपस्थित व्यक्ति का पद अधिष्ठायी रूप से भर न लिया जाए;
- (ग) निलंबन, वहां जहां उसके ठीक पश्चात् उसी पद में या किसी भिन्न पद में बहाली की गई हो, अथवा वहां जहां सरकारी कर्मचारी मर जाता है या निलंबित रहते हुए उसे सेवानिवृत्त होने दिया जाता है अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है;
- (घ) सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थापन में किसी अनर्हक सेवा में स्थानांतरण, यदि ऐसे स्थानांतरण का आदेश सक्षम प्राधिकारी ने लोकहित में दिया हो;
- (ङ) कार्यग्रहण अवधि जब वह एक पद से किसी दूसरे पद पर स्थानांतरण पर हो।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी, आदेश द्वारा, बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण छुट्टी के रूप में भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तित कर सकेगा।

28. सेवा में व्यवधान को माफ किया जाना - (1) सेवा पुस्तिका में तत्प्रतिकूल विनिर्दिष्ट संकेत के न होने पर, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार के अधीन की गई सिविल सेवा के, जिसके अंतर्गत की गई ऐसी सिविल सेवा भी है जिसके लिए संदाय रक्षा सेवा प्राक्कलनों या रेल प्राक्कलनों से किया गया है, दो अवधियों के बीच का व्यवधान, स्वतः ही माफ किया गया समझा जाएगा और व्यवधान-पूर्व सेवा अर्हक सेवा समझी जाएगी।

(2) उपनियम (1) की कोई बात सेवा से पदत्याग, पदच्युति या हटाने जाने या किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुए व्यवधान को लागू नहीं होगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में व्यवधान को माफ करने पर विचार कर सकेगा और व्यवधान-पूर्व सेवा को अर्हक सेवा के रूप में समझा जा सकेगा।

(5) केवल अपवादी और गंभीर परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में व्यवधान को माफ नहीं करने का निर्णय ले सकेगा।

(6) सरकारी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का और व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना, सेवा में व्यवधान की माफी नहीं देने का ऐसा कोई आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

29. संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति - संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के अन्य किन्हीं निकायों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी, अपने विकल्प पर, -

(क) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा कर सकेगा और ऐसी सेवा की गणना इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में कर सकेगा; या

(ख) अपनी विदेश सेवा की बाबत पेंशन का अंशदान अदा न करे और इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए ऐसी सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में न करे; या

परंतु यह और कि जहां कोई सरकारी कर्मचारी खंड (ख) के लिए विकल्प करता है, सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए पेंशन अंशदान, यदि कोई हो, उसे वापस दिए जाएंगे।

30. अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन – (1) सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के अठारह वर्ष पूरे करने पर और अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित सेवा की अर्हक अवधि को फॉर्मेट-4 में उसे संसूचित करेगा।

(2) सेवा के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए, कार्यालयाध्यक्ष नियम 57 के उपनियम (1) के खंड (क) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(3) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकारी कर्मचारी को अस्थायी विभाग से किसी अन्य विभाग में अंतरित कर दिया जाता है, अथवा जिस विभाग में वह पहले कार्यरत था उसके बंद हो जाने की दशा में, अथवा उस पद जिसे वह धारण करता था अधिशेष घोषित कर दिए जाने की दशा में, उसकी सेवा का सत्यापन तब किया जाएगा जब ऐसी घटना घटती है।

(4) इस नियम के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को, जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करती है, प्रशासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदंतर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

(5) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उपनियम (1) के अधीन विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्हक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया, और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को, सौंपी जाएगी।

अध्याय 4

परिलब्धियां और औसत परिलब्धियां

31. **परिलब्धियां** – (1) 'परिलब्धियां' पद से मूल नियम, 1922 के नियम 9 (21) (क) (i) में यथापरिभाषित मूल वेतन अभिप्रेत है, जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अथवा अपनी मृत्यु की तारीख को ले रहा था; और इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले में चिकित्सा अधिकारी को स्वीकृत प्रैक्टिस बंदी भत्ता भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण- सेवानिवृत्ति हितलाभों की संगणना के लिए वृद्धिरुद्ध वेतन वृद्धि परिलब्धियां माना जाएगा।

(2) जहां कोई सरकारी कर्मचारी, अपनी सेवानिवृत्ति से अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है अथवा चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर असाधारण छुट्टी पर अनुपस्थित था, अथवा निलंबित किए जाने के पश्चात् सेवा का समपहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था, तो वे परिलब्धियां जो उसे तब मिलती जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न रहा होता या निलंबित न किया गया होता, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी परिलब्धियों का भाग होंगी:

परंतु उपनियम (5) में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि और उपनियम (10) या उपनियम (11) में निर्दिष्ट वेतन में नोशनल वृद्धि से भिन्न वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुतः ली न गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग नहीं होगी।

(3) जहां कि कोई सरकारी कर्मचारी, अपनी सेवानिवृत्ति से अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व ऐसी छुट्टी पर, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है, कोई उच्चतर नियुक्ति किसी स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैसियत में धारित करने के पश्चात् चला गया था, वहां ऐसी उच्चतर नियुक्ति पर ली गई परिलब्धियों की प्रसुविधा केवल तभी दी जाएगी, जब यह प्रमाणित कर दिया जाए कि यदि सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर न गया होता तो वह उस उच्चतर नियुक्ति पर बना रहता।

(4) जहां कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से या सेवा में रहते

हुए मृत्यु से ठीक पूर्व कर्तव्य से असाधारण छुट्टी पर अनुपस्थित रहा था अथवा ऐसे निलंबित रहा था कि उसकी अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो सकती तो वे परिलब्धियां, जो उसे ऐसी छुट्टी पर चले जाने से अन्यथा निलंबित किए जाने से ठीक पूर्व मिल रही थी, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी परिलब्धियों का भाग होंगी।

(5) जहां कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु से ठीक पूर्व, छुट्टी पर था, और उसने ऐसी वेतनवृद्धि अर्जित की थी जो रोकी नहीं गई थी, तो ऐसी वेतनवृद्धि, भले ही वस्तुतः न ली गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग होंगी।

(6) सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकार के उसी अथवा किसी अन्य विभाग के संवर्ग-बाह्य पद पर अथवा भारत के सशस्त्र बलों में किसी प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए लिया गया वेतन परिलब्धियां माना जाएगा:

परंतु किसी सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूरा होने पर संवर्ग-बाह्य पद से कार्यमुक्त होने के बाद छुट्टी पर हो, तो वह वेतन जो उसे मूल विभाग से मिलता यदि वह छुट्टी पर न होता परिलब्धियां माना जाएगा।

(7) राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अथवा विदेश सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया वेतन परिलब्धियां नहीं माना जाएगा, किन्तु केवल वह वेतन जो उसने यदि वह राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में न गया होता, केंद्रीय सरकार के अधीन लिया होता तो परिलब्धियां माना जाएगा।

(8) जहां कोई पेंशनभोगी जो सरकार की सेवा में पुनर्नियोजित किया जाता है, अपनी पिछली सेवा के लिए पेंशन को प्रतिधारित करने का विकल्प करता है और पुनर्नियोजन पर जिसके वेतन में से उसके पेंशन से अनधिक रकम कम कर दी जाती है, वहां उसके पेंशन का वह अंश जो उसके वेतन से कम कर दिया गया है, परिलब्धियां माना जाएगा।

(9) जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय को

अंतरित किया जाता है और ऐसा अंतरित सरकारी कर्मचारी, सरकारी नियमों के अधीन पेंशन प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करने का विकल्प देता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय के अधीन ली गई परिलब्धियां इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां मानी जाएंगी।

(10) जहां किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थितियों में भूतलक्षी प्रभाव से नोशनल रूप में बढ़ाया जाता है, ऐसे नोशनल वेतन को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा, अर्थात्, -

- (i) जिस पद से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी तारीख से बढ़ाया जाता है जब पेंशनभोगी सेवा में था और ऐसी तारीख से उसका वेतन उच्चतर वेतनमान में नोशनल आधार पर नियत किया जाता है;
- (ii) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को समीक्षा डीपीसी की सिफारिश पर अथवा किन्हीं विभागीय कार्यवाहियों से दोषमुक्त किए जाने पर अथवा किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में भूतलक्षी तारीख से पदोन्नत किया जाता है और ऐसी पदोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण का लाभ पेंशनभोगी को नोशनल आधार पर मंजूर किया जाता है।

(11) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, दंड की अवधि के दौरान हो जाती है, जिसका प्रभाव केवल उस दंड की अवधि के दौरान उसके वेतन को कम करने का है और जिसके समाप्त होने पर उक्त दंड के किसी भी प्रभाव के बिना उसे अनुज्ञेय वेतन वापस मिल जाता, तो इस तरह के दंड के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए उसकी मृत्यु की तारीख को नोशनल वेतन इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा।

32. औसत परिलब्धियां – (1) औसत परिलब्धियां सरकारी कर्मचारी की सेवा के अंतिम दस मास के दौरान उसके द्वारा ली गई परिलब्धियों के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएंगी।

(2) यदि सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान

कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है अथवा चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर असाधारण छुट्टी पर अनुपस्थित था अथवा निलंबित किए जाने के पश्चात् सेवा का समपहरण हुए बिना बहाल कर दिया गया था, तो वे परिलब्धियां जो उसे तब मिलतीं जब वह कर्तव्य से अनुपस्थित न रहा होता अथवा निलंबित न किया गया होता औसत परिलब्धियां अवधारित करने के लिए लेखे में ली जाएंगी:

परंतु (उपनियम (4) में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि और उपनियम (5) या उपनियम (6) में निर्दिष्ट वेतन में नोशनल वृद्धि से भिन्न) वेतन में कोई भी वृद्धि जो वस्तुतः दी न गई हो, उसकी परिलब्धियों का भाग नहीं होगी।

(3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कर्तव्य से असाधारण छुट्टी पर अनुपस्थित रहा था, अथवा ऐसे निलंबित रहा था कि उसकी अवधि की गणना सेवा के रूप में नहीं हो सकती, तो छुट्टी की अथवा निलंबन की पूर्वोक्त अवधि की औसत परिलब्धियों की गणना करने में अवहेलना कर दी जाएगी और दस मास पूर्व की उतनी ही अवधि सम्मिलित कर ली जाएगी। जहां मास के अंशों को जोड़ा जाता है ताकि एक पूरा मास बन जाए, इस प्रयोजन के लिए यह माना जाएगा कि एक मास में तीस दिन हैं।

उदाहरण: कोई सरकारी कर्मचारी तारीख 16 जुलाई, 2019 को सेवानिवृत्त होता है। अंतिम दस मास में नौ पूरे मास और सितंबर, 2018 के चौदह दिन और जुलाई, 2019 के सोलह दिन के भाग हैं। भिन्नीय अवधि के लिए परिलब्धियों की गणना परिलब्धि को 14/30 और 16/30 से गुणा करके, मास में दिन जितने भी हो, संगणित की जाएगी। यह सूत्र फरवरी के मास में भी लागू होगा, भले ही मास में अठाइस दिन हों या उनतीस दिन हों।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जो अपनी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान छुट्टी पर था और जिसने ऐसी वेतनवृद्धि अर्जित की थी, जो रोकी नहीं गई थी, ऐसी वेतनवृद्धि भले ही वस्तुतः न ली गई हो, औसत परिलब्धियों में सम्मिलित कर ली जाएगी।

(5) जहां किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निम्नलिखित में से किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान भूतलक्षी प्रभाव से नोशनल रूप में बढ़ाया जाता है, ऐसे नोशनल वेतन को, इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी औसत परिलब्धियों के अवधारण के लिए लेखे में लिया जाएगा, -

- (i) जिस पद से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी तारीख से बढ़ाया जाता है जब पेंशनभोगी सेवा में था और ऐसी तारीख से उसका वेतन उच्चतर वेतनमान में नोशनल आधार पर नियत किया जाता है;
- (ii) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को समीक्षा डीपीसी की सिफारिश पर अथवा किन्हीं विभागीय कार्यवाहियों से दोषमुक्त किए जाने पर अथवा किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में भूतलक्षी तारीख से पदोन्नत किया जाता है और ऐसी पदोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण का लाभ पेंशनभोगी को नोशनल आधार पर मंजूर किया जाता है।

(6) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, दंड की अवधि के दौरान हो जाती है, जिसका प्रभाव केवल उस दंड की अवधि के दौरान उसके वेतन को कम करने का है और जिसके समाप्त होने पर उक्त दंड के किसी भी प्रभाव के बिना उसे अनुज्ञेय वेतन वापस मिल जाता तो इस नियम के प्रयोजनार्थ औसत परिलब्धियों को अवधारित करने के लिए इस तरह के दंड के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान नोशनल वेतन को ध्यान में रखा जाएगा।

अध्याय 5

पेंशनों के वर्ग और उनके प्रदान को शासित करने वाली शर्तें

33. अधिवर्षिता पेंशन या सेवा उपदान - यथास्थिति, अधिवर्षिता पेंशन या अधिवर्षिता सेवा उपदान, नियम 44 के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होता है अथवा यदि सरकारी कर्मचारी की सेवा को सेवानिवृत्ति के पश्चात् विस्तारित किया गया है, तो अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सेवा की ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर प्रदान किया जाएगा।

34. सेवानिवृत्ति पेंशन या सेवा उपदान - (1) नियम 44 के अनुसार यथास्थिति, सेवानिवृत्ति पेंशन या सेवानिवृत्ति सेवा उपदान ऐसे सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जाएगा,-

- (क) जो इन नियमों के नियम 43 या मूल नियमों के नियम 56 के उपबंधों के अनुसार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है; या
- (ख) जो अधिशेष घोषित किए जाने पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 28 फरवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25013/6/2001-स्था(ए) द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिशेष कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प देता है; या
- (ग) जो इन नियमों के नियम 42 या मूल नियमों के नियम 56 के उपबंधों के अनुसार, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया जाता है।

(2) ऐसा स्थायी सरकारी कर्मचारी, जो उस स्थापन में, जिसमें वह सेवारत था अधिशेष घोषित कर किए जाने पर, कार्मिक और प्रशिक्षण

विभाग के तारीख 28 फरवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन सं. 25013/6/2001-स्था(ए) द्वारा अधिसूचित, समय-समय पर यथासंशोधित, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए विकल्प देता है, नियम 44 के अनुसार सेवानिवृत्ति पेंशन या सेवा उपदान और नियम 45 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान के अतिरिक्त, उक्त योजना के अनुसार अनुग्रह राशि के भुगतान का हकदार होगा।

35. राज्य सरकार में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन -

(1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे किसी राज्य सरकार में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दे दी गई है, ऐसे आमेलन की तारीख से केंद्रीय सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ समझा जाएगा और, उप-नियम (3) के अध्याधीन, ऐसा आमेलन होने पर, नियम 44 और नियम 45 के अनुसार, आमेलन की तारीख को यथास्थिति, पेंशन या सेवा उपदान और अर्हक सेवा के आधार पर सेवानिवृत्ति उपदान और परिलब्धियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

परंतु राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने पर, सरकार के अधीन की गई सेवा और राज्य सरकार में की गई सेवा की बाबत उपदान की कुल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो सरकारी कर्मचारी को तब अनुज्ञेय होती जब वह केंद्रीय सरकार की सेवा में बना रहता और उसी वेतन पर सेवानिवृत्त होता जो उसे राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त हुआ।

(2) आमेलन की तारीख, -

- (i) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो किसी राज्य सरकार में तत्काल आमेलन के आधार पर कार्यभार ग्रहण करता है, वह तारीख होगी जब वह वस्तुतः उस सरकार में कार्यभार ग्रहण करता है। इस प्रयोजन के लिए, तत्काल आमेलन का अर्थ होगा केंद्रीय सरकार की सेवा से सरकारी कर्मचारी के तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृति ताकि वह राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण कर सके,

जिसके लिए उसने उचित अनुज्ञा के साथ आवेदन किया था;

- (ii) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो किसी राज्य सरकार में प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करता है वह तारीख होगी जब से उसका बिना-शर्त त्यागपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।

(3) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो तत्काल आमेलन के आधार पर राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करता है, कार्यमुक्ति आदेश फॉर्मेट 5 में जारी किया जाएगा जो उस अवधि को उपदर्शित करेगा जिसके भीतर सरकारी कर्मचारी को राज्य सरकार में कार्यग्रहण करना होगा:

परंतु ऐसी अवधि को कार्यमुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(4) कार्यमुक्ति की तारीख और राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को शोध्य छुट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सकेगा और यदि ऐसी कोई शोध्य छुट्टी नहीं हो, अवधि को असाधारण छुट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सकेगा।

(5) कार्यमुक्त करने वाला प्राधिकारी, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की संस्वीकृति की कार्यवाही करने से पूर्व, राज्य सरकार में सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख सुनिश्चित करेगा और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख से सरकारी कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार करेगा।

(6) इन नियमों के अधीन पेंशन योजना के समान पेंशन योजना यदि उस राज्य सरकार में मौजूद है जिसमें सरकारी कर्मचारी आमेलित किया जाता है, वह निम्न विकल्प देने का हकदार होगा,-

- (क) उप-नियम (1) के अनुसार केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ प्राप्त करने के लिए; या

(ख) केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा की गणना उस राज्य सरकार में करने के लिए।

(7) किसी सरकारी कर्मचारी के राज्य सरकार में आमेलित किए जाने पर और राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने पर, उप-नियम (6) के खंड (ख) में दिए विकल्प का प्रयोग करने पर, संपूर्ण सेवा के लिए जिसमें केंद्रीय सरकार में की गई सेवा सम्मिलित है, पेंशन और उपदान का संदाय उस सरकार द्वारा किया जाएगा और आनुपातिक पेंशन का कोई दायित्व केंद्रीय सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

36. निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन - (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे किसी ऐसे निगम या कंपनी में या उसके अधीन, जो पूर्णतः या पर्याप्ततः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है, अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दी गई है, ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से निवृत्त हुआ समझा जाएगा और उप-नियम (9) के अध्याधीन, वह ऐसा आमेलन होने पर नियम 44 और नियम 45 के अनुसार ऐसे आमेलन की तारीख से यथास्थिति, पेंशन या सेवा उपदान, और अर्हक सेवा के आधार पर सेवानिवृत्ति उपदान और परिलब्धियां प्राप्त करने का पात्र होगा:

परंतु ऐसे निगम या कंपनी या निकाय से सेवानिवृत्ति होने पर, सरकार के अधीन की गई सेवा और ऐसे निगम या कंपनी या निकाय में की गई सेवा की बाबत उपदान की कुल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो उस समय अनुज्ञेय होती यदि सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में बना रहता और उसी वेतन पर सेवानिवृत्त होता जो उसने उस निगम या कंपनी या निकाय से सेवानिवृत्ति पर प्राप्त किया।

(2) आमेलन की तारीख, -

(i) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो किसी निगम या कंपनी या निकाय में तत्काल आमेलन के आधार पर

कार्यभार ग्रहण करता है, वह तारीख होगी जब वह वस्तुतः उस निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करता है। इस प्रयोजन के लिए, तत्काल आमेलन का अर्थ सरकारी सेवा से उस सरकारी कर्मचारी के तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृति होगा, ताकि वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या पर्याप्ततः स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी में अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन कार्यभार ग्रहण कर सके, जिसके लिए उसने उचित अनुमति के साथ आवेदन किया था;

(ii) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो किसी निगम या कंपनी या निकाय में प्रारंभ में विदेश सेवा शर्तों पर कार्यभार ग्रहण करता है, वह तारीख होगी जब से उसका बिना-शर्त त्यागपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।

(3) उप-नियम (1) के उपबंध केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, जो पूर्णतः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त नियंत्रण में हैं अथवा दो या दो से अधिक राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त नियंत्रण में हैं, में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दी गई है।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो तत्काल आमेलन के आधार पर किसी निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करता है, कार्यमुक्ति आदेश फॉर्मेट 5 में जारी किया जाएगा।

(5) कार्यमुक्ति आदेश में उस अवधि को उपदर्शित किया जाएगा जिसके भीतर सरकारी कर्मचारी को निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करना होगा:

परंतु ऐसी अवधि को कार्यमुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(6) कार्यमुक्ति की तारीख और निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को शोध्य छुट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सकेगा और यदि ऐसी कोई शोध्य छुट्टी नहीं हो, अवधि को असाधारण छुट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सकेगा।

(7) कार्यमुक्त करने वाला प्राधिकारी, सेवानिवृत्ति हितलाभों की संस्वीकृति की कार्यवाही करने से पूर्व, निगम या कंपनी या निकाय में सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख सुनिश्चित करेगा और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख से सरकारी कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार करेगा।

(8) कार्यमुक्त करने वाले विभाग में सरकारी कर्मचारी का कोई भी पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं रखा जाएगा तथा निगम या कंपनी या निकाय में उसका आमेलन होने पर सरकार के साथ उसके सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे।

(9) इन नियमों के अधीन पेंशन योजना के समान पेंशन योजना यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय में मौजूद है जिसमें सरकारी कर्मचारी आमेलित किया जाता है, वह निम्न विकल्प देने का हकदार होगा,-

(क) उप-नियम (1) के अनुसार केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ प्राप्त करने के लिए; या

(ख) केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा की गणना उस निकाय में पेंशन के लिए करने के लिए।

(10) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय में आमेलित किए जाने पर, यदि सरकारी कर्मचारी उप-नियम (9) के खंड (ख) के लिए विकल्प देता है, सरकार एकबारगी भुगतान के रूप

में एकमुश्त रकम का संदाय करके अपनी पेंशन देयता का निर्वहन करेगी।

(11) पेंशन देयता में उस निकाय में आमेलन की तारीख तक की सेवा के लिए पेंशन का पूंजीगत मूल्य या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान सम्मिलित होगा।

(12) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 में प्रदत्त पेंशन संराशीकरण मूल्य सारणी के प्रतिनिर्देश से पेंशन की एकमुश्त रकम अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण - निकाय से स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय अभिप्रेत है।

37. सरकारी विभाग के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन के संदाय के लिए शर्तें- (1) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिवर्तित होने पर, उस विभाग के सभी सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अंतरित किया जाता है, उन्हें विदेश सेवा की शर्तों पर, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के तब तक जब तक वे उक्त उपक्रम में आमेलित नहीं हो जाते, मानित प्रतिनियुक्ति पर रखा जाए, और ऐसे अंतरित सरकारी कर्मचारियों को ऐसी तारीख से जो सरकार अधिसूचित करे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित किया जाएगा।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अपने नियमों और विनियमों को पांच वर्ष से अनधिक समयसीमा के भीतर तैयार करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ऐसे नियमों और विनियमों को तैयार किए जाने के पश्चात्, मानित प्रतिनियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा नियमों और विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर, सरकारी सेवा में वापस जाने का या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने के लिए अपने विकल्प देने को कहा जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को ऐसा विकल्प देने के लिए दी गई संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को

अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग, प्रत्येक अंतरित सरकारी कर्मचारी द्वारा, सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

(4) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो विहित समयसीमा के भीतर कोई विकल्प नहीं देता है, यह समझा जाएगा कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी आमेदन का विकल्प दिया है।

(5) सरकारी कर्मचारियों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के रूप में स्थायी आमेदन उस तारीख से प्रभावी होगा जब सरकार द्वारा उनके विकल्प स्वीकार किए जाते हैं और ऐसी स्वीकृति की तारीख को और उस तारीख से, ऐसे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे और उन्हें सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(6) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी कर्मचारियों का आमेदन होने पर, वे सभी पद समाप्त हो जाएंगे जो उनके द्वारा ऐसे आमेदन से पूर्व सरकार में धारित किए गए थे।

(7) ऐसे कर्मचारी जो सरकारी सेवा में वापस आने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विकल्प देने की तारीख से दो वर्ष के भीतर सरकार में प्रत्यावर्तित किया जाएगा और सरकार के अधिशेष सेल के माध्यम से पुनः तैनात किया जाएगा।

(8) विकल्प की तारीख और सरकार में प्रत्यावर्तन की तारीख के बीच की अवधि बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के विदेश सेवा की शर्तों पर मानित प्रतिनियुक्ति की होगी।

(9) ऐसी मानित प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या दिवंगत होने पर, वह वेतन जो वह केंद्रीय सरकार के अधीन प्राप्त करता, यदि वह मानित प्रतिनियुक्ति पर न होता, सरकार द्वारा संदत्त किए जाने वाले पेंशन हितलाभों की गणना के लिए परिलब्धियां माना जाएगा।

(10) ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए

जाएंगे।

(11) उपनियम (12) से उपनियम (17) के उपबंधों के अधीन, अस्थायी कर्मचारियों सहित ऐसे कर्मचारी, किन्तु अस्थायी कामगारों को छोड़कर, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी आमेसन का विकल्प चुनते हैं, आमेलित होने की तारीख को और से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमों और विनियमों या उप-नियमों द्वारा शासित होंगे।

(12) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कर्मचारी के रूप में आमेलित किया गया निम्न विकल्प देने का हकदार होगा, -

(क) नियम 44 और नियम 45 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सरकार से यथास्थिति, पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने का; या

(ख) पेंशन और उपदान के लिए केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा की गणना उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में करने का।

(13) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसने उप-नियम (12) के खंड (क) के लिए विकल्प दिया है, वह वेतन जो वह केंद्रीय सरकार के अधीन प्राप्त करता यदि वह मानित प्रतिनियुक्ति पर न होता, सरकार द्वारा संदत किए जाने वाले पेंशन हितलाभों की गणना के लिए परिलब्धियां माना जाएगा और ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से आहरित और संदत किए जाएंगे।

(14) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसने उप-नियम (12) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, और उसका कुटुंब, उस कर्मचारी द्वारा सरकार के अधीन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई संयुक्त सेवा के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उसकी सेवानिवृत्ति के समय या मृत्यु होने पर केंद्रीय सरकार में ऐसे पेंशन हितलाभों की गणना के लिए प्रवृत्त सूत्र के अनुसार पेंशन हितलाभ (पेंशन का संराशीकरण, उपदान, कुटुंब पेंशन या असाधारण पेंशन सहित) पाने का पात्र होगा।

(15) (क) ऐसा आमेलित कर्मचारी जिसने उप-नियम (12) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त होने पर या मृत्यु होने पर, पेंशन या कुटुंब पेंशन की रकम की गणना उसी रीति से की जाएगी जैसे उसी दिन केंद्रीय सरकार के किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में गणना की जाती है।

स्पष्टीकरण- इस प्रयोजन के लिए, परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार आहरित वेतन पर आधारित होंगी।

(ख) ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ उप-नियम (18) से उप-नियम (26) में विनिर्दिष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगे।

(16) यथास्थिति, पेंशन या कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त, ऐसा कर्मचारी जो संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प चुनता है, वह औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई राहत के लिए भी पात्र होगा।

(17) यदि कोई स्थायी सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित होता है अथवा कोई अस्थायी सरकारी कर्मचारी, जिसे आमेलित किए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी कर दिया गया है, जिसने उप-नियम (12) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, वह सरकार के अधीन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में, की गई दोनों सेवाओं को मिलाकर दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का पात्र होगा, और ऐसा व्यक्ति इन नियमों के आधार पर पेंशन हितलाभ के लिए पात्र होगा।

(18) केंद्रीय सरकार एक न्यास के रूप में पेंशन निधि का सृजन करेगी और ऐसी पेंशन निधि से आमेलित कर्मचारियों के पेंशन हितलाभों का संदाय किया जाएगा।

(19) (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, पेंशन निधि के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

(ख) न्यासी बोर्ड में व्यय विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण

विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के प्रतिनिधि और केंद्रीय सरकार द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(20) उपनियम (12) के खंड (ख) के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के पेंशन हितलाभों को, पेंशन निधि से ऐसी प्रक्रिया और रीति से संस्वीकृत और संवितरित किया जाएगा जो, न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

(21) (क) सरकार उन कर्मचारियों की बाबत, जिन्होंने उप-नियम (12) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, अपनी पेंशन देयता का निर्वहन पेंशन निधि में एकबारगी भुगतान के रूप में एकमुश्त रकम का संदाय करके करेगी।

(ख) पेंशन देयता में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी कर्मचारी के आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए पेंशन का पूंजीगत मूल्य या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान सम्मिलित होगा।

(ग) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 में अधिकथित संराशीकरण सारणी के प्रतिनिर्देश से पेंशन की एकमुश्त रकम अवधारित की जाएगी।

(22) उप-नियम (12) के खंड (क) के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेंशन हितलाभों के संदाय के लिए वित्तीय देयता की सहभागिता की रीति सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(23) ऐसे कर्मचारियों की बाबत, जिन्होंने उप-नियम (12) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संबंधित कर्मचारियों द्वारा उस उपक्रम में की जाने वाली सेवा की अवधि के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित दरों पर पेंशन निधि में पेंशन अंशदान करेंगे, ताकि पेंशन निधि स्वतः समर्थ हो।

(24) यदि, किसी वित्तीय या परिचालन कारण से, न्यास पेंशन निधि से अपनी देयता का पूर्णतः निर्वहन नहीं कर पाता है और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी उस कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, सरकार, उस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे व्यय को निधि अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नामे डाला जाएगा।

(25) सरकारी विभाग के ऐसे पेंशनभोगी, जो उस विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिवर्तित होने की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के पेंशन हितलाभों का संदाय सरकार की जिम्मेदारी बनी रहेगी और इस आधार पर देयता की सहभागिता की कार्य-प्रक्रिया सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(26) उप-नियम (18) से (25) में अंतर्विष्ट कोई भी बात दूरसंचार सेवाएं और दूरसंचार संचालन विभागों के भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में संपरिवर्तन होने की दशा में लागू नहीं होगी, जहां पेंशन हितलाभ, जिसमें कुटुंब पेंशन भी है, का संदाय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(27) उप-नियम (26) में निर्दिष्ट कुटुंब पेंशन सहित पेंशन हितलाभों के संदाय के लिए सरकार व्यवस्था विनिर्दिष्ट करेगी, साथ ही भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सरकार को किए जाने वाले पेंशन अंशदानों की दर की रीति तथा इस आधार पर होने वाली वित्तीय देयता को पूरा करने की रीति विनिर्दिष्ट करेगी।

(28) उप-नियम (27) के अधीन दी गई व्यवस्था मौजूदा पेंशनभोगियों और उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन्हें भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में आमेलित होने के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त समझा गया है और भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जिनके लिए वे अपनी पेंशन योजनाएं

स्वयं तैयार करेंगे और पेंशन हितलाभों के निधिकरण और संवितरण की व्यवस्था करेंगे।

(29) किसी सरकारी विभाग के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में संपरिवर्तित होने पर, -

- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित कर्मचारियों के खाते में जमा भविष्य निधि की शेष राशि उनके आमेलन की तारीख पर, ऐसे उपक्रम की सहमति से, ऐसे उपक्रम में कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते में अंतरित की जाएगी;
- (ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा अर्जित अवकाश और अर्द्धवेतन अवकाश ऐसे उपक्रम में अंतरित कर दिया जाएगा;
- (ग) किसी कर्मचारी के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन के पश्चात् किसी उत्तरवर्ती अवचार के लिए ऐसे उपक्रम की सेवा से पदच्युत किए जाने या हटाए जाने पर, सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभों का समपहण नहीं होगा और उसकी पदच्युति या हटाए जाने या छंटनी होने की दशा में, उपक्रम के निर्णय उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पुनर्विलोकन के अध्यक्षीन होंगे।

(30) यदि सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक की परिसीमा तक अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करती है, तो वह ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त संरक्षा उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

(31) उप-नियम (30) में विनिर्दिष्ट संरक्षा उपायों में कर्मचारियों द्वारा दिए विकल्प के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उपक्रम में सेवा जारी रखना या सरकारी कर्मचारियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू शर्तों पर सेवानिवृत्ति हितलाभ का विकल्प और

सरकार द्वारा यथानिर्धारित अर्हक सेवाकाल में छूट के साथ अर्जित पेंशन हितलाभ का संदाय सम्मिलित होगा।

38. सरकारी विभाग के केंद्रीय स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप उसके अधीन आमेलित किए जाने पर पेंशन के संदाय की शर्तें- (1) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के किसी स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तित होने पर, उस विभाग के सभी सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक रूप से उस स्वायत्त निकाय में अंतरित किया जाता है, उन्हें विदेश सेवा की शर्तों पर, बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के तब तक जब तक वे उक्त निकाय में आमेलित नहीं हो जाते, मानित प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा, और ऐसे अंतरित सरकारी कर्मचारियों को ऐसी तारीख से जो सरकार अधिसूचित करे, स्वायत्त निकाय में आमेलित किया जाएगा।

(2) स्वायत्त निकाय अपने नियमों और विनियमों को पांच वर्ष से अनधिक समयसीमा के भीतर तैयार करेगा। स्वायत्त निकाय द्वारा ऐसे नियमों और विनियमों को तैयार किए जाने के पश्चात्, मानित प्रतिनियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को, स्वायत्त निकाय द्वारा नियमों और विनियमों को अधिसूचित किए जाने की तारीख से तीन मास से अनधिक की अवधि के भीतर, सरकारी सेवा में वापस जाने का या उस स्वायत्त निकाय में स्थायी रूप से आमेलित किए जाने के लिए अपने विकल्प देने को कहा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को ऐसा विकल्प देने के लिए दी गई संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, ऐसे कर्मचारियों को अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प, प्रत्येक अंतरित सरकारी कर्मचारी द्वारा, सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति से दिया जाएगा और ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो विहित समयसीमा के भीतर कोई विकल्प नहीं देता है, यह समझा जाएगा कि उसने स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प दिया है।

(4) सरकारी कर्मचारियों का स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के रूप में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जब सरकार द्वारा उनके विकल्प स्वीकार किए जाते हैं और ऐसी स्वीकृति की तारीख को और उस

तारीख से, ऐसे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे और उन्हें सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(5) स्वायत्त निकाय में सरकारी कर्मचारियों का आमेलन होने की दशा में, वे सभी पद समाप्त हो जाएंगे जो उनके द्वारा ऐसे आमेलन से पूर्व सरकार में धारित किए गए थे।

(6) जो कर्मचारी सरकारी सेवा में वापस जाने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें विकल्प देने की तारीख से दो वर्ष के भीतर सरकार में प्रत्यावर्तित किया जाएगा और सरकार के अधिशेष सेल के माध्यम से पुनः तैनात किया जाएगा।

(7) विकल्प देने की तारीख और सरकार में प्रत्यावर्तन की तारीख के बीच की अवधि बिना किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के विदेश सेवा की शर्तों पर मानित प्रतिनियुक्ति की होगी।

(8) ऐसी मानित प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या दिवंगत होने पर, वह वेतन जो वह केंद्रीय सरकार के अधीन प्राप्त करता, यदि वह मानित प्रतिनियुक्ति पर न होता, सरकार द्वारा संदत्त किए जाने वाले पेंशन हितलाभों की गणना के लिए परिलब्धियां माना जाएगा।

(9) ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगे।

(10) उपधारा (11) से उपधारा (15) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अस्थायी कर्मचारियों सहित ऐसे कर्मचारी, किन्तु अस्थायी कामगारों को छोड़कर, जो स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन का विकल्प चुनते हैं, आमेलित होने की तारीख को और से स्वायत्त निकाय के नियमों और विनियमों या उप-नियमों द्वारा शासित होंगे।

(11) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो, स्वायत्त निकाय के कर्मचारी के रूप में आमेलित किया गया है, निम्न विकल्प देने का हकदार होगा,-

(क) इन नियमों के नियम 44 और नियम 45 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सरकार से

यथास्थिति, पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने का; या

(ख) पेंशन और उपदान के लिए केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा की गणना उस स्वायत्त निकाय में करने का।

(12) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसने उप-नियम (11) के खंड (क) के लिए विकल्प दिया है, वह वेतन जो वह केंद्रीय सरकार के अधीन प्राप्त करता यदि वह मानित प्रतिनियुक्ति पर न होता, सरकार द्वारा संदत्त किए जाने वाले पेंशन हितलाभों की गणना के लिए परिलब्धियां माना जाएगा।

(13) ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगे।

(14) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसने उप-नियम (11) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, और उसका कुटुंब, उस कर्मचारी द्वारा सरकार के अधीन और स्वायत्त निकाय में की गई संयुक्त सेवा के आधार पर, स्वायत्त निकाय से उसकी सेवानिवृत्ति के समय या मृत्यु होने पर केंद्रीय सरकार में ऐसे पेंशन हितलाभों की गणना के लिए प्रवृत्त सूत्र के अनुसार पेंशन हितलाभ (पेंशन का संराशीकरण, उपदान, कुटुंब पेंशन या असाधारण पेंशन सहित) पाने का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण:- आमेलित कर्मचारी की बाबत स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त होने पर या मृत्यु होने पर, पेंशन या कुटुंब पेंशन की रकम की गणना उसी रीति से की जाएगी जैसे उसी दिन केंद्रीय सरकार के किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में गणना की जाती है। ऐसे कर्मचारी की बाबत पेंशन हितलाभ उप-नियम (16) से उप-नियम (27) में विनिर्दिष्ट रीति से आहरित और संदत्त किए जाएंगे।

(15) ऐसा आमेलित कर्मचारी जो संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प चुनता है, यथास्थिति, पेंशन या कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त, केंद्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार महंगाई राहत के लिए भी पात्र होगा।

(16) केंद्रीय सरकार एक न्यास के रूप में पेंशन निधि का सृजन करेगी और ऐसी पेंशन निधि से आमेलित कर्मचारियों के पेंशन हितलाभों का संदाय किया जाएगा।

(17) उस स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, पेंशन निधि के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। न्यासी बोर्ड में व्यय विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, संबंधित स्वायत्त निकाय, संबंधित स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के प्रतिनिधि और केंद्रीय सरकार द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(18) उपनियम (11) के खंड (ख) के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के पेंशन हितलाभों को, पेंशन निधि से ऐसी प्रक्रिया और रीति से संस्वीकृत और संवितरित किया जाएगा जो, न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

(19) सरकार उन कर्मचारियों की बाबत, जिन्होंने उप-नियम (11) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, अपनी पेंशन देयता का निर्वहन पेंशन निधि में एकबारगी भुगतान के रूप में एकमुश्त रकम का संदाय करके करेगी।

(20) पेंशन देयता में स्वायत्त निकाय में सरकारी कर्मचारी के आमेलन की तारीख तक की सेवा के लिए पेंशन का पूंजीगत मूल्य या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान सम्मिलित होगा।

(21) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 में अधिकथित संराशीकरण सारणी के प्रतिनिर्देश से पेंशन की एकमुश्त रकम अवधारित की जाएगी।

(22) उप-नियम (11) के खंड (क) के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों के लिए, स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन हितलाभों के संदाय के लिए वित्तीय देयता की सहभागिता की रीति सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(23) ऐसे कर्मचारियों की बाबत, जिन्होंने उप-नियम (11) के खंड (ख) के लिए विकल्प दिया है, स्वायत्त निकाय संबंधित कर्मचारियों द्वारा उस उपक्रम में की जाने वाली सेवा की अवधि के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा

यथानिर्धारित दरों पर पेंशन निधि में पेंशन अंशदान करेंगे, ताकि पेंशन निधि स्वतः समर्थ हो।

(24) यदि, किसी वित्तीय या परिचालन कारण से, न्यास पेंशन निधि से अपनी देयता का पूर्णतः निर्वहन नहीं कर पाता है और स्वायत्त निकाय भी उस कमी को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, सरकार, उस स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसे व्यय को यथास्थिति, निधि अथवा स्वायत्त निकाय के नामे डाला जाएगा।

(25) सरकारी विभाग के ऐसे पेंशनभोगी, जो उस विभाग के स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तित होने की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के पेंशन हितलाभों का संदाय सरकार की जिम्मेदारी बनी रहेगी और इस आधार पर देयता की सहभागिता की कार्य-प्रक्रिया सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(26) किसी सरकारी विभाग के किसी स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तित होने की दशा में, -

- (क) स्वायत्त निकाय में आमेलित कर्मचारियों के खाते में जमा भविष्य निधि की शेष राशि उनके आमेलन की तारीख पर, ऐसे निकाय की सहमति से, ऐसे निकाय में कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते में अंतरित की जाएगी;
- (ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा अर्जित अवकाश और अर्द्धवेतन अवकाश ऐसे निकाय में अंतरित कर दिया जाएगा;
- (ग) किसी कर्मचारी के स्वायत्त निकाय में आमेलन के पश्चात् किसी उत्तरवर्ती अवचार के लिए ऐसे निकाय की सेवा से पदच्युत किए जाने या हटाए जाने पर, सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभों का समपहरण नहीं होगा और उसकी पदच्युति या हटाए जाने या छंटनी होने की

दशा में, निकाय के निर्णय निकाय से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पुनर्विलोकन के अधीन होंगे।

(27) यदि सरकार किसी स्वायत्त निकाय में इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक की परिसीमा तक अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करती है, तो वह ऐसे स्वायत्त निकाय में आमेलित कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए पर्याप्त संरक्षा उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

(28) उप-नियम (27) में विनिर्दिष्ट संरक्षा उपायों में कर्मचारियों द्वारा दिए विकल्प के अनुसार, यथास्थिति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या निकाय में सेवा जारी रखना अथवा सरकारी कर्मचारियों या स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों पर लागू शर्तों पर सेवानिवृत्ति हितलाभ का विकल्प और सरकार द्वारा यथानिर्धारित अर्हक सेवाकाल में छूट के साथ अर्जित पेंशन हितलाभ का संदाय सम्मिलित होगा।

(29) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात भारतीय आसूचना सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय सेवा या किसी अन्यत्र सेवा अथवा आकाशवाणी और दूरदर्शन से बाहर के संवर्ग के व्यक्तियों, आकाशवाणी और दूरदर्शन में सेवारत और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के अधीन स्थापित प्रसार भारती में अंतरित कर्तव्यों के निष्पादन में लगे अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

39. अशक्त पेंशन – (1) किसी सरकारी कर्मचारी को कोई निःशक्तता होने का मामला, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, कथित धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा:

परंतु ऐसा कर्मचारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 के अधीन यथाविहित सक्षम प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, ऐसी दशा में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, वह

अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए विभागाध्यक्ष को आवेदन कर सकेगा।

परंतु अशक्त पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, ऐसा न होने पर सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकृत किया जा सकेगा, यदि विभागाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

परंतु यह और कि ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे कोई निःशक्तता हुई हो और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का इच्छुक है, सरकारी कर्मचारी को यह सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों, जिनका वह अन्यथा हकदार है, के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है और यदि सरकारी कर्मचारी इस नियम के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस नहीं लेता है, तो उसके अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(3) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष उपनियम (2) के अधीन आवेदन की अभिप्राप्ति होने पर, ऐसे आवेदन की अभिप्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी की जांच ऐसे अनुरोध की अभिप्राप्ति के तीस दिन के भीतर किए जाने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा, अर्थात्:-

- (क) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी और ऐसे अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी जिसका वेतन, मूल नियम, 1922 के नियम 9 (21) में यथापरिभाषित, चौवन हजार रुपये प्रतिमास से अधिक है, के मामले में चिकित्सा बोर्ड;
- (ख) अन्य मामलों में सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समतुल्य चिकित्सा अधिकारी।

(4) चिकित्सा प्राधिकारी को उस कार्यालय के, जिसमें आवेदक नियोजित है, कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा यह विवरण भी भेजा जाएगा कि सरकारी अभिलेखों में आवेदक की आयु क्या है, और यदि आवेदक के लिए कोई सेवा पुस्तिका रखी जा रही है, तो उसमें अभिलिखित आयु सूचित की जानी चाहिए। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा परीक्षण के लिए अनुरोध करने वाले पत्र की प्रति सरकारी कर्मचारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

(5) सरकारी कर्मचारी उस प्राधिकारी द्वारा नियत तारीख पर चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। चिकित्सा प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगा कि सरकारी कर्मचारी आगे की सेवा के लिए योग्य है या नहीं अथवा वह जिस प्रकृति का कार्य करता रहा है, उससे कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा और आगे करने के योग्य है।

(6) सेवा के लिए असमर्थता का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकेगा जब तक कि चिकित्सा प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी की चिकित्सा परीक्षा के लिए उसके कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से अनुरोध न मिला हो।

(7) जब किसी महिला अभ्यर्थी परीक्षण किया जाना हो, तब चिकित्सा बोर्ड में एक महिला चिकित्सक को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(8) जहां उप-नियम (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम (2) में उल्लिखित किसी सरकारी कर्मचारी को आगे की सेवा के लिए योग्य नहीं पाया है या उसे, जिस प्रकृति का कार्य वह करता रहा है उससे कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा और आगे करने के योग्य पाया है, तो फॉर्मेट 6 में चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करेगा। यदि सरकारी कर्मचारी को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे फॉर्मेट 6 में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर नियम 44 के अनुसार अशक्त पेंशन अनुज्ञात की जा सकेगी।

(9) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो इस नियम के अधीन दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही सेवानिवृत्त होता है, उसे भी अशक्त पेंशन प्रदान की जायेगी तथा उसके मामले में, पेंशन की रकम की संगणना भी परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत के आधार पर, नियम 44 के अनुसार जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद है, की जायेगी:

परंतु ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी-

(क) की सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व या नियुक्ति के पश्चात् उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे सरकारी सेवा के लिए योग्य घोषित किया गया है; तथा

(ख) अशक्त पेंशन की अनुज्ञा लिए इस नियम में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है।

(10) यदि सरकारी कर्मचारी को, जिस प्रकृति का कार्य वह करता रहा है उससे कम श्रमसाध्य प्रकृति की सेवा और आगे करने के योग्य पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छुक हो, तो निम्नतर पद पर नियोजित किया जाना चाहिए और यदि उसे निम्नतर पद पर नियोजित करने के भी कोई साधन न हो, तो उसे अशक्त पेंशन अनुज्ञात की जा सकेगी।

40. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन – (1) शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किए गए सरकारी कर्मचारी को, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, पेंशन या सेवानिवृत्ति उपदान, या दोनों ही की, ऐसी दर पर दो-तिहाई से अन्यून और ऐसी पूरी अधिवर्षिता पेंशन या उपदान या दोनों से जो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय हो, अनधिक हो, मंजूरी दी जा सकेगी।

(2) जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी की दशा में राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश (चाहे वह मूल आदेश हो, या अपीलीय हो या पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई आदेश हो) पारित करता है जिसमें इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पूरी अधिवर्षिता पेंशन से कम पेंशन दी जाती है तब ऐसा

आदेश पारित करने से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "पेंशन" पद के अंतर्गत सेवानिवृत्ति उपदान भी है।

(3) उपनियम (1) के अधीन दी जाने वाली पेंशन और उपदान की मात्रा से संबंधित आदेश अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी किया जाएगा। जहां उप-नियम (1) के अधीन दी जाने वाली पेंशन और उपदान की मात्रा से संबंधित ऐसा आदेश यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी नहीं किया जाता है, सरकारी कर्मचारी को पूरी अधिवर्षिता पेंशन और उपदान की दो-तिहाई की दर से अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान शीघ्र संस्वीकृत किया जायेगा।

(4) जहां सरकारी कर्मचारी को उप-नियम (3) के अधीन अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान संस्वीकृत किया जाता है, वहां उप-नियम (1) के अधीन अंतिम पेंशन और उपदान संदाय करने का आदेश, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने के तीन मास के भीतर, जहां आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जारी किया जाएगा और उप-नियम (1) के अधीन जारी आदेश के अनुसार अंतिम पेंशन और उपदान के संदाय होने तक अनंतिम पेंशन का संदाय जारी रहेगा।

(5) यथास्थिति, उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्रदत्त या दी गई पेंशन या अनंतिम पेंशन, नियम 44 में उल्लिखित न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

41. अनुकंपा भत्ता - (1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की, जिसे सेवा से पदच्युत किया गया है या हटा दिया गया है, पेंशन और उपदान समपहत हो जाएगा:

परंतु उसे सेवा से पदच्युत करने या हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि वह मामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जा सकता हो तो, ऐसी पेंशन या उपदान या दोनों की दो-तिहाई से अनधिक ऐसा अनुकंपा भत्ता

संस्वीकृत कर सकेगा जो उसे उस समय अनुज्ञेय होता जब वह अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ होता।

(2) सक्षम प्राधिकारी, या तो स्वयं या सरकारी कर्मचारी के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जांच करेगा कि क्या अनुकंपा भत्ता मंजूर किया जा सकता है और इस बाबत, उपनियम (1) के परंतुक के अनुसार, सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर निर्णय लेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी,-

(क) सेवा से पदच्युत करने या हटाने के प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर विचार करेगा कि क्या वह मामला अनुकंपा भत्ते की संस्वीकृति के लिए विशेष विचार करने लायक है और, यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या होगी।

(ख) इस प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, वास्तविक अवचार, जिसके कारण सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित की गई और सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखेगा।

(ग) आपवादिक परिस्थितियों में, अन्य सुसंगत बातों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी पर आश्रित परिवार के सदस्यों जैसे कारकों पर विचार करेगा।

(4) जहां सेवा से पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित करने का आदेश इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व जारी किया गया था और सक्षम प्राधिकारी ने, उस समय, यह जांच नहीं की या निर्णय नहीं लिया कि उस मामले में कोई अनुकंपा भत्ता दिया जाना चाहिए था या नहीं, वे प्राधिकारी इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीन मास के भीतर इस बाबत निर्णय ले सकेंगे।

(5) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिस पर, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व सेवा से पदच्युत करने या हटा दिए जाने की शास्ति अधिरोपित की गई

थी, उसे उपर्युक्त तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अनुकंपा भत्ता संस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

(6) उपनियम (1) के परंतुक के अधीन संस्वीकृत अनुकंपा भत्ता नियम 44 के अधीन न्यूनतम पेंशन की रकम से कम नहीं होगा।

समयपूर्व सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

42. तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति – (1) सरकारी कर्मचारी द्वारा तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी भी समय, नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उससे जनहित में सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी सेवानिवृत्ति की दशा में, सरकारी कर्मचारी नियम 44 के अनुसार संगणित सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का हकदार होगा।

(2) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी उस तारीख से, जिसको सरकारी कर्मचारी से जनहित में सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाए, पूर्व कम से कम तीन मास का लिखित नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते दे सकेगा।

(3) इस नियम के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के लिए, मूल नियम, 1922 के नियम 56 के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रक्रिया लागू होगी।

स्पष्टीकरण: - इस नियम के प्रयोजन के लिए 'नियुक्ति प्राधिकारी' पद से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है जिससे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है।

43. बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति - (1) कोई भी सरकारी कर्मचारी बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन मास का लिखित नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है और ऐसी सेवानिवृत्ति की दशा में, सरकारी कर्मचारी नियम 44 के अनुसार संगणित सेवानिवृत्ति पेंशन पाने का हकदार होगा।

परंतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देने से पूर्व, सरकारी कर्मचारी उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी से सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख को बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने की बाबत प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध करेगा और प्रशासनिक प्राधिकारी ऐसे अनुरोध के पंद्रह दिन के भीतर अपेक्षित प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और यदि प्रशासनिक प्राधिकारी

द्वारा पंद्रह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी ऐसे प्रमाणपत्र के बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस दे सकता है:

परंतु यह और कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को मंजूर करने और इस बाबत आदेश पारित करने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान कर लेगा कि सरकारी कर्मचारी ने बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है:

परंतु यह भी कि यह उप-नियम वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ सहित ऐसे सरकारी कर्मचारी को तब तक लागू नहीं होगा, जो –

- (i) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम और अन्य सहायक कार्यक्रमों के अधीन सौंपे गये कार्य पर है; या
- (ii) मंत्रालयों या विभागों के विदेश में स्थित कार्यालयों में तैनात; या
- (iii) किसी विदेशी सरकार में किसी विनिर्दिष्ट संविदा पर सौंपे गये कार्य पर हैं,

जब तक कि भारत में स्थानांतरण हो जाने के पश्चात्, उसने भारत में पद का कार्यभार न संभाल लिया हो और कम से कम एक वर्ष की अवधि तक सेवा न कर ली हो।

परंतु यह भी कि कोई सरकारी कर्मचारी इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब उसने सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख को बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो या पूरी कर लेगा और इस नियम के अधीन अर्हक सेवा की गणना करने के लिए वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर और अधिक हो, संपूरित षटमासिक अवधि माने जाने के लिए, नियम 44 के उप-नियम (7) का उपबंध लागू नहीं होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिया गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए:

परंतु जहां नियुक्ति प्राधिकारी कथित नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा प्रदान करने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति कथित अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

(3) उपयुक्त नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे सरकारी कर्मचारी की इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा को निम्नलिखित परिस्थितियों में रोक लेने के लिए स्वतंत्र होगा,-

- (i) यदि सरकारी कर्मचारी निलम्बन के अधीन है; या
- (ii) यदि आरोप पत्र जारी किया गया है और अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित हैं; या
- (iii) यदि ऐसे आरोप जो गंभीर कदाचार हो सकते हैं, पर न्यायिक कार्यवाहियां, लंबित हैं:

परंतु ऐसे मामलों में जहां नियुक्ति प्राधिकारी इस उप-नियम में निर्दिष्ट परिस्थितियां होने के बावजूद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता है, राष्ट्रपति का अनुमोदन लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उप नियम के प्रयोजन के लिए, न्यायिक कार्यवाहियां लंबित मानी जाएगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिसका मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, आपराधिक कार्यवाहियों में की गई है या दायर की गई है।

(4) (क) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन मास से कम के नोटिस को स्वीकार करने के लिए कारण देते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित अनुरोध कर सकता है।

(ख) खंड (क) के अधीन अनुरोध की अभिप्राति पर, नियुक्ति प्राधिकारी, उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन, नोटिस देने की तीन मास की अवधि को कम करने के अनुरोध पर, गुणावगुण के आधार पर विचार कर सकता है और यदि उसका

यह समाधान हो जाता है कि नोटिस की अवधि को कम करने से कोई प्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन मास के नोटिस की अपेक्षा को इस शर्त पर शिथिल कर सकता है, कि सरकारी कर्मचारी तीन मास के नोटिस की अवधि की समाप्ति से पूर्व अपनी पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा।

(5) यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी निःशक्तता होने पर, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देता है, सरकारी कर्मचारी को यह सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा हितलाभों जिनका वह अन्यथा हकदार है, के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है और यदि सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना नोटिस वापस नहीं लेता है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(6) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने के विकल्प का चयन करता है और इस आशय का आवश्यक नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी को दे दिया है, ऐसे प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपना नोटिस वापस नहीं ले सकेगा:

परंतु वापस लेने का अनुरोध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की आशयित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व किया जा सकेगा।

(7) यह नियम किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को लागू नहीं होगा, जो-

- (क) अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन सेवानिवृत्त होता है; या
- (ख) किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिसमें वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के समय प्रतिनियुक्ति पर हो, में स्थायी रूप से आमेलित होने के

लिए, या तत्काल आमेलन के आधार पर किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में भर्ती होने के लिए सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए 'नियुक्ति प्राधिकारी' पद से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत होगा जो उस सेवा या पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम है जिससे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होना चाहता है।

अध्याय 7

पेंशन और उपदान का विनियमन

44. पेंशन की रकम – (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् नियम 33, नियम 34, नियम 35, नियम 36, नियम 37, नियम 38 या नियम 39 के अधीन सेवानिवृत्त होता है, तो वह न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास की सीमा के अधीन रहते हुए, परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से, जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो, परिकलित की गई पेंशन का पात्र होगा:

परंतु ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही नियम 39 के अधीन सेवानिवृत्त होता है किन्तु नियम 39 के उप नियम (9) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता हो, तो वह परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से, जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो, परिकलित की गई अशक्त पेंशन के लिए भी पात्र होगा और उसके मामले में पेंशन की मंजूरी के लिए न्यूनतम दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने की शर्त लागू नहीं होगी।

(2) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो उप नियम(1) में निर्दिष्ट किसी भी नियम के अधीन सेवानिवृत्त होता है किन्तु उस उप नियम के अनुसार पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र नहीं होता है, तो वह सेवा उपदान की मंजूरी का पात्र होगा।

ऐसे मामलों में सेवा उपदान की रकम अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूर्ण षट्मासिक अवधि के लिए आधे मास की परिलब्धियों के दर से परिकलित की जाएगी।

(3) किसी सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कम किए जाने की दशा में, नियम 32 में निर्दिष्ट औसत परिलब्धियों को उप नियम(2) के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा और सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते को भी परिलब्धियों के भाग के रूप में माना जाएगा।

(4) (क) जहां कोई सरकारी कर्मचारी दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है और नियम 40 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र होता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन की रकम उप नियम(1) के अधीन परिकल्पित अधिवर्षिता पेंशन के ऐसे भाग या प्रतिशत के रूप में होगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी नियम 40 के अधीन संस्वीकृत करे।

(ख) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है, वह नियम 40 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति सेवा उपदान की मंजूरी के लिए पात्र होगा और ऐसे मामलों में सेवा उपदान की रकम उप नियम(2) के अधीन परिकल्पित अधिवर्षिता सेवा उपदान के ऐसे भाग या प्रतिशत के रूप में होगी, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी नियम 40 के अधीन संस्वीकृत करे।

(5) (क) जहां किसी सरकारी कर्मचारी को दस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटा दिया जाता है और नियम 41 के अधीन अनुकंपा भत्ता मंजूर किया जाता है, तो अनुकंपा भत्ते की रकम पेंशन के ऐसे भाग या प्रतिशत के रूप में होगी जो उसके लिए तब अनुज्ञेय होती यदि वह अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ होता, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी नियम 41 के अधीन संस्वीकृत करे।

(ख) ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे दस वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही सेवा से पदच्युत किया जाता है या हटा दिया जाता है और नियम 41 के अधीन अनुकंपा भत्ता मंजूर किया जाता है, तो ऐसे मामलों में अनुकंपा भत्ते की रकम सेवा उपदान के ऐसे भाग या प्रतिशत के रूप में होगी जो उसके लिए तब अनुज्ञेय होती यदि वह अधिवर्षिता सेवा उपदान पर सेवानिवृत्त हुआ होता, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी नियम 41 के अधीन संस्वीकृत करे।

(6) किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु होने के बाद, इस नियम के अधीन अनुज्ञेय पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अलावा, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता संदेय होगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता
(1)	(2)	(3)
(i)	80 वर्ष की आयु से लेकर 85 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 20%
(ii)	85 वर्ष की आयु से लेकर 90 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 30%
(iii)	90 वर्ष की आयु से लेकर 95 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 40%
(iv)	95 वर्ष की आयु से लेकर 100 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 50%
(v)	100 वर्ष या इससे अधिक	मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 100%

(ख) अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता कैलेंडर मास, जिसमें यह देय होता है, के पहले दिन से संदेय होगा।

उदाहरण: यदि किसी पेंशनभोगी की जन्मतिथि 20 अगस्त, 1942 है, तो वह 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन का पात्र होगा। यदि किसी पेंशनभोगी की जन्मतिथि 1 अगस्त, 1942 है, तो वह भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन का पात्र होगा।

(7) अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, संपूरित छमाही अवधि माना जाएगा और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(8) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसने नौ वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु दस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा दस वर्ष की होगी और वह उप नियम(1) के अनुसार पेंशन के लिए पात्र होगा।

(9) इस नियम के अधीन अंतिम रूप से अवधारित पेंशन या सेवा उपदान या अनुकंपा भत्ता या अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा पेंशन भत्ता की रकम, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को देय अंतिम रकम पर पहुंचने के लिए पृथक रूप से पूरे-पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में रुपये का कोई भाग हो उसे अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

(10) यदि पेंशन कैलेंडर मास के मध्य में रोक दी जाती है, तो उस मास के उस भाग के लिए देय पेंशन की रकम को अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

45. सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान - (1) (क) ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और जो नियम 44 के अधीन सेवा उपदान या पेंशन का पात्र हो गया है, उसकी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर किया जाएगा जो अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित षट्मासिक अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर होगा, किन्तु यह उपदान उसकी परिलब्धियों का अधिक से अधिक साढ़े सोलह गुना होगा।

(ख) यदि किसी सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कुटुंब को नियम 47 के उप-नियम(1) में उपदर्शित रीति से मृत्यु उपदान नीचे की सारणी में दी गई दरों पर दिया जाएगा, अर्थात् :-

क्रम सं.	अर्हक सेवा की अवधि	मृत्यु उपदान की दर
----------	--------------------	--------------------

(1)	(2)	(3)
(i)	एक वर्ष से न्यून	परिलब्धियों के दोगुने
(ii)	एक वर्ष या अधिक किन्तु पांच वर्ष से न्यून	परिलब्धियों के छह गुने
(iii)	पांच वर्ष या अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से न्यून	परिलब्धियों के बारह गुने
(iv)	ग्यारह वर्ष या अधिक किन्तु बीस वर्ष से न्यून	परिलब्धियों के बीस गुने
(v)	बीस वर्ष या अधिक	अर्हक सेवा की पूरी की गई प्रत्येक षट्मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा, किन्तु अधिकतम परिलब्धियों के तैंतीस गुने के अधीन रहते हुए:

परंतु इस नियम के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की रकम किसी भी दशा में बीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपदान की अंतिम रूप से परिकलित रकम में रुपए का अंश हो वहां उसे अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाएगा।

(2) उप नियम(1) खंड(ख) का उपबंध सरकारी कर्मचारी की आत्महत्या द्वारा मृत्यु होने की दशा में भी लागू होगा।

(3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवानिवृत्ति होने पर सेवा उपदान या पेंशन का पात्र होता है, अपनी सेवानिवृत्ति की, जिसके अंतर्गत शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है, तारीख से पांच वर्ष के भीतर मर जाता है और ऐसे उपदान या पेंशन मद्दे उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त धनराशि और साथ ही उप-नियम(1) के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान और उसके द्वारा सरांशीकृत पेंशन के किसी भी भाग का सरांशीकृत मूल्य उसकी परिलब्धियों की बारह गुना रकम से कम है

तो जितनी रकम कम होगी उसके बराबर अवशिष्ट उपदान नियम 47 के उप-नियम(1) में उपदर्शित रीति से उसके कुटुंब को दिया जाएगा ।

(4) इस नियम के अधीन अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, को संपूरित षट्मासिक अवधि माना जाएगा और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(5) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसने चार वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु पांच वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा पांच वर्ष की होगी और वह उप नियम(1) के खंड(क) के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र होगा।

(6) इस नियम के अधीन अनुज्ञेय उपदान के प्रयोजन के लिए परिलब्धियां नियम 31 के अनुसार संगणित की जाएगी:

परंतु यदि किसी सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियां उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान, कम कर दी गई है तो नियम 32 में यथानिर्दिष्ट औसत परिलब्धियां, परिलब्धियां मानी जाएंगी:

परंतु यह और कि यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम और नियम 46, 47, 48 और 49 के प्रयोजनों के लिए, सरकारी कर्मचारी के संबंध में “कुटुंब” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

- (i) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, पत्नी या पत्नियां; जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति या पत्नियां भी हैं;
- (ii) स्त्री सरकारी कर्मचारी की दशा में, पति जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति भी हैं;
- (iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहित पुत्र भी हैं;
- (iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

- (V) विधवा या तलाक़शुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;
- (vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;
- (vii) माता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;
- (viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में, अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;
- (ix) अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाक़शुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;
- (x) विवाहित पुत्रियां; और
- (xi) पूर्व-मृत पुत्र के बच्चे।

46. नामनिर्देशन - (1) सरकारी कर्मचारी किसी सेवा या पद में अपने प्रारंभिक पुष्टिकरण पर प्ररूप 3 में, एक नामनिर्देशन करेगा जिसमें नियम 45 के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक व्यक्तियों को प्रदत्त किया जाएगा।

(2) नामनिर्देशन करते समय यदि,—

- (i) सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में नियम 45 के उप-नियम(6) में यथानिर्दिष्ट एक या एक से अधिक सदस्य हैं तो नामनिर्देशन उस नियम में निर्दिष्ट उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में होगा;या
- (ii) किसी सरकारी कर्मचारी का नियम 45 के उप-नियम(6) में यथानिर्दिष्ट कोई कुटुंब नहीं है तो, नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, के पक्ष में किया जा सकता है।

(3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी उप-नियम(2) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन करता है तो वह नामनिर्देशन में नामनिर्देशितियों में से प्रत्येक को संदेय अंश की रकम इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत उपदान की सारी रकम आ जाए।

(4) सरकारी कर्मचारी नामनिर्देशन में, यह उपबंध कर सकेगा कि –

(i) किसी विनिर्दिष्ट निर्देशिनी की बाबत जिसकी मृत्यु सरकारी कर्मचारी से पहले ही हो जाए अथवा जिसकी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु उपदान की रकम प्राप्त किए बिना ही मृत्यु हो जाए तो उस नामनिर्देशिनी को प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को चला जाएगा जिसे नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यदि नामनिर्देशन करते समय सरकारी कर्मचारी का कोई ऐसा कुटुंब हो जिसमें एक से अधिक सदस्य हो तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके कुटुंब के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति नहीं होगा:

परंतु यह और कि जहां कि किसी सरकारी कर्मचारी के अपने कुटुंब में केवल एक ही व्यक्ति हो और नामनिर्देशन उसी के पक्ष में किया गया हो वहां सरकारी कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में, चाहे वह निगमित हो या न हो, वैकल्पिक नामनिर्देशिनी या नामनिर्देशितियों का नामनिर्देशन करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(ii) उसमें दी गई किसी आकस्मिकता के घटित होने पर वह नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा।

(5) (क) ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा, नामनिर्देशन करते समय, जिसका नियम 45 के उप नियम(6) में यथानिर्दिष्ट, कोई कुटुंब न हो, उप नियम(2) के खंड(ii) के परंतुक के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन उस दशा

में अविधिमान्य हो जाएगा जब उस सरकारी कर्मचारी का बाद में कोई कुटुंब हो जाये।

(ख) जहां नामनिर्देशन करते समय किसी सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में केवल एक ही सदस्य हो और उसके पक्ष में नामनिर्देशन किया गया हो, बाद में सरकारी कर्मचारी के परिवार में एक और सदस्य आ जाने की दशा में, सरकारी कर्मचारी द्वारा उप नियम(4) के खंड(i) के दूसरे परंतुक के अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया वैकल्पिक नामनिर्देशन, यदि कोई हो, अविधिमान्य हो जाएगा किन्तु सरकारी कर्मचारी द्वारा उप नियम(2) के खंड(i) के अधीन कुटुंब के एक सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन प्रभावित नहीं होगा।

(6) उप नियम(2) के खंड(i) के अधीन एक अविवाहित सरकारी कर्मचारी द्वारा नियम 45 के उप नियम(6) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट कुटुंब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, उसके विवाह होने पर अविधिमान्य नहीं होगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी पूर्व नामनिर्देशन को रद्द नहीं करता और उप नियम(7) के अनुसार नया नामनिर्देशन दर्ज नहीं करता।

(7) सरकारी कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष को लिखित सूचना भेज कर नामनिर्देशन किसी भी समय रद्द कर सकेगा:

परंतु वह ऐसी सूचना के साथ, इस नियम के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(8) ऐसे नामनिर्देशिनी की, जिसकी बाबत उप-नियम(4) के खंड(i) के अधीन नामनिर्देशन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया है, मृत्यु होते ही अथवा ऐसी कोई घटना घटित होने पर, जिसके कारण नामनिर्देशन उक्त उप-नियम (4) के खंड(ii) के अनुसार अविधिमान्य हो जाए, सरकारी कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष को एक लिखित सूचना भेजेगा जिसमें वह नामनिर्देशन को रद्द कर देगा और साथ ही इस नियम के अनुसार किया गया नामनिर्देशन भेज देगा।

- (9) (क) इस नियम के अधीन सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन (जिसके अंतर्गत उसके रद्दकरण, यदि कोई हो, के लिए दी गई प्रत्येक सूचना भी है) कार्यालय अध्यक्ष को भेजा जाएगा।
- (ख) कार्यालयाध्यक्ष ऐसे नामनिर्देशन की प्राप्ति पर, तुरंत यह सत्यापित करेगा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन इस नियम के उपबंधों के अनुसार है और यदि, सरकारी कर्मचारी का कुटुंब है, तो नियम 45 के उप नियम(6) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथानिर्दिष्ट कुटुंब के एक या एक से अधिक सदस्य के पक्ष में नामनिर्देशन किया गया है। उसके बाद, कार्यालयाध्यक्ष प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए नामनिर्देशन पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा: परंतु कार्यालय अध्यक्ष, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के नामनिर्देशन के प्ररूपों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है।
- (ग) नामनिर्देशन की प्राप्ति के बारे में उपयुक्त प्रविष्टि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जाएगी।
- (घ) नामनिर्देशन प्ररूप की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए वापस की जाएगी।

(10) सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और रद्दकरण के लिए दी गयी प्रत्येक सूचना, उस सीमा तक जिस तक वह विधिमान्य है, उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको वह कार्यालय अध्यक्ष को प्राप्त होती है।

47. वे व्यक्ति जिन्हें उपदान संदेय है - (1)(क) नियम 45 के अधीन संदेय उपदान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें उपदान प्राप्त

करने का अधिकार नियम 46 के अधीन नामनिर्देशन द्वारा प्रदत्त किया गया है।

(ख) यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो उपदान, नीचे उपदर्शित रीति से दिया जाएगा, अर्थात् -

(i) यदि नियम 45 के उप-नियम(6) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में खंड (i), (ii), (iii), (iv) और (v) में यथा वर्णित कुटुंब के एक या एक से अधिक सदस्य उत्तरजीवी हों तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में; या

(ii) यदि उपखंड(i) में यथावर्णित कुटुंब के ऐसे कोई भी सदस्य उत्तरजीवी नहीं है किन्तु नियम 45 के उपनियम (6) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में खंड (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xi) में दिये गए एक या एक से अधिक सदस्य उत्तरजीवी हैं तो ऐसे सभी सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में।

(2) यदि किसी नामनिर्देशिनी की मृत्यु सरकारी कर्मचारी के पूर्व हो जाती है और नियम 46 के उप नियम(4) के अधीन उस नामनिर्देशिनी को प्रदत्त अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है या ऐसे व्यक्ति के संबंध में किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है या इसमें उल्लिखित किसी भी आकस्मिकता के घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाता है, तो ऐसे नामनिर्देशिनी के संबंध में उपदान का हिस्सा कुटुंब के अन्य सभी सदस्यों को समान रूप से संवितरित किया जाएगा, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर पात्र और जीवित थे, इसमें परिवार के वे सदस्य भी हैं जिनके पक्ष में उपदान की शेष रकम का संदाय करने के लिए नामनिर्देशन किया गया है।

(3) यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु नियम 45 के उप-नियम(1) के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत्ति के

पश्चात् हो जाती है तो उपदान इस नियम के उप-नियम(1) में उपदर्शित रीति से कुटुंब को संवितरित कर दिया जाएगा।

(4) ऐसे सरकारी कर्मचारी के, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाती है, कुटुंब की किसी स्त्री सदस्य, अथवा उस सरकारी कर्मचारी के किसी भाई के उपदान के किसी अंश को पाने के अधिकार पर उस दशा में प्रभाव नहीं पड़ेगा जब सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् और उपदान के अपने अंश को प्राप्त करने से पूर्व वह स्त्री सदस्य विवाह कर लेती है अथवा पुनर्विवाह कर लेती है अथवा भाई अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

(5) जहां कि नियम 45 के अधीन मृत सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के किसी अवयस्क सदस्य को कोई उपदान मंजूर किया जाए वहां वह उस अवयस्क की ओर से संरक्षक को संदेय होगा।

(6) अवयस्क के उपदान के हिस्से का संदाय, अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक को किया जाएगा, यदि कोई हो। एक नैसर्गिक संरक्षक की अनुपस्थिति में, अवयस्क के उपदान के हिस्से का संदाय उस व्यक्ति को किया जाएगा जो संरक्षकता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है।

(7) किसी नैसर्गिक संरक्षक की अनुपस्थिति में, अवयस्क के उपदान के हिस्से के बीस प्रतिशत का संदाय संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, किन्तु फॉर्मेट 7 में क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने पर संरक्षक को किया जा सकता है और अवयस्क के उपदान की शेष रकम संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संरक्षक को संदेय होगी।

(8) यदि इस नियम के अधीन उपदान प्राप्त करने के लिए कुटुंब के एक से अधिक सदस्य पात्र हैं और यदि कुटुंब के किसी सदस्य ने प्ररूप 9 में उपदान के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो उपदान की मंजूरी के लिए मामले पर उसका दावा प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जा सकती है और उपदान की मंजूरी के लिए कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों के मामले पर कुटुंब के उस सदस्य के मामले से जोड़े बिना, कार्रवाई की जा सकती है, जिसने प्ररूप 9 में दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

48. किसी व्यक्ति का उपदान प्राप्त करने से विवर्जन - (1) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवा काल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, नियम 47 के अनुसार उपदान प्राप्त करने का पात्र है, सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है तो उपदान में से अपना अंश प्राप्त करने का उसका दावा उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(2) जहां कि उप-नियम(1) में निर्दिष्ट दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर, सम्बद्ध व्यक्ति, -

(क) सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के लिए या हत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो उपदान में से अपना अंश प्राप्त करने से वह विवर्जित कर दिया जाएगा जो कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों को, यदि कोई हो, संदेय होगा,-

(ख) सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उपदान का उसका अंश उसे संदेय हो जाएगा।

(3) उप-नियम(1) और उप-नियम(2) के उपबंध नियम 47 के उप-नियम(3) में निर्दिष्ट असंवितरित उपदान को भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनार्थ, सरकारी कर्मचारी की हत्या या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप में आत्महत्या द्वारा मृत्यु के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप भी सम्मिलित होगा।

49. सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान का व्यपगत होना - जहां कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उपदान की रकम प्राप्त किए बिना हो जाती है और वह अपने पीछे कोई कुटुंब नहीं छोड़ता है और-

(क) उसने कोई नामनिर्देशन नहीं किया है, या

(ख) उसके द्वारा किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है,

वहां ऐसे सरकारी कर्मचारी की बाबत, नियम 45 के अधीन, संदेय सेवानिवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की रकम सरकार को व्यपगत हो जाएगी:

परंतु मृत्यु उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का भुगतान उस व्यक्ति को संदेय होगा जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा विचाराधीन उपदान के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

अध्याय 8

कुटुंब पेंशन

50. कुटुंब पेंशन - (1) यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु,-

- (i) एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने के पश्चात् हो जाती है; या
- (ii) एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने से पूर्व हो जाती है, परंतु यह तब जबकि संबद्ध मृतक सरकारी कर्मचारी की, सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उस प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा के लिए उसे उपयुक्त घोषित किया गया हो; या
- (iii) सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् हो जाती है और वह अपनी मृत्यु की तारीख को इन नियमों में निर्दिष्ट पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहा है,

तो मृतक का कुटुंब यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से कुटुंब पेंशन का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण- 'लगातार सेवा' से वह सेवा अभिप्रेत है जो किसी पेंशनी स्थापन में अस्थाई या स्थायी हैसियत में की गयी हो और निलंबन की अवधि, यदि कोई हो और अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व की गई सेवा, यदि कोई हो, तो उसकी अवधि इसमें सम्मिलित नहीं होगी।

(2) (क) (i) उप-खंड(ii) और उप-खंड(iii) के अधीन, कुटुंब पेंशन की रकम न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमास और अधिकतम पचहत्तर हजार रुपये प्रतिमास के अध्यक्षीन वेतन के तीस प्रतिशत की एक समान दर पर अवधारित की जाएगी।

(ii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, कुटुंब को संदेय कुटुंब पेंशन की दर, वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर होगी और ऐसी अनुज्ञेय रकम सरकारी

कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक अगली तारीख से दस साल की अवधि के लिए संदेय होगी।

(iii) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में उप-खंड(ii) के अधीन यथाअवधारित कुटुंब पेंशन, सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक की अवधि के लिए जिस तारीख को सेवानिवृत्त मृतक सरकारी कर्मचारी 67 वर्ष की आयु का हो जाता यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, संदेय होगी:

परंतु इस उप-खंड के अधीन अवधारित कुटुंब पेंशन की रकम किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति या सरकारी सेवा से पदच्युति पर संस्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि जहां सेवानिवृत्ति या सरकारी सेवा से पदच्युति होने पर प्राधिकृत पेंशन की रकम उप-खंड(i) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन की रकम से कम हो, वहां इस उप-खंड के अधीन अवधारित कुटुंब पेंशन की रकम उप-खंड(i) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन की रकम तक सीमित होगी।

(iv) उप-खंड(ii) या उप-खंड(iii) के अधीन संदेय कुटुंब पेंशन की रकम न्यूनतम नौ हजार रुपये प्रतिमास और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास के अधीन होगी।

स्पष्टीकरण-1 : उप-खण्ड (i) और उप-खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ वेतन से अभिप्रेत है (i) नियम 31 में यथानिर्दिष्ट परिलब्धियां या (ii) नियम 32 में यथानिर्दिष्ट औसत परिलब्धियां, जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण-2 : उप-खंड(iii) के प्रयोजनार्थ सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन में पेंशन का वह भाग भी सम्मिलित है जिसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने मृत्यु से पहले सरांशीकृत कराया हो।

स्पष्टीकरण-3 : उप-खंड(iii) के प्रयोजनार्थ 'सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन' अभिव्यक्ति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन और सरकारी सेवा

से पदच्युत किए जाने या हटाये जाने पर संस्वीकृत अनुकंपा भत्ता भी सम्मिलित है।

(ख) खंड(क) के उप-खंड(ii) और उप-खंड(iii) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्, उन उप-खंडों के अधीन कुटुंब पेंशन प्राप्त करने वाला कुटुंब, खंड(क) के उप-खंड(i) के अधीन अनुज्ञेय दर पर कुटुंब पेंशन पाने का हकदार होगा।

(3)(क) उप-नियम (2) के अनुसार अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के अतिरिक्त, किसी कुटुंब पेंशनभोगी के अस्सी वर्ष की आयु पूरा करने के बाद अतिरिक्त कुटुंब पेंशन निम्न रीति से संदेय होगी:-

क्रम सं	कुटुंब पेंशनभोगी की आयु	अतिरिक्त कुटुंब पेंशन
(1)	(2)	(3)
(i)	80 वर्ष की आयु से लेकर 85 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
(ii)	85 वर्ष की आयु से लेकर 90 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
(iii)	90 वर्ष की आयु से लेकर 95 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
(iv)	95 वर्ष की आयु से लेकर 100 वर्ष से कम की आयु तक	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
(v)	100 वर्ष या इससे अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

(ख) अतिरिक्त कुटुंब पेंशन कैलेंडर मास, जिसमें यह देय होती है, के पहले दिन से देय होगी।

उदाहरण: यदि किसी कुटुंब पेंशनभोगी का जन्म 20 अगस्त, 1942 को हुआ, तो वह 1 अगस्त, 2022 से मूल कुटुंब पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का पात्र होगा। 1 अगस्त, 1942 को

जन्मा कुटुंब पेंशनभोगी भी 1 अगस्त, 2022 से मूल कुटुंब पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कुटुंब पेंशन का पात्र होगा।

(4) उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उप-नियम (3) के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त कुटुंब पेंशन की रकम, जहां लागू हो, मासिक दरों पर निर्धारित की जाएगी और पूरे-पूरे रूप में अभिव्यक्त की जाएगी और जहां कुटुंब पेंशन या अतिरिक्त कुटुंब पेंशन में रुपये का कोई भाग हो, उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा।

परंतु किसी भी दशा में उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन इस नियम के अधीन विहित अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।

(5) (क) जहां केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली 1939 के अधीन कुटुंब पेंशन का पंचाट प्राधिकृत किया गया है वहां इस नियम के अधीन पंचाट चालू रहने के दौरान कोई कुटुंब पेंशन संदेय नहीं होगी।

(ख) जहां केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन किसी कुटुंब पेंशन के पंचाट के लिए दावा विचाराधीन है, तो इन नियमों के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की जा सकती है और तत्पश्चात्, यदि केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने का निर्णय लिया जाता है, तो उन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन के भुगतान करने के लिए एक संशोधित पेंशन अदायगी प्राधिकार जारी किया जाएगा और इन नियमों के अधीन प्राधिकृत कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी।

(ग) इस नियम के अधीन देय कुटुंब पेंशन, सशस्त्र बल में की गयी सेवा सहित किन्हीं अन्य संगठनों में उस सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा की गयी सेवा के लिए कुटुंब के किसी भी सदस्य को अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन के संदर्भ में किसी भी सीमा के अधीन नहीं होगी।

(6) मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के कुटुंब के सदस्यों को कुटुंब पेंशन निम्नानुसार क्रम में संदेय होगी, अर्थात्:-

- (i) उप-नियम(8) के उपबंधों के अधीन, विधवा या विधुर, (एक पूर्व-सेवानिवृत्त पति/पत्नी और न्यायिकःपृथक्कृत पत्नी/पति भी हैं),
- (ii) उप-नियम(9) के उपबंधों के अधीन, बच्चे(दत्तक बच्चे, सौतेले बच्चे और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे बच्चे भी हैं),
- (iii) उप-नियम(10) के उपबंधों के अधीन, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित माता-पिता(दत्तक माता-पिता सम्मिलित),
- (iv) उप-नियम(11) के उपबंधों के अधीन, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के आश्रित सहोदर(अर्थात् भाई या बहन) जो किसी मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त हों।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'विधवा' और 'विधुर' से, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के साथ कानूनी तौर पर विवाहित क्रमशः महिला और पुरुष अभिप्रेत होगा।

(7) (क) इस उप-नियम के खंड(ख), उप-नियम(8) के खंड(ग), (घ), (ङ), (च) तथा (छ) और खंड(छ) के परंतुक, और उप-नियम(9) के खंड(ज) के उप-खंड (iii) तथा खंड (ट) के परंतुक के अध्यधीन कुटुंब पेंशन एक ही समय में मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के कुटुंब के एक से अधिक सदस्य को संदेय नहीं होगी।

(ख) जहां कुटुंब पेंशन कुटुंब के एक से अधिक सदस्य को एक ही समय में देय होगी, यह बराबर अंशों में दी जाएगी और यदि कुटुंब पेंशन के अंश में रुपये का कोई भाग हो, तो उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा:

परंतु इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन की रकम अधिकतम अवधारित रकम से अधिक नहीं होगी और यदि कुटुंब के दो या दो से अधिक सदस्यों में कुटुंब पेंशन को भाग करने पर रुपये के किसी भाग को पूरा करने के परिणामस्वरूप, कुटुंब पेंशन की कुल रकम इस नियम के अधीन अवधारित अधिकतम रकम से अधिक होती है, तो इस प्रकार के रुपये के भाग को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

(8) (क) यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी किसी विधवा या विधुर को छोड़ जाता है या छोड़ जाती है, तो कुटुंब पेंशन उप-नियम(2) में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसे विधवा या विधुर को मृत्यु की तारीख तक या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय होगी और कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर की पात्रता उसकी अन्य स्रोतों से आय की रकम से प्रभावित नहीं होगी।

(ख) जहां मृतक सरकारी कर्मचारी की उत्तरजीवी निःसंतान विधवा हो, तो निःसंतान विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने पर, उसको कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा, यदि सभी अन्य स्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप-नियम(2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम हो:

परंतु यह और कि यदि निःसंतान विधवा के पुनर्विवाह करने के बाद उसकी आय सभी अन्य स्रोतों से इस नियम के उप-नियम(2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक हो जाती है, तो उसको देय कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी और मृतक सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को देय होगी।

(ग) जहां मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं को छोड़ जाता है, विधवाओं को बराबर

अंशों में कुटुंब पेंशन का संदाय होगा और विधवा की मृत्यु या अपात्रता होने पर, कुटुंब पेंशन का उसका अंश उसके बच्चे या बच्चों के लिए देय होगा जो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं।

(घ) यदि विधवा का कोई बच्चा नहीं है, तो कुटुंब पेंशन का उसका अंश समाप्त नहीं होगा, किन्तु दूसरी विधवाओं को बराबर अंशों में देय होगा, या यदि केवल एक ही विधवा हो, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

(ङ) जहां किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की कुटुंब पेंशन के लिए किसी पात्र बच्चे के बिना कोई उत्तरजीवी विधवा हो किन्तु उसने किसी अन्य पत्नी से, जो जीवित नहीं है, पात्र बालक या बालकों को छोड़ा है, तो उप-नियम(9) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाला बच्चा या बच्चे कुटुंब पेंशन के उस अंश का हकदार होगा या होंगे जो माता को उस दशा में मिलता जब वह उस सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय जीवित होती और ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा या विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु उप-नियम (9) के अनुसार अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा:

परंतु यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी कुटुंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कुटुंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश खंड(ग) और उप-नियम (9) के अनुसार उसके बच्चे या बच्चों को देय होगा।

(च) जहां मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी कुटुंब पेंशन के लिए किसी पात्र बच्चे के बिना ही विधवा छोड़ जाता है किन्तु एक तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों से पात्र बच्चा या बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो बच्चा या बच्चे जो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं कुटुंब पेंशन के उस अंश का हकदार होगा जो कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय माता को प्राप्त होता यदि उसका तलाक नहीं हुआ होता। ऐसे बच्चे या बच्चों को अथवा विधवा या विधवाओं को देय कुटुंब पेंशन का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु उप-नियम (9) के अनुसार अन्यथा पात्र अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा:

परंतु यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी कुटुंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कुटुंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश खंड(ग) और उप-नियम (9) के अनुसार उसके पात्र बच्चे या बच्चों को देय होगा।

(छ) जहां मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी कुटुंब पेंशन के लिए किसी पात्र बच्चे के बिना ही विधवा छोड़ जाता है किन्तु अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे पात्र बच्चे या बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चे या बच्चों, जो उप-नियम (9) में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा करता है या करते हैं कुटुंब पेंशन के अंश के लिए पात्र होगा जो कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय माता को प्राप्त होता यदि विवाह अमान्य या

अमान्यकरणीय नहीं होता और ऐसे बच्चे या बच्चों को या विधवा को देय कुटुंब पेंशन का अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु अन्यथा पात्र विधवा या बच्चा या बच्चों को, बराबर अंशों में देय होगा, या केवल एक ही विधवा या बच्चा है, तो पूर्ण रूप से उसे देय होगा।

परंतु यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी कुटुंब पेंशन के लिए पात्र बच्चा या बच्चों सहित विधवा को छोड़ जाता है, तो विधवा को देय कुटुंब पेंशन के अंश का संदाय बंद होने पर, ऐसा अंश खंड(ग) और उप-नियम (9) के अनुसार उसके पात्र बच्चे या बच्चों को देय होगा।

(ज) जहां कोई मृतक पुरुष सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी न्यायिकः पृथक्कृत विधवा या विधुर को अपने पीछे छोड़ जाता है, और कोई बच्चा या बच्चे नहीं हैं, तो मृतक की बाबत कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी व्यक्ति को संदेय होगी।

(झ) जहां कोई मृतक पुरुष सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी न्यायिकः पृथक्कृत विधवा या विधुर के साथ किसी अवयस्क बच्चे या बच्चों या मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त किसी बच्चे या बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो मृतक की बाबत कुटुंब पेंशन, उत्तरजीवी व्यक्ति को संदेय होगी बशर्ते वह ऐसे बच्चे या बच्चों का संरक्षक हो और यदि ऐसे बच्चे या बच्चों के लिए उत्तरजीवी व्यक्ति के संरक्षक न बने रहने पर, ऐसी कुटुंब पेंशन उस व्यक्ति को संदेय होगी जो ऐसे बच्चे या बच्चों का वस्तुतः संरक्षक हो:

परंतु जहां अवयस्क बच्चा वयस्कता की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, कुटुंब पेंशन के लिए पात्र रहता है, ऐसे बच्चे को वयस्कता की आयु प्राप्त करने की तारीख से कुटुंब पेंशन देय होगी और इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए बच्चे की पात्रता समाप्त होने के बाद, ऐसी कुटुंब पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी के उत्तरजीवी न्यायिक: पृथक्कृत पति/पत्नी को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

- (ज) जहां कोई मृतक पुरुष सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी न्यायिक: पृथक्कृत विधवा या विधुर के साथ किसी ऐसे बच्चे को अपने पीछे छोड़ जाता है, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका है किन्तु कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है, तो सरकारी कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात् कुटुंब पेंशन, ऐसे बच्चे को देय होगी। इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए ऐसे बच्चे या बच्चों की पात्रता समाप्त होने के पश्चात्, ऐसी कुटुंब पेंशन मृतक सरकारी कर्मचारी के उत्तरजीवी न्यायिक: पृथक्कृत पति/पत्नी को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले हो, देय होगी।
- (ट) एक निःसंतान विधवा का अपने पुनर्विवाह के पश्चात् यह कर्तव्य होगा कि वह पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए, एक निःसंतान विधवा द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप-नियम (2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है।

- (9) (क) यदि मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का कोई उत्तरजीवी विधवा या विधुर नहीं है अथवा यदि विधवा या विधुर की मृत्यु हो जाती है अथवा कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो उप-नियम(2) में विनिर्दिष्ट दर पर कुटुंब पेंशन ऐसे बच्चे या बच्चों को देय होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:
- (i) पुत्र (मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र के अलावा) (दत्तक पुत्र, सौतेला पुत्र और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे पुत्र सम्मिलित हैं) की दशा में- अविवाहित, पच्चीस वर्ष से कम आयु और अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करता हो;
 - (ii) पुत्री (मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्री के अलावा) (दत्तक पुत्री, सौतेली पुत्री और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मी पुत्री सम्मिलित हैं) की दशा में- अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा और अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करती हो;
 - (iii) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री (दत्तक पुत्र या पुत्री, सौतेला पुत्र या पुत्री और पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे पुत्र या पुत्री सम्मिलित हैं) की दशा में – अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं करता/करती हो।
- (ख) पुत्र या पुत्री, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के अलावा, द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्रोतों से उसकी आय इस नियम के उप-नियम(2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है।

- (ग) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय इस नियम के उप-नियम(2) के खंड(क) के उप-खंड(i) के अधीन पात्र कुटुंब पेंशन और संबंधित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।
- (घ) जहां कोई मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो कुटुंब पेंशन सर्वप्रथम पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को उनके जन्म के क्रम में, देय होगी जो इस उप-नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हों।
- (ङ) ज्येष्ठ बच्चा तब तक कुटुंब पेंशन का हकदार होगा जब तक कि वह पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता/जाती या विवाह/पुनर्विवाह नहीं हो जाता या अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ कर देता/देती, जो भी पहले हो और ज्येष्ठ के पच्चीस वर्ष का हो जाने या विवाह/पुनर्विवाह हो जाने या अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने या उसकी मृत्यु हो जाने पर, उससे अगला बच्चा कुटुंब पेंशन पाने का पात्र हो जाएगा।
- (च) जहां कि इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन किसी अवयस्क को मंजूर की जाए, उस अवयस्क की ओर से संरक्षक को संदेय होगी।
- (छ) जहां कुटुंब पेंशन जुड़वां बच्चों को देय हो, यह ऐसे बच्चों को बराबर अंशों में संदेय होगी और जब उनमें से एक की पात्रता समाप्त हो जाए, तो उसका अंश दूसरे बच्चे को देय होगा और जब दोनों की पात्रता समाप्त हो जाए तो कुटुंब

पेंशन अगले पात्र एकल बच्चे या जुड़वां बच्चों को देय होगी।

(ज) जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पच्चीस वर्ष से कम आयु के और कुटुंब पेंशन के लिए पात्र उत्तरजीवी पुत्र या पुत्री न हों अथवा ऐसे पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई हो या कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो गई हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो या शारीरिक रूप से निःशक्त या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), में निर्दिष्ट किसी अन्य निःशक्तता से ग्रस्त हो जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने पर भी वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो, को निम्न शर्तों के अध्याधीन कुटुंब पेंशन जीवनपर्यन्त देय होगी, अर्थात्:-

- (i) सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु से पहले निःशक्तता मौजूद हो;
- (ii) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री सरकारी कर्मचारी के दो या दो से अधिक बच्चों में से एक हो, तो प्रारंभ में कुटुंब पेंशन खंड(घ) में उपवर्णित क्रम में पच्चीस वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को देय होगी जब तक कि अंतिम बच्चा पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता और तत्पश्चात् कुटुंब पेंशन खंड(ज) में निर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः आरंभ होगी और उसे जीवन पर्यन्त देय होगी;
- (iii) यदि एक से अधिक बच्चे खंड(ड) में निर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त हों, तो कुटुंब पेंशन का संदाय उनके जन्म के क्रम में होगा और उनमें से कनिष्ठ

को, उससे ज्येष्ठ की पात्रता समाप्त होने या उसकी मृत्यु होने के पश्चात् कुटुंब पेंशन मिलेगी:

परंतु जहां कुटुंब पेंशन ऐसे जुड़वां बच्चों को देय हो, यह खंड(घ) में उपवर्णित रीति से संदत्त की जाएगी;

- (iv) ऐसे पुत्र या पुत्री को जो मानसिक मंदता सहित किसी भी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हो, कुटुंब पेंशन का भुगतान, संरक्षक के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वह अवयस्क हो, सिवाए शारीरिक रूप से निःशक्त पुत्र या पुत्री के मामले में, जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो;
- (v) ऐसे किसी भी पुत्र या पुत्री को कुटुंब पेंशन की आजीवन अनुज्ञा देने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी यह समाधान करेगा कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ है और इसे निम्न द्वारा प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित किया जाएगा,-

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्य

शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जहां तक संभव हो, बालक की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपवर्णित करेगा।

(vi) ऐसे पुत्र या पुत्री के संरक्षक के रूप में कुटुंब पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ऐसे पुत्र या पुत्री जिन्हें संरक्षक के माध्यम से कुटुंब पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है वह निम्न से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा—

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और केंद्रीय सरकार या एक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी; या

(ख) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्य शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति मानसिक मंदता सहित निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, यदि निःशक्तता स्थायी है तो एक बार, और यदि निःशक्तता अस्थायी है, तो हर पांच वर्ष में एक बार इस आशय का कि वह

अभी भी खंड(ज) में निर्दिष्ट निःशक्तता से
ग्रस्त है;

(vi) मानसिक रूप से मंद पुत्र या पुत्री की दशा में कुटुंब
पेंशन, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी
द्वारा नामित व्यक्ति को देय होगी और यदि ऐसे
सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी द्वारा उसके
जीवनकाल के दौरान कार्यालय अध्यक्ष को ऐसा
कोई भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो
यथास्थिति, ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के
पति/पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति को संदेय होगी और
बाद में उक्त अधिनियम में यथा उपदर्शित
स्वरपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता
और बहुल निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की बाबत कुटुंब
पेंशन मंजूर करने के लिए संरक्षक के नामांकन या
उसकी नियुक्ति के लिए, स्थानीय स्तर की समिति
द्वारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999(1999 के 44)
की धारा 14 के अधीन जारी किया गया संरक्षकता
प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जाएगा;

(झ) खंड(ज) में निर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त बच्चा विवाह करने
पर इस उप-नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र
नहीं होगा;

(ज) जहां खंड(घ) या खंड(ज) के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए,
किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पात्र पुत्र
या पुत्री उत्तरजीवी नहीं हो अथवा यदि खंड(घ) या
खंड(ज) के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्र पुत्र या पुत्री
की मृत्यु हो जाए अथवा वह उन खंडों में विहित कुटुंब
पेंशन के लिए पात्रता की शर्तें पूरी न करे, तो पच्चीस वर्ष
की आयु से अधिक किसी अविवाहित या विधवा या
तलाकशुदा पुत्री को आजीवन अथवा उसका विवाह या

पुनर्विवाह होने तक, या उसका आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन कुटुंब पेंशन अनुज्ञात होगी या कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा, अर्थात् :-

(i) खंड(घ) में उपवर्णित क्रम में बच्चों को कुटुंब पेंशन प्रारंभ में देय होगी जब तक अंतिम बच्चा पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता;

(ii) खंड(ङ) के अनुसार कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई पात्र निःशक्त बच्चा नहीं है;

(iii) अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री अपने पिता/माता अथवा माता-पिता पर आश्रित थी जब वह जीवित था/थी या वे जीवित थे;

(iv) जहां कोई मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी अपने पीछे पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक एक से अधिक अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को छोड़ जाता है, तो कुटुंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में, प्रथमतः ऐसी पुत्री को देय होगी जो इस उप-नियम के अधीन कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती हो;

(v) ज्येष्ठ पुत्री अपना विवाह या पुनर्विवाह होने तक अथवा अपनी आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने तक, जो भी पहले हो, कुटुंब पेंशन के लिए हकदार होगी और ज्येष्ठ के विवाह या पुनर्विवाह होने पर या अपनी आजीविका उपार्जन प्रारंभ करने पर या उसकी मृत्यु होने पर, अगली कनिष्ठ पुत्री कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होगी;

(vi) विधवा पुत्री की दशा में, उसके पति के मृत्यु और तलाक़शुदा पुत्री की दशा में, उसका तलाक़, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए हुआ हो:

परंतु कुटुंब पेंशन तलाक़शुदा पुत्री को उसके तलाक़ की तारीख से तब देय होगी यदि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या उसके/उसकी पति/पत्नी के जीवित रहते हुए सक्षम न्यायालय में तलाक़ की कार्यवाही दायर की गई थी किन्तु तलाक़ उनकी मृत्यु के पश्चात् हुआ:

परंतु यह और कि, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी और उसके या उसकी पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, कुटुंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को, पुत्री के तलाक़ की तारीख से पूर्व कुटुंब पेंशन संदेय हो गई हो, तो ऐसी तलाक़शुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि उपरोक्त सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र न हो जाए या उसकी मृत्यु न हो जाए;

(ट) जहां कोई मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी एक से अधिक विधवाओं या एक विधवा और तलाक़शुदा पत्नी से या एक विधवा या तलाक़शुदा पत्नी और अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चों को अपने पीछे छोड़ जाता है, तो इस उप-नियम में उल्लिखित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाला बच्चा या बच्चे कुटुंब पेंशन के अंश के हकदार होंगे जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने के समय उनकी माता को मिलता यदि यथास्थिति, वह जीवित होती या उसका तलाक़ नहीं हुआ होता या विवाह अमान्य या अमान्यकरणीय नहीं होता।

(ठ) जहां विधवा या तलाक़शुदा पत्नी और अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे, एक से अधिक बच्चे हैं,

तो ऐसे बच्चों को इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट रीति से कुटुंब पेंशन का अंश देय होगा।

- (ड) जहां ऐसे बच्चे या बच्चों के लिए देय कुटुंब पेंशन के अंश या अंशों का संदाय बंद होने पर, कुटुंब पेंशन का ऐसा अंश या ऐसे सभी अंश समाप्त नहीं होंगे, किन्तु अन्य विधवा या तलाकशुदा पत्नी अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे अन्यथा पात्र, बच्चे या बच्चों को बराबर अंशों में देय होगा, अथवा यदि केवल एक ही बच्चा है, तो पूर्ण रूप से ऐसे बच्चे को देय होगा।
स्पष्टीकरण - 'पुत्र' या 'पुत्री' अभिव्यक्ति में क्रमशः मरणोत्तर पुत्र या मरणोत्तर पुत्री सम्मिलित होगा।
- (ढ) अविवाहित पुत्र अथवा अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, निःशक्त पुत्र या पुत्री को छोड़कर, अपना विवाह या पुनर्विवाह होने की तारीख से, कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा/जाएगी।
- (ण) ऐसे किसी पुत्र अथवा पुत्री को देय कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी जो अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ कर देता या देती है।
- (त) ऐसे पुत्र या पुत्री अथवा संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि,-
- (i) उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है; और
 - (ii) उसका अभी तक विवाह या पुनर्विवाह नहीं हुआ है और इसी प्रकार का प्रमाणपत्र मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त पुत्र या पुत्री द्वारा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार

प्रस्तुत किया जाएगा कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है।

(10) (क) जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर अथवा पात्र बच्चा उत्तरजीवी नहीं है या यदि विधवा या विधुर और सभी बच्चों की कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो उप-नियम(2) में विनिर्दिष्ट दर पर कुटुंब पेंशन माता-पिता को आजीवन देय होगी, यदि माता-पिता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर आश्रित थे।

(ख) जहां माता-पिता को कुटुंब पेंशन अनुज्ञात हो, यह मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की माता को देय होगी, ऐसा न होने पर, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पिता को देय होगी।

स्पष्टीकरण – माता-पिता सरकारी कर्मचारी पर आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी संयुक्त आय इस नियम के उप-नियम(1) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

(ग) माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है और माता-पिता को देय कुटुंब पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर बंद कर दी जाएगी।

(11) (क) जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की कुटुंब पेंशन के लिए पात्र विधवा या विधुर अथवा बच्चा या माता-पिता उत्तरजीवी न हो या यदि कुटुंब पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर, बालकों और माता-पिता की पात्रता समाप्त हो गई हो, तो उप-नियम(2) में विनिर्दिष्ट दर पर कुटुंब पेंशन सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी

के आश्रित मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त सहोदरों को आजीवन देय होगी यदि सहोदर सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर पूर्णतः आश्रित थे।

- (ख) ऐसा सहोदर उसी रीति से और पात्रता की उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी निःशक्तता मानक का अनुसरण करते हुए, कुटुंब पेंशन के लिए आजीवन पात्र होगा, जैसा कि, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पुत्र या पुत्री की दशा में खंड(ज) में निर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त होने, जिसके कारण पच्चीस वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात् भी वह आजीविका का उपार्जन करने के असमर्थ हो, जैसा कि, खंड(ज) और उप-नियम(9) के खंड(झ) में यथा अधिकथित है।

परंतु कुटुंब पेंशन ऐसे सहोदर को तब देय होगी जब निःशक्तता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से पूर्व मौजूद हो।

स्पष्टीकरण – मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त सहोदर सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी पर आश्रित समझा जाएगा यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय इस नियम के उप-नियम(2) के खंड(क) के उप खंड(i) के अधीन संबंधित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय, अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

- (ग) ऐसे सहोदर का यह कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में एक बार पेंशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है और ऐसे सहोदर को देय कुटुंब पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर बंद कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

- (क) मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर के अलावा कुटुंब के अन्य सदस्य द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करना समझा जाएगा यदि अन्य स्रोतों से उसकी आय, इस नियम के उप-नियम(2) के अधीन न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक है।
- (ख) किसी मानसिक और शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे या सहोदर की दशा में, ऐसे बच्चे या सहोदर का अपनी आजीविका उपार्जन नहीं करना समझा जाएगा यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी कुल आय, इस नियम के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप खंड (i) के अधीन संबंधित सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु पर देय अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।
- (12) (क) सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के लिए अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन को, अन्य सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन की पात्रता के अवधारण के प्रयोजन के लिए आय के रूप में नहीं माना जाएगा, इस शर्त के अध्याधीन कि दोनों कुटुंब पेंशनों का योग उप-नियम(13) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा।
- (ख) (i) इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर के अलावा, कुटुंब के अन्य सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए अपने दावे के साथ, आयकर विभाग के साथ उक्त कुटुंब के सदस्य द्वारा दाखिल अंतिम आयकर विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी।

- (ii) यदि उक्त कुटुंब सदस्य सूचित करता है कि उसने आयकर विभाग के साथ अंतिम आयकर विवरणी दाखिल नहीं किया है, तो उसे उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि कुटुंब सदस्य आयकर विवरणी की प्रति या उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो कार्यालय अध्यक्ष उक्त सदस्य द्वारा उसके दावे के समर्थन में आय के संबंध में प्रस्तुत किए गए किसी अन्य दस्तावेज पर विश्वास कर सकता है और तदनुसार कुटुंब पेंशन के लिए कुटुंब के उक्त सदस्य की पात्रता तय कर सकता है।
- (ग) किसी सरकारी कर्मचारी या किसी पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन का दावा करते समय, व्यक्ति प्ररूप 10 में विनिर्दिष्ट कोष्ठक में उपदर्शित करेगा कि क्या उसे अन्य सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की बाबत पहले से कुटुंब पेंशन प्राप्त हो रही है या नहीं, और यदि ऐसा है कि उसे मिलने वाली कुटुंब पेंशन रकम उपदर्शित करेगा।
- (घ) कार्यालय अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को देय कुटुंब पेंशन की रकम अवधारित करते समय, इस विषय में दावेदार द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को देय कुटुंब पेंशन की रकम उप-नियम(13) में विनिर्दिष्ट परिसीमा से अधिक न हो।
- (13) यदि, पत्नी और पति दोनों ही सरकारी कर्मचारी हों और इस नियम के उपबंधों द्वारा शासित होते हों और उनमें से एक की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाए, तो मृतक की बाबत कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय हो जाएगी तथा उस पति और पत्नी की मृत्यु की दशा में मृतक माता-पिता की बाबत उत्तरजीवी बच्चे या बच्चों

को दो कुटुंब पेंशनें, नीचे विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, मंजूर की जाएंगी, अर्थात्,-

- (i) यदि उत्तरजीवी बच्चा अथवा बच्चे उप-नियम(2) के खंड(क) के उप-खंड(ii) या उप-खंड(iii) में वर्णित दर से दो कुटुंब पेंशनें पाने का पात्र है या पाने के पात्र हैं, तो दोनों कुटुंब पेंशनों की रकम एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास तक सीमित रहेगी;
 - (ii) यदि कुटुंब पेंशनों में से एक उप-नियम(2) के खंड(क) के उप-खंड(ii) या उप-खंड(iii) में वर्णित दरों से संदेय नहीं रह जाती और उसके बदले में उप-नियम(2) के खंड(क) के उप-खंड(i) में वर्णित दर से पेंशन संदेय हो जाती है तो दोनों पेंशनों की रकम भी एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास तक सीमित रहेगी;
 - (iii) यदि दोनों ही कुटुंब पेंशनें उप-नियम(2) के खंड(क) के उप-खंड(i) में वर्णित दरों से संदेय है तो दो कुटुंब पेंशनों की रकम पचहत्तर हजार रुपए प्रतिमास तक सीमित रहेगी।
- (14) (क) किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का बच्चा, उक्त सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन का दावा करते समय प्ररूप 10 में विनिर्दिष्ट कोष्ठक में उपदर्शित करेगा कि क्या वह इस नियम के अधीन माता/पिता के लिए दूसरी कुटुंब पेंशन पाने का पात्र है या नहीं और यदि ऐसा है तो उसे उस स्रोत से कुटुंब पेंशन की अनुज्ञेय रकम उपदर्शित करेगा।
- (ख) कार्यालय अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को देय कुटुंब पेंशन की रकम अवधारित करते समय, इस विषय में दावेदार द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि उस व्यक्ति को माता-पिता दोनों की बाबत देय कुटुंब पेंशनों की रकम उप-नियम(13) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।

- (ग) यदि कोई व्यक्ति, जो सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में, इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है, सरकारी कर्मचारी की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक उसे कुटुंब पेंशन का संदाय नहीं किया जाएगा।
- (घ) खंड (क) के अधीन जिस अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को कुटुंब पेंशन का संदाय नहीं किया जाता है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, को कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाएगा:
- परंतु यदि सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को सरकारी कर्मचारी की हत्या के अपराध या ऐसे किसी अपराध को करने के दुष्प्रेरण के लिए आरोपित किया गया है और कुटुंब पेंशन के लिए पात्र कुटुंब का अन्य सदस्य मृतक सरकारी कर्मचारी का अवयस्क बच्चा है, ऐसे अवयस्क बच्चे को कुटुंब पेंशन विधिवत नियुक्त संरक्षक के माध्यम से देय होगी, और अवयस्क बच्चे के माता या पिता कुटुंब पेंशन के आहरण के प्रयोजन के लिए संरक्षक नहीं बन सकेंगे।
- (ङ) यदि खंड(ग) में निर्दिष्ट दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर संबद्ध व्यक्ति,—
- (i) सरकारी कर्मचारी की हत्या के लिए अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, ऐसा व्यक्ति कुटुंब पेंशन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जाएगा, जिसका संदाय कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को, यदि कोई हो, जारी रहेगा;

(ii) सरकारी कर्मचारी की हत्या करने के अथवा हत्या करने के दुष्प्रेरण के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषमुक्ति की तारीख से कुटुंब पेंशन देय होगी और उस तारीख से कुटुंब पेंशन के अन्य सदस्य को कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी:

परंतु यदि कुटुंब का कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं था या कुटुंब पेंशन संबंधित व्यक्ति के बरी होने की तारीख से पूर्व कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को मिलनी बंद हो गई थी, तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब पेंशन यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के पश्चात् की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख से कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन मिलनी बंद हो गई थी, संदेय होगी।

(च) खंड(ग) से खंड(ड) के उपबंध सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु होने पर देय होने वाली कुटुंब पेंशन को भी लागू होंगे।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, सरकारी कर्मचारी की हत्या करने या हत्या का दुष्प्रेरित करने के आरोप में आत्महत्या द्वारा मृत्यु के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप सम्मिलित होगा।

(15)(क) (i) जैसे ही सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में प्रविष्ट होता है, वह अपने कुटुंब के ब्यौरे प्ररूप 4 में कार्यालय अध्यक्ष को देगा, जिसमें पति/पत्नी, सभी बच्चों, माता-पिता और निःशक्त सहोदरों(कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो) से संबंधित सभी सुसंगत ब्यौरे सम्मिलित होंगे;

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है, तो जैसे ही उसका कोई कुटुंब हो जाए वैसे ही वह प्ररूप 4 में ब्यौरे देगा।

- (ख) सरकारी कर्मचारी अपने कुटुंब की सदस्य संख्या में हुए किसी भी पश्चातवर्ती परिवर्तन की, जिसके अंतर्गत उसके बच्चे का विवाह संबंधी तथ्य भी है, संसूचना कार्यालय अध्यक्ष को देगा।
- (ग) जब और जैसे ही कोई बच्चा या आश्रित सहोदर उप-नियम(9) के खंड(ज) में निर्दिष्ट निःशक्तता से ग्रस्त हो जाए, जिसके कारण वह अपनी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो जाए, तो इस तथ्य को चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा विधिवत समर्थित कार्यालय अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाएगा -
- (i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 के 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या
- (ii) एक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामनिर्देशिती और दो अन्य सदस्य शामिल हों, जिसमें से कम से कम एक व्यक्ति मानसिक मंदता सहित निःशक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा।
- (घ) (i) कार्यालय अध्यक्ष उक्त प्ररूप 4 की प्राप्ति पर, सत्यापित करेगा कि इस नियम के अनुसार यह सरकारी कर्मचारी द्वारा ठीक से भरा गया है और उक्त प्ररूप 4 की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए इसकी प्राप्ति अभिस्वीकृत करेगा और उसे संबंध सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पर चिपकाएगा और कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी से इस निमित्त प्राप्त और सभी संसूचनाओं को भी उनकी प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए अभिस्वीकृत करेगा;
- (ii) कार्यालय अध्यक्ष, कुटुंब की सदस्य संख्या में किसी परिवर्तन के बारे में सरकारी कर्मचारी से किसी संसूचना की प्राप्ति पर,

उक्त परिवर्तन को अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत प्ररूप 4 में समाविष्ट करवाएगा और कुटुंब के सदस्य की निःशक्तता या वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन से संबंधित तथ्य को प्ररूप 4 के 'टिप्पणी' स्तम्भ में उपदर्शित किया जाएगा।

- (ड) सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व, पेंशन कागजातों के साथ प्ररूप 4 में कुटुंब के अद्यतित ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
- (च) जहां कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के पश्चात् विवाह या पुनर्विवाह करता है या सरकारी कर्मचारी का कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वह ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से, यथास्थिति, विवाह प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र की एक प्रति सहित प्ररूप 5 में कार्यालय अध्यक्ष को इस आशय की संसूचना देगा।
- (छ) जहां बच्चे के जन्म या किसी बच्चे या सहोदर की निःशक्तता होने अथवा पुत्री का तलाक होने या पुत्री के पति की मृत्यु होने जैसी घटनाओं के कारण किसी सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् परिवर्तन होता है, जिससे कुटुंब का कोई सदस्य कुटुंब पेंशन का पात्र हो जाए, तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पहले हो गयी हो, तो उसका या उसकी पति/पत्नी या कुटुंब का कोई अन्य सदस्य जो कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा हो, कार्यालय अध्यक्ष को समर्थित दस्तावेजों सहित इस आशय की संसूचना देगा और कार्यालय अध्यक्ष उक्त संसूचना की प्राप्ति अभीस्वीकृत करते हुए संसूचना की एक प्रति लौटाएगा।
- (ज) कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों के ब्यौरे प्ररूप 4 में सम्मिलित किए जाएंगे:
 - (i) पत्नी या पति, जिसके अंतर्गत न्यायिकतः पृथक्कृत पत्नी या पति भी हैं;

(ii) पुत्र या पुत्री, चाहे वह प्ररूप 4 जमा करने की तारीख पर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो और सभी बच्चों(मृतक या तलाकशुदा पत्नी अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मे बच्चे सम्मिलित होंगे) के ब्यौरे सम्मिलित किए जाएंगे;

(iii) माता-पिता;

(iv) निःशक्त सहोदर।

(झ) मृतक सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य के दावे को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि कुटुंब के ऐसे सदस्य का ब्यौरा प्ररूप 4 या कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, यदि इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए कुटुंब के सदस्य की पात्रता के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष का, अन्यथा समाधान हो जाए।

(16) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जो सिविल सेवा या सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो यदि, ऐसे पुनर्नियोजन पर, वह इन नियमों के अधीन पेंशन या सेवा उपदान के लिए पात्र नहीं है।

51. लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के कुटुंब की पात्रता:- (1)(क) किसी सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पेंशन नियम 50 के उप-नियम(2) में विनिर्दिष्ट दर पर तथा सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में यथालागू रीति से एवं पात्रता शर्तों के अधीन, कुटुंब के किसी सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

(ख) खंड(क) के अधीन कुटुंब पेंशन उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक सरकारी कर्मचारी के लापता होने से पहले उसे अवकाश स्वीकृत किया गया था अथवा उस तारीख से जिस तारीख तक सरकारी कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर दिया गया था अथवा उस तारीख से

जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चात्पूर्ती हो।

(2) (क) किसी पेंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पेंशन नियम 50 के उप-नियम(2) में विनिर्दिष्ट दर पर तथा पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में यथालागू रीति से तथा पात्रता शर्तों के अधीन, कुटुंब के किसी पात्र सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

(ख) खंड(क) के अधीन कुटुंब पेंशन उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक लापता होने वाले पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान किया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चात्पूर्ती हो।

(3) (क) किसी कुटुंब पेंशनभोगी के लापता होने की दशा में, कुटुंब पेंशन नियम 50 के उप-नियम(2) में विनिर्दिष्ट दर पर तथा कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में यथालागू रीति से और पात्रता शर्तों के अधीन, कुटुंब के ऐसे सदस्य या सदस्यों को देय होगी जो कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) खंड(क) के अधीन कुटुंब पेंशन उस तारीख के अगले दिन से देय होगी जिस तारीख तक लापता होने से पहले कुटुंब पेंशनभोगी को कुटुंब पेंशन का भुगतान किया गया था अथवा उस तारीख से जिस दिन संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई हो, जो भी पश्चात्पूर्ती हो।

(4) किसी सरकारी कर्मचारी के लापता होने या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के नियम 45 के उप-नियम(1) के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति

उपदान प्राप्त किए बिना लापता होने की दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम सेवानिवृत्ति के पश्चात्, सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना ही दिवंगत होने वाले सरकारी कर्मचारी की दशा में यथालागू रीति से तथा पात्रता शर्तों के अधीन, कुटुंब के किसी सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

(5) (क) कुटुंब पेंशन के लिए कुटुंब के पात्र सदस्य या सदस्यों और नामनिर्देशितियों अथवा उपदान की रकम प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्यों द्वारा कुटुंब पेंशन और उपदान के भुगतान के लिए दावे, संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) दावों के साथ फॉर्मेट 8 में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई रिपोर्ट और पुलिस से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट कि इस विषय में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी का पता नहीं लगाया जा सका, प्रत्येक की प्रति संलग्न होगी।

(6) उप-नियम(1) के खंड(क) में निर्दिष्ट किसी सरकारी कर्मचारी की दशा में, कुटुंब पेंशन के लिए वेतन और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलब्धियां, उसके लापता होने से पहले कर्तव्य पर रहने की अंतिम तारीख अथवा, यदि वह अवकाश पर था, तो जिस तारीख को उसे संस्वीकृत छुट्टी समाप्त हो गई, पर वेतन और परिलब्धियों के आधार पर क्रमशः नियम 50 के उप-नियम (2) और नियम 45 के उप-नियम(6) के नीचे दिए स्पष्टीकरण-1 के अनुसार अवधारित की जाएंगी।

(7) उप-नियम(4) में निर्दिष्ट किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान के प्रयोजन के लिए नियम 45 के उप-नियम(6) के अनुसार परिलब्धियों की गणना की जाएगी।

(8) (क) कुटुंब पेंशन, यथास्थिति, (उप-नियम(1) या उप-नियम(2) अथवा उप-नियम(3) में, विनिर्दिष्ट तारीख से कुटुंब पेंशन का संदाय आरंभ होने की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया कुटुंब पेंशन सहित) और उपदान की रकम का भुगतान, संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह मास की अवधि बीतने से पूर्व नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि यदि उपदान के भुगतान में विलंब हो जाए और यह विलंब प्रशासनिक चूक या कारणों से हुआ हो, तो दावा प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास की अवधि से आगे, और देरी होने की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा और नियम 65 के अनुसार, उपदान के भुगतान में ऐसे विलंब के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी की दशा में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की पूर्णतः पुष्टि के पश्चात् या पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, मृत्यु उपदान देय होगा।

(ग) मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर का भुगतान, मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख से तीन मास के भीतर, इन नियमों के अनुसार मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय होगा।

(घ) यदि मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के भुगतान में विलंब हो जाए और यह विलंब प्रशासनिक चूक या कारणों से हुआ हो, तो मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास की अवधि से आगे, और देरी होने की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(9) कुटुंब पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी का कुटुंब, सरकारी कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो, को यथालागू नियमों के अनुसार वेतन और भत्तों या अवकाश वेतन के बकायों, यदि कोई हो, अवकाश वेतन के समतुल्य नकद, सरकारी कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में उपलब्ध रकम भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(10) इस नियम की कोई भी बात ऐसे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की दशा में लागू नहीं होगी जो गायब हो गया हो और जिसके विरुद्ध धोखाधड़ी या गबन या किसी अन्य अपराध के आरोप की जांच चल रही हो या जिस पर ऐसे अपराधों का आरोप लगा हो या दोषसिद्ध हो।

(11) इस नियम के अधीन भुगतान प्राप्त करने के लिए कुटुंब के पात्र सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई भी भुगतान अधिकृत नहीं किया जाएगा।

अध्याय 9

महंगाई राहत

52. पेंशन और कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत- (1) नियम 41 के अधीन अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले व्यक्तियों और कुटुंब पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि के सापेक्ष राहत, ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि केंद्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, महंगाई राहत के रूप में दी जाएगी।

(2) यदि इन नियमों के अधीन पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाला कोई पेंशनभोगी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उनके अधीन भारत या विदेश में किसी निगम या कंपनी या निकाय या बैंक के अंतर्गत पुनर्नियोजित होता है, जिसमें ऐसे निगम या कंपनी या निकाय या बैंक में स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन सम्मिलित है, तो वह ऐसे पुनर्नियोजन या स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन की अवधि के दौरान पेंशन या अनुकंपा भत्ते पर महंगाई राहत आहरित करने का पात्र नहीं होगा।

परंतु पुनर्नियोजन या स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन होने पर पेंशनभोगी को महंगाई राहत का संदाय जारी रहेगा यदि,-

- (i) स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन सहित ऐसे पुनर्नियोजन से पूर्व, उसने समूह 'क' में सम्मिलित या वर्गीकृत पद को धारण नहीं किया हो और
- (ii) सुसंगत नियमों या आदेशों के अनुसार, उसका वेतन ऐसे पुनर्नियोजित या आमेलित किए गए पद पर न्यूनतम वेतनमान पर नियत किया गया था और ऐसा न्यूनतम वेतनमान, उस वेतन की तुलना में कम था जो वह अपनी सेवानिवृत्ति या आमेलन से ठीक पूर्व आहरित कर रहा था; और

(iii) जिस पद पर ऐसा पुनर्नियोजन या आमेलन हुआ था, उस पद पर उनका वेतन नियत करते समय, केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई पेंशन की पूरी रकम को नजरंदाज किया गया था।

(3) पेंशन या अनुकंपा भत्ते पर महंगाई राहत का दावा करने के लिए, ऐसा पेंशनभोगी जो केंद्रीय या राज्य सरकार या उनके अधीन भारत या विदेश में किसी निगम या कंपनी या निकाय या बैंक के अंतर्गत, स्थायी आमेलन अथवा तत्काल आमेलन सहित पुनर्नियोजित होता है, को केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग/कार्यालय या निगम या कंपनी या निकाय अथवा बैंक से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा कि:

(i) पुनर्नियोजित पेंशनभोगी/आमेलित पेंशनभोगी, ऐसे पुनर्नियोजन से पूर्व केंद्रीय सरकार में ऐसे सिविल पद पर था, जो समूह 'क' में सम्मिलित या वर्गीकृत नहीं था; और

(ii) पुनर्नियोजित पेंशनभोगी या आमेलित पेंशनभोगी का वेतन, ऐसे पुनर्नियोजित या आमेलित किए गए पद पर न्यूनतम वेतनमान पर नियत किया गया था और ऐसा न्यूनतम वेतनमान, उस वेतन की तुलना में कम था जो पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति या आमेलन से ठीक पूर्व आहरित कर रहा था; और

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञेय पेंशन या अनुकंपा भत्ते की संपूर्ण रकम पुनर्नियोजन या आमेलन पर वेतन नियतन करने में नजरंदाज की गई थी और पेंशन या अनुकंपा भत्ते का कोई भी भाग उस पद के वेतनमान में वेतन का ऐसा निर्धारण करने में लेखे में नहीं लिया गया, जिस पद पर पेंशनभोगी पुनर्नियोजित या आमेलित है।

(4) उप-नियम(2) या उप-नियम(3) की कोई भी बात ऐसे कुटुंब पेंशनभोगी की दशा में लागू नहीं होगी जो केंद्रीय या राज्य सरकार या

उनके अधीन भारत या विदेश में किसी निगम या कंपनी या निकाय या बैंक के अंतर्गत नियोजित है और नियम 50 के अनुसार, अपने कुटुंब के किसी मृतक सदस्य की बाबत सरकार से कुटुंब पेंशन आहरित करने का पात्र हो तथा ऐसा कुटुंब पेंशनभोगी उप-नियम(1) के अनुसार ऐसे नियोजन की अवधि के दौरान कुटुंब पेंशन पर महंगाई राहत आहरित करने के लिए पात्र बना रहेगा।

अध्याय 10

पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण और प्राधिकृत किया जाना

53. ऑनलाइन पेंशन मंजूरी प्रणाली में पेंशन मामलों पर कार्रवाई- (1)

जब तक कि सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो, सरकारी कर्मचारी के पेंशन मामले पर 'भविष्य' के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

(2) (क) उप-नियम (1) के अनुसार भविष्य के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त किसी विभाग या कार्यालय या व्यक्ति की दशा में, सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति की बाबत ब्यौरे या दस्तावेज भौतिक रूप से प्रेषित किए जाएंगे और उसके पेंशन मामले पर मैनुअली कार्रवाई की जाएगी।

(ख) ऐसी दशा या दशाओं में जहां कोई विशेष कार्य या क्रियाकलाप भविष्य के अंतर्गत नहीं किया जा सकता हो, ऐसा कार्य या क्रियाकलाप मैनुअली किया जाएगा।

54. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची की तैयारी- (1)

प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रत्येक मास के 15वें दिन तक ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों की एक सूची तैयार करवाएगा जो उस तारीख से अगले पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(2) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति प्रत्येक मास के अंतिम दिन से पूर्व संबद्ध लेखा अधिकारी को दी जाएगी।

(3) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जो अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवानिवृत्त हो रहा हो, कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बारे में आदेश जारी करने की तारीख से दस दिन के भीतर सम्बद्ध लेखा अधिकारी को सूचित करेगा।

55. "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी करने के बारे में संपदा निदेशालय को प्रज्ञापना- (1)

अगले पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करने के तुरंत बाद, कार्यालयाध्यक्ष ऐसे प्रत्येक

सरकारी कर्मचारी, जिसके कब्जे में कोई सरकारी आवास है या था (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवंटिती कहा गया है) से सरकारी आवास के संबंध में संपदा निदेशालय द्वारा यथाविहित सम्पूर्ण ब्यौरा प्राप्त करेगा और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय को आवंटिती की सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के लिए, भेजेगा।

(2) किसी सरकारी कर्मचारी के अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवानिवृत्त होने के आदेशों के तुरंत बाद, कार्यालयाध्यक्ष ऐसे सरकारी कर्मचारी से भी समय-समय पर उनके द्वारा धारित सरकारी आवास, यदि कोई हो, के बारे में ब्यौरे प्राप्त करेगा।

(3) कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी से ब्यौरों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर, इन ब्यौरों को नियम 54 के उप-नियम(3) के अधीन उसके द्वारा लेखा अधिकारी को भेजी गयी सूचना की प्रति सहित संपदा निदेशालय को "बेबाकी प्रमाणपत्र" जारी किए जाने के लिए भेजेगा, यदि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास का आवंटिती है या था।

(4) उप-नियम(1) में निर्दिष्ट, सरकारी कर्मचारी, यदि उसके कब्जे में कोई आवासीय आवास नहीं है और उसे उसकी सेवा के दौरान कोई आवासीय आवास आवंटित नहीं किया गया है, अधिवर्षिता पर अपने सेवानिवृत्त होने से एक वर्ष पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।

(5) उप-नियम(2) में निर्दिष्ट, सरकारी कर्मचारी, यदि उसके कब्जे में कोई आवासीय आवास नहीं है और उसे उसकी सेवा के दौरान कोई आवासीय आवास आवंटित नहीं किया गया है, सक्षम प्राधिकारी से, यथास्थिति, ऐसी सेवानिवृत्ति के अनुमोदित किए जाने या सेवानिवृत्ति होने के ठीक पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।

(6) कार्यालयाध्यक्ष रिकॉर्डों का सत्यापन करने के पश्चात्, उप-नियम(4) और उप-नियम(5) में निर्दिष्ट सरकारी कर्मचारी की बाबत 'बेबाकी

प्रमाणपत्र' जारी करेगा। ऐसी दशा में संपदा निदेशालय से पृथक 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इन नियमों में जहां भी 'संपदा निदेशालय' पद आता है, उसके अंतर्गत किसी विभाग या कार्यालय में सरकारी कर्मचारी के लिए आवास के आवंटन और रखरखाव से संबंधित कोई अन्य कार्यालय या एजेंसी भी सम्मिलित होगी।

56. पेंशन मामलों के प्रक्रमण की तैयारी- प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष उस तारीख से, जिसको सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने वाला हो, एक वर्ष पूर्व अथवा उस तारीख को, जिसको वह सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, पेंशन पत्रों को तैयार करने का कार्य आरंभ कर देगा।

57. अधिवर्षिता पर पेंशन पत्रों की तैयारी के प्रक्रम- (1) कार्यालयाध्यक्ष नियम 56 में निर्दिष्ट तैयारी की एक वर्ष की अवधि को निम्नलिखित तीन प्रक्रमों में विभाजित करेगा, अर्थात्,—

(क) पहला प्रक्रम- सेवा का सत्यापन,—

- (i) कार्यालयाध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान कर लेगा कि नियम 30 के अधीन सत्यापित सेवा के पश्चातवर्ती सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित है या नहीं;
- (ii) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत वह यथास्थिति, सेवा के उस प्रभाग या उन प्रभागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे कि अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तथा अप्रैल मास की वेतन पर्ची(जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को दर्शाती है) के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा;
- (iii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड(i) और उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता

है कि उस अवधि में सरकारी कर्मचारी ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो कार्यालय अध्यक्ष, जिसके अधीन सरकारी कर्मचारी वर्तमान में सेवारत है, उस कार्यालय के जिसमें सरकारी कर्मचारी के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी; कार्यालय अध्यक्ष को मामला सत्यापन के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करेगा;

- (iv) उपखंड(iii) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, उस कार्यालय या विभाग का कार्यालय अध्यक्ष उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों का सत्यापन करेगा और ऐसे संदर्भ के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निर्दिष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र संप्रेषित करेगा;

परंतु यदि किसी अवधि की सेवा का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, इसे एक साथ निर्दिष्ट करने वाले कार्यालय अध्यक्ष के संज्ञान में लाना होगा;

- (v) यदि पूर्ववर्ती उपखंड में निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवधि या अवधियां पेंशन के लिए अर्हक समझी जाएंगी;
- (vi) यदि इसके पश्चात् किसी भी समय, यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष या अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों ने सेवा के किसी भी अनर्हक अवधि की संसूचना नहीं दी, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव इस प्रकार संसूचित नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदारी तय करेगा;
- (vii) उपखंड(i), (ii), (iii), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पूर्व पूरी की जाएगी;
- (viii) यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के किसी प्रभाग को उपखंड(i) या उपखंड(ii) या उपखंड(iii) या उपखंड(iv) या

उपखंड(V) में विनिर्दिष्ट रीति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है तो सरकारी कर्मचारी को एक मास के भीतर सादे कागज पर एक लिखित कथन फ़ाइल करने के लिए कहा जाएगा जिसमें वह यह बताएगा कि उसने वास्तव में उस अवधि में सेवा की थी और कथन के अंत में वह इस बात के प्रतीक स्वरूप ऐसे घोषणापत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा कि उस कथन में जो कुछ कहा गया है वह सही है;

- (ix) यदि उपखंड(viii) में निर्दिष्ट लिखित कथन में दिये गए तथ्यों पर विचार कर लेने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष का समाधान हो जाता है तो वह सेवा के उस प्रभाग के बारे में यह स्वीकार करेगा कि वह सेवा उस सरकारी कर्मचारी की पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए की गई सेवा है; तथा
- (x) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को जानबूझकर कोई गलत जानकारी देते हुए पाया जाता है, जो उसे ऐसे किसी भी लाभ का हकदार बनाता है, जिसका अन्यथा वह हकदार नहीं है, तो उसे एक गंभीर अवचार माना जाएगा।

(ख) दूसरा प्रक्रम- सेवा पुस्तिका के लोपों की पूर्ति,—

- (i) सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्रों की संवीक्षा करते समय कार्यालय अध्यक्ष उनमें ऐसे लोपों, त्रुटियों या कमियों का पता करेगा, जिनका परिलब्धियों के अवधारण और पेंशन के लिए अर्हक सेवा से सीधा संबंध है;
- (ii) खंड(क) में यथाविनिर्दिष्ट, सेवा के सत्यापन को पूरा करने के लिए और उपखंड(i) में निर्दिष्ट लोपों को पूरा करने, त्रुटियों और कमियों को दूर करने की हर चेष्टा की जाएगी;
- (iii) ऐसे लोप, त्रुटि या कमी जिसे पूरा न किया जा सके तथा सेवा की अवधि जिसके बारे में सरकारी कर्मचारी ने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया हो तथा सेवा का वह प्रभाग जो सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है और जिसे

खंड(क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, उपेक्षा की जाएगी और सेवा पुस्तिका के प्रविष्टियों के आधार पर पेंशन अर्हक सेवा का अवधारण किया जाएगा;

- (iv) परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों की गणना करने के प्रयोजन से कार्यालय अध्यक्ष सेवा के अंतिम दस मास में ली गई या ली जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता सेवा पुस्तिका से सत्यापित करेगा;
- (v) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के अंतिम दस मास में परिलब्धियां सेवा पुस्तिका में ठीक प्रकार से दर्शाई गई है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व केवल चौबीस मास की अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता का सत्यापन करेगा और उस तारीख से पूर्व की किसी अवधि के बारे में नहीं।

(ग) तीसरा प्रक्रम- जैसे ही दूसरा प्रक्रम पूरा होता है, किन्तु सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व, कार्यालय अध्यक्ष,—

- (i) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को पेंशन तथा उपदान के प्रयोजन के लिए प्रस्तावित अर्हक सेवाकाल और सेवानिवृत्ति उपदान तथा पेंशन की संगणना के लिए प्रस्तावित परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा;
- (ii) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उपदर्शित प्रमाणित सेवा और परिलब्धियां उसको स्वीकार नहीं है, तो सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को दो मास के भीतर, उसके दावे के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित अस्वीकृति के कारणों को कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करने का निदेश देगा;

- (iii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध सहित प्ररूप 4 और फॉर्मेट 9, पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के साथ संलग्न प्ररूप क में बकाया पेंशन तथा पेंशन का संराशीकृत मूल्य के लिए साधारण नामांकन प्ररूप और सरकार द्वारा प्रदत्त नियत चिकित्सा भत्ता या बाह्य-रोगी चिकित्सा प्रसुविधा का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्रस्तुत करने की सलाह देगा।
- (2) (क) सरकारी कर्मचारी कार्यालय अध्यक्ष को फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध सहित सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 4 और प्ररूप 6 पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के साथ संलग्न प्ररूप क में बकाया पेंशन तथा पेंशन का संराशीकृत मूल्य के लिए साधारण नामांकन प्ररूप और सरकार द्वारा प्रदत्त नियत चिकित्सा भत्ता या बाह्य-रोगी चिकित्सा प्रसुविधा का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्ररूप, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व प्रस्तुत करेगा।
- (ख) सरकारी कर्मचारी प्ररूप 6 में आवेदन कर सकेगा, यदि वह केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के अनुसार पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत कराने का इच्छुक हो।
- (3) (क) जहां कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण सरकारी कर्मचारी उप-नियम(2) में निर्दिष्ट प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी या पति/पत्नी की अनुपस्थिति में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्य को प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब का कोई भी सदस्य पात्र नहीं है, तो कुटुंब के उस सदस्य को, जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के भुगतान के लिए नामनिर्देशन किया गया था, प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी:

परंतु जहां उक्त प्ररूप पति/पत्नी या कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, सरकारी कर्मचारी तब तक पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण), नियमावली 1981 के अनुसार ऐसे संराशीकरण के लिए बाद में वह स्वयं आवेदन नहीं करता।

58. अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्ररूपों की प्रस्तुती- (1) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो, अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाला या सेवानिवृत्त हुआ हो, कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 6 में बैंक को वचनबंध सहित सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 4 और प्ररूप 6, पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियमावली, 1983 के साथ संलग्न प्ररूप क में बकाया पेंशन तथा पेंशन का संराशीकृत मूल्य के लिए साधारण नामांकन प्ररूप और सरकार द्वारा प्रदत्त नियत चिकित्सा भत्ता या बाह्य-रोगी चिकित्सा प्रसुविधा का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प प्ररूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति, ऐसी सेवानिवृत्ति अनुमोदित किए जाने या सेवानिवृत्ति प्रभावी होने के तत्काल बाद प्रस्तुत करेगा।

(2) (क) जहां कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण सरकारी कर्मचारी उप-नियम(1) में निर्दिष्ट प्ररूपों को प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी या पति/पत्नी की अनुपस्थिति में, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्य को प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(ख) यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब का कोई भी सदस्य पात्र नहीं है, तो कुटुंब के उस सदस्य को, जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के भुगतान के लिए नामनिर्देशन किया गया था, प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी:

परंतु जहां उक्त प्ररूप पति/पत्नी या कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, सरकारी कर्मचारी तब तक पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण), नियमावली 1981 के अनुसार ऐसे संराशीकरण के लिए बाद में वह स्वयं आवदेन नहीं करता।

59. पेंशन मामले को पूरा करना – (1) नियम 57 के अधीन किसी दशा में, कार्यालय अध्यक्ष जांच सूची तथा पेंशन गणना पत्र, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से चार मास पूर्व, सहित प्ररूप 7 का भाग-1 पूरा करेगा। नियम 58 के अधीन किसी दशा में, कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, किसी सरकारी कर्मचारी या उसके/उसकी पति/पत्नी या उसके कुटुंब के सदस्य द्वारा प्ररूप 4 और प्ररूप 6 प्रस्तुत करने के दो मास के भीतर जांच सूची तथा पेंशन गणना पत्र सहित प्ररूप 7 का भाग-1 पूरा करेगा।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात् हुई हो और जिसकी बाबत नियम 57 या नियम 58 में निर्दिष्ट प्ररूपों को प्रस्तुत नहीं किया गया हो, नियम 80 के उपनियम(5) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

60. पेंशन मामले का लेखा अधिकारी को अग्रेषण- (1) नियम 57, 58 और 59 की अपेक्षाओं का अनुपालन कर चुकने के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष पेंशन मामले को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा और लेखा अधिकारी को यह भी भेजेगा,-

- (i) सरकारी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत किए गए प्ररूप 4, प्ररूप 6 और फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध की प्रतियां;
- (ii) प्ररूप 7(जांच सूची तथा पेंशन गणना पत्र सहित) एवं फॉर्मेट 10 में सहपत्र की प्रतियां, और
- (iii) ऐसे अन्य दस्तावेज जिन पर सेवा के सत्यापन के लिए भरोसा किया गया हो सहित सरकारी कर्मचारी की सम्यक रूप से भरी हुई एवं अद्यतन सेवा पुस्तिका।

(2) नियम 67 में निर्दिष्ट सरकारी शोध्यों को परिनिश्चित और अवधारित करने के पश्चात् कार्यालय अध्यक्ष उसके ब्यौरे और नियम 68 के उप-नियम (5) के अधीन संपदा निदेशालय की सूचना के अनुसार विधारित की गयी राशि, यदि कोई हो, के ब्यौरे लेखा अधिकारी को भी फॉर्मेट 10 में प्रस्तुत करेगा ताकि उपदान का भुगतान प्राधिकृत करने से पूर्व उसमें से शोध्य वसूल किए जा सके।

(3) कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(1) और उप-नियम(2) में निर्दिष्ट प्ररूपों में से प्रत्येक की एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के लिए रख लेगा।

(4) पेंशन मामला और उप-नियम(1) और उप-नियम(2) में निर्दिष्ट दस्तावेज किसी सरकारी कर्मचारी की अधिवर्षिता की तारीख से कम से कम चार मास पूर्व और अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्ति होने की दशा में प्ररूप 4 और प्ररूप 6 जमा करने की तारीख से दो मास के भीतर लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे।

61. किसी ऐसी घटना के बारे में, जिसका पेंशन या किसी सरकारी शोध्यों से संबंध है लेखा अधिकारी को प्रज्ञापना- (1) यदि, नियम 60 के अधीन पेंशन मामले और पेंशन पत्रों को लेखा अधिकारी को भेज देने के पश्चात् कोई ऐसी घटना घटती है जिसका संबंध अनुज्ञेय पेंशन की रकम से है तो इस तथ्य की रिपोर्ट कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी को तुरंत की जाएगी।

(2) यदि, नियम 60 के उप-नियम(2) के अधीन लेखा अधिकारी को सरकारी शोध्यों की विशिष्टियों की प्रज्ञापना देने के पश्चात् कोई अतिरिक्त

सरकारी शोध्द कार्यालय अध्दक्ष की जानकारी में आते हैं तो ऐसे शोध्दों की लेखा अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट की जाएगी।

62. विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के अलावा अन्य कारणों से अनंतिम पेंशन —(1) जहां, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में, यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी या उसका/उसकी पति/पत्नी अथवा उसके कुटुंब का कोई सदस्य नियम 57 के उप-नियम(2) या उप-नियम(3) के अनुसार प्ररूप प्रस्तुत करता है किन्तु,-

(i) नियम 57 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर भी, कार्यालय अध्दक्ष के लिए यह संभव न हो कि वह उस नियम के उप-नियम(4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियम 60 में निर्दिष्ट पेंशन मामला और पेंशन पत्र लेखा अधिकारी को भेज सके; अथवा

(ii) लेखा अधिकारी को भेजा गया पेंशन मामला और पेंशन पत्र लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन संदाय आदेश और उपदान संदाय आदेश जारी करने से पूर्व और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय अध्दक्ष को लौटा दिए गए हों,

और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सरकारी कर्मचारी की पेंशन और उपदान या दोनों अंतिम रूप से अवधारित और तय किए जाने के पूर्व उसके सेवानिवृत्त होने की संभावना हो, कार्यालय अध्दक्ष ऐसी जानकारी पर भरोसा करेगा जो शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध हो और अनंतिम पेंशन की रकम और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की रकम अवधारित करेगा।

(2) अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्त होने की दशा में, नियम 58 के उप-नियम(1) या उप-नियम(2) के अनुसार सरकारी कर्मचारी या उसका/उसकी पति/पत्नी अथवा उसके कुटुंब के किसी सदस्य से प्ररूप प्राप्त होने पर, कार्यालय अध्दक्ष ऐसी जानकारी पर भरोसा करेगा जो शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध हो और अनंतिम पेंशन की रकम और अनंतिम सेवानिवृत्ति उपदान की रकम अवधारित करेगा।

(3) जहां पेंशन और उपदान की रकम विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के अतिरिक्त अन्य कारणों से अवधारित नहीं की जा सकती हो और उप-नियम(1) या उप-नियम(2) के अनुसार अनंतिम पेंशन तथा अनंतिम उपदान मंजूर की जानी अपेक्षित हो, कार्यालय अध्यक्ष निम्नानुसार करेगा, अर्थात्:-

(क) सरकारी कर्मचारी को संबोधित एक मंजूरी पत्र जारी करेगा और उसकी प्रति लेखा अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करते हुए पृष्ठांकित करेगा,-

- (i) सेवानिवृत्ति की तारीख से अगले दिन से अनंतिम पेंशन के रूप में सौ प्रतिशत पेंशन; और
- (ii) अनंतिम उपदान के रूप में सौ प्रतिशत उपदान जिसमें से उपदान का दस प्रतिशत विधारित किया जाए।

(ख) नियम 67 के अधीन किए गए निर्धारण के अनुसार उपदान में से वसूल की जाने वाली रकम मंजूरी पत्र में विनिर्दिष्ट करें और खंड(क) में निर्दिष्ट मंजूरी पत्र जारी करने के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष,-

- (i) अनंतिम पेंशन की रकम; और
- (ii) खंड(क) के उपखंड(ii) में विनिर्दिष्ट रकम और ऐसे शोध्यों की कटौती करके, यदि कोई हो, जो नियम 68 में विनिर्दिष्ट है, अनंतिम पेंशन की रकम उस रीति से निकालेगा जिस प्रकार स्थापना के वेतन और भत्ते निकाले जाते हैं।

(4) उप-नियम(3) के अधीन अनंतिम पेंशन के लिए मंजूरी उप-नियम(1) के अधीन आने वाले मामलों में सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की तारीख के 10 दिन के बाद जारी नहीं की जा सकेगी और उप-नियम (2) के अधीन आने वाले मामलों में प्ररूपों को जमा करने की तारीख से एक मास के भीतर जारी की जा सकेगी।

(5) उप-नियम(2) या उप-नियम(3) के अधीन संदेय अनंतिम पेंशन और उपदान की रकम का, यदि आवश्यक हो, अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा पूरी करने पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

(6) (क) अनंतिम पेंशन का संदाय सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास की अवधि के बाद या सरकारी कर्मचारी द्वारा प्ररूप 4 और प्ररूप 6 जमा करने की तारीख के बाद, जो भी पश्चात्तवर्ती हो, जारी नहीं रहेगा और यदि छह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अंतिम पेंशन की रकम और अंतिम उपदान की रकम का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा, लेखा अधिकारी के परामर्श से कर दिया गया है, तो लेखा अधिकारी,-

(i) पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा; और

(ii) कार्यालय अध्यक्ष को, सरकारी शोध्यों का, यदि कोई हो, जो अनंतिम उपदान का संदाय किए जाने के पश्चात् जानकारी में आए हों, समायोजन करने के पश्चात्, उप-नियम(3) के खंड(ख) के उपखंड(ii) के अधीन संदत्त अनंतिम उपदान की रकम और अंतिम उपदान के अंतर का आहरण और संवितरण करने का निदेश देगा।

(ख) यदि यह पाया जाए कि उपनियम(3) के अधीन सरकारी कर्मचारी को संवितरित अनंतिम पेंशन की रकम उसके अंतिम निर्धारण पर लेखा अधिकारी द्वारा अवधारित अंतिम पेंशन से अधिक है तो लेखा अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह पेंशन की अधिक रकम को उपनियम(3) के खंड(क) के उप खंड (ii) के अधीन विधारित उपदान में से समायोजित करे या पेंशन की अधिक रकम किस्तों में भविष्य में अनुज्ञेय पेंशन का कम संदाय करके वसूल करें।

(ग) (i) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उप-नियम(3) के अधीन संवितरित की गई अनंतिम उपदान की रकम अंतिम रूप से अवधारित रकम से अधिक है तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी की वह वास्तव में उसको संवितरित अधिक रकम का प्रतिदाय करे।

(ii) कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रूप से अवधारित उपदान की रकम से अधिक रकम के संवितरण के अवसर कम से कम हों और अधिक संदाय के लिए जिम्मेदार पदधारी अतिसंदाय के देनदार होंगे।

(7) यदि उप-नियम(6) के खंड(क) में निर्दिष्ट छह मास की अवधि के भीतर पेंशन और उपदान की अंतिम रकम का अवधारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से नहीं किया गया है तो लेखा अधिकारी अनंतिम पेंशन और उपदान को अंतिम मानेगा और वह छह मास की अवधि की समाप्ति पर पेंशन संदाय आदेश तुरंत जारी करेगा।

(8) जैसे ही उप-नियम(6) के खंड(क) या उप-नियम(7) के अधीन पेंशन संदाय आदेश लेखा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(3) के खंड(क) के उपखंड(ii) के अधीन विधारित उपदान की रकम का, उन सरकारी शोध्यों का समायोजन करने के पश्चात्, जो उप-नियम(3) के खंड(ख) के उपखंड(ii) के अधीन अनंतिम उपदान के संदाय के पश्चात् जानकारी में आते हैं, प्रतिदाय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को करेगा।

(9) यदि सरकारी कर्मचारी सरकारी वास-सुविधा का आवंटिती है या था तो विधारित राशि का प्रतिदाय संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त होने पर किया जाएगा।

(10) यह सुनिश्चित करना कार्यालय अध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि जहां पेंशन संदाय आदेश जारी करने में विलंब हो रहा हो, इस नियम के अनुसार अनंतिम पेंशन और अनंतिम उपदान मंजूर की जाए।

63. पेंशन और उपदान का लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना-

(1)(क) नियम 60 में निर्दिष्ट पेंशन मामला और पेंशन पत्रों की प्राप्ति पर लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग II में लेखा मुखांकन अभिलिखित करेगा और पेंशन, कुटुंब पेंशन और उपदान की रकम अवधारित करेगा तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम दो मास पूर्व पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ख) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से अन्यथा सेवानिवृत्त होने की दशा में, लेखा अधिकारी अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा, प्ररूप 7 के भाग II को पूरा करेगा, पेंशन, कुटुंब पेंशन और उपदान की रकम अवधारित करेगा और शोध्यों को अवधारित करेगा तथा कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्रों के प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ग) अपेक्षित जांच पड़ताल करते समय, लेखा अधिकारी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की तारीख से केवल चौबीस मास पूर्व की अवधि की, उस तारीख से पूर्व की किसी अन्य अवधियों की नहीं, परिलब्धियों की शुद्धता की जांच करेगा।

(घ) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति का नाम, यदि जीवित हो, तो उपदर्शित करेगा:

परंतु ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसके कुटुंब में एक से अधिक पत्नियां हैं जो जीवित हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में सभी पत्नियों के नाम के साथ कुटुंब पेंशन में उनके क्रमशः अंश को उपदर्शित करेगा;

परंतु यह और कि ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसके कुटुंब में एक पत्नी है जो जीवित है, और मृतक पत्नी से या तलाक़शुदा पत्नी से अथवा अमान्य या अमान्यकरणीय विवाह से जन्मा बच्चा या बच्चे हैं, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में, कुटुंब पेंशन में उसके अंश

के साथ केवल उस पत्नी का नाम उपदर्शित करेगा जो जीवित है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित कुटुंब पेंशन का अंश प्रारंभ में उत्तरजीवी विधवा को संदेय होगा और कार्यालय अध्यक्ष से संसूचना प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी नियम 50 के अनुसार कुटुंब के सभी सदस्य जो पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से कुटुंब पेंशन के पात्र हैं, के नाम और कुटुंब पेंशन में उनके अंश को उपदर्शित करते हुए एक संशोधित पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा।

(ड) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों के नाम भी उपदर्शित करेगा यदि कुटुंब में ऐसे निःशक्त बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों से पूर्व कुटुंब पेंशन देने के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं है।

(च) जीवित पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी से प्ररूप 8 में आवेदन पर कार्यालय अध्यक्ष से एक लिखित सूचना प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों के नाम भी उपदर्शित करेगा यदि कुटुंब में ऐसे निःशक्त बच्चे या बच्चों तथा आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों से पूर्व कुटुंब पेंशन देने के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं है।

(छ) जहां किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से नियम 50 के उप-नियम(15) के खंड(च) के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात् विवाह या पुनर्विवाह करने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, तो कार्यालय अध्यक्ष समुचित सत्यापन करने के पश्चात् लेखा अधिकारी को पत्रों को अग्रेषित करेगा। लेखा अधिकारी, उक्त सूचना को अभिलिखित करेगा और, यदि पूर्व विवाह से जन्मा बच्चा या बच्चे नहीं हैं या यदि पूर्व विवाह से जन्मा बच्चा या बच्चे कुटुंब पेंशन के पात्र नहीं हैं, तो कुटुंब पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में ऐसे पति/पत्नी के नाम सहित संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी करेगा।

(ज) पेंशन संवितरण प्राधिकारी नियम 79 के उपबंधों के अनुसार और नियम 50 में उपदर्शित क्रम में खंड(ग), (घ), (ङ) या (च) में निर्दिष्ट कुटुंब के सदस्यों को कुटुंब पेंशन का संवितरण आरंभ करेगा, जैसा कि पेंशन संदाय आदेश में प्राधिकृत हो।

(2) लेखा अधिकारी द्वारा उप-नियम(1) के खंड(क) के अधीन अवधारित उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष को इस टिप्पणी के साथ प्रज्ञापित की जाएगी कि उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निकाली जा सकती है तथा उसमें से नियम 67 में निर्दिष्ट सरकारी शोध, यदि कोई हो, और नियम 68 के उप-नियम(5) के अधीन संपदा निदेशालय की सूचना के अनुसार विधारित रकम, यदि कोई हो, का समायोजन करने के पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को संवितरित की जा सकती है।

(3) नियम 68 के उप-नियम(5) के अधीन विधारित उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संपदा निदेशालय द्वारा सूचित बकाया अनुज्ञप्ति फीस से समायोजित की जाएगी और अतिशेष का, यदि कोई हो, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को प्रतिदाय किया जाएगा।

(4) (क) लेखा अधिकारी फॉर्मेट 9 में वचनबंध सहित इस नियम के अधीन जारी पेंशन संदाय आदेश या संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार की प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को एक विशेष प्राधिकार मोहर जारी करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष से पेंशन पत्रों के प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर अग्रेषित करेगा।

(ख) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय एक विशेष प्राधिकार मोहर जारी करेगा और इसे पेंशन संवितरण प्राधिकारी को, महालेखाकार नियंत्रक द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लेखा अधिकारी से पेंशन संदाय आदेश या संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार प्राप्त होने की तारीख से 21 दिन के भीतर, लेखा अधिकारी द्वारा जारी पेंशन संदाय आदेश या संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार की प्रति और फॉर्मेट 9 में वचनबंध सहित अग्रेषित करेगा।

(ग) पेंशन संवितरण प्राधिकारी, महालेखाकार नियंत्रक और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिस तारीख से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन देय हो, उस तारीख से उसे संवितरित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

(5) (क) यदि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हैं तो नियम 8 के उप-नियम(5) के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा अनंतिम पेंशन प्राधिकृत की जाएगी और विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के समाप्त होने तक और उन पर अंतिम आदेशों के जारी होने तक सरकारी कर्मचारी को कोई उपदान संदेय नहीं होगा और विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के समाप्त होने पर और उन पर अंतिम आदेशों के जारी होने के पश्चात् विभागाध्यक्ष उक्त आदेशों के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, प्ररूप 7-क में ब्यौरों सहित, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेशों की प्रति अग्रेषित करेगा।

(ख) विभागाध्यक्ष से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेशों की प्रति और प्ररूप 7-क में ब्यौरों की अभिप्राप्ति होने पर, लेखा अधिकारी उक्त प्ररूप 7-क की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के विषय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को अंतिम पेंशन प्राधिकृत करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

64. प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी- (1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जो उस समय सेवानिवृत्त होता है जब वह केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त है, पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की कार्यवाही सेवाएं उधार लेने वाले विभाग के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) यदि ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो उस समय सेवानिवृत्त होता है जब वह किसी राज्य सरकार में या भारत से बाहर की किसी सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्त है, पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने की कार्यवाही उस कार्यालय अध्यक्ष या कांडर प्राधिकारी द्वारा, जिसने राज्य सरकार या भारत से बाहर की किसी सरकार की सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति की मंजूरी दी है, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

65. उपदान, पेंशन और कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज- (1) ऐसे सभी मामलों में जहां इन नियमों के अनुसार अनंतिम पेंशन या अनंतिम कुटुंब पेंशन या अनंतिम उपदान मंजूर नहीं किया गया है अथवा जहां पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान का संदाय उस तारीख के पश्चात् प्राधिकृत किया गया हो, जब संदाय शोध्य हुआ, जिसमें अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्ति के मामले भी सम्मिलित हैं, और यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण माना जा सकता है तो पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान के बकायों पर ब्याज, समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि रकम पर यथालागू दर पर और ऐसी रीति में संदत्त किया जाएगा:

परंतु इस उप-नियम के अधीन कोई ब्याज संदेय नहीं होगा यदि संदाय में विलंब, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य द्वारा पेंशन या कुटुंब पेंशन मामलों पर कार्यवाई करने के लिए सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुपालन में असफलता के कारण हुआ है।

(2) पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान(अनंतिम पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान सहित) के विलंबित संदाय के प्रत्येक मामले पर, मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा विचार किया जाएगा और यदि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि पेंशन या कुटुंब पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक

कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो उक्त सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ब्याज के संदाय की मंजूरी देगा।

(3) (क) उप-नियम(2) के अधीन सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ब्याज का संदाय मंजूर कर दिए जाने के पश्चात् प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय, ब्याज के संदाय के लिए मंजूरी पत्र जारी करेगा।

(ख) उपदान या पेंशन या कुटुंब पेंशन के विलंबित संदाय पर ब्याज का संदाय, सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के ब्याज के संदाय की मंजूरी देने की तारीख से दो मास के भीतर देय होगा।

(4) ऐसे सभी मामले जिनमें प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ब्याज के संदाय की मंजूरी दी गई है, ऐसा मंत्रालय या विभाग या कार्यालय उस सरकारी कर्मचारी या उन कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत करेगा जो प्रशासनिक चूक के कारण उपदान या पेंशन या कुटुंब पेंशन के संदाय में विलंब के लिए दायी पाये जाते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करेगा:

परंतु उप-नियम(3) के अधीन ब्याज का संदाय, अनुशासनिक कार्यवाहियों, यदि कोई हो, के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना किया जाएगा।

(5) उप-नियम(1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब होने पर जिस अवधि के लिए ब्याज देय होगा, वह निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात्:

-

(क) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारी की दशा में, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से, पेंशन या उपदान या दोनों के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

- (ख) अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त हुए या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में आमेलित अथवा सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिवंगत हुए सरकारी कर्मचारी की दशा में, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या आमेलन या मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से, पेंशन या उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;
- (ग) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे नियम 8 के उप-नियम(4) के खंड(ग) के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और जो ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से दोषमुक्त हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा;
- (घ) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे नियम 8 के उप-नियम(5) के खंड(ग) के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त न होने के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के पूर्णतः या भागतः संदाय की अनुज्ञा देने का निर्णय करता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन और उपदान के संदाय का आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति

के बाद की तारीख से पेंशन और उपदान के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

(ड) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसे नियम 8 के उप-नियम(5) के खंड(ग) के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर अनंतिम पेंशन संदाय किया गया था और उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी मृत्यु होने के परिणामस्वरूप बंद कर दी जाती हैं, मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से पेंशन, कुटुंब पेंशन और उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा।

(च) जहां प्राधिकृत पेंशन की रकम में वृद्धि होने के कारण सरकारी कर्मचारी को पेंशन या उपदान की बकाया रकम अथवा परिलब्धियों के पूर्वव्यापी संशोधन अथवा पेंशन या उपदान अनुज्ञा देने से संबंधित उपबंधों में उदारीकरण के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति पर संदत्त की गई उपदान की बकाया रकम देय हो जाती है, यथास्थिति, परिलब्धियों को संशोधित करने या पेंशन या उपदान की अनुज्ञा से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने के आदेश के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख से सरकारी कर्मचारी को पेंशन या उपदान की बकाया रकम, पेंशन या उपदान के बकायों के भुगतान की तारीख तक ब्याज देय होगा।

66. प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् पेंशन का पुनरीक्षण- (1) नियम 44 के अधीन प्राधिकृत पेंशन और नियम 50 के अधीन प्राधिकृत कुटुंब पेंशन का, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में जारी किसी साधारण आदेशों के अनुसार या अन्यथा, सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जा सकेगा, और ऐसी पुनरीक्षित पेंशन या

कुटुंब पेंशन, तत्पश्चात्, नियम 44 के उप-नियम(5) के अधीन अतिरिक्त पेंशन अथवा नियम 50 के उप-नियम(3) के अधीन अतिरिक्त कुटुंब पेंशन या नियम 52 के अधीन महंगाई राहत की मंजूरी के लिए मूल पेंशन या मूल कुटुंब पेंशन होगी।

(2) नियम 7 और नियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप-नियम(1) के अधीन अंतिम निर्धारण या पुनरीक्षण के पश्चात् प्राधिकृत की गई पेंशन या कुटुंब पेंशन सरकारी कर्मचारी के अहितकर रूप में पुनरीक्षित नहीं की जाएगी किन्तु ऐसा पुनरीक्षण बाद में पता चलने वाली किसी लिपिकीय भूल के कारण आवश्यक होने पर किया जा सकता है:

परंतु पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के अहितकर रूप में, पेंशन या कुटुंब पेंशन का कोई भी पुनरीक्षण किए जाने का आदेश पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा यदि लिपिकीय भूल का पता पेंशन या कुटुंब पेंशन प्राधिकृत किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के बाद चलता है।

(3) यह प्रश्न कि क्या लिपिकीय भूल के कारण पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया है या नहीं, इसका निर्णय प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाएगा।

(4) उपनियम(2) के अधीन पेंशन या कुटुंब पेंशन के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, यदि यह पाया जाता है कि पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी को पेंशन या कुटुंब पेंशन का अधिक संदाय किया गया है और यदि ऐसा अधिक संदाय पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा तथ्यों की किसी भी गलत बयानी के कारण नहीं हुआ है, तो प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच करेगा कि इस तरह के अतिरिक्त संदाय की वसूली को अधित्याग किया जा सकता है या नहीं और इस विषय में सुसंगत नियमों और अनुदेशों के अनुसार समुचित आदेश जारी करेगा ।

(5) जहां प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग पेंशन या कुटुंब पेंशन के अधिक संदाय को अधित्याग नहीं करने का निर्णय लेता है, तो कार्यालयाध्यक्ष

द्वारा संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या कुटुंब पेंशनभोगी को उसके द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उसे पेंशन के अधिक संदाय का प्रतिदाय करने की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया जाएगा।

(6) यदि सरकारी कर्मचारी नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो कार्यालयाध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे अधिक संदाय का भविष्य में पेंशन का कम संदाय करके एक या अधिक किश्तों में जो कार्यालयाध्यक्ष निर्दिष्ट करें, समायोजन किया जाए।

67. सरकारी शोध्यों की वसूली और समायोजन- (1) कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने से भिन्न कारणों पर सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी, द्वारा देय सरकारी शोध्य अभिनिश्चित और अवधारित करे।

(2) सरकारी शोध्य, जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अभिनिश्चित और अवधारित किए जाते हैं और जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया है, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से, जब वह संदेय हो जाए, समायोजित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण- “सरकारी शोध्य” पद के अंतर्गत निम्नलिखित हैं :-

- (क) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति फीस के बकायों के साथ-साथ नुकसान(आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय अवधि के बाद सरकारी आवास के अधिभोग के लिए, उप किराएदारी, अप्राधिकृत अधिभोग, अपात्र कार्यालय में स्थानांतरण आदि) और बिजली, पानी, पीएनजी प्रभार, यदि कोई हो, भी है,
- (ख) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य से भिन्न शोध्य, अर्थात् गृह निर्माण अथवा सवारी अग्रिम या किसी अन्य अग्रिम का अतिशेष, वेतन और भत्तों का या छुट्टी वेतन

का अतिसंदाय और आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) के अधीन स्रोत पर काटे जाने वाली आय-कर का बकाया।

(3) केवल उपनियम(2) में निर्दिष्ट सरकारी शोध्य ही सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को संदेय सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के सापेक्ष समायोजित किए जाएंगे और अन्य शोध्य जो उपनियम(2) के संदर्भ में सरकारी शोध्य नहीं हैं, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम से वसूल नहीं किए जाएंगे।

68.सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों का समायोजन और वसूली- (1)

(क) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की दशा में, नियम 55 के उप-नियम(1) के अधीन बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने की बाबत कार्यालयाध्यक्ष से प्रज्ञापना और ब्यौरों की प्राप्ति होने पर, संपदा निदेशालय अपने अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और दो मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को यह सूचना देगा कि सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य है या नहीं।

(ख) सेवानिवृत्त हुए अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की दशा में, यदि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य थी तो संपदा निदेशालय नियम 55 के उपनियम (2) के अधीन कार्यालयाध्यक्ष से सूचना और ब्यौरा प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा।

(ग) यदि कार्यालयाध्यक्ष को नियत तारीख तक बकाया अनुज्ञप्ति फीस की वसूली की बाबत कोई प्रज्ञापना प्राप्त नहीं होती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि आवंटिती से उसकी अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत या अन्य मामलों में सेवानिवृत्ति की तारीख तक कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य नहीं है।

(2) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में, कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अगले आठ मास के लिए अनुज्ञप्ति फीस, अर्थात्, आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती के वेतन और भत्तों में से प्रतिमास वसूल की जाती है।

(3) जहां उप-नियम(1) में वर्णित अवधि की बाबत वसूलीयोग्य अनुज्ञप्ति फीस की रकम संपदा निदेशालय द्वारा प्रज्ञापित की जाती है वहां कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती के चालू वेतन और भत्तों में से किशतों में वसूल की जाती है और जहां वेतन और भत्तों से पूरी रकम वसूल नहीं की जाती है वहां अतिशेष को उपदान में से उसका संदाय प्राधिकृत करने के पूर्व वसूल किया जाएगा।

(4) संपदा निदेशालय आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा और कार्यालयाध्यक्ष उस अनुज्ञप्ति फीस के साथ वसूल न की गयी ऐसी अनुज्ञप्ति फीस का, यदि कोई हो, जो उप-नियम(3) में वर्णित है, समायोजन उपदान की रकम में से करेगा।

(5) यदि किसी विशेष मामले में संपदा निदेशालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है, तो वह निदेशालय कार्यालयाध्यक्ष को सूचना देगा कि उपदान का दस प्रतिशत सूचना दिये जाने तक विधारित रखा जाएगा।

(6) अनुज्ञप्ति फीस(जहां संपदा निदेशालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है) के साथ-साथ नुकसान (आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद अनुज्ञेय अवधि से अधिक सरकारी आवास के कब्जे के लिए) की वसूली संपदा निदेशालय की जिम्मेदारी होगी और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी, जिसके कब्जे में सरकारी आवास है, को उप-नियम (5) के अधीन विधारित उपदान की रकम का संदाय सरकारी आवास को वास्तव में खाली करने के पश्चात् संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर तुरंत किया जाएगा।

(7) (क) संपदा निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी आवास को वास्तव में खाली करने की बाद 'बेबाकी प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन देने की तारीख के चौदह दिनों की अवधि के भीतर सरकारी कर्मचारी को 'बेबाकी प्रमाणपत्र' दिया जाएगा।

(ख) यदि संपदा निदेशालय आवेदन देने की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी नहीं करता है, आवंटिती 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी किए जाने की तारीख तक अथवा 'बेबाकी प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन देने की तारीख के चौदह दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, उपदान की अधिक विधारित रकम जो आवंटिती द्वारा देय बकाया अनुज्ञप्ति फीस तथा नुकसान, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, पर ब्याज (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित सामान्य भविष्य निधि निक्षेप के लिए लागू दर और रीति के अनुसार) के भुगतान का हकदार होगा।

(ग) सरकारी आवास खाली करने की वास्तविक तारीख से उपदान की अधिक विधारित रकम के प्रतिदाय की तारीख तक, संपदा निदेशालय द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से ब्याज संदेय होगा।

(8) उप-नियम(5) के अधीन वर्णित उपदान की विधारित रकम, यदि कोई हो, से समायोजन करने के पश्चात् अथवा उप-नियम(5) के अधीन उपदान की कोई रकम विधारित नहीं की गई थी, ऐसी दशा में अनुज्ञप्ति फीस या नुकसान (अधिभोग/अप्राधिकृत कब्जा/उप-किराएदारी/अपात्र कार्यालय को अंतरण आदि के लिए) के आधार पर देय रकम अथवा बिजली, पानी या पीएनजी प्रभार, शेष अदत्त रकम के आधार पर देय रकम की बाबत संपदा निदेशालय द्वारा संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से पेंशनभोगी की सहमति के बिना महंगाई राहत से वसूल करने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसे मामले में कोई भी महंगाई राहत तब तक संवितरित नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे शोध्यों की पूरी वसूली नहीं हो जाती।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञप्ति फीस के अंतर्गत आवास या उसकी फीटिंग को हुए नुकसान या हानि के लिए आवंटिती द्वारा संदेय अन्य प्रभार भी हैं।

69. सरकारी आवास से संबंधित शोध्यों से भिन्न शोध्यों का समायोजन और वसूली

(1) नियम 67 के उप-नियम(2) के खंड(ख) में निर्दिष्ट सरकारी आवास के अधिभोग से संबंधित शोध्यों से भिन्न शोध्यों के लिए, कार्यालयाध्यक्ष अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूर्व अथवा सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर चले जाने की तारीख से, इन दोनों में से जो भी पहले हो, और अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्ति होने की दशा में, सेवानिवृत्ति पर तत्काल या जैसे ही सेवानिवृत्ति का तथ्य कार्यालयाध्यक्ष को ज्ञात हो, जो भी पहले हो, शोध्य अवधारित करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(2) उप-नियम(1) में निर्दिष्ट सरकारी शोध्यों का निर्धारण, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की दशा में, सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ मास पूर्व, तथा अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्ति होने की दशा में, सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् तीस दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) उप-नियम(2) के अधीन यथानिर्धारित शोध्यों का, जिसके अंतर्गत वे शोध्य भी हैं जो तदन्तर जानकारी में आते हैं और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया रहते हैं, समायोजन सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर संदेय सेवानिवृत्ति उपदान में से किया जाएगा।

70. सेवानिवृत्ति की तारीख का अधिसूचित किया जाना- (1) जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवा से निवृत्त हो तब,-

(क) राजपत्रित सरकारी सेवक की दशा में, राजपत्र में अधिसूचना;
या

(ख) अराजपत्रित सरकारी सेवक की दशा में, एक कार्यालय आदेश,-

सेवानिवृत्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए जारी किया जाएगा और ऐसी प्रत्येक यथास्थिति, अधिसूचना या कार्यालय आदेश की एक प्रति लेखा अधिकारी को तुरंत भेज दी जाएगी:

परंतु जहां सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व छुट्टी की मंजूरी के लिए यथास्थिति, राजपत्र में अधिसूचना या कार्यालय आदेश जारी किया जाता है वहां इस आशय की अतिरिक्त अधिसूचना या कार्यालय आदेश कि सरकारी कर्मचारी ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर वास्तव में सेवानिवृत्त हो गया है तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि छुट्टी कम न कर दी जाए और सेवानिवृत्ति किसी कारण से पूर्व-दिनांकित या मुलतवी नहीं कर दी जाए।

(2) जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा विस्तार के लिए विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, सरकारी कर्मचारी को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख पर सेवा से निवृत्त समझा जाएगा और कार्यालय की ओर से उपनियम(1) के अधीन अधिसूचना या कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाने पर, सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता के बाद की तारीख से सेवा में बने रहने का हकदार नहीं होगा।

अध्याय 11

सरकारी सेवा में रहते हुए मरने वाले या लापता होने वाले सरकारी कर्मचारी की बाबत कुटुंब पेंशन और उपदान की रकम का अवधारण और प्राधिकृत किया जाना

71. कुटुंब पेंशन और उपदान के दावे अभिप्रास करना- (1) जहां कार्यालय अध्यक्ष को कोई प्रज्ञापना या सूचना मिलती है कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई है वहां वह यह अभिनिश्चित करेगा कि मृत सरकारी कर्मचारी की बाबत कोई मृत्यु उपदान या कुटुंब पेंशन, या दोनों देय हैं या नहीं।

(2) (क) जहां किसी मृत सरकारी कर्मचारी का कुटुंब नियम 45 के अधीन मृत्यु उपदान का पात्र है वहां कार्यालय अध्यक्ष यह अभिनिश्चित करेगा कि,—

(i) मृत सरकारी कर्मचारी ने किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को उपदान प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किया था या नहीं; और

(ii) यदि मृत सरकारी कर्मचारी ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया था या जो नामनिर्देशन किया था वह अस्तित्व में नहीं है तो उपदान किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को संदेय हो सकता है।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 9 में उपदान के लिए दावा करने के लिए सम्बद्ध व्यक्तियों को, फॉर्मेट 11 में पत्र भेजेगा।

(3) जहां मृत सरकारी कर्मचारी का कुटुंब नियम 50 के अधीन कुटुंब पेंशन का पात्र है, वहां कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 10 में कुटुंब पेंशन के लिए दावा करने के लिए तथा फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध प्रस्तुत करने के लिए, यथास्थिति, कुटुंब के पात्र सदस्य या संरक्षक को फॉर्मेट 12 में लिखेगा।

- (4) (क) यदि मृत्यु की तारीख को, सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास का आवंटिती था, तो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के पूर्व की अवधि की बाबत देय शेष अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित शोध्यों को माफ किया जाएगा।
- (ख) तथापि, सरकारी आवास की बाबत नुकसान से संबंधित कोई अन्य शोध्य कुटुंब को देय मृत्यु उपदान से वसूल किए जाएंगे और यदि मृत सरकारी कर्मचारी के कुटुंब द्वारा सरकारी आवास रख लिया जाता है, तो उस मास, जिसमें सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई हो और उसके बाद के तीन मासों की अनुज्ञप्ति फीस कुटुंब से वसूली नहीं जाएगी।
- (ग) कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना या सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, नियम 77 के उप-नियम(1) के उपबंधों के अनुसार “बेबाकी प्रमाणपत्र” जारी किए जाने के लिए संपदा निदेशालय को पत्र लिखेगा।
- (5) जहां कार्यालय अध्यक्ष को किसी सरकारी कर्मचारी के लापता हो जाने की प्रज्ञापना प्राप्त होती है वहां वह यह अभिनिश्चित करेगा कि नियम 51 के उप-नियम(1) और नियम 51 के उप-नियम(4) के अनुसार लापता हुए सरकारी कर्मचारी की बाबत कोई उपदान या कुटुंब पेंशन अथवा दोनों देय हैं या नहीं।
- (6) (क) किसी सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष लापता हुए सरकारी कर्मचारी की बाबत उप-नियम(2) और उप-नियम(3) के अनुसार कार्यवाही करेगा और उपदान की रकम प्राप्त करने के लिए कुटुंब के पात्र सदस्य को प्ररूप 9 में उपदान के लिए दावा करने के लिए उसको सलाह देते हुए फॉर्मेट 11 में लिखेगा।
- (ख) कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, कुटुंब के पात्र सदस्य या संरक्षक को प्ररूप 10 में कुटुंब पेंशन के लिए दावा करने के लिए फॉर्मेट 12 में लिखेगा।

- (ग) कार्यालय अध्यक्ष कुटुंब के पात्र सदस्यों को सूचित करेगा कि, संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद और पुलिस से इस आशय की रिपोर्ट कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी कर्मचारी का पता नहीं लगाया जा सका, प्राप्त होने के पश्चात् ही कुटुंब पेंशन और उपदान के संदाय के लिए दावा कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- (घ) दावों के साथ फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध, फॉर्मेट 8 में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड, संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई रिपोर्ट की प्रति और पुलिस से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट की प्रति, कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी कर्मचारी का पता नहीं लगाया जा सका, संलग्न होगी।
- (ङ) कार्यालय अध्यक्ष किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा नहीं करेगा और सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बारे में किसी भी रूप में प्रज्ञापना या विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर इस नियम के अधीन कार्रवाई शुरू करेगा।
- (च) कार्यालय अध्यक्ष मृत सरकारी कर्मचारी के कुटुंब से संबंधित प्ररूपों में दावों को यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करेगा और जहां कुटुंब मृत सरकारी कर्मचारी के कार्यस्थल के स्थान पर निवास कर रहा है, वहां व्यक्तिगत रूप से जाकर, कुटुंब द्वारा प्ररूपों और दस्तावेजों को पूरा कराया जाए और यदि कुटुंब कार्यस्थल के स्थान से बाहर रहता है, तो सभी रिक्त प्ररूपों और अन्य दस्तावेजों को स्पष्ट निर्देशों के साथ कुटुंब को अग्रेषित किया जाना चाहिए, ताकि अनावश्यक पत्राचार और इसके परिणामस्वरूप होने वाले विलंब से बचा जा सके।
- (छ) कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर के अलावा कुटुंब

के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन के दावे के साथ नियम 50 के उप-नियम(12) के खंड(ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करना अपेक्षित होगा।

72. कुटुंब पेंशन और उपदान के लिए सेवा और परिलब्धियों का सत्यापन- (1)(क) कार्यालय अध्यक्ष मृत या लापता सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका को देखेगा और अपना यह समाधान करेगा कि सम्पूर्ण सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्र उसमें अभिलिखित है या नहीं।

(ख) (i) यदि असत्यापित सेवा की कोई अवधियां हैं तो कार्यालय अध्यक्ष सेवा पुस्तिका में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर सेवा के असत्यापित प्रभाग को सत्यापित रूप में स्वीकार करेगा;

(ii) कार्यालय अध्यक्ष किसी अन्य सुसंगत सामग्री पर भरोसा कर सकता है जिस तक उसकी सुगमता से पहुंच हो;

(iii) सेवा के असत्यापित प्रभाग को स्वीकार करते समय कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा लगातार थी और पदच्युति, हटाए जाने या सेवा से त्यागपत्र देने या हड़ताल में भाग लेने के कारण समपहत नहीं की गयी थी।

(2) (क) कुटुंब पेंशन और उपदान के लिए परिलब्धियों के अवधारण के प्रयोजन के लिए कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व की अधिकतम अवधि की परिलब्धियों की शुद्धता के सत्यापन के बारे में सीमित रहेगा।।

(ख) मृत्यु या लापता होने की तारीख को असाधारण छुट्टी पर होने वाले सरकारी कर्मचारी की दशा में, अधिक से अधिक एक वर्ष की परिलब्धियों की, जो उसने असाधारण छुट्टी प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व ली थीं; शुद्धता सत्यापित की जाएगी।

(3) अर्हक सेवा और अर्हक परिलब्धियों के अवधारण की प्रक्रिया यथास्थिति, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बारे में प्रज्ञापना या

सूचना की प्राप्ति से एक मास के भीतर या सरकारी कर्मचारी के लापता होने के बारे में दावे की प्राप्ति से एक मास के भीतर पूरी की जाएगी।

73. अपूर्ण सेवा अभिलेख की दशा में की जाने वाली कार्यवाही- (1) उप-नियम(2) और उप-नियम(3) और नियम 75 के उप-नियम 7 के उपबंधों के अध्याधीन ऐसा कोई भी मामला नहीं होना चाहिए जहां सेवा पुस्तिका ठीक प्रकार से नहीं रखी गई है।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस विषय पर सरकारी निर्देशों के होते हुए भी सेवा पुस्तिका ठीक प्रकार से नहीं रखी गई है और कार्यालय अध्यक्ष के लिए यह संभव नहीं है कि वह सेवा पुस्तिका में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर सेवा के असत्यापित प्रभाग को सत्यापित सेवा के रूप में स्वीकार करे तो कार्यालय अध्यक्ष निम्नलिखित कार्यवाही करेगा, अर्थात्:-

(क) कुटुंब पेंशन के प्रयोजन के लिए, यदि मृत या लापता सरकारी कर्मचारी का कुटुंब नियम 50 के उप-नियम(1) या नियम 51 के उप-नियम(1) के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो जाता है, तो कुटुंब पेंशन की रकम और वह अवधि जिसके लिए संदेय है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बारे में प्रज्ञापना या सूचना की प्राप्ति या सरकारी कर्मचारी के लापता होने के बारे में दावे की प्राप्ति से एक मास के भीतर नियम 50 के उप-नियम(2) के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(ख) उपदान के प्रयोजन के लिए,—

(i) सेवा के असत्यापित प्रभाग या प्रभागों की बाबत कार्यालयाध्यक्ष यथास्थिति, सेवा के ऐसे प्रभाग या प्रभागों को वेतन बिलों, निस्तारण पंजियों या अन्य सुसंगत अभिलेखों जैसे कि अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तथा अप्रैल मास की वेतन पर्ची (जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवा के सत्यापन को

दर्शाए) के आधार पर सत्यापित करेगा और सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रमाणपत्रों को अभिलिखित करेगा।

(ii) यदि किसी अवधि की सेवा का उपखंड(i) में विनिर्दिष्ट रीति से इस कारण सत्यापन नहीं किया जा सकता है कि उस अवधि में सरकारी कर्मचारी ने किसी अन्य कार्यालय या विभाग में सेवा की थी तो कार्यालयाध्यक्ष, वर्तमान में जिसके अधीन सरकारी कर्मचारी सेवारत है, उस कार्यालयाध्यक्ष को, जिसमें सरकारी कर्मचारी के बारे में यह दर्शाया गया है कि उसने उस काल में वहां सेवा की थी; सत्यापन के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करेगा।

(iii) उपखंड(ii) में निर्दिष्ट संसूचना प्राप्त होने पर, उस कार्यालय या विभाग का कार्यालयाध्यक्ष उपखंड(i) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सेवा के प्रभाग या प्रभागों का सत्यापन करेगा और ऐसे संदर्भ के प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर निर्दिष्ट करने वाले कार्यालयाध्यक्ष को आवश्यक प्रमाणपत्र प्रेषित करेगा:

परंतु किसी अवधि की सेवा का सत्यापन नहीं हो पाने की दशा में, इसे एक साथ निर्दिष्ट करने वाले कार्यालयाध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाएगा।

(iv) पूर्ववर्ती उपखंड में निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर यदि कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी अवधि या अवधियां पेंशन के लिए अर्हक समझी जाएंगी।

(v) यदि उसके पश्चात् किसी भी समय, यह पाया जाता है कि सेवा के किसी भी अनर्हक अवधि की सूचना देने में कार्यालयाध्यक्ष या अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी विफल रहे, प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव इस प्रकार सूचना नहीं देने के लिए उत्तरदायित्व नियत करेंगे।

(vi) उपखंड(i) से लेकर उपखंड(iv) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सत्यापन को पूरा करने के लिए और लोपों, त्रुटियों और कमियों को पूरा करने की हर चेष्टा की जाएगी और यदि किन्हीं लोपों, त्रुटियों या कमियों को पूरा करना संभव न हो और सेवा की अवधि जिसे सेवा पुस्तिका में असत्यापित दिखाया गया है, जिसे उपखंड(i) से लेकर उपखंड(iv) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित करना संभव नहीं है, की उपेक्षा की जाएगी और सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियों के आधार पर उपदान के लिए अर्हक सेवा अवधारित की जाएगी।

(3) उप-नियम(1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी मृत सरकारी कर्मचारी की दशा में, संपूर्ण सेवा को सत्यापित और स्वीकार करना संभव नहीं है और उपदान की अंतिम रकम के अवधारण में विलंब होने की संभावना है, तो उपदान की रकम अर्हक सेवा की अवधि, जिसे नियम 75 के उप-नियम(7) के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से ठीक पहले सत्यापित और स्वीकार किया गया है, के आधार पर अनंतिम रूप से अवधारित और आहरित की जाएगी।

74. कुटुंब पेंशन कागज पत्रों का लेखा अधिकारी को भेजा जाना- (1) दावा या दावों की प्राप्ति पर कार्यालय अध्यक्ष किसी मृत सरकारी कर्मचारी या किसी लापता सरकारी कर्मचारी की बाबत प्ररूप 11 को भरेगा और उक्त प्ररूप 11 को, फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध, सरकारी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका जो अद्यतन पूरी की गई हो और ऐसे अन्य दस्तावेज़, जिन पर दावा की गई सेवा के सत्यापन के लिए भरोसा किया गया है, सहित फॉर्मेट 10 में सहपत्र के साथ लेखा अधिकारी को भेजेगा। यह कार्य कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दावे की प्राप्ति के अधिक से अधिक एक मास के भीतर किया जाएगा।

(2) मृत या लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य का दावा इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकेगा कि ऐसे कुटुंब के सदस्य का व्यौरा प्ररूप 4 में या कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, यदि

कार्यालय अध्यक्ष इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन की स्वीकृति के लिए कुटुंब के सदस्य की पात्रता के बारे में अपना समाधान कर लेता है।

(3) कार्यालय अध्यक्ष उपरोक्त फॉर्मेट 10, प्ररूप 10 और प्ररूप 11 की एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेख के लिए रखेगा।

(4) कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी का ध्यान मृत या लापता सरकारी कर्मचारी पर बकाया सरकारी शोध्यों के व्यौरों की ओर दिलाएगा, अर्थात्:-

(क) नियम 77 के निबंधनों के अनुसार परिनिश्चित और अवधारित सरकारी शोध्य, जो संदाय प्राधिकृत किए जाने के पूर्व उपदान से वसूली योग्य है;

(ख) उपदान की वह रकम जो भागतः उन सरकारी शोध्यों के समायोजन के लिए विधारित हैं जो अभी तक अवधारित नहीं किए गए हैं और भागतः उपदान के अंतिम अवधारण के कारण समायोजन के लिए विधारित की गई है;

(ग) खंड(ख) के प्रयोजन के लिए विधारित उपदान की अधिकतम रकम उपदान की रकम के दस प्रतिशत तक सीमित होगी।

75. किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनंतिम कुटुंब पेंशन और अनंतिम उपदान की संस्वीकृति, आहरण और संवितरण- (1) किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में, नियम 71 के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दावा प्राप्त होने और कुटुंब पेंशन के लिए दावेदार की पात्रता के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष का समाधान हो जाने के पश्चात्, वह दावा प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित अधिकतम कुटुंब पेंशन से अनधिक अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम निकालेगा। इस प्रयोजन के लिए कार्यालय अध्यक्ष निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्:-

(क) वह दावेदार या दावेदारों के पक्ष में एक संस्वीकृति पत्र जारी करेगा जिसकी एक प्रति सम्बद्ध लेखा-अधिकारी को

भेजी जाएगी जिसमें यथा-अवधारित अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम उपदर्शित की जाएगी।

(ख) संस्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात् वह अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम उस रीति से निकालेगा जिससे स्थापन के वेतन और भत्ते उसके द्वारा निकाले जाते हैं।

(2) कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(1) के अधीन निकाली गई अनंतिम कुटुंब पेंशन(जिसके अंतर्गत उसकी बकाया यदि कोई हो, भी है) तुरंत संवितरित करेगा।

(3) अनंतिम कुटुंब पेंशन का संदाय सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से छह मास की अवधि तक जारी रहेगा जब तक की अनंतिम कुटुंब पेंशन की अवधि नियम 76 के उप-नियम(1) के परंतुक के अधीन बढ़ा नहीं दी जाती है।

(4) जैसे ही, यथास्थिति, उप-नियम(3) में उल्लिखित अवधि के लिए अनंतिम कुटुंब पेंशन का संदाय किया जाता है या नियम 76 के उप-नियम(1) के परंतुक के अधीन अवधि को बढ़ाया जाता है वैसे ही कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी को सूचित करेगा।

(5) किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा समबद्ध लेखा-अधिकारी को नियम 74 के अनुसार कुटुंब पेंशन और उपदान के कागज पत्रों को अग्रेषित किए जाने के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष इन नियमों के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित सौ प्रतिशत उपदान निकलेगा और इस प्रयोजन के लिए कार्यालय अध्यक्ष निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :-

(क) वह दावेदार या दावेदारों के पक्ष में एक संस्वीकृति पत्र जारी करेगा जिसकी एक प्रति समबद्ध लेखा-अधिकारी को भेजी जाएगी जिसमें यथा अवधारित मृत्यु उपदान की सौ प्रतिशत रकम उपदर्शित की जाएगी।

(ख) वह नियम 74 के उप-नियम(3) के अधीन मृत्यु उपदान में से वसूली योग्य रकम संस्वीकृति पत्र में उपदर्शित करेगा।

(ग) संस्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात् वह खंड(ख) में उल्लिखित शोध्यों को घटाने के पश्चात् मृत्यु उपदान की सौ प्रतिशत रकम निकालेगा।

(6) कार्यालय अध्यक्ष उप-नियम(5) के अधीन निकाली गई मृत्यु उपदान की रकम का तत्काल संवितरण करेगा।

(7) (क) नियम 73 के उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में, जहां मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई संपूर्ण सेवा को तुरंत सत्यापित और स्वीकार करना संभव नहीं है और उपदान की अंतिम रकम के अवधारण में और लेखा अधिकारी को कागज पत्र अग्रेषित किए जाने में विलंब होने की संभावना है तो उपदान की रकम, अर्हक सेवा की अवधि, जिसे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से ठीक पूर्व सत्यापित और स्वीकार किया गया है, के आधार पर नियम 45 के उप-नियम(1) के खंड(ख) के अनुसार अनंतिम रूप से अवधारित की जाएगी।

(ख) यदि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्ररूप 9 में दावा प्राप्त किया गया है, तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा अवधारित उपदान की रकम सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बारे में प्रज्ञापना या सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर अनंतिम आधार पर प्राधिकृत की जाएगी।

(ग) कार्यालय अध्यक्ष, अनंतिम उपदान के संदाय के लिए प्राधिकार जारी करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर सेवा की संपूर्ण अवधि की स्वीकृति और सत्यापन करने के पश्चात्, उपदान की अंतिम रकम अवधारित करेगा और उपदान की अंतिम रकम के अवधारण के परिणामस्वरूप देय होने वाली शेष रकम, यदि कोई हो, हिताधिकारियों को प्राधिकृत की जाएगी।

(8) उप-नियम(6) या उप-नियम(7) के अनुसार अनंतिम उपदान दावेदार या दावेदारों को जैसे ही संदत्त किया जाता है, वैसे ही कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी को सूचित करेगा।

76. अंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान के अतिशेष का लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना- (1) कुटुंब पेंशन कागज पत्रों और नियम 74 के उप-नियम(1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति पर, लेखा अधिकारी कुटुंब पेंशन कागज पत्रों और दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपेक्षित जांच पड़ताल करेगा तथा प्ररूप 11 के भाग-II के खंड-I को भरेगा और कुटुंब पेंशन और उपदान की रकम अवधारित करेगा:

परंतु अपेक्षित जांच पड़ताल करते समय, लेखा अधिकारी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने की तारीख से पूर्व के अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए परिलब्धियों की शुद्धता के सत्यापन को सीमित करेगा।

परंतु यह और कि मृत सरकारी कर्मचारी की दशा में, यदि किसी कारणवश लेखा अधिकारी पूर्वोक्त अवधि के भीतर कुटुंब पेंशन की रकम अवधारित करने में असमर्थ रहता है, तो वह इस तथ्य की संसूचना कार्यालय अध्यक्ष को इस बात के लिए प्राधिकृत करते हुए देगा कि वह दावेदार को ऐसी अवधि के लिए, जो लेखा अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनंतिम कुटुंब पेंशन संवितरित करना जारी रखे।

(2) कार्यालय अध्यक्ष अनंतिम कुटुंब पेंशन की अवधि बढ़ाने के लिए कागज पत्र विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय अध्यक्ष लेखा अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट और विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए अनंतिम कुटुंब पेंशन की अवधि के विस्तार के लिए संस्वीकृति जारी करेगा।

(3) (क) कार्यालय अध्यक्ष से कुटुंब पेंशन कागज पत्र प्राप्त होने के एक मास के भीतर लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश तैयार करेगा।

- (ख) जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर, नियम 75 के अनुसार अनंतिम कुटुंब पेंशन संस्वीकृत की गई थी, कुटुंब पेंशन का संदाय उस तारीख से, जिसको अनंतिम कुटुंब पेंशन का संदाय बंद किया गया था, ठीक अगली तारीख से प्रभावी होगा।
- (ग) लेखा अधिकारी, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा विशेष प्राधिकार मुहर जारी करने और पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा कुटुंब पेंशन के संवितरण में लगने वाले संभावित समय को ध्यान में रखते हुए, पेंशन संदाय आदेश में उस तारीख को, जिस तारीख तक अनंतिम कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा और जिस तारीख से पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा कुटुंब पेंशन का संदाय प्रभावी हो जाएगा, को उपदर्शित करेगा।
- (घ) जिस अवधि के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनंतिम कुटुंब पेंशन आहरित और संवितरित की गई थी, उसकी बाबत कुटुंब पेंशन की बकाया रकम, यदि कोई हो, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संदाय किए जाने के लिए लेखा अधिकारी द्वारा भी प्राधिकृत की जाएगी।
- (ङ) लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में, कुटुंब पेंशन का संदाय उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से सरकारी कर्मचारी को उसके लापता होने से पहले छुट्टी मंजूर की गई थी या उस तारीख से जिस तारीख तक सरकारी कर्मचारी को वेतन और भत्ते का संदाय किया गया था या जिस तारीख से संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि, जो भी नवीनतम हो, के रूप में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
- (च) कुटुंब पेंशन का संदाय इस शर्त के साथ प्राधिकृत किया जाएगा कि कुटुंब पेंशन और बकाया कुटुंब पेंशन का भुगतान खंड(ड) में विनिर्दिष्ट तारीख से कुटुंब पेंशन के संदाय की शुरुआत की

तारीख तक की अवधि के लिए संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् केवल पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।

(4) लेखा अधिकारी, कुटुंब के पहले पात्र सदस्य के लिए कुटुंब पेंशन को अधिकृत करते समय, पेंशन संदाय आदेश में मृत या लापता सरकारी कर्मचारी के स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे या बच्चों और आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों के नाम कुटुंब पेंशनभोगियों के रूप में उपदर्शित करेगा यदि, कुटुंब का कोई अन्य सदस्य नहीं है जिसे ऐसे निःशक्त बच्चे या बच्चों या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पूर्व कुटुंब पेंशन देय हो सकती है।

(5) (क) लेखा अधिकारी, मृत सरकारी कर्मचारी पर बकाया रकम का, यदि कोई हो, समायोजन करने के पश्चात् उपदान के अतिशेष की रकम अवधारित करेगा।

(ख) लेखा अधिकारी खंड(क) के अधीन अवधारित मृत्यु उपदान की अतिशेष रकम इस टिप्पणी के साथ कार्यालय अध्यक्ष को प्रज्ञापित करेगा कि मृत्यु उपदान के अतिशेष की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निकाली जाए और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को संवितरित की जाए जिन्हें नियम 75 के अनुसरण में अनंतिम उपदान संदत्त किया गया है।

(ग) किसी लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में, लेखा अधिकारी, उस पर बकाया रकम का, यदि कोई हो, समायोजन करने के पश्चात् संदेय उपदान की रकम अवधारित करेगा।

(घ) लेखा अधिकारी, मामले की प्राप्ति की तारीख के एक मास के भीतर, खंड(ग) के अधीन अवधारित उपदान की रकम इस टिप्पणी के साथ कार्यालय अध्यक्ष को प्रज्ञापित करेगा कि केवल संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निकाली जाए और उस व्यक्ति या

व्यक्तियों को संवितरित की जाए जिन्हें नियम 47 के अनुसार उपदान संदेय है।

(ड) नियम 77 के उप-नियम(1) के खंड(ख) के अधीन विधारित उपदान की रकम कार्यालय अध्यक्ष द्वारा नियम 77 के उप-नियम(1) के खंड(viii) में वर्णित अनुज्ञप्ति फीस की बकाया से समायोजित की जाएगी और अतिशेष का, यदि कोई हो, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को प्रतिदाय किया जाएगा जिन्हें उपदान संदत्त किया गया है।

(5) पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने का तथ्य लेखा अधिकारी द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा और वे दस्तावेज, जिनकी और आगे आवश्यकता नहीं है, उनको वापस कर दिए जाएंगे।

(6) यदि यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संवितरित अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम लेखा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित कुटुंब पेंशन की रकम से अधिक है तो लेखा अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह अधिक रकम को उपदान से समायोजित करें, ऐसा न होने पर, भविष्य में संदेय कुटुंब पेंशन से किस्तों में वसूल करे।

(7) (क) यदि यह पाया जाता है कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संवितरित अनंतिम उपदान की रकम लेखा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित रकम से अधिक है तो हिताधिकारी से आधिक्य के प्रतिदाय की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वास्तव में अनुज्ञेय रकम से अधिक उपदान की रकम के संवितरण के अवसर कम से कम आएंगे। ऐसे सभी मामलों में जहां उपदान की रकम लेखा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित उपदान की रकम से अधिक संदत्त की गई है, वहां विभागाध्यक्ष अधिक संदाय के लिए उत्तरदायित्व नियत करेगा।

(8)(क) लेखा अधिकारी, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को विशेष प्राधिकार मुहर जारी करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष से कुटुंब

पेंशन कागजपत्र के प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध सहित इस नियम के अधीन जारी पेंशन संदाय आदेश की प्रति अग्रेषित करेगा।

(ख) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय विशेष प्राधिकार मुहर जारी करेगा और इसे महालेखाकार नियंत्रक द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लेखा अधिकारी से पेंशन संदाय आदेश प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर लेखा अधिकारी द्वारा जारी पेंशन संदाय आदेश की प्रति और फॉर्मेट 9 में वचनबंध सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ग) पेंशन संवितरण अधिकारी, महालेखाकार नियंत्रक और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से विशेष प्राधिकार मुहर की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कुटुंब पेंशनभोगी को उस तारीख, जिस तारीख से देय हो, कुटुंब पेंशन संवितरण करने की कार्यवाही करेगा।

(घ) इन नियमों के अनुसरण में यदि कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब के एक के अधिक सदस्य पात्र हैं और यदि कुटुंब के किसी सदस्य ने प्ररूप 10 में कुटुंब पेंशन के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो कुटुंब के ऐसे सदस्य के पक्ष में पेंशन संदाय आदेश जारी करने के मामले पर उससे दावा प्राप्त होने के पश्चात् कार्रवाई की जा सकेगी और कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा के लिए कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों के मामले पर, उस कुटुंब सदस्य, जिसने प्ररूप 10 में अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, के मामले से जोड़े बिना कार्रवाई की जा सकेगी।

(ङ) यदि उपदान प्राप्त करने के लिए कुटुंब के एक से अधिक पात्र सदस्य हैं और यदि कुटुंब के किसी सदस्य ने प्ररूप 9 में उपदान के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसके पक्ष में उपदान आहरित करने के मामले पर उससे दावा प्राप्त

होने के पश्चात् कार्रवाई की जा सकेगी और उपदान की संस्वीकृति के लिए कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों के मामले पर, उस कुटुंब सदस्य, जिसने प्ररूप 9 में अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, के मामले से जोड़े बिना कार्रवाई की जा सकेगी।

77. सरकारी शोध्यों का समायोजन- (1) सरकारी आवास से संबंधित शोध्य होने की दशा में, निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी, अर्थात्:-

(i) यदि मृत्यु या लापता होने की तारीख को सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास का आबंटित था तो कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने के संबंध में प्रज्ञापना या सूचना की अभिप्राप्ति पर ऐसी प्रज्ञापना या सूचना की प्राप्ति से सात दिन के भीतर संपदा निदेशालय को सरकारी आवास के संबंध में उपलब्ध ब्यौरा अग्रेषित करेगा और संपदा निदेशालय से मृत या लापता सरकारी कर्मचारी की बाबत 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए अनुरोध करेगा ताकि कुटुंब पेंशन और उपदान के प्राधिकृत करने में विलंब न हो और कार्यालय अध्यक्ष संपदा निदेशालय को निम्नलिखित सूचना भी देगा, अर्थात्:-

- (क) मृत या लापता सरकारी कर्मचारी का नाम और पदनाम;
- (ख) वर्तमान आवास की विशिष्टियां और पूर्व में सरकारी कर्मचारी के कब्जे में रहे किसी अन्य आवास के उपलब्ध ब्यौरे (क्वार्टर सं., वर्ग और परिक्षेत्र);
- (ग) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने की तारीख;
- (घ) क्या सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु या लापता होने के समय छुट्टी पर था और यदि हां तो छुट्टी की अवधि और प्रकृति;
- (ङ) क्या सरकारी कर्मचारी भाटक मुफ्त आवास सुविधा का उपभोग कर रहा था;

- (च) वह अवधि जिस तक मृत या लापता सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों में से अनुज्ञप्ति फीस वसूल की गई थी और वसूली की मासिक दर तथा वेतन बिल की विशिष्टियां, जिसके अधीन वह अंतिम वसूली की गई थी;
- (छ) यदि मृत्यु या लापता होने की तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस वसूल नहीं की गई थी और सरकारी कर्मचारी का कुटुंब अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास को रखने का इच्छुक है तो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे:-
- (अ) वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति फीस वसूल नहीं की गई है;
- (आ) मानक भाटक बिल के आधार पर (क) में दी गई अवधि के बारे में अनुज्ञप्ति फीस की रकम का;
- (इ) मृत्यु या लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब द्वारा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने की तारीख से आगे की अनुज्ञेय रियायती अवधि के लिए सरकारी आवास रखने के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम, जो मानक भाटक बिल के आधार पर अवधारित की जाएगी;
- (ई) उपदान में से वसूल करने के लिए (ग) में वर्णित प्रस्तावित अनुज्ञप्ति फीस की रकम;
- (उ) आबंटित के विरुद्ध बकाया अनुज्ञप्ति फीस की वसूली से संबंध रखने वाले संपदा निदेशालय के किसी पूर्व निर्देश के ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई।
- (ii) सरकारी आवास की बाबत शोध्यों की संगणना करते समय, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पहले की अवधि

की बाबत देय बकाया अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित शोध्यों को माफ कर दिया जाएगा। यदि मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसके कुटुंब द्वारा सरकारी आवास को रखा जाता है, तो उस महीने, जिसमें सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई है और उसके बाद के पहले तीन मास के लिए अनुज्ञप्ति फीस कुटुंब से वसूल नहीं की जाएगी।

- (iii) कार्यालय अध्यक्ष संपदा निदेशालय द्वारा खंड(i) और खंड(ii) के अधीन प्रज्ञापित अनुज्ञप्ति फीस की रकम उपदान में से वसूल करेगा।
- (iv) अनुज्ञेय रियायती अवधि के आगे सरकारी आवास के उपभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस की वसूली संपदा निदेशालय की जिम्मेदारी होगी।
- (v) संपदा निदेशालय यह अवधारित करने की दृष्टि से कि क्या खंड(i) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न कोई अन्य शोध्य मृत या लापता सरकारी कर्मचारी पर बकाया थे, अपने अभिलेखों की संवीक्षा करेगा। यदि कोई वसूली बकाया पायी जाती है तो वह रकम और वह अवधि या वे अवधियां, जिनसे ऐसी वसूली या वसूलियां संबंधित है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या लापता होने की बाबत खंड(i) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष से प्रज्ञापना की प्राप्ति से एक मास की अवधि के भीतर कार्यालय अध्यक्ष को संसूचित की जाएंगी।
- (vi) खंड(v) के अधीन जानकारी प्राप्त होने तक कार्यालय अध्यक्ष मृत्यु उपदान का दस प्रतिशत विधारित करेगा।
- (vii) यदि बकाया शोध्यों की वसूली के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष को कोई प्रज्ञापना प्राप्त नहीं होती है अथवा संपदा निदेशालय खंड(v) के अधीन विहित अवधि के भीतर बकाया शोध्यों का निर्धारण करने में अपनी असमर्थता

व्यक्त करता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि मृत अथवा लापता सरकारी कर्मचारी से कुछ भी वसूलीयोग्य नहीं था और उपदान की विधारित रकम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिन्हें उपदान की रकम का संदाय किया गया था, संदत्त कर दी जाएगी।

- (viii) यदि कार्यालय अध्यक्ष ने संपदा निदेशालय से मृत अथवा लापता सरकारी कर्मचारी पर बकाया शोध्यों की बाबत खंड(V) के अधीन प्रज्ञापना प्राप्त की है तो कार्यालय अध्यक्ष निस्तारण पूंजी से यह सत्यापित करेगा कि बकाया रकम मृत सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों में से वसूल की गई थी या नहीं। यदि सत्यापन के परिणामस्वरूप, यह पाया जाए कि संपदा निदेशालय द्वारा बकाया दिखाई गई शोध्यों की रकम पहले ही वसूल की जा चुकी है तो कार्यालय अध्यक्ष संपदा निदेशालय का ध्यान उन वेतन बिलों की ओर दिलाएगा जिनके अधीन अनुज्ञप्ति फीस की अपेक्षित वसूली की गई थी और, उप-नियम(2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खंड(VI) के अधीन विधारित उपदान की रकम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिन्हें उपदान का संदाय किया गया था, संदाय करने की कार्यवाही करेगा।
- (ix) यदि बकाया शोध्यों की रकम मृत या लापता सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्तों से वसूल नहीं की गई थी तो बकाया रकम खंड(VI) के अधीन विधारित उपदान की रकम से समायोजित की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें उपदान की रकम का संदाय किया गया था, पुनः संदत्त किया जाएगा।
- (X) उपदान की विधारित रकम से समायोजन करने के पश्चात, यदि अनुज्ञप्ति फीस या नुकसान की कोई भी रकम असंदत्त रह जाती है और उपदान की रकम का संदाय करने के बाद संपदा निदेशालय द्वारा कोई शोध्य प्रज्ञापित किए जाते हैं

तो उसे, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से कुटुंब पेंशनभोगी की सहमति लिए बिना महंगाई राहत से वसूल करने का आदेश दिया जा सकता है और ऐसे मामलों में महंगाई राहत तब तक संवितरित नहीं की जाएगी जब तक कि इस तरह के शोध्यों की पूरी वसूली नहीं हो जाती।

(2) उप-नियम(1) में निर्दिष्ट शोध्यों से भिन्न शोध्य होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या लापता होने की बाबत प्रज्ञापना की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर यह सुनिश्चित करने की कार्यवाही करेगा कि क्या नियम 67 में निर्दिष्ट कोई शोध्य, सरकारी आवास के आवंटन से संबंधित शोध्यों को छोड़कर, मृत या लापता सरकारी कर्मचारी से वसूलीयोग्य थे और इस प्रकार अभिनिश्चित शोध्य मृत या लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब को संदेय उपदान की रकम में से वसूल किए जाएंगे।

78. प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या लापता हो जाने की दशा में कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान का संदाय-(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में, जिसकी उस समय मृत्यु होती है या लापता हो जाता है जब वह केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्त है, कुटुंब पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने के लिए कार्यवाही सेवाएं उधार लेने वाले विभाग के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसकी उस समय मृत्यु होती है या लापता हो जाता है जब वह किसी राज्य सरकार में या विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त है, कुटुंब पेंशन और उपदान का संदाय प्राधिकृत करने के लिए कार्यवाही उस कार्यालय अध्यक्ष या काडर प्राधिकारी द्वारा, जिसने राज्य सरकार या विदेश सेवा के लिए सरकारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति संस्वीकृत की थी, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

मृत या लापता पेंशनभोगी अथवा कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कुटुंब पेंशन और अवशिष्ट उपदान की संस्वीकृति

79. पेंशनभोगी अथवा कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या लापता होने पर कुटुंब पेंशन और अवशिष्ट उपदान की संस्वीकृति- (1) जहां कि कार्यालय अध्यक्ष को किसी पेंशनभोगी की मृत्यु या लापता होने अथवा किसी कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या लापता होने या अपात्रता होने की प्रज्ञापना या सूचना मिली हो, तो वह यह अभिनिश्चित करेगा कि मृत पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन या अवशिष्ट उपदान या दोनों ही अथवा लापता पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन अथवा मृत या लापता कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन संदेय है और इसके पश्चात यथा उपबंधित आगे की कार्यवाई करेगा।

(2) (क) (i) पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में, यदि मृत पेंशनभोगी की कोई ऐसी विधवा या विधुर उत्तर-जीवी है, जो नियम 50 के अधीन कुटुंब पेंशन पाने का पात्र है, तो उसे कुटुंब पेंशन की रकम, जो पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित है, पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से ठीक अगले दिन से, यथास्थिति, विधवा या विधुर को संदेय हो जाएगी।

(ii) पेंशन संवितरण प्राधिकारी विधवा या विधुर जिसका नाम पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है, को विधवा या विधुर से प्ररूप 12 में दावों के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध प्राप्त होने से एक मास के भीतर कुटुंब पेंशन का संवितरण प्रारंभ करेगा जैसा कि पेंशन संदाय आदेश में प्राधिकृत है।

(iii) खंड(ख) के उपबंधों के अध्याधीन, यदि मृत पेंशनभोगी का कोई स्थायी रूप से निःशक्त बच्चा या बच्चे या आश्रित

माता-पिता या निःशक्त सहोदर उत्तरजीवी है जिनके नाम नियम 63 के उप-नियम(1) के खंड(घ) के अधीन कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किए गए हैं, तो पेंशन संवितरण प्राधिकारी, कुटुंब के सदस्य को, जो नियम 50 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन पाने का पात्र है प्ररूप 12 में दावों के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध प्राप्त होने से एक मास के भीतर कुटुंब पेंशन का संवितरण प्रारंभ करेगा जैसा कि पेंशन संदाय आदेश में प्राधिकृत है।

- (iv) जहां मृत पेंशनभोगी की पत्नी/पति और स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर जिनके नाम पेंशन संदाय आदेश में पहले सम्मिलित नहीं किए गए थे, उत्तरजीवी है, तो प्ररूप 8 में मृत पेंशनभोगी की पत्नी/पति द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर कार्यालय अध्यक्ष से लिखित संसूचना प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में उनके नाम सम्मिलित करेगा।
- (v) पेंशन संवितरण प्राधिकारी, कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु या अपात्रता होने पर प्ररूप 12 में दावों के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र की एक प्रति और फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध प्राप्त होने से एक मास के भीतर स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदर जिनका नाम कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है और जो नियम 50 के उपबंधों के अनुसार कुटुंब पेंशन पाने का पात्र है, को दावा प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर कुटुंब पेंशन का संवितरण शुरू करेगा जैसाकि पेंशन संदाय आदेश में प्राधिकृत है।

- (ख)(i) जहां पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन संदाय के लिए कुटुंब के किसी भी सदस्य का नाम सम्मिलित न हो या जहां कार्यालय अध्यक्ष की यह राय हो कि नियम 50 के उपबंधों के अनुसार पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, मृत पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कुटुंब पेंशन, उस कुटुंब सदस्य जिसका नाम नियम 63 के उप-नियम(1)या उप-खंड(i) या खंड(क) के उप-खंड(iv) के अधीन पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है, के अलावा कुटुंब के किसी अन्य सदस्य को संदेय हो गई है जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी के कुटुंब का सदस्य बन गया है वहां वह प्ररूप 10 में दावा प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर, कुटुंब के ऐसे सदस्य, जिसे कुटुंब पेंशन संदेय हो गई है, को फॉर्मेट 13 में कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति देगा।
- (ii) यदि उप-खंड(i) के अधीन कुटुंब पेंशन संस्वीकृत की गई है और यदि कुटुंब में ऐसा कोई अन्य सदस्य नहीं है जिसे निःशक्त बच्चा या बच्चे या आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों से पूर्व कुटुंब पेंशन संदेय हो सके तो कार्यालय अध्यक्ष निःशक्त बच्चा या बच्चे और आश्रित माता-पिता और निःशक्त सहोदरों के नाम कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में सम्मिलित करेगा।
- (3) (i) जहां कार्यालय अध्यक्ष को किसी पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के लापता होने की प्रज्ञापना प्राप्त होती है, तो वह यह अभिनिश्चित करेगा कि नियम 51 के उप-नियम(2) और उप-नियम(3) के अनुसार लापता पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत कोई कुटुंब पेंशन संदेय है।

- (ii) कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, कुटुंब के पात्र सदस्य या संरक्षक को प्ररूप 10 में कुटुंब पेंशन के लिए दावा करने के लिए फॉर्मेट 12 में लिखेगा।
- (iii) संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् कुटुंब के पात्र सदस्य द्वारा कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 10 में दावा प्रस्तुत किया जाएगा। दावे के साथ फॉर्मेट 8 में एक क्षतिपूर्ति बांड, संबंधित पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट की एक प्रति, पुलिस से प्राप्त इस आशय के रिपोर्ट की एक प्रति कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद अभी तक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी का पता नहीं लगाया जा सका और फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध संलग्न किया जाएगा।
- (iv) प्ररूप 10 में दावा प्राप्त होने पर, कार्यालय अध्यक्ष फॉर्मेट 13 में कुटुंब पेंशन, कुटुंब के ऐसे सदस्य के लिए संस्वीकृत करेगा जिसे कुटुंब पेंशन संदेय हो गई है। ऐसे किसी भी मामले में कुटुंब पेंशन लापता हुए पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी को संदत्त पेंशन या कुटुंब पेंशन की तारीख के बाद की तारीख से अथवा संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से, जो भी बाद में हो, से संदेय होगी।
- (v) खंड(i V) के अधीन कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इस शर्त के साथ जारी की जाएगी कि कुटुंब पेंशन(कुटुंब पेंशन का संदाय शुरू होने की तारीख तक उपखंड (i V) में विनिर्दिष्ट तारीख से उस अवधि के लिए बकाया कुटुंब पेंशन की रकम सहित) पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज

करने की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी दशा में संदत्त नहीं की जाएगी।

(v) मृत या लापता पेंशनभोगी के कुटुंब के किसी सदस्य का दावा इस आधार पर निरस्त नहीं किया जाएगा कि कुटुंब के ऐसे सदस्य का ब्यौरा प्ररूप 4 में या कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, यदि इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति के लिए कुटुंब के सदस्य की पात्रता के बारे में कार्यालय अध्यक्ष का अन्यथा समाधान हो जाए।

(vi) कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता तय करने के लिए, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की विधवा या विधुर के अलावा, कुटुंब के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन के दावे के साथ नियम 50 के उप-नियम(12) के खंड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को जमा करना अपेक्षित होगा।

(4) (क) (i) जहां कि कोई विधवा या विधुर, जिसे कुटुंब पेंशन मिल रही है, पुनर्विवाह कर लेती है या कर लेता है और पुनर्विवाह के समय मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी से अवयस्क बच्चा या बच्चे हैं जो कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है या हैं, वहां ऐसा पुनर्विवाहित व्यक्ति ऐसे बच्चे या बच्चों की ओर से कुटुंब पेंशन लेने का पात्र होगा यदि वह व्यक्ति ऐसे अवयस्क बच्चे या बच्चों का संरक्षक बना रहे।

(ii) खंड(i) के प्रयोजनों के लिए पुनर्विवाहित व्यक्ति प्ररूप 10 में कार्यालय अध्यक्ष को इस घोषणा के साथ आवेदन करेगा कि आवेदक ऐसे अवयस्क बच्चे या बच्चों का संरक्षक बना रहेगा।

(iii) यदि किसी कारणवश पुनर्विवाहित व्यक्ति ऐसे अवयस्क बच्चे या बच्चों का संरक्षक नहीं रह जाता तो कुटुंब पेंशन उस व्यक्ति को संदेय हो जाएगी जो तत्समय प्रवृत्त विधि

के अधीन ऐसे बच्चे या बच्चों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार है और ऐसा व्यक्ति कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए कार्यालय अध्यक्ष को प्ररूप 10 में एक दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) खंड(क) में निर्दिष्ट किसी मामले में, कुटुंब पेंशन बच्चे को उसके वयस्क हो जाने की तारीख से इस शर्त के अधीन संदेय होगी कि वह वयस्क होने के पश्चात कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो।

(ग) जहां कि कोई विधवा या विधुर, जिसे कुटुंब पेंशन मिल रही है, पुनर्विवाह कर लेती है या कर लेता है और पुनर्विवाह के समय मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी से बच्चा है जो पहले से ही वयस्क है और कुटुंब पेंशन के लिए पात्र है तो ऐसे बच्चे को उसके पिता या माता के पुनर्विवाह करने के पश्चात कुटुंब पेंशन संदेय हो जाएगी।

(5) यदि कुटुंब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति अवयस्क है या किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है अथवा मानसिक रूप से मंद है तो ऐसे व्यक्ति की ओर से संरक्षक प्ररूप 10 में दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(6) जहां कि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर कोई अवशिष्ट उपदान नियम 45 के उप-नियम(2) के अधीन मृतक के कुटुंब को संदेय हो जाए वहां कार्यालय अध्यक्ष, अवशिष्ट उपदान प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों से प्ररूप 13 में दावा या दावे प्राप्त करने पर, उसके संदाय की संस्वीकृति देगा।

80. लेखा अधिकारी द्वारा संदाय का प्राधिकरण- (1) कुटुंब पेंशन या अवशिष्ट उपदान या दोनों के संदाय के बारे में नियम 79 के अधीन संस्वीकृति प्राप्त हो जाने पर लेखा अधिकारी संस्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर उसके संदाय को प्राधिकृत करेगा।

परंतु यदि उपदान के संदाय में विलंब होता है और विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक से होता है तो दावा प्रस्तुत करने की तारीख से तीन मास की अवधि के बाद की विलंबित अवधि के लिए ब्याज संदत्त किया जाएगा

और नियम 65 के अनुसार उपदान के ऐसे विलंबित संदाय के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा।

परंतु यह और कि किसी लापता पेंशनभोगी और कुटुंब पेंशनभोगी की दशा में, लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश में उस तारीख को उपदर्शित करेगा जिस तारीख तक लापता पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी को पेंशन या कुटुंब पेंशन संदत्त की गई थी और यह विनिर्दिष्ट करेगा कि कुटुंब पेंशन(कुटुंब पेंशन का संदाय शुरू होने की तारीख तक, इसके देय होने की तारीख से उस अवधि के लिए बकाया कुटुंब पेंशन की रकम सहित) पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी दशा में संदत्त नहीं की जाएगी।

(2) लेखा अधिकारी इस नियम के अधीन जारी पेंशन संदाय आदेश की प्रति फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध के साथ केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को, एक विशेष प्राधिकार मुहर जारी करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष से कुटुंब पेंशन कागज-पत्र प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर अग्रेषित करेगा।

(3) केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय महालेखाकार नियंत्रक द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विशेष प्राधिकार मुहर जारी करेगा और इसे लेखा अधिकारी से पेंशन संदाय आदेश के प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर लेखा अधिकारी द्वारा जारी पेंशन संदाय आदेश की प्रति और फॉर्मेट 9 में वचनबंध सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) पेंशन संवितरण प्राधिकारी, महालेखाकार नियंत्रक और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से विशेष प्राधिकार मुहर प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कुटुंब पेंशनभोगी को कुटुंब पेंशन, उस तारीख से जिस तारीख से देय है, संवितरित करने के लिए कार्रवाई करेगा।

(5) (क) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवानिवृत्त होने के पश्चात मृत्यु हो गई है और जिसकी बाबत नियम 57 या नियम 58 में

संदर्भित प्ररूप उसकी मृत्यु से पूर्व जमा नहीं किए गए थे, कार्यालय अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए मृत सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी, पति/पत्नी के न होने पर, कुटुंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को प्ररूप 4 के साथ प्ररूप 10 में दावा और फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध जमा करने की अनुज्ञा देगा।

परंतु यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर कुटुंब का कोई सदस्य कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, तो कुटुंब का ऐसा सदस्य जिसके पक्ष में सरकारी कर्मचारी द्वारा उपदान के संदाय के लिए नामनिर्देशन किया गया था, को प्ररूप 10 के स्थान पर प्ररूप 6 जमा करने की अनुज्ञा दी जाएगी और कुटुंब के उक्त सदस्य को प्ररूप 6 में अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष मृत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की बाबत पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान के संदाय के लिए प्ररूप 7 को भरेगा और वह प्ररूप 7 में इस आशय को भी दर्शाएगा कि उक्त मामला एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से संबंधित है, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व प्ररूप 6 और अन्य दस्तावेज जमा नहीं किए थे और यदि कुटुंब पेंशन के लिए प्ररूप 10 में कोई दावा प्रस्तुत किया गया है, तो कार्यालय अध्यक्ष कुटुंब के पात्र सदस्य को कुटुंब पेंशन प्राधिकृत करने के लिए फॉर्मेट 13 में एक संस्वीकृति पत्र भी जारी करेगा।

(ग) कार्यालय अध्यक्ष, यथास्थिति, प्ररूप 4, प्ररूप 7, प्ररूप 6 या प्ररूप 10, फॉर्मेट 9 और फॉर्मेट 13 (यदि लागू हो) को फॉर्मेट 10 में एक अग्रेषण पत्र के साथ लेखा अधिकारी को पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुंब पेंशन, यदि लागू हो, के प्राधिकरण के लिए भेजेगा।

(घ) लेखा अधिकारी पेंशन संदाय आदेश के भाग-॥ में पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और कुटुंब पेंशन (यदि लागू हो) को प्राधिकृत करेगा और वह कार्यालय अध्यक्ष को कुटुंब के उस सदस्य को, जिसको कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, को सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख से मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए पेंशन के बकायों का संदाय करने के लिए भी प्राधिकृत करेगा।

परंतु यदि कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए कुटुंब का कोई सदस्य पात्र नहीं है, तो पेंशन के बकायों का संदाय कुटुंब के उस सदस्य को किया जाएगा जिसे सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) यदि कुटुंब के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए प्राधिकृत किया गया है, तो लेखा अधिकारी, उप-नियम (2) से उप-नियम (4) के अनुसार विशेष प्राधिकार मुहर जारी करने और कुटुंब पेंशन के संवितरण के लिए फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध के साथ खंड (घ) के अधीन जारी पेंशन संदाय आदेश की एक प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

अध्याय 13

पेंशनों का संदाय

81. पेंशन किस तारीख से संदेय होती है- (1) नियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुटुंब पेंशन से भिन्न पेंशन उस तारीख से, जिसको सरकारी कर्मचारी स्थापन में नहीं रह जाता, संदेय हो जाएगी।

(2) नियम 76 के उप-नियम(2) के खंड(घ) और नियम 79 के उप-नियम(3) के खंड(IV) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुटुंब पेंशन सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने अथवा कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने या अपात्र हो जाने की तारीख की बाद की तारीख से संदेय होगी।

(3) पेंशन जिसके अंतर्गत कुटुंब पेंशन भी है, उस दिन के लिए संदेय होगी जिस दिन उसके प्रापक की मृत्यु होती है।

82. पेंशन किस करेंसी में संदेय है- इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय सभी पेंशनें, जिनके अंतर्गत उपदान भी है, केवल भारत में, रुपयों में संदेय होंगी।

83. उपदान और पेंशन संदाय की रीति- (1) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, उपदान एकमुश्त संदत्त किया जाएगा।

(2) मासिक दरों पर निश्चित की गई पेंशन उस मास के, जिस मास की पेंशन है, अंतिम कार्यदिवस को या उसके पश्चात् मासिक रूप से संदेय होगी, केवल मार्च मास की पेंशन अप्रैल के प्रथम कार्यदिवस को या उसके पश्चात् संदेय होगी।

84. अन्य नियमों का लागू किया जाना- (1) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, केंद्रीय सरकार के खजाना नियम-

(i) उपदान,

(ii) पेंशन,

(iii) ऐसी पेंशन जो एक वर्ष से अधिक तक निकाली नहीं गई है,

(iv) मृत पेंशनभोगी की बाबत पेंशन, के संदाय की प्रक्रिया के बारे में लागू होंगे।

(2) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत पेंशन के सरांशीकरण, पेंशन के सरांशीकृत मूल्य के संदाय और सरांशीकरण की अवधि की समाप्ति पर सरांशीकृत पेंशन की बहाली के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का सरांशीकरण) नियमावली, 1981 लागू होगा।

(3) पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् पेंशन की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशन के संबंध में पेंशन की बकाया राशि का संदाय(नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 लागू होगा।

अध्याय 14

विविध

85. निर्वचन- जहां कि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहां उसे विनिश्चय के लिए सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा और यह उस नियम या विषय पर निर्भर करेगा जिसमें विनिश्चय अपेक्षित है और उस नियम या विषय के साथ कौन सा विभाग संबद्ध है।

86. शिथिल करने की शक्ति- जहां कि सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग का समाधान हो जाए कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कष्टकारिता होगी वहां, यथास्थिति, वह मंत्रालय या विभाग ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक, और ऐसे अपवादों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह न्यायसंगत और साम्यिक रीति से किसी मामले के संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, आदेश द्वारा समाप्त कर सकती है अथवा उन्हें शिथिल कर सकती है:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा और यह उस नियम या विषय पर निर्भर करेगा जिसमें शिथिलता अपेक्षित है और उस नियम या विषय के साथ कौन सा विभाग संबद्ध है।

87. निरसन और व्यावृत्ति- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक नियम(केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 सहित), विनियम या आदेश, जिसके अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन भी है(जिसे इस नियम में इसके पश्चात पुराना नियम कहा गया है), जहां तक कि वह इन नियमों में सन्निहित किन्हीं मामलों की व्यवस्था करता हो, प्रवृत्त नहीं रह जाएगा।

(2) प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति के होते हुए भी,-

- (क) (i) उपदान के संदाय के लिए प्रत्येक नामनिर्देशन; और
- (ii) कुटुंब पेंशन के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के ब्यौरों के बारे में प्रत्येक प्ररूप;
- (iii) पेंशन मंजूरी के लिए प्रत्येक औपचारिक आवेदन,

जिसे पुराने नियम के अधीन सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया था या दिया गया था, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या दिया गया समझा जाएगा।

- (ख) उपदान के संदाय के लिए कोई भी नामनिर्देशन अथवा कुटुंब पेंशन के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के व्यौरों के संबंध में कोई प्ररूप जिसका पुराने नियम के अधीन सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाना या दिया जाना अपेक्षित हो, किन्तु जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व न किया गया हो या न दिया गया हो, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे प्रारंभ के पश्चात किया या दिया जाएगा।
- (ग) ऐसा कोई भी मामला, जिसका संबंध ऐसे सरकारी कर्मचारी की, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था, पेंशन प्राधिकृत किए जाने से हो और जो मामला ऐसे प्रारंभ पर लंबित हो, पुराने नियमों के उपबंधों के अनुसार वैसे ही निपटाया जाएगा मानो ये नियम बनाए ही न गए हों:
- (घ) ऐसा कोई मामला, जिसका संबंध किसी मृत सरकारी कर्मचारी अथवा मृत पेंशनभोगी के कुटुंब के उपदान और कुटुंब पेंशन के प्राधिकृत किए जाने से हो और जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व लंबित हो, पुराने नियमों के उपबंधों के अनुसार वैसे ही निपटाया जाएगा मानो ये नियम बनाए ही न गए हों:
- (ङ) खंड(ग) और खंड(घ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुराने नियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

[फाइल सं. 38/3/2017-पी&पीडबल्यू(ए)]

(संजीव नारायण माथुर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्ररूप 1

(नियम 9(1) देखिए)

केंद्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् एक वर्ष तक की अवधि के भीतर वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन।

क. अधिकारी की विशिष्टियां

1.	पेंशनभोगी का नाम(स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	सेवानिवृत्ति की तारीख	
3.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की विशिष्टियां जिसमें उस पेंशनभोगी ने सेवानिवृत्ति से पूर्व के अंतिम पांच वर्षों के दौरान सेवा की है। (अवधि लिखिए)	
4.	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद और वह अवधि जिसके लिए वह धारण किया गया।	
5.	पद का वेतनमान/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन और सेवानिवृत्ति के समय अधिकारी द्वारा लिया जाने वाला वेतन।	
6.	पेंशन हितलाभ क) स्वीकृत/प्रत्याशित सकल मासिक पेंशन ख) सरांशीकरण, यदि कोई हो। ग) उपदान, यदि कोई हो।	

ख. प्रस्तावित नियोजन की विशिष्टियां

7.	प्रस्तावित ऐसे वाणिज्यिक नियोजन के संबंध में व्यौरे जिसे शुरू किया जाना है:- (क) (i) संगठन का नाम (फ़र्म या कंपनी या सहकारी समिति इत्यादि)। (ii) संगठन की प्रकृति का सार। (iii) संगठन के पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता। (iv) स्थायी खाता संख्या या कर पहचान संख्या या संगठन की पंजीकरण संख्या। (ख) फ़र्म द्वारा विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद/फ़र्म द्वारा किए जाने वाले कारोबार का प्रकार आदि। (ग) क्या अधिकारी ने अपनी शासकीय वृत्ति के अंतिम तीन वर्षों के दौरान उक्त फ़र्म या कंपनी या सहकारी समिति इत्यादि के साथ कोई संव्यवहार आदि किया था। (घ) फ़र्म के साथ शासकीय संव्यवहारों की अवधि और प्रकृति। (ङ) प्रस्तावित कार्य/पद का नाम। (च) क्या इस पद के लिए विज्ञापन दिया गया था, यदि नहीं तो प्रस्ताव किस प्रकार किया गया था। (विज्ञापन से संबंधित समाचार-पत्र की कतरन और नियुक्ति प्रस्ताव की एक प्रति, यदि कोई हो) (छ) कार्य/पद के कर्तव्यों का वर्णन, पद/कार्य के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक (ज) यदि प्रैक्टिस आरंभ करने का प्रस्ताव है तो निम्नलिखित के बारे में बताएं: (i) प्रैक्टिस के क्षेत्र में वृत्तिक अहंताएं (ii) प्रस्तावित प्रैक्टिस की प्रकृति	
8	ऐसी कोई जानकारी जो आवेदक अपने अनुरोध के समर्थन में देना चाहता है।	

9.

घोषणा:

मैं घोषणा करता हूँ कि -

- (क) सेवा के विगत तीन वर्षों में मुझे कोई भी संवेदनशील या रणनीतिक जानकारी नहीं मिली है, जो सीधे तौर पर उस संगठन के हित या कार्य से संबंधित है, जिसमें मैं कार्यग्रहण करने का प्रस्ताव करता हूँ या जिन क्षेत्रों में मैं प्रैक्टिस या परामर्श करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मेरे द्वारा धारित कार्यालय की नीतियों के साथ प्रस्तावित नियोजन से हितों का संघर्ष नहीं होगा और जिस संगठन में मैं कार्यग्रहण करने का प्रस्ताव करता हूँ उसके हित या कार्य से, मुझे सरकार के कामकाज के साथ संघर्ष की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- (ग) जिस संगठन में मैं नियोजन करने का इच्छुक हूँ वह उन गतिविधियों में शामिल नहीं है जो भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू सद्भाव के विरोधी या प्रतिकूल हैं। संगठन कोई खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कोई गतिविधि नहीं कर रहा है। मैं जिस नियोजन को लेने का प्रस्ताव करता हूँ, उसमें ऐसी गतिविधियाँ भी शामिल नहीं होंगी जो भारत के विदेशी संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और घरेलू सद्भाव के विरोधी हों या प्रतिकूल गतिविधियों से जुड़ी हों।
- (घ) मेरा सेवा रिकॉर्ड दोषरहित है, विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठनों के साथ ईमानदारी और व्यवहार के संबंध में।
- (ङ) प्रस्तावित परिलब्धियाँ और आर्थिक लाभ उद्योग मानकों के अनुरूप हैं।
- (च) मैं सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति होने की दशा में वाणिज्यिक नियोजन से हटने के लिए सहमत हूँ।

वचनबंध

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई नहीं गई है। किसी भी सूचना के असत्य पाए जाने की स्थिति में, बिना कोई कारण बताए और किसी भी अन्य कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कार्यवाई और दंडिक कार्यवाहियों सहित कोई भी कार्यवाई जो वह उचित समझे कर सकती है और अनुमति वापस ली जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का पता

प्ररूप 2

(नियम 9(5) देखिए)

सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार करने हेतु अनुज्ञा के लिए पेंशनभोगी के अनुरोध पर कार्यवाई करने हेतु जांच सूची

विषय:- सेवानिवृत्ति के पश्चात् वाणिज्यिक नियोजन के लिए सेवानिवृत्त समूह 'क' के अधिकारियों को अनुज्ञा देना -

श्री का मामला

1. कार्यालय/मंत्रालय/विभाग में आवेदन प्राप्त होने की तारीख

2. निर्धारित मानदंड के संदर्भ में टिप्पणी-

मानदंड

टिप्पणियां

- क) प्रस्तावित नियोजन की प्रकृति और नियोजक का पूर्ववृत्त। (यदि संबंधित फर्म को सरकार द्वारा काली सूचीबद्ध किया गया था, तो यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाना चाहिए)
- ख) क्या उस नियोजन के कर्तव्य, जिसे वह ग्रहण करना चाहता है ऐसे हो सकते हैं जिससे उस सरकार का विरोध करना पड़े?
- ग) क्या पेंशनभोगी का सेवा के दौरान उस नियोजक के साथ, जिसके अधीन उसका नियोजन प्रस्तावित है, कोई ऐसा व्यवहार था जिससे यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसे पेंशनभोगी ने ऐसे नियोजक के प्रति पक्षपात किया था?
- घ) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक नियोजन के कर्तव्य ऐसे हैं जिनमें ऐसे सरकार के विभागों के साथ संबंध/संपर्क रखना होगा?
- ङ) क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे होंगे कि सरकार के अधीन उसकी पूर्व शासकीय प्रास्थिति अथवा ज्ञान अथवा अनुभव का उपयोग, प्रस्तावित नियोजक को कोई अवांछित लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है ?
- च) कोई अन्य सुसंगत तथ्य

3. क्या सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी की सत्यनिष्ठा प्रमाणित थी?
4. आवेदक का एपीएआर डोजियर
मंत्रालय/विभाग द्वारा संलग्न किया गया है/संलग्न किया जाए।
5. शर्तों सहित अनुज्ञा देने या अस्वीकार करने के संबंध में सिफारिश, यदि कोई हो, जिसके अधीन अनुज्ञा दी जा सकती है।

मामले की सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम

प्ररूप 3

उपदान, सामान्य भविष्य निधि तथा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लिए सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप

(केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 46, सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 के नियम 5 और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के पैरा 19.7 देखिए)

मैं,....., नीचे वर्णित व्यक्ति/व्यक्तियों को, एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता हूं और मेरी मृत्यु होने की दशा में उसे/उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक निम्नलिखित आधार पर रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करता हूं:

- i. कोई उपदान जिसका संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 44 और नियम 45 के अधीन प्राधिकृत किया जाए,
- ii. कोई रकम जो मेरे सामान्य भविष्य निधि में जमा हो,
- iii. कोई रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के अधीन संस्वीकृत की जाए।

नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि और पता	कर्मचारी / पेंशनभोगी से नातेदारी	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है, तो उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो अवयस्क के निमित्त रकम प्राप्त कर सकेगा	स्तम्भ (1) के अधीन नामनिर्देशिती की कर्मचारी से पूर्व मृत्यु होने की दशा में, आनुकल्पिक नामनिर्देशिती का नाम, जन्मतिथि, नातेदारी और पता	प्रत्येक को संदत्त किया जाने वाला अंश	उस व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता, जो स्तम्भ (5) में आनुकल्पिक नामनिर्देशिती के अवयस्क होने की दशा में रकम प्राप्त कर सकेगा	वह आकस्मिकता जिसके घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

ये नामनिर्देशन पूर्व में मेरे द्वारा किए गए किन्हीं नामनिर्देशनों को अधिकांत करेंगे।

स्थान और तारीख:

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

मोबाइल न.

टिप्पण : 1 उन फ़ायदों को पूरी तरह काट दें जिसके लिए नामनिर्देशन आशयित नहीं है। उपर्युक्त फायदों (i), (ii) और (iii) के लिए विभिन्न व्यक्तियों को नामनिर्देशित किए जाने के लिए इस नामनिर्देशन प्ररूप की पृथक प्रतियों का उपयोग किया जाए।

टिप्पण: 2 सरकारी कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे खाली स्थान पर तिरछी रेखाएं खिचेगा ताकि उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात् किसी नाम को अंतःस्थापित न किया जा सके।

टिप्पण: 3 उपदान की रकम के अंश के अंतर्गत नामनिर्देशिती(यों)/आनुकल्पिक नामनिर्देशिती (यों) को संदेय सारी रकम आ जानी चाहिए।

कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए

निम्नलिखित नियमों के अधीन, तारीख को नामनिर्देशन प्राप्त किए:-

1. उपदान के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021
2. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960
3. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980

श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा किया गया

पदनाम

कार्यालय.....

(अप्राप्त नामनिर्देशन को काट दें)

सत्यापित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार है/हैं। नामनिर्देशन(नामनिर्देशनों) की प्राप्ति की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के पृष्ठखंड..... में कर ली गई है।

कार्यालयाध्यक्ष/प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पदनाम, मुहर सहित

प्राप्ति की तारीख

प्राप्त करने वाला अधिकारी उपरोक्त जानकारी को भरेगा और सम्यक रूप से भरे प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को लौटाएगा जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ताकि वह उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके हिताधिकारियों को प्राप्त हो सके।

प्राप्त करने वाला अधिकारी इस प्ररूप के दोनों पृष्ठों पर अपने दिनांकित हस्ताक्षर करेगा।

प्ररूप 4

[नियम 50 (15), 57, 58, 59, 60, 62, 74, 79 और 80 देखिए]

कुटुंब के ब्यौरे

महत्वपूर्ण

- सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा किए गए सभी परिवर्धन या परिवर्तन समर्थक दस्तावेजों सहित संसूचित किए जाएं और कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्ररूप में स्तंभ 7 में अभिलिखित किया जाए। मूल प्ररूप के स्थान पर नया प्ररूप न भरा जाए। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को प्ररूप 6 के साथ कुटुंब के नवीनतम ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे।
- पति या पत्नी, सभी बच्चे और माता-पिता तथा निःशक्त सहोदरों (भाइयों और बहनों) सहित कुटुंब के सभी सदस्यों (चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या नहीं) के ब्यौरे दिये जाएंगे।
- कार्यालय अध्यक्ष "टिप्पणियां" स्तम्भ में कुटुंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा। कुटुंब के किसी सदस्य की निःशक्तता या वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन संबंधी तथ्य को भी "टिप्पणियां" स्तम्भ में उपदर्शित किया जाएगा।
- पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।
- पेंशनभोगी प्ररूप 5 में सेवानिवृत्ति के पश्चात् कुटुंब संरचना में आए किसी परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न करेगा।
- जन्म प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की जाएं। कोई अन्य सुसंगत प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, तो उनकी प्रतियां भी संलग्न की जाएं।

सरकारी कर्मचारी का नाम		पदनाम		राष्ट्रीयता	
------------------------	--	-------	--	-------------	--

कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे:

क्र.सं.	नाम (कृपया भरने से पूर्व नीचे दी गई टिप्पणियों को देखें)	जन्मतिथि दिन/मास/वर्ष	आधार सं. (वैकल्पिक)	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियाँ	कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर और तारीख
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

6.							
7.							
8.							

मैं कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन अधिसूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों को अद्वयतन रखने का एतदद्वारा वचन देता हूँ।

ई-मेल: वैकल्पिक

स्थान

मोबाइल:

तारीख:

(हस्ताक्षर):

*आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

प्ररूप 5

(नियम 50(15) देखिए)

सेवानिवृत्ति के पश्चात् विवाह/बच्चे के जन्म के संबंध में प्रज्ञापना

सेवा में

कार्यालय अध्यक्ष

.....

विषय: सेवानिवृत्ति के पश्चात् विवाह/बच्चे के जन्म के संबंध में प्रज्ञापना

महोदय,

मुझे यह कहना है कि मैंने दिनांक को विवाह/पुनर्विवाह किया है। मैंने अपने पीपीओ में आवश्यक पृष्ठांकन हेतु अपने पति/अपनी पत्नी के अपेक्षित विवरण नीचे दिए हैं। मैंने आवश्यक कार्रवाई हेतु मेरे पति/मेरी पत्नी के साथ पासपोर्ट आकार का संयुक्त फोटो भी संलग्न किया है।

1. पेंशनभोगी का नाम (जैसाकि पीपीओ में अभिलिखित है)

2. पूर्ण वर्तमान पता

3. सेवानिवृत्ति की तारीख

4. (i) पीपीओ सं. एवं तारीख

(ii) पीपीओ जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम

5. पेंशन संवितरण प्राधिकारी का नाम

(i) स्टेशन

(ii) यथास्थिति, खजाना/डीपीडीओ/पीएओ/पीएसबी

(iii) पूर्ण पते सहित बैंक की शाखा एवं खाता सं.

6. (क) कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे (पहले से उपलब्ध अभिलेख के अनुसार)

क्रम सं.	कुटुंब के सदस्यों के नाम व पता	पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	पुत्र/पुत्री होने की दशा में वैवाहिक प्रास्थिति	क्या बच्चा शारीरिक रूप से निःशक्त है

(ख) यदि आवेदन सेवानिवृत्ति के पश्चात् किए गए विवाह के संबंध में पति/पत्नी के नाम को शामिल करने के लिए है, तो पूर्व पति/पत्नी की मृत्यु/तलाक की तारीख (मृत्यु प्रमाणपत्र/तलाक की डिक्री की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाए)

7. सेवानिवृत्ति के बाद किए गए विवाह से पति/पत्नी का विवरण

(i) नाम

(ii) पेंशनभोगी के साथ विवाह की तारीख (कृपया विवाह प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)

(iii) यदि पेंशनभोगी का पति/पत्नी जिसके नाम को शामिल करने का प्रस्ताव है, के अलावा कोई अन्य पति/पत्नी जीवित है, तो क्या यह विवाह पेंशनभोगी पर लागू स्वीय विधि के अनुसार वैध है? यदि हां, तो ब्यौरा दें।

8. सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे बच्चों का विवरण

क्रम सं.	सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे बच्चे का नाम	जन्मतिथि (जन्म प्रमाणपत्र संलग्न करें)	क्या बच्चा किसी प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त है

9. सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिया गया विवरण सही है।

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

(स्पष्ट अक्षरों में नाम व पता)

तारीख

प्ररूप 5 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. पीपीओ की प्रति।
2. पति/पत्नी के साथ पासपोर्ट आकार के संयुक्त फोटो की तीन प्रतियां।
3. संयुक्त बैंक खाते (पति/पत्नी के साथ) जिसमें पेंशन जमा की जानी है, की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी।
4. मृत्यु प्रमाणपत्र/ तलाक की डिक्री की स्व-सत्यापित प्रतियां
5. विवाह प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति
6. सेवानिवृत्ति के पश्चात् जन्मे बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र
7. बच्चे का निःशक्तता प्रमाणपत्र (यदि बच्चा किसी निःशक्तता से ग्रस्त है)

प्ररूप 6

[नियम 57(1), 58, 59 और 60, 62, 80 देखिए]

सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अभिप्रास की जाने वाली विशिष्टियां

फोटोग्राफ

फोटोग्राफ

1. सरकारी कर्मचारी का ब्यौरा:

नाम		पदनाम/रैंक	
जन्मतिथि		सेवानिवृत्ति की तारीख	
मंत्रालय/विभाग/कार्यालय		पैन सं.	
आधार सं.*(स्वैच्छिक)		राष्ट्रीयता	

2. भविष्य के पत्राचार के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता:

फ्लैट/मकान सं./बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाक घर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
दूरभाष सं.(यदि कोई हो)		मोबाइल सं.	
ई-मेल आईडी			

3. बैंक का ब्यौरा जिसके माध्यम से पेंशन आहरित की जानी है:

खाता का प्रकार	☐ एकल ☐ पति/पत्नी के साथ संयुक्त	खाता सं.	
बैंक का नाम		शाखा	
आईएफएस कोड			
टिप्पण 1: कृपया खाता धारक का नाम दर्शाने वाली पासबुक के पृथम पृष्ठ/रद्द किए गए चेक/दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें। (बैंक खाते, इस फॉर्म और कार्यालय के रिकॉर्ड में नाम एक जैसा होना चाहिए।) टिप्पण 2: कृपया सुनिश्चित करें कि सरकारी कर्मचारी संयुक्त खाते में प्राथमिक खाताधारक है। टिप्पण 3: यदि कार्यालय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो इस आवश्यकता में छूट दी जा सकती है।			

4. सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ओर से इस प्ररूप को जमा करने के लिए नियम 57(3) के अधीन प्राधिकृत सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य का ब्यौरा:

नाम		सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	
आधार सं.*(स्वैच्छिक)		राष्ट्रियता	
फ्लैट/मकान सं./बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाक घर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
दूरभाष सं.(यदि कोई हो)		मोबाइल नंबर.	
ई-मेल आईडी		सरकारी कर्मचारी का इस प्ररूप को जमा नहीं कर पाने के कारण	

5. मैं केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का सरांशीकरण) नियमावली, 1981 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अपनी पेंशन का % सरांशीकृत करना चाहता हूं।

टिप्पण: कुटुंब का कोई सदस्य जिसे सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ओर से नियम 57(3) के अधीन इस प्ररूप को जमा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पेंशन के प्रतिशत के सरांशीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

6. उपदर्शित करें कि क्या कुटुंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुजेय है- (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)
सैन्य ☐
राज्य सरकार ☐
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/केंद्र या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि ☐
7. क्या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा
8. क्या कुटुंब के किसी सदस्य (पति/पत्नी के अलावा) को कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है?.....हां/नहीं
(यदि हां, तो कृपया प्ररूप 8 संलग्न करें)
9. क्या सरकारी कर्मचारी कार्यालय में कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) प्राप्त करना चाहता है?
.....हां/नहीं

घोषणाएं:

- *(1) मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य अर्हक सेवा की अवधि से संतुष्ट हूं।

या

मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य अर्हक सेवा की अवधि से संतुष्ट नहीं हूं और मैंने इस संबंध में पृथक रूप से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

या

मुझे पेंशन और उपदान के लिए गण्य अर्हक सेवा की अवधि के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

• **जो कथन लागू हो उस पर सही का निशान लगायें**

- * (2) मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों से संतुष्ट हूँ।

या

मैं नियम 57(1)(ग) के अधीन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा यथा प्रज्ञापित पेंशन और उपदान के लिए गण्य परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों से संतुष्ट नहीं हूँ और मैंने इस संबंध में पृथक रूप से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

या

मुझे पेंशन और उपदान के लिए गण्य परिलब्धियों और औसत परिलब्धियों के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

*** जो कथन लागू हो उस पर सही का निशान लगायें**

- (3) मुझे पता है कि कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि दावेदार/कुटुंब पेंशनभोगी का आचरण भविष्य में अच्छा बना रहे।

संलग्नक: संलग्न सूची के अनुसार:

स्थान:

दिनांक:

(इस प्रारूप को जमा करने के लिए प्राधिकृत सरकारी कर्मचारी/कुटुंब के सदस्य(नाम के साथ) के हस्ताक्षर)

टिप्पण 1: पेंशन का संरांशीकरण स्वैच्छिक है। यदि सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी पेंशन के प्रतिशत का संरांशीकरण कराने का इच्छुक नहीं है तो मद 5 को काट दिया जाए।

टिप्पण 2: यदि सेवानिवृत्त होने वाला/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस प्रारूप को जमा करने के बाद पेंशन के संरांशीकरण के लिए आवेदन करने का इच्छुक हो, तो केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संरांशीकरण) नियमावली, 1981 के प्रारूप 1-क में सेवानिवृत्ति पेंशन के संरांशीकरण के लिए पृथक आवेदन करना अपेक्षित है।

टिप्पण 3: अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अशक्त पेंशन/अनुकंपा भत्ता की दशा में एक वर्ष के पश्चात् पेंशन के सरांशीकरण के लिए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का सरांशीकरण) नियमावली, 1981 के प्ररूप -2 में आवेदन किया जाएगा।

*आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

प्ररूप 6 के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. दो नमूना हस्ताक्षर(पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाएं)। यदि दावेदार अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता है/सकती है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
2. प्ररूप 8, यदि कुटुंब के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। नियम 63(1)(घ) के अनुसार, कुटुंब के निम्नलिखित सदस्य पति/पत्नी के साथ कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकरण के पात्र हैं, यदि उनसे पूर्व कुटुंब का कोई अन्य सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है:
 - निःशक्त बच्चा/बच्चे (सहप्राधिकरण के लिए निःशक्ता प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।)
 - आश्रित माता-पिता
 - निःशक्त सहोदर (सहप्राधिकरण के लिए निःशक्ता प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना है।)
3. पति/पत्नी के साथ संयुक्त फोटो या स्वयं और पति/पत्नी की अलग-अलग फोटोग्राफ्स की तीन प्रतियाँ के साथ-साथ सदस्य या कुटुंब के सदस्यों की फोटोग्राफ्स की तीन प्रतियाँ जिनके नाम सह-प्राधिकृत कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किए जाने हैं।(फोटोग्राफ्स कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित की जाए)।
4. प्ररूप 4 – कुटुंब का व्यौरा।
5. पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अधिक संदाय को वापस करने के लिए फॉर्मेट 9 में वचनबंध।
6. सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप क में उपदान, केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना और सामान्य भविष्य निधि के लिए नामनिर्देशन- प्ररूप-3
7. सामान्य नामनिर्देशन प्ररूप में बकाया पेंशन और पेंशन के सरांशीकृत मूल्य (यदि पेंशन के सरांशीकरण के लिए आवेदन किया गया है) के लिए नामनिर्देशन- प्ररूप क।
8. *केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 7 में संदर्भित सुरक्षा-संबंधित या आसूचना संगठनों में सेवा करने वालों के लिए फॉर्मेट 1 में वचनबंध।(यदि लागू हो)
9. अनुभव(वैकल्पिक) के तहत व्यौरा जमा करने के लिए प्ररूप ।
10. सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की चिकित्सा सुविधाओं/नियत चिकित्सा भत्ता का लाभ उठाने के लिए विकल्प का प्ररूप।(यदि लागू हो)
11. बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें पेंशन जमा की जानी है या खाताधारक का नाम और खाता विवरण दर्शाने वाला कोई अन्य बैंक दस्तावेज।
12. पैन कार्ड की प्रति।

प्ररूप 7

[नियम 59, 60, 63 और 80 देखिए]

पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप

[सेवानिवृत्ति की तारीख से चार मास पूर्व वेतन और लेखा अधिकारी को भेजा जाए]

भाग-I (कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

1. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम				राष्ट्रीयता	
माता-पिता का नाम		☐ माता			
		☐ पिता			
*आधार सं. (यदि, हो)		पैन सं.		जन्मतिथि	
				(DD/MM/YYYY)	
2. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद: -					
(क) कार्यालय का नाम				(ख) धारित पद	
(ग) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर				(घ) मूल वेतन	
(ड) क्या उपरोक्त नियुक्ति सरकार के अधीन या सरकार से बाहर विदेश सेवा शर्तों पर थी					
(च) मूल विभाग में पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर/मूल वेतन					
क्या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी घोषित किया गया था					

3. सेवा के आरम्भ होने की तारीख (DD/MM/YYYY)				4. सेवा समाप्ति की तारीख (DD/MM/YYYY)			
5. सेवा समाप्ति का कारण (कृपया एक पर निशान लगाएं)							
(क) अधिवर्षिता (नियम 33)				(ख) अधिशेष घोषित किए जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (नियम 34)			
(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति [नियम 43 या एफआर 56(ट) के अधीन]							
(घ) सरकार की पहल पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति [नियम 42 या एफआर 56(अ)]							
(ङ) राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन (नियम 35, 36, 37 या 38)							
(च) चिकित्सीय आधार पर अशक्तता (नियम 39)							
(छ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (नियम 40)				(ज) पदच्युति/सेवा से हटाया जाना (नियम 24 और 41)			
5.क. अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश कि पेंशन पूर्ण दरों पर अनुज्ञात किया जाएगा या घटी दरों पर और घटी दरों की दशा में, वह प्रतिशतता जिस पर इसे अनुज्ञात किया जाना है (कृपया नियम 41 देखें)							
5.ख. सेवा से हटाये जाने/पदच्युति की दशा में, क्या प्रतिकर भत्ता की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए गए हैं और यदि ऐसा है, तो किस दर पर (कृपया नियम 41 देखें)							
6. सैन्य सेवा, यदि कोई है:-							
(क) सैन्य सेवा के अवधि				(ख) सैन्य सेवा के लिए आहरित सेवांत हितलाभ			
(ग) क्या सिविल पेंशन के लिए सैन्य सेवा की गणना करने का विकल्प दिया गया है (नियम 20)							
(घ) यदि ऊपर (ग) का उत्तर हाँ है, तो क्या सेवांत हितलाभ को वापस किया गया है							
7. किसी स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में की गई सेवा, यदि कोई है :-							
(क) सेवा का ब्यौरा:		संगठन का नाम		धारित पद			

सेवा की अवधि	से							तक	
	DD/MM/YYYY							DD/MM/YYYY	
(ख) क्या सरकार में पेंशन के लिए गणना में ली जाने वाली सेवा है									
(ग) क्या स्वायत्त संगठन ने केंद्रीय सरकार को अपने पेंशन संबंधी दायित्व का निर्वहन किया है									
8. क्या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लम्बित हैं। यदि हां, तो आरोपों का जापन/निलंबन आदेश/अपराधिक मामलों के ब्यौरे दर्शित किए जाएं। (नियम 8 के अनुसार, विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक और उन पर अंतिम आदेशों के जारी होने तक अनंतिम पेंशन अनुज्ञेय होगी और उपदान विधायित किया जाएगा)									
9. सेवा का ब्यौरा									
(क) सेवा की अवधि		से		सेवा की कुल अवधि					
		तक							
(ख) सेवा पुस्तिका में लोप, त्रुटियां या कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है। [नियम 57(1)(ख)(ii)के अधीन]									
(ग) ऐसी अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है:-									
(i) बाल सेवा (नियम 11 का 2रा उपबंध)									
(ii) अर्हक सेवा के रूप में गणना में न ली जाने वाली असाधारण छुट्टी (नियम 21)									
(iii) निलंबन की अवधियां जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (नियम 23)									
(iv) सेवा में व्यवधान [नियम 27(1)(ख) और नियम 28(ग)]									
(v) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियां जिनके लिए कोई पेंशन अंशदान संदेय नहीं है/प्राप्त नहीं हुआ है (नियम 29)									
(vi) कोई अन्य अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (ब्यौरा दें)									

(घ) अर्हक सेवा में परिवर्धन:-																		
(i) सिविल सेवा (नियम 19)								(ii) सैन्य सेवा (नियम 20)										
(iii) राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय में की गई सेवा का लाभ (नियम 13/नियम14)								अस्थायी हैसियत सेवा (नियम 15)										
(ङ) शुद्ध अर्हक सेवा (क – ख – ग + घ)																		
(च) पूर्ण की गई छमाही अवधियों के रूप में व्यक्त अर्हक सेवा (तीन मास और इससे अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास की अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 44 और नियम 45)**																		
10. परिलब्धियां :-																		
(क) नियम 31 के अनुसार परिलब्धियां																		
(ख) सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां-			से (DD /M M/Y YY Y)									त क (D D / M M / Y Y Y Y)						
तारीख से	तारीख तक	मूल दर	गैर पैक्टिस भत्ता	अन्य वेतन				औसत परिलब्धियों के प्रयोजनार्थ मूल वेतन (गैर पैक्टिस भत्ता सहित)										
टिप्पण: यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अधिकारी विदेश सेवा पर था, तो वे परिलब्धियां जो उसने सरकार के अधीन प्राप्त की होती, यदि वह विदेश सेवा में न गया होता, उनका उल्लेख उपरोक्त मद (क) और (ख) में किया जाए (नियम 31 का टिप्पण 5)																		

(ग) औसत परिलब्धियां (नियम 32)					
(घ) पेंशन के लिए गण्य परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां (जो भी अधिक है) (नियम 44)					
(ङ) सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां [(क) या (ग), जो भी अधिक है] (नियम 45)					
(च) कुटुंब पेंशन के लिए गण्य वेतन [(क) या (ग), जो भी अधिक है] (नियम 50)					
11. प्रस्तावित पेंशन ब्यौरा:-					
(क) प्रस्तावित पेंशन/सेवा उपदान (नियम 44)					
(ख) पेंशन पर प्रस्तावित महंगाई राहत (सेवानिवृत्ति की तारीख को)					
(ग) वह तारीख जिसको पेंशन शुरू होनी है (नियम 81)					
(घ) वह तारीख जिससे नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन, यदि कोई है, संदाय की जा रही है		वह तारीख जिस तक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनंतिम पेंशन मंजूर की गई		अनंतिम पेंशन की रकम, जो संदाय की जा रही है (प्रति मास)	
12. (क) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम (नियम 45)					
(ख) नियम 62 के अधीन दी गई अनंतिम उपदान की रकम,					
13. उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे					
(क) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस [नियम 68 के उपनियम (2), (3) & (4) देखिए]					
(ख) नियम 69 में निर्दिष्ट शोध्य					
(ग) संपदा निदेशालय द्वारा उपदर्शित रकम जिसे नियम 68 के उपनियम विधारित किया जाना है					

14. कुटुंब पेंशन की रकम और अवधि :		रकम
(क) बढी हुई दर [नियम 50(2)(क)(iii)]		
(ख) साधारण दर [नियम 50(2)(क)(i)]		
टिप्पण: पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में, बढी हुई दर पर कुटुंब पेंशन सात वर्ष की अवधि के लिए या उस तारीख तक की अवधि के लिए संदेय होगी जिसको सेवानिवृत्त मृत सरकारी कर्मचारी 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी पहले हो।		
15. परिवार के सदस्यों के नाम, जिन्हें पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) में कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की जाएगी।		
क. पति/पत्नी का नाम		
ख. यदि कुटुंब पेंशन को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जाना है (उदाहरण के लिए मृत पत्नी से बच्चे या तलाकशुदा पत्नी से बच्चे) तो पति/पत्नी को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत		
ग. ऊपर (ख) में निर्दिष्ट परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और नातेदारी	1.	
	2.	
	3.	
घ. परिवार के सदस्य का नाम, जिसे सह-प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात् निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर)		
16. क्या नियत चिकित्सा भत्ता अनुज्ञेय है	हाँ ☐	रकम
	नहीं ☐	
17. पेंशन का संराशीकरण :-		
(क) संराशीकृत पेंशन का प्रतिशत		
(ख) मासिक संराशीकृत पेंशन की रकम		
(ग) पेंशन का संराशीकृत मूल्य		
(घ) संराशीकृत भाग को घटाने के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकम		
सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारी का पता		
ईमेल आईडी, यदि हो		

टिप्पण: पेंशन का संराशीकृत भाग सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष या पेंशन के संराशीकृत मूल्य के भुगतान, जो भी बाद में हो, के पश्चात् बहाल कर दिया जाएगा।

प्ररूप 7 - सेवानिवृत्ति देयताओं पर समयोचित कार्रवाई हेतु कार्यालयाध्यक्ष के लिए जांच सूची

1. क्या सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी आवास का आबंटिती है											
2. वह तारीख जिसको नियम 55 में यथाउपबंधित, संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।											
3. संपदा निदेशालय से 'बेबाकी प्रमाणपत्र' प्राप्त होने की तारीख											
4. वह तारीख जिसको संपदा निदेशालय से उपदान से किसी प्रकार की रकम वसूली/विधारित करने के संबंध में संसूचना प्राप्त हुई											
5. यदि सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी सरकारी आवास का आबंटिती नहीं है, तो कार्यालय द्वारा जारी 'बेबाकी प्रमाणपत्र' की तारीख											
		(DD/MM/YYYY)									
6. वह तारीख जिसको सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को अर्हक सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन के लिए गणना में ली जाने वाली प्रस्तावित परिलब्धियों/औसत परिलब्धियों के बारे में प्रमाणपत्र दिया गया था।											
		(DD/MM/YYYY)									
7. क्या उपरोक्त प्रमाणपत्र के बारे में कर्मचारी से कोई आपत्ति प्राप्त हुई है											
8. क्या सरकारी कर्मचारी की संतुष्टि के अनुसार आपत्ति का समाधान किया गया है											
9. क्या सामान्य नामनिर्देशन प्ररूपों में निम्नलिखित के लिए नामनिर्देशन किया गया है											
(i) मृत्यु उपदान/सेवानिवृत्ति उपदान		(ii) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अधीन भुगतान									

(iii) सामान्य भविष्य निधि की रकम, यदि लागू है		(iv) पेंशन के बकाए	
(v) पेंशन का संराशीकृत मूल्य, यदि लागू है			
10.(i) क्या सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 7 के उप नियम 4 में उल्लिखित किसी संगठन में कार्य किया है			
(ii) यदि हां, तो क्या प्ररूप 6 के साथ फार्मेट 1 में वचनबद्धता प्राप्त की गई है और उसे अभिलेख में रखा गया है			
11. क्या 'पेंशन संवितरण प्राधिकरण' अर्थात बैंक खाते में दिये गए नाम सेवा रिकॉर्ड से मेल खाते है?	हां ☐ नहीं ☐		
12. पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संवितरण	पीएओ ☐ संवितरण प्राधिकरण ☐		

भाग-II

लेखा प्राधिकरण (लेखा अधिकारी द्वारा)

कार्यालयाध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागजपत्रों की प्राप्ति की तारीख (DD/MM/YYYY)																	
अनुज्ञेय हकदारियां -																	
क. अर्हक सेवा की अवधि																	
ख. पेंशन -	(i) पेंशन का वर्ग					(ii) मासिक पेंशन की रकम											
(iii) वह तारीख जिससे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियम 62 के अधीन अनंतिम पेंशन, यदि कोई है, का संदाय किया जा रहा है						(iv) संदाय की जा रही अनंतिम पेंशन की रकम											
(v) वह तारीख जिस तक अनंतिम पेंशन का संदाय जारी रहेगा							(vi) वह तारीख जिससे नियमित पेंशन शुरू होगी										
टिप्पण 1 : पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा अंतिम पेंशन शुरू करने की तारीख पीपीओ जारी होने की तारीख से न्यूनतम दो मास के बाद की होगी, जिसमें सीपीएओ और सीपीपीसी द्वारा पेंशन मामले पर कार्रवाई करने में लगने वाले संभावित समय को ध्यान में रखा जाएगा। वेतन एवं लेखा कार्यालय अंतिम पेंशन को अधिकृत करते समय इस संबंध में पीपीओ में एक नोट दर्ज करेगा। टिप्पण 2: तदनुसार, अनंतिम पेंशन का भुगतान पीडीए द्वारा अंतिम पेंशन शुरू करने के लिए																	

पीपीओ में उल्लिखित तारीख तक कार्यालय से जारी रहेगा।									
टिप्पण 3: कार्यालयाध्यक्ष अंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की रकम और अनंतिम पेंशन की रकम के बीच के अंतर को आहरित और संवितरित करेगा। यदि अंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की रकम अनंतिम पेंशन की रकम से कम है, तो अंतर को संदेय उपदान की रकम से, यदि ऐसा न हो तो, भविष्य में संदेय पेंशन से किशतों में समायोजित किया जाएगा।									
ग. पेंशन का संराशीकरण -									
(i) संराशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई है									
(ii) संराशीकृत पेंशन के भाग का संराशीकृत मूल्य, यदि कोई है									
(iii) संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन									
(iv) वह तारीख जिससे घटी हुई पेंशन संदेय है (DD/MM/YYYY)									
(v) पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली की तारीख (पेंशनभोगी के जीवित होने के अध्यधीन है) (DD/MM/YYYY)									
घ. सेवानिवृत्ति उपदान -									
(i) उपदान की कुल रकम									
(ii) नियम 62 के अधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संदत्त अनंतिम उपदान									
(iii) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकायों और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम (नियम 68(1) और नियम 68(4))									
(iv) अनिर्धारित अनुज्ञप्ति फीस के कारण विधारित किए जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा संसूचित रकम (नियम 68(5))									
(v) सरकारी आवास से भिन्न सरकारी शोध्यों के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम (नियम 69)									

(vi) तत्काल दी जाने वाली शुद्ध रकम		
ड. कुटुंब पेंशन की रकम और अवधि –	रकम	अवधि
(i) बढी हुई दर पर		
(ii) साधारण दर पर		
च. परिवार के उन सदस्य/सदस्यों का नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की जानी है		
(क) पति/पत्नी का नाम		
(ख) यदि कुटुंब पेंशन को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जाना है, तो पति/पत्नी को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत (उदाहरण हेतु मृत पत्नी से बच्चे या तलाकशुदा पत्नी से बच्चे)		
(ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और नातेदारी		
(घ) परिवार के सदस्य का नाम जिसे सह-प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात्: निःशक्त बालक/आश्रित माता/पिता/निःशक्त सहोदर)		
छ. लेखाशीर्ष जिसमें पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन की रकम विकलनीय है		

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पेंशन संगणना पत्र

1. नाम											2. पदनाम										
3. जन्मतिथि				4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर										5. मूल वेतन							
6 सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख (DD/MM/YYYY)											7.सेवानिवृत्ति की तारीख (DD/MM/YYYY)										
8. पेंशन/उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (पीपीओ में यथा उपदर्शित)																					
9. अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां																					
10. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो भी पेंशन के लिए अधिक लाभप्रद हो (पीपीओ में यथा उपदर्शित)																					
11. अनुज्ञेय पेंशन (यदि अर्हक सेवा दस वर्ष या अधिक है) की गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए:- परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां/2																					
12. उपदान के लिए परिलब्धियां (पीपीओ में यथा उपदर्शित)																					
13. अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान की गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए:- परिलब्धियां/4X अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किन्तु 66 से अनधिक)																					
14. कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (पीपीओ में यथा उपदर्शित)																					
15. अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए)-																					

(क) सामान्य कुटुंब पेंशन : वेतन X 30% निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन	
(ख) बड़ी हुई कुटुंब पेंशन: वेतन/2 (निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन)	
16. पेंशन संराशीकरण के ब्यौरे, यदि कोई है	
(क) संराशीकृत पेंशन का प्रतिशत	
(ख) संराशीकृत मासिक पेंशन की रकम	
(ग) पेंशन का संराशीकृत मूल्य	
(घ) संराशीकृत भाग को घटाने के बाद अवशिष्ट पेंशन की रकम	
17. नियत चिकित्सा भत्ता की रकम, यदि अनुज्ञेय है	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित पीएओ

प्रति :- श्री/श्रीमती/कुमारी

(सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी)

प्ररूप 7- क

[नियम 63 (5) देखिए]

ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित थीं और जिसे नियम 8 के अनुसार अनंतिम पेंशन संस्वीकृत की गई थी, की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान निर्धारण करने के लिए प्ररूप

भाग - I (कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरा जाए)

1. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम																						
माता-पिता का नाम ☐ माता ☐ पिता																						
* आधार सं. (यदि, हो)		पैन सं.		जन्मतिथि (DD/MM/YYYY)																		
2. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद: -																						
(क) कार्यालय का नाम				(ख) धारित पद																		
(ग) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर				(घ) मूल वेतन																		
(ङ) क्या उपरोक्त नियुक्ति सरकार के अधीन या सरकार से बाहर विदेश सेवा शर्तों पर थी																						
(च) मूल विभाग में पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर/मूल वेतन																						
क्या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी घोषित किया गया था																						
3. सेवा के आरम्भ होने की												4. सेवा समाप्ति की तारीख										

तारीख (DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)	
5. सेवा समाप्ति का कारण (कृपया एक पर निशान लगाएं)			
(क) अधिवर्षिता (नियम 33)	(ख) अधिशेष घोषित किए जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (नियम 34)		
(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति [नियम 43 या एफआर 56(के) के अधीन]			
(घ) सरकार की पहल पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति [नियम 42 या एफआर 56(जे)]			
(ङ) राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन (नियम 35, 36, 37 या 38)			
(च) चिकित्सीय आधार पर अशक्तता (नियम 39)			
(छ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (नियम 40)	(ज) पदच्युति/सेवा से हटाया जाना (नियम 24 और 41)		
6. सेवा का ब्यौरा			
(क) सेवा की अवधि	से तक	सेवा की कुल अवधि	
(ख) सेवा पुस्तिका में लोप, त्रुटियों या कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है [नियम 57 के अधीन]			
(ग) ऐसी अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है:-			
(i) बाल सेवा (नियम 11 का 2रा उपबंध)			
(ii) अर्हक सेवा के रूप में गणना में न ली जाने वाली असाधारण छुट्टी (नियम 21)			
(iii) निलंबन की अवधियां जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (नियम 23)			

(iv) सेवा में व्यवधान [नियम 27(1)(ख) और नियम 28(ग)]																					
(v) संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियां जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन प्राप्त किया गया है (नियम 29)																					
(vi) कोई अन्य अवधि जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है (ब्यौरा दें)																					
(घ) अर्हक सेवा में परिवर्धन:-																					
(i) सिविल सेवा (नियम 19)					(ii) सैन्य सेवा (नियम 20)																
(iii) राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय में की गई सेवा का लाभ (नियम 13/नियम 14)					अस्थायी हैसियत सेवा (नियम 15)																
(ड) शुद्ध अर्हक सेवा (क - ख - ग + घ)																					
(च) पूर्ण की गई छमाही अवधियां जिन्हें अर्हक सेवा माना गया है)तीन मास और इससे अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास की अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 44 और नियम 45)																					
7. परिलब्धियां:-																					
(क) नियम 31 के अनुसार परिलब्धियां																					
(ख) सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां-	से (DD/MM/YYYY)											तक (DDMMYYYY)									
टिप्पण: यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अधिकारी विदेश सेवा पर था, तो नोशनल परिलब्धियां जो उसने सरकार के अधीन तब प्राप्त की होती, यदि वह विदेश सेवा पर न होता, उनका उल्लेख उपरोक्त मद (क) और (ख) में किया जाए (नियम 32 का टिप्पण 5)																					

(ग) औसत परिलब्धियां (नियम 32)	
(घ) पेंशन के लिए गण्य परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां (जो अधिक हो) (नियम 44)	
(ङ) सेवानिवृत्ति उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां (नियम 45)	
(च) कुटुंब पेंशन के लिए गण्य वेतन (नियम 50)	
8. प्रस्तावित पेंशन ब्यौरा:-	
(क) पूर्ण दर पर पेंशन/सेवा उपदान की रकम (नियम 44)	
(ख) पूर्ण दर पर सेवानिवृत्ति उपदान की रकम (नियम 45)	
(ग) क्या नियम 8 के अधीन विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों के समाप्त होने तक पेंशन या उपदान के किसी भाग को विधारित किया जाएगा/वापस लिया जाएगा।	
(घ) विधारित किए/वापस लिए जाने वाले पेंशन का प्रतिशत	
(ङ) क्या पेंशन को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधारित किया जाना/वापस लिया जाना है?	
(च) वह तारीख जब से पेंशन को विधारित किया जाना/वापस लिया जाना है	
(छ) वह तारीख जिस तक पेंशन को विधारित किया जाना/वापस लिया जाना है (यदि किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधारित किया जाना/वापस लिया जाना है)	
(ज) विधारित/वापस ली गई रकम को घटाने के पश्चात् संदेय पेंशन की रकम	
(झ) वह तारीख जब से नियमित पेंशन शुरू की जानी है	
(ञ) नियम 8 के अधीन विधारित किए जाने वाले उपदान का प्रतिशत	

(ट) विधारित रकम को घटाने के पश्चात् उपदान की रकम	
(ठ) अनंतिम पेंशन की रकम जो नियम 8 के अधीन संस्वीकृत की गई थी	
(ड) वह तारीख जब से अनंतिम पेंशन संदत्त की गई	
9. उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे	
(क) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस [नियम 68 के उपनियम (2), (3) & (4) देखिए]	
(ख) नियम 69 में निर्दिष्ट शोध्य	
(ग) संपदा निदेशालय द्वारा उपदर्शित रकम जिसे नियम 68 के उपनियम (5) के अधीन विधारित किया जाना है	
10. कुटुंब पेंशन की रकम और अवधि:	रकम
(क) बढी हुई दर [नियम 50(2)(क)(iii)]	
(ख) साधारण दर [नियम 50(2)(क)(i)]	
टिप्पण: पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में, बढी हुई दर पर कुटुंब पेंशन सात वर्ष की अवधि के लिए, या उस तारीख तक की अवधि के लिए संदेय होगी जिसको सेवानिवृत्त मृत सरकारी कर्मचारी 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, यदि वह जीवित होता, इनमें से जो भी कम हो।	
11. परिवार के सदस्यों के नाम, जिन्हें पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) में कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की जानी है	
(क) पति/पत्नी का नाम	
(ख) यदि कुटुंब पेंशन को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जाना है (उदाहरण के लिए मृत पत्नी से बच्चे या तलाकशुदा पत्नी से बच्चे) तो पति/पत्नी को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत	

(ग) ऊपर (ख) में निर्दिष्ट परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और नातेदारी	1		
	2		
	3		
(घ) परिवार के सदस्य का नाम, जिसे सह-प्राधिकृत किया जाना है, (अर्थात् निःशक्त बालक/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर)			
12. पेंशन का संराशीकरण:-			
(क) संराशीकृत पेंशन का प्रतिशत			
(ख) मासिक संराशीकृत पेंशन की रकम			
(ग) पेंशन का संराशीकृत मूल्य			
(घ) संराशीकृत भाग को घटाने के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकम			
सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारी का पता			
ईमेल आईडी, यदि हो		मोबाइल नंबर, यदि हो	

टिप्पण: पेंशन का संराशीकृत भाग 15 वर्ष बाद पेंशन के संराशीकृत मूल्य के भुगतान, की तारीख से बहाल कर दिया जाएगा।

भाग-II

लेखा प्राधिकरण (लेखा अधिकारी द्वारा)

कार्यालयाध्यक्ष से लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन कागजपत्रों की प्राप्ति की तारीख (DD/MM/YYYY)																	
अनुज्ञेय हक्दारियां -																	
क. अर्हक सेवा की अवधि																	
ख. पेंशन -	(i) पेंशन का वर्ग						(ii) मासिक पेंशन की रकम										
(iii) नियम 8 के अधीन विधारित/ वापस लिए जाने वाले पेंशन का प्रतिशत							(iv) विधारित/वापस लिए गए रकम को घटाने के पश्चात् संदेय पेंशन की रकम										
(v) वह अवधि जब तक पेंशन विधारित किया/वापस लिया जाना है										(vi) प्रारंभ होने की तारीख							
(vii) संदत्त अनंतिम पेंशन की रकम (प्रति मास संदत्त अनंतिम पेंशन का विवरण संलग्न किया जाए)																	
ग. पेंशन का संराशीकरण -																	
(i) संराशीकृत पेंशन का भाग, यदि कोई है																	
(ii) संराशीकृत पेंशन के भाग का संराशीकृत मूल्य, यदि कोई है																	
(iii) संराशीकरण के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन																	
(iv) वह तारीख जिससे घटी हुई पेंशन संदेय है (DD/MM/YYYY)																	

(V) पेंशन के संराशीकृत भाग की बहाली की तारीख (पेंशनभोगी के जीवित होने के अध्येधीन है) (DD/MM/YYYY)									
घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान-									
(i) उपदान की कुल रकम									
(ii) नियम 8 के अधीन विधारित किए जाने वाले उपदान का प्रतिशत									
(iii) विधारित रकम को घटाने के बाद उपदान की रकम									
(iv) सरकारी आवास के लिए अनुज्ञप्ति फीस के बकायों और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम (नियम 68(1) और नियम 68(4))									
(V) अनिर्धारित अनुज्ञप्ति फीस के कारण विधारित किए जाने के लिए संपदा निदेशालय द्वारा संसूचित रकम (नियम 68(5))									
(vi) सरकारी आवास से भिन्न सरकारी शोध्यों के प्रति समायोजित की जाने वाली रकम (नियम 69)									
(vii) तत्काल दी जाने वाली शुद्ध रकम									
ड. कुटुंब पेंशन की रकम और अवधि –				रकम	अवधि				
(i) बढी हुई दर पर									
(ii) साधारण दर पर									
च. परिवार के उन सदस्य/सदस्यों का नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन प्राधिकृत की जानी है									
(क) पति/पत्नी का नाम									
(ख) यदि कुटुंब पेंशन को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया जाना है (उदाहरण के लिए मृत पत्नी से बच्चे या तलाकशुदा पत्नी से बच्चे) तो पति/पत्नी को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत									
(ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिष्ट परिवार के अन्य सदस्यों के नाम और नातेदारी									

(घ) परिवार के सदस्य का नाम जिसे सह-प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात; निःशक्त बालक/आश्रित माता/पिता/निःशक्त सहोदर)	
छ. लेखाशीर्ष जिसमें पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन की रकम विकल्पीय है	
ज. क्या सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 8 के अधीन पेंशन/उपदान को प्रभावित करने वाला कोई आदेश जारी किया गया है।	हां नहीं
यदि हां, तो उसके ब्यौरे	

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पेंशन संगणना पत्र

1. नाम		2. पदनाम	
3. जन्मतिथि	4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	5. मूल वेतन	
6. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख (DD/MM/YYYY)		7. सेवानिवृत्ति की तारीख (DD/MM/YYYY)	
8. पेंशन/उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (पीपीओ में यथा उपदर्शित)			
9. अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां			
10. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो भी पेंशन के लिए अधिक लाभप्रद हो (पीपीओ में यथा उपदर्शित)			
11. अनुज्ञेय पेंशन (यदि अर्हक सेवा दस वर्ष या अधिक है) की गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए:- परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां/2			
12. विधारित/वापस लिए जाने वाले पेंशन की रकम			
13. संदेय पेंशन की रकम			
14. उपदान के लिए परिलब्धियां (पीपीओ में यथा उपदर्शित)			
15. पूर्ण दर पर अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान की गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए:- परिलब्धियां/4X अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किन्तु 66 से अनधिक)			
16. विधारित/वापस लिए जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान की रकम			
17. संदेय सेवानिवृत्ति उपदान की रकम			
18. कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (पीपीओ में यथा उपदर्शित)			

19. अनुजेय कुटुंब पेंशन (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए):-	
(क) साधारण कुटुंब पेंशन : वेतन X 30% निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन	
(ख) बढी हुई कुटुंब पेंशन: वेतन/2 (निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन)	
20. पेंशन संराशीकरण के ब्यौरे, यदि कोई है	
(क) संराशीकृत पेंशन का प्रतिशत	
(ख) संराशीकृत मासिक पेंशन की रकम	
(ग) पेंशन का संराशीकृत मूल्य	
(घ) संराशीकृत भाग को घटाने के पश्चात् अवशिष्ट पेंशन की रकम	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित पीएओ

प्रति :- श्री/श्रीमती/कुमारी

(सेवानिवृत्त/सेवानित्त होने वाला सरकारी कर्मचारी)

प्ररूप 8

(नियम 63(1) और 79(2) देखिए)

पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशनभोगी के रूप में स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे/आश्रित माता-पिता/निःशक्त सहोदर के नामों को सम्मिलित करने/सह-प्राधिकृत करने के लिए सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी या उसके पति/पत्नी द्वारा आवेदन

1.सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ब्यौरा:

नाम		कार्यालय/विभाग/ मंत्रालय		राष्ट्रीयता	
सेवानिवृत्ति की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		मृत्यु की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		पीपीओ सं. (यदि जारी किया गया है)	

2. प्राथमिक/मौजूदा कुटुंब पेंशनभोगी का ब्यौरा:

नाम		मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी		पीपीओ सं.	
-----	--	--	--	-----------	--

3.कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किए जाने वाले कुटुंब के सदस्य अर्थात स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे/आश्रित माता-पिता/स्थायी रूप से निःशक्त सहोदर का ब्यौरा:

नाम		जन्मतिथि(दिन/मास/वर्ष)		आधार सं. *(स्वैच्छिक)	
पैन		मृत सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी		पहचान के व्यक्तिगत निशान	
हस्ताक्षर/बाएँ हाथ के अंगूठे की छाप		क्या कोई अन्य पेंशन/कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा है। यदि हां, तो जहां से आहरित किया जा रहा है उसका ब्यौरा और स्रोत			

4. कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किए जाने वाले कुटुंब के सदस्य का डाक पता:

फ्लैट/मकान सं./बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाकघर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
दूरभाष/मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी	

5. यदि सह-प्राधिकृत किए जाने वाला कुटुंब का सदस्य अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/नामनिर्देशिनी का ब्यौरा, जहां भी लागू हो:

नाम		जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)		आधार सं. *(स्वैच्छिक)	
पैन		अवयस्क/मानसिक रूप से निःशक्त कुटुंब के सदस्य के साथ नातेदारी			
सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी					

संरक्षक/नामनिर्देशिनी का डाक पता:

फ्लैट/मकान सं./बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाकघर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
दूरभाष/मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी	

6. सह-प्राधिकृत किए जाने वाले कुटुंब के सदस्य के बैंक खाते का ब्यौरा (स्वैच्छिक):

खाता सं. (स्वैच्छिक)		बैंक का नाम व शाखा	
आईएफएस कोड			

पता.....

मोबाइल/दूरभाष सं.....

टिप्पणी:- (i) यदि कुटुंब पेंशन के लिए कुटुंब के एक से अधिक सदस्यों को सह-प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है, तो कुटुंब के ऐसे सभी सदस्यों के संबंध में उपरोक्त मद 3 से मद 6 में फोटोग्राफ्स और व्यौरा इस प्ररूप के साथ अलग-अलग शीट में दिए जाएं।

(ii) स्थायी रूप से निःशक्त बच्चे/बच्चों/सहोदरों और/या आश्रित माता-पिता का नाम पीपीओ में तभी जोड़ा जाएगा जब कुटुंब पेंशन के लिए कोई अन्य पात्र पूर्व दावेदार न हो

(iii) यदि कुटुंब का कोई अन्य सदस्य कुटुंब के सह-प्राधिकृत सदस्य से पूर्व कुटुंब पेंशन पाने का हकदार हो जाता है तो सह-प्राधिकरण अमान्य हो जाएगा।

कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किए जाने वाले कुटुंब के प्रस्तावित प्रत्येक सदस्य के संबंध में प्ररूप 8 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची।

1. दो नमूना हस्ताक्षर(एक अलग शीट में प्रस्तुत किए जाएं)। यदि कुटुंब का सदस्य अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाना होगा।
2. पहचान का प्रमाण।
3. मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी का प्रमाण।
4. कुटुंब के सदस्य की स्व-प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की दो प्रतियां।
5. जन्मतिथि दर्शाने वाला आयु-प्रमाणपत्र। प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों या स्थानीय पंचायत से या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या केंद्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड के प्रमुख से होना चाहिए।
6. संरक्षक के दो नमूना हस्ताक्षर(यदि कुटुंब का सदस्य अवयस्क है या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त है तो एक अलग शीट में प्रस्तुत किया जाए)
7. यदि संरक्षक अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता/सकती है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाना होगा।
8. स्थायी पते के प्रमाण के साथ संरक्षक के फोटो आईडी प्रमाण की एक प्रति।
9. संरक्षक/नामनिर्देशित के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स की दो स्व-प्रमाणित प्रतियां
10. कुटुंब पेंशन के दावे के समर्थन में आय के संबंध में अंतिम आयकर रिटर्न, जिसके न होने पर एसडीएम से प्रमाणपत्र, जिसके न होने पर आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज।
11. नाम और खाता संख्या को जिसमें कुटुंब पेंशन जमा की जानी है दर्शाने वाली पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति। (प्ररूप में और बैंक खाते में दावेदार का नाम एक जैसा होना चाहिए)

प्ररूप 9

[नियम 71(2) (ख) और 71(6) देखिए]

मृत/लापता सरकारी कर्मचारी की बाबत उपदान दिए जाने के लिए आवेदन

(प्रत्येक दावेदार द्वारा अलग-अलग भरा जाए और अवयस्क दावेदार की दशा में यह प्ररूप उसकी ओर से संरक्षक द्वारा भरा जाए। यदि एक से अधिक अवयस्क दावेदार हों और उन सबके लिए एक ही संरक्षक हो ,तो संरक्षक को उन सबकी ओर से एक ही प्ररूप में उपदान का दावा करना चाहिए)

फोटोग्राफ

1. मृत/लापता सरकारी कर्मचारी का ब्यौरा:

नाम		मृत्यु होने की तारीख (DD/MM/YYYY)		लापता होने की तारीख (DD/MM/YYYY)	
कार्यालय/विभाग/मंत्रालय जिसमें मृत/लापता सरकारी कर्मचारी ने अंतिम सेवा की थी		पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख (केवल सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में) (DD/MM/YYYY)		राष्ट्रीयता	

2. दावेदारों का ब्यौरा:

क्रम सं..	नाम	जन्मतिथि (DD/MM/YYYY)	आधार सं.* (स्वैच्छिक)	मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	डाक पता	मोबाइल न.
1.						
2.						
3.						

3. यदि दावेदार अवयस्क है/हैं या मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है तो संरक्षक का ब्यौरा

नाम	जन्मतिथि (DD/MM/YYYY)	आधार सं.* (स्वैच्छिक)	अवयस्क/ मानसिक निःशक्त के साथ नातेदारी	मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	डाक पता

4. बैंक का ब्यौरा:

बैंक का नाम और बैंक शाखा का पता		खाता सं.		आईएफएससी कोड	
------------------------------------	--	----------	--	--------------	--

स्थान:

तारीख:

(दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर)

मोबाइल न.:

संलग्नक :

- क. मृत्यु प्रमाणपत्र
दावेदार के अवयस्क होने की दशा में संरक्षकता प्रमाणपत्र/क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- ख (फॉर्मेट 7) और जन्म-प्रमाणपत्र।
- ग दावेदार के मानसिक निःशक्त होने की दशा में संरक्षकता
प्रमाणपत्र/नामनिर्देशन और चिकित्सा प्रमाणपत्र
- घ पुलिस थाने में की गई लापता होने की रिपोर्ट की प्रति (केवल सरकारी
कर्मचारी के लापता होने की दशा में)
- ङ पुलिस थाने की रिपोर्ट कि तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी कर्मचारी
का अब तक पता नहीं चल सका है, की प्रति (केवल सरकारी कर्मचारी के
लापता होने की दशा में)
- च फॉर्मेट 8 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (केवल सरकारी कर्मचारी के लापता होने की
दशा में)
- *आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।*

[नियम 50, 71, 74, 76, 79 और 80 देखिए]

सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने अथवा कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने या अपात्र होने अथवा सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी के लापता हो जाने पर कुटुंब पेंशन के लिए कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन

फोटोग्राफ

कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन(एक बॉक्स पर सही का निशान लगाएं)

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु	पेंशनभोगी की मृत्यु	कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु	कुटुंब पेंशनभोगी की अपात्रता
सरकारी कर्मचारी का लापता होना	पेंशनभोगी का लापता होना	कुटुंब पेंशनभोगी का लापता होना	

1. मृत/लापता सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ब्यौरा(किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु या लापता होने की स्थिति में ही भरा जाए)

2. पिछले कुटुंब पेंशनभोगी का ब्यौरा जिसकी मृत्यु हो गई हो या अपात्र हो गया हो या लापता हो गया हो (किसी कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने या अपात्र होने या लापता होने की स्थिति में ही भरा जाए):

*मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का नाम		* कार्यालय/विभाग/मंत्रालय		* राष्ट्रीयता	
*सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		*सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		*पीपीओ सं. (सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति होने/मृत्यु होने पर जारी किया गया)	
पिछले कुटुंब		पिछले कुटुंब पेंशनभोगी		लापता होने की	

पेंशनभोगी का नाम जिसकी मृत्यु हो गई है/अपात्र हो गया है या लापता हो गए हैं		की मृत्यु/अपात्रता की तारीख (दिन/मास/वर्ष))		तारीख (केवल कुटुंब पेंशनभोगी के लापता होने के मामले में(दिन/मास/वर्ष)	
कुटुंब पेंशनभोगी के लापता होने के मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)				पिछले कुटुंब पेंशनभोगी जिनकी मृत्यु हो गई है या अपात्र हो गए हैं या लापता हो गए हैं को कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने वाला पीपीओ सं.	

टिप्पणी: (*) अंकित मर्दों की सूचना उस व्यक्ति के संबंध में दी जानी है जो विभाग में कार्यरत था तथा जिसकी मृत्यु पर मूलतः कुटुंब पेंशन संस्वीकृत की गई थी। शेष सूचना मृतक/अपात्र/लापता कुटुंब पेंशनभोगी के संबंध में दी जानी है।

3. दावेदार का ब्यौरा:

नाम		जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)		आधार सं. *(स्वैच्छिक)	
पैन		मृत/लापता सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी			
यदि दावेदार एक विधवा पुत्री है, तो दावेदार के पति की मृत्यु की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		यदि दावेदार एक तलाकशुदा पुत्री है		यदि दावेदार एक निःशक्त बच्चा/सहोदर है, तो निःशक्तता से ग्रस्त होने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
		तलाक की याचिका दर्ज कराने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)			
		तलाक की तारीख (दिन/मास/वर्ष)			

नाम		कार्यालय/विभाग/ मंत्रालय		राष्ट्रीयता,	
सेवानिवृत्ति की तारीख (पेंशनभोगी के मामले में) (दिन/मास/वर्ष)		मृत्यु की तारीख (सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी के मृत्यु होने के मामले में) (दिन/मास/वर्ष)		लापता होने की तारीख(सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के लापता होने के मामले में)(दिन/मास/वर्ष)	
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख(सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के लापता होने के मामले में)(दिन/मास/वर्ष)			पीपीओ सं. (यदि जारी किया गया है)(पेंशनभोगी के मामले में)		

4. डाक पता:

फ्लैट/मकान सं/बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाक घर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
दूरभाष/मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी	

5. यदि दावेदार अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/नामनिर्देशिनी का ब्यौरा, जहां भी लागू हो:

नाम		जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)		आधार सं. *(स्वैच्छिक)	
पैन		अवयस्क/मानसिक रूप से निःशक्त दावेदार के साथ नातेदारी			
मृत/लापता सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी					

डाक पता:

फ्लैट/मकान सं/बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाक घर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
दूरभाष/मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी	

6. बैंक का ब्यौरा:

खाता सं.		बैंक का नाम व शाखा	
आईएफएस कोड			

7. उपदर्शित करें कि क्या कुटुंब पेंशन किसी अन्य स्रोत से भी अनुज्ञेय है- (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)

सैन्य ☐

राज्य सरकार ☐

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/केंद्र या राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि ☐

8. क्या दावेदार के विरुद्ध कोई दंडिक कार्यवाहियां लम्बित हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा

9. क्या लापता सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के खिलाफ धोखाधड़ी या कोई अन्य गंभीर अपराध का कोई आरोप है? यदि हां तो ब्यौरा दें। (लापता सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में.....)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।

मुझे पता है कि कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि दावेदार/कुटुंब पेंशनभोगी का आचरण भविष्य में अच्छा बना रहे।

स्थान:

(दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर)

दिनांक:

**आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।*

टिप्पणी: यदि कुटुंब के किसी सदस्य या सदस्यों को कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है, तो प्ररूप 8 में एक आवेदन संलग्न किया जाए। नियम 63(1)(घ) के अनुसार, पति/पत्नी सहित कुटुंब के निम्नलिखित सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकरण के पात्र हैं, यदि उनसे पहले कुटुंब का कोई अन्य सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है:

- निःशक्त बच्चा/बच्चे।
- आश्रित माता-पिता।
- निःशक्त सहोदर।

प्ररूप 10 के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. दो नमूना हस्ताक्षर(पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाने हैं)।यदि दावेदार अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता है/सकती है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा।
2. पहचान का प्रमाण।
3. मृत/लापता सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी का प्रमाण
4. दावेदार के स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां।
5. प्ररूप-4 में कुटुंब का व्यौरा।
6. फार्मेट 9 में पेंशन संचितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अधिक संदाय को वापस करने का वचनबंध।
7. बच्चों की जन्मतिथि दर्शाने वाला आयु-प्रमाणपत्र। प्रमाणपत्र नगरपालिका प्राधिकारियों या स्थानीय पंचायत से या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या केंद्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड के प्रमुख से होना चाहिए।
8. संरक्षक के दो नमूना हस्ताक्षर(यदि दावेदार अवयस्क है या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त है तो एक अलग शीट में प्रस्तुत किया जाए)
9. यदि संरक्षक अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता/सकती है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाना होगा।
10. स्थायी पते के प्रमाण के साथ संरक्षक के फोटो आईडी प्रमाण की एक प्रति।
11. संरक्षक/नामनिर्देशिती के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स की दो स्व-प्रमाणित प्रतियां।
12. पूर्व पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के पेंशन संदाय आदेश की प्रति।
13. सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति, यदि लागू हो।
14. पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की अपात्रता के संबंध में दस्तावेज की प्रति, यदि लागू हो।
15. लापता **सरकारी कर्मचारी** या पेंशनभोगी या पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी के संबंध में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट की प्रति। (केवल लापता पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में)
16. पुलिस से रिपोर्ट की प्रति कि सभी प्रकार के प्रयासों के बावजूद सरकारी कर्मचारी का अब तक पता नहीं चल सका है (केवल लापता पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में)
17. फॉर्मेट 8 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (केवल लापता पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में)
18. कुटुंब पेंशन के दावे के समर्थन में आय के संबंध में अंतिम आयकर रिटर्न जिसके न होने पर एसडीएम से प्रमाणपत्र, जिसके न होने पर आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज।(पति/पत्नी के मामले में लागू नहीं)
19. नाम और खाता संख्या जिसमें कुटुंब पेंशन जमा की जानी है, दर्शाने वाली पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति। (प्ररूप में और बैंक खाते में दावेदार का नाम एक जैसा होना चाहिए)
20. यदि दावेदार एक विधवा/तलाकशुदा पुत्री या निःशक्त बच्चा/सहोदर है, तो दावेदार की पात्रता के समर्थन में दस्तावेज (अर्थात विधवा पुत्री के मामले में पति का मृत्यु प्रमाणपत्र/तलाकशुदा पुत्री के मामले में तलाक की डिक्री/निःशक्त बच्चे के मामले में निःशक्तता प्रमाणपत्र)
21. प्ररूप 8, यदि कुटुंब के किसी सदस्य को कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है।

प्ररूप-11

[कृपया नियम 74(1), 76(1) देखें]

सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने/लापता होने की दशा में कुटुंब पेंशन
और मृत्यु उपदान का संदाय

निर्धारित और प्राधिकृत किया जाना

दावेदारों का
फोटो

मामला - कुटुंब पेंशन/ मृत्यु
उपदान

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु

(कृपया किसी एक पर निशान

सरकारी कर्मचारी का लापता होना

लगाएँ)

भाग ।

अनुभाग ।

1. मृत/लापता सरकारी कर्मचारी का ब्यौरा :

(क) नाम				(ख) राष्ट्रियता				(ग) धर्म			
(घ) माता का नाम		(ङ) पिता का नाम		(च) जन्मतिथि (DD/MM/YYYY)							
(छ) मृत्यु की तारीख (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में) (DD/MM/YY)								(ज) लापता होने की तारीख (सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में) (DD/MM/YYYY)			

YY)																			
(झ) पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख (सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में) (DD/MM/YYYY)										(ज) वह तारीख जिस तक वेतन और भत्ता/छुट्टी वेतन का भुगतान किया गया है (सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में) (DD/MM/YYYY)									
2. मृत्यु / लापता होने के समय धारित पद:-																			
(क) कार्यालय का नाम																			
(ख) धारित अधिष्ठायी पद		(ग) स्थानापन्न पद																	
(घ) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर		(ङ) मूल वेतन																	
(च) विदेश सेवा शर्तों पर सरकार से बाहर धारित अंतिम पद की दशा में -																			
(i) मूल विभाग में धारित पद का वेतन स्तर						(ii) मूल वेतन													
(छ) सैन्य सेवा की कुल अवधि, यदि कोई है, जिसके लिए पेंशन और/या उपदान मंजूर किया गया था																			
(ज) सैन्य सेवा के लिए संदत्त कोई पेंशन/उपदा न की रकम					(झ) सैन्य सेवा के लिए संदत्त कोई पेंशन/उपदान की प्रकृति														
3. सेवा आरंभ होने की तारीख (DD/MM/ YYYY)					4. मृत्यु / लापता होने की तारीख (DD/MM/YYYY)														
5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार में सेवा की विशिष्टियां, यदि कोई हैं:																			
(क) संगठन का नाम	(ख) धारित पद				(ग) सेवा की अवधि														
				से				तक				कुल अवधि							

(घ) क्या उपरोक्त सेवा सरकार में उपदान के लिए गणना में ली जाने वाली सेवा है			☐ हां ☐ नहीं		
(ङ)) क्या स्वायत्त संगठन ने उपदान संबंधी दायित्व का निर्वहन केंद्र सरकार को किया है			☐ हां ☐ नहीं		
(च) पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की रकम, यदि कोई है		(छ) पूर्व सिविल सेवा के लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति, यदि कोई है			
6. उपदान के लिए अर्हक सेवा:					
(क) सेवा पुस्तिका में लोप, त्रुटियों या कमियों के ब्यौरे जिनकी उपेक्षा की गई है					
(ख) अनर्हक सेवा की अवधियां:	से	तक	दिनों की संख्या		
नियम 27 और नियम 28 के अधीन माफ किया गया सेवा में व्यवधान					
असाधारण छुट्टी जो उपदान के लिए अर्हक नहीं है					
निलंबन की अवधि जिसे अनर्हक सेवा माना गया					
बाल सेवा (नियम 11 का 2रा उपबंध)					
संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधियां जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन प्राप्त किया गया है (नियम 29)					
कोई अन्य सेवा जिसे अर्हक सेवा नहीं माना गया है					
अनर्हक सेवा की कुल अवधि					
(ग) अर्हक सेवा में परिवर्धन:	से	तक	दिनों की संख्या		
सिविल सेवा (नियम 19)					
सैन्य सेवा (नियम 20)					
किसी राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय में की गई सेवा का लाभ (नियम 13/नियम 14)					
अस्थायी हैसियत सेवा (नियम 15)(कुल सेवा का आधा)					

अर्हक सेवा की कुल अवधि							
(घ) शुद्ध अर्हक सेवा							
(ड) पूर्ण की गई छमाही अवधियां जिन्हें अर्हक सेवा माना गया है (तीन मास और तीन मास से अधिक की अवधि को पूर्ण छह मास की अवधि के रूप में माना जाए) (नियम 45)							
7. परिलब्धियां							
(क) नियम 31 के अनुसार परिलब्धियां							
(ख) मृत्यु/लापता होने से पूर्व दस मास में ली गई परिलब्धियां	से (DD/MM/YYYY)						तक
टिप्पण: यदि सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अधिकारी विदेश सेवा पर था, तो नौशनल परिलब्धियां जो उसने सरकार के अधीन तब प्राप्त की होती यदि वह विदेश सेवा पर न होता, उनका उल्लेख उपरोक्त मद (क) और (ख) में किया जाए (नियम 31 का टिप्पण 5)							
(ग) औसत परिलब्धियां (नियम 32)							
(घ) परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां (जो भी अधिक हो)							
(ड) कुटुंब पेंशन के लिए गण्य वेतन [जैसा (घ) में है]							
(च) मृत्यु/लापता होने की तारीख को अनुज्ञेय (घ) पर महंगाई भत्ता							
(छ) उपदान/उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां (नियम 45) [(घ)+(च)]							
8. उपदान की रकम							
मृत्यु उपदान (मृत सरकारी कर्मचारी की दशा में)							
सेवानिवृत्ति उपदान (लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में)							
टिप्पण: लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के बीच अंतर, संदेय होगा। यदि यह सिद्ध हो जाए कि मृत्यु हो गई है या लापता होने की तारीख से सात वर्ष पूरे हो जाएं।							
9. उपदान से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों के ब्यौरे:							
(क) सरकारी आवास के अधिभोग के लिए अनुज्ञप्ति फीस (नियम 77 देखें)							
(ख) संपदा निदेशालय द्वारा यथाउपदर्शित विधारित की जाने वाली रकम [नियम 77(1)(V) देखें]							
(ग) नियम 77 (2) में निर्दिष्ट शोध्य							
(घ) उपदान के रूप में संदेय शुद्ध रकम							
10. नामनिर्देशिती(याँ) के ब्यौरे जिनको उपदान संदेय है :							
क्रम सं.	(क) नाम	(ख) जन्मतिथि (DDMMYYYY)	(ग) आधार सं.* (यदि है)	(घ) मृत्यु उपदान में अंश	(ड) मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	(च) पता	
1.							
2.							

3.						
11. संरक्षक/नामनिर्देशिती के ब्यौरे जो अवयस्क/मानसिक रूप से निःशक्त संतान की दशा में उपदान का संदाय प्राप्त करेंगे						
क्रम सं.	(क) अवयस्क/मानसिक निःशक्त संतान का नाम	(ख) संरक्षक का नाम	(ग) आधार सं.* (यदि है)	(घ) मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	(ङ) संरक्षक का पता	
1.						
2.						
3.						
12. कुटुंब पेंशन के संदाय के ब्यौरे						
कुटुंब पेंशन का दर			कुटुंब पेंशन की रकम		वह अवधि जिसके लिए यह संदेय है	
			से	तक	कुल अवधि	
(क) बढ़ी हुई दर [नियम 50 (2)(ii)]						
(ख) साधारण दर [नियम 50 (2)(i)]						
13. कुटुंब के सदस्य(यों) के नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन के लिए प्राधिकृत किया जाना है						
(क) पति/पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों, यदि कोई हो, के ब्यौरे जो कुटुंब पेंशन साझा करेंगे और प्रत्येक को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत।	नाम	सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	मासिक आय	यदि दावेदार विधवा/तलाक़ शुदा पुरी है तो पति की मृत्यु/तलाक़ की तारीख*	यदि दावेदार निःशक्त बालक/सहोदर है, वह तारीख जिससे वह निःशक्तता से ग्रस्त है*	डाक पता (पिन कोड के साथ), मोबाईल न.और ईमेल आईडी
*यदि तलाक़ की तारीख माता-पिता दोनों की मृत्यु की तारीख के पश्चात् की है, तो इस कॉलम में तलाक़ की याचिका दर्ज कराने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा।						
(ख) परिवार के सदस्यों के नाम जिन्हें, सह-प्राधिकृत किया जाना है (अर्थात निःशक्त बालक/आश्रित माता/पिता/निःशक्त सहोदर)	नाम	सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी				

और नातेदारी					
14. संरक्षक के ब्यौरे जो अवयस्क/मानसिक रूप से निःशक्त संतान की दशा में कुटुंब पेंशन का संदाय प्राप्त करेंगे					
क्रम सं.	(क) अवयस्क/मानसिक रूप से निःशक्त संतान का नाम	(ख) संरक्षक का नाम	(ग) आधार सं.* (यदि है)	(घ) मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	(ङ) संरक्षक का पता
1.					
2.					
3.					
15. क्या नियत चिकित्सा भत्ता अनुज्ञेय है		☐ हाँ ☐ नहीं			रकम ()
स्थान: तारीख (कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर)					

अनुभाग II

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 75 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान के आहरण और संवितरण के ब्यौरे

उस व्यक्ति का नाम जिसे अनंतिम कुटुंब पेंशन संस्वीकृत की गई है	वह तारीख जिसे अनंतिम कुटुंब पेंशन संस्वीकृत की गई है	अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम	रुपये..... प्रति मास
मृत्यु उपदान [मद 9(घ) के खंड I में उल्लिखित रकम]		रुपये.....	

स्थान:

तारीख:

भाग II
लेखा प्राधिकरण
अनुभाग I

उपदान के लिए स्वीकार की गई अर्हक सेवा की कुल अवधि	
सरकारी शोध्यों के समायोजन के पश्चात् उपदान की शुद्ध रकम	
कुटुंब पेंशन	कुटुंब पेंशन की रकम
बढ़ी हुई दर पर [नियम 50 (2)(ii)]	
साधारण दर पर [नियम 50 (2)(i)]	
वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन अनुज्ञेय है (DD/MM/YYYY)	
लेखाशीर्ष जिसमें उपदान और कुटुंब पेंशन विकलनीय है	

अनुभाग II

मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के व्यौरे		
नाम		मृत्यु की तारीख (मृत सरकारी कर्मचारी की दशा में) (DD/MM/YYYY)
		लापता होने की तारीख (लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में) (DD/MM/YYYY)

		पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख (लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में) (DD/MM/YYYY)										
प्राधिकृत कुटुंब पेंशन की रकम		प्राधिकृत उपदान की रकम										
कुटुंब पेंशन शुरू होने की तारीख (DD/MM/YYYY)										उपदान से वसूलीयोग्य रकम		
'बेबाकी प्रमाणपत्र' की प्राप्ति के लंबन पर विधारित उपदान की रकम												
कुटुंब के सदस्य(यों) के नाम जिन्हें पेंशन संदाय आदेश में कुटुंब पेंशन के लिए प्राधिकृत किया जाना है												
(क) पति/पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों, यदि कोई हो, के ब्यौरे, जो कुटुंब पेंशन को साझा करेंगे और प्रत्येक को संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत	नाम	सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी	संदेय कुटुंब पेंशन का प्रतिशत									
(ख) परिवार के सदस्यों, जिन्हें कुटुंब पेंशन सह-प्राधिकृत किया जाना है, के नाम और नातेदारी (अर्थात् निःशक्त बालक/आश्रित माता/पिता/निःशक्त सहोदर)	नाम	सरकारी कर्मचारी के साथ नातेदारी										
उस व्यक्ति का नाम जिसे, अनंतिम कुटुंब पेंशन संदत्त की जा रही है, यदि कोई है												

वह तारीख जिससे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियम 75 के अधीन अनंतिम कुटुंब पेंशन दी जा रही है										संदर्भ अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम									
वह तारीख जिस तक अनंतिम कुटुंब पेंशन दी जानी है (DD/MM/YYYY)										वह तारीख जिससे पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा नियमित कुटुंब पेंशन प्रारंभ की जानी है (DD/MM/YYYY)									
टिप्पण 1: जिस तारीख से पेंशन संवितरण प्राधिकारी द्वारा अंतिम कुटुंब पेंशन शुरू की जाएगी, वह पीपीओ जारी होने की तारीख के न्यूनतम दो मास के पश्चात् होगी, जिसमें सीपीएओ और सीपीपीसी द्वारा पेंशन मामले पर कार्रवाई करने में लगने वाले संभावित समय को ध्यान में रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय अंतिम कुटुंब पेंशन को प्राधिकृत करते समय इस बाबत पीपीओ में नोट दर्ज करेगा। टिप्पण 2: तदनुसार, अनंतिम कुटुंब पेंशन का संदाय कार्यालय से पीडीए द्वारा अंतिम पेंशन शुरू करने के लिए पीपीओ में उल्लिखित तारीख तक जारी रहेगा ताकि उस तारीख, जब तक अनंतिम पेंशन का संदाय किया जाना है और पीडीए द्वारा अंतिम पेंशन प्रारंभ होने की तारीख के बीच कोई अंतर न हो। टिप्पण 3: कार्यालयाध्यक्ष अंतिम रूप से विनिर्धारित कुटुंब पेंशन की रकम और अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम के बीच के अंतर को आहरण और संवितरण करेगा। यदि अंतिम रूप से विनिर्धारित कुटुंब पेंशन की रकम अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम से कम है, तो अंतर को संदेय उपदान की रकम से और ऐसा न होने की स्थिति में भविष्य में संदेय कुटुंब पेंशन से किशतों में समायोजित किया जाएगा।																			

स्थान:

तारीख:

(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

उपदान/कुटुंब पेंशन के लिए संगणना पत्र

1. नाम											2. पदनाम														
3. जन्मतिथि			4. वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर															5. मूल वेतन							
6. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख (DD/MM/YYYY)													7. मृत्यु/लापता होने की तारीख (DD/MM/YYYY)												
8. पेंशन/उपदान के लिए गणना में ली गई अर्हक सेवा की अवधि (जैसा पीपीओ में उल्लिखित है)																									
9. अंतिम दस मास के दौरान ली गई परिलब्धियां																									
10. परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां, जो अधिक लाभप्रद हो																									
11. मृत्यु/लापता होने की तारीख को मद (10) पर मंहगाई भत्ता																									
12. उपदान के लिए परिलब्धियां [(10)+(11)]																									
13. अनुज्ञेय उपदान (लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में); गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए: उपदान के लिए परिलब्धियां/4X अर्हक सेवा (पूर्ण षट्मासिक अवधियों में, किन्तु 66से अनधिक)																									
14. अनुज्ञेय मृत्यु उपदान (मृत सरकारी कर्मचारी की दशा में);																									
15. कुटुंब पेंशन के लिए वेतन (जैसा पेंशन संदाय आदेश में उपदर्शित है)																									
16. अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन (गणना निम्नानुसार दर्शित की जाए) :-																									

(क) साधारण कुटुंब पेंशन : वेतन X 30% विनिर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन	
(ख) बढी हुई कुटुंब पेंशन: वेतन /2 [विनिर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के अध्यक्षीन]	
17. नियत चिकित्सा भत्ता की रकम, यदि अनुज्ञेय हो	

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रति :- श्री/श्रीमती/कुमारी

मृत/लापता सरकारी कर्मचारी का कुटुंब सदस्य

प्ररूप 12

[नियम 79(2) देखिए]

पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन को शुरू करने के लिए पति अथवा पत्नी/सह-प्राधिकृत कुटुंब के सदस्य द्वारा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के लिए आवेदन

फोटोग्राफ

- 1.(i) सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का नाम, जिसके संबंध में कुटुंब पेंशन का दावा किया जा रहा है
- (ii) पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का नाम जिसकी मृत्यु पर कुटुंब पेंशन का दावा किया गया है
- (iii) पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख
- (iv) पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की पीपीओ सं.

2 दावेदार का नाम व अन्य ब्यौरे—

नाम	जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)	मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	डाक पता

3. यदि दावेदार अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/नामनिर्देशिनी के ब्यौरे, जहां भी लागू हो—

नाम	जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)	अवयस्क/मानसिक रूप से निःशक्त दावेदार के साथ नातेदारी	मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	डाक पता

4. बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें कुटुंब पेंशन जमा की जानी है

खाता सं.		बैंक का नाम व शाखा	
आईएफएस कोड			

मुझे पता है कि कुटुंब पेंशन की प्रत्येक मंजूरी और उसे जारी रखने की एक विवक्षित शर्त यह होगी कि दावेदार/कुटुंब पेंशनभोगी का आचरण भविष्य में अच्छा बना रहे।

दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

मोबाइल/दूरभाष सं.....

आय कर के लिए स्थायी खाता

सं(पैन).....

आधार सं.(स्वैच्छिक)-

प्ररूप 12 के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. दावेदार के दो नमूना हस्ताक्षर (पृथक शीट में प्रस्तुत किए जाएं)
(बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान वाली दो पर्चियां उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाएं जो अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए साक्षर नहीं है। यदि शारीरिक रूप से निःशक्त होने के कारण बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है तो वह दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान दे सकता/सकती है। जहां किसी सरकारी कर्मचारी के दोनों हाथ नहीं हैं, वह पैर की अंगुली का निशान दे सकता/सकती है।)
2. दावेदार के पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां।
3. पेंशन संवितरण बैंक द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त संदाय को वापस करने का वचनबंध।
4. नमूना हस्ताक्षर या उस संरक्षक के मामले में जो अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्याप्त साक्षर नहीं है, संरक्षक के बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान।
5. संरक्षक/नामनिर्देशिनी के पासपोर्ट आकार के फोटो की दो स्व-प्रमाणित प्रतियां।
6. संरक्षक/नामनिर्देशिनी का स्व-प्रमाणित विवरण, जहां कहीं लागू हो, ऊंचाई और पहचान चिह्नों का विवरण दिखाते हुए।
7. पेंशनभोगी/पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी के पीपीओ की प्रति (यदि हो तो उपलब्ध कराई जाए)
8. संरक्षक के स्थायी पते का प्रमाण।
9. मृत पेंशनभोगी/पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति।

प्ररूप 13

[नियम 79 (6) देखिए]

किसी पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर अवशिष्ट उपदान की संस्वीकृति के लिए आवेदन

(प्रत्येक दावेदार द्वारा पृथक रूप से भरा जाए)

फोटोग्राफ

1. पेंशनभोगी का ब्यौरा:

नाम		कार्यालय/विभाग/ मंत्रालय		राष्ट्रीयता	
सेवानिवृत्ति की तारीख		मृत्यु की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		पीपीओ सं.	

2. दावेदार/दावेदारों का ब्यौरा:

नाम	जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)	आधार सं.* (स्वैच्छिक)	मोबाइल सं.	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	डाक पता

3. यदि दावेदार अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/नामनिर्देशिनी का ब्यौरा, जहां भी लागू हो:

नाम	जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)	आधार सं.* (स्वैच्छिक)	मोबाइल सं..	अवयस्क के साथ नातेदारी	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	डाक पता

4. बैंक खाते का ब्यौरा:

खाता सं.		बैंक का नाम व शाखा		आईएफएस कोड	
----------	--	--------------------	--	------------	--

स्थान :

दिनांक :

(दावेदार/संरक्षक के हस्ताक्षर)

कार्यालय के उपयोग हेतु

1.	मृतक पेंशनभोगी को संस्वीकृत मासिक पेंशन(तदर्थ वृद्धि, यदि कोई हो, सहित)/सेवा उपदान की रकम	
2.	मृत पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त सेवानिवृत्ति उपदान की रकम	
3.	मृतक द्वारा मृत्यु होने की तारीख तक आहरित पेंशन(तदर्थ वृद्धि सहित, यदि कोई हो)/सेवा उपदान की रकम	
4.	यदि मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन का एक हिस्सा संराशीकृत कराया था, तो पेंशन का संराशीकृत मूल्य	
5.	मद 2, 3 और 4 का योग	
6.	परिलब्धियों के 12 गुना के बराबर मृत्यु उपदान की रकम	
7.	देय अवशिष्ट उपदान की रकम, अर्थात् मद 5 और 6 के सामने दर्शाई गई रकम के बीच का अंतर	

टिप्पण: यदि सेवा उपदान या पेंशन प्राप्त करने वाले किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सेवा से सेवानिवृत्ति की तारीख से पांच वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है, जिसके अंतर्गत शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी है और तदर्थ वृद्धि, यदि कोई हो, सहित ऐसी उपदान या पेंशन के आधार पर उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा वस्तुतः प्राप्त रकम के साथ-साथ मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान और उसके द्वारा संराशीकृत पेंशन के किसी भी हिस्से का संराशीकृत मूल्य का योग उसकी परिलब्धियों के 12 गुना के बराबर रकम से कम है, कमी के बराबर एक अवशिष्ट उपदान कुटुंब को देय हो जाता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी पेंशन अर्जित करने से पहले सेवानिवृत्त हो गया हो तो सेवा उपदान की रकम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

*आधार सं. देना स्वैच्छिक है। तथापि, यदि यह दिया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि केवल पेंशन से संबंधित उद्देश्य के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई है।

फॉर्मेट 1

(नियम 7 के उप-नियम(4) का खंड(ख) देखिए)

किसी आसूचना या सुरक्षा संबंधित संगठन में कार्य कर चुके सरकारी कर्मचारियों द्वारा वचनबंध

मैं,, जिसने (संगठन का नाम) में दिनांक से तक की अवधि के लिएके पद पर कार्य किया है, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि सेवा में रहते हुए या मेरी सेवानिवृत्ति के बाद, सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना, मैं ऐसी कोई भी सूचना या सामग्री या जानकारी का प्रकाशन नहीं करूंगा जो संगठन के कार्यक्षेत्र से संबंधित है और उक्त संगठन में मेरे कार्य करने के आधार पर प्राप्त की गई है। यह घोषणा यथास्थिति, सुसंगत आचरण नियमों, पेंशन नियमों, शासकीय गुप्त बातों या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों से संबंधित कानूनों और आसूचना संगठन(अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1985 (1985 का 58) के निबंधनों के अनुसार मेरी जिम्मेदारियों और दायित्वों के बावजूद है। मैं आगे सहमत हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त वचनबंध की किसी भी विफलता की स्थिति में, सरकार का निर्णय कि क्या इससे उपर्युक्त पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, मेरे लिए बाध्यकारी होगा।

2. मुझे पता है कि सुसंगत पेंशन नियमों के निबंधनों के अनुसार, जो पेंशन मुझे सेवानिवृत्ति के पश्चात् दी जा सकती है, इस वचनबंध की किसी भी विफलता के लिए, पूर्ण या आंशिक रूप से रोकी या वापस ली जा सकती है।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

स्थान: _____

तारीख: _____

फॉर्मेट 2

(नियम 8 देखिए)

सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए संस्वीकृति

सं.....

भारत सरकार

..... मंत्रालय/विभाग

दिनांक

आदेश

जबकि यह पाया गया है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

मंत्रालय/विभाग में के रूप में दिनांक

.....से.....सेवा करते हुए.....(यहां अवचार या कदाचार

के आरोपों को संक्षेप में निर्दिष्ट करें जिनके संबंध में विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने का प्रस्ताव है):

अतः अब, राष्ट्रपति, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 के उप-नियम(2) के खंड(ग) के उप-खंड(I) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों की संस्वीकृति प्रदान करते हैं।

राष्ट्रपति आगे निर्देश देते हैं कि उक्त विभागीय कार्यवाहियां केंद्रीय सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 और 15 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार द्वारा(यहां उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट करें जिसके द्वारा विभागीय कार्यवाहियां की जाएंगी).....(यहां वह स्थान निर्दिष्ट करें जहां विभागीय कार्यवाहियां की जाएंगी) में की जाएगी।

राष्ट्रपति के नाम से और आदेश द्वारा *

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम*

* राष्ट्रपति की ओर से आदेशों को प्रमाणित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77(2) के तहत प्राधिकृत उपयुक्त मंत्रालय/विभाग में किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।

सं.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....को प्रतिलिपि अग्रेषित

श्री/श्रीमती/कुमारी.....को भी प्रतिलिपि अग्रेषित

फॉर्मेट 3

(नियम 8 देखिए)

सेवानिवृत्ति के पश्चात् विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए ज्ञापन

सं.....

भारत सरकार

..... मंत्रालय

..... विभाग

दिनांक

ज्ञापन

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त मंजूरी के अनुसरण में, श्री/श्रीमती/कुमारीके विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां संस्थित करने हेतु मंत्रालय/विभाग द्वारा दिनांक के आदेश संख्या.....द्वारा, उक्त केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 और 15 में अधिकथित श्री/श्रीमती/कुमारी के विरुद्ध जांच कराने का प्रस्ताव है। जांच द्वारा(यहां उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट करें जिसके द्वारा राष्ट्रपति की संस्वीकृति के अनुसार विभागीय कार्यवाहियां की जाएंगी)(यहां वह स्थान निर्दिष्ट करें जहां विभागीय कार्यवाहियां की जानी है) में की जाएगी।

2. अवचार या कदाचार के आरोपों का सार, जिसके संबंध में जांच करने का प्रस्ताव है, आरोप के अनुच्छेदों का विवरण संलग्न (अनुबंध I) में दिया गया है। प्रत्येक आरोप के समर्थन में अवचार या कदाचार के आरोपों का विवरण संलग्न(अनुबंध II) है। दस्तावेजों की एक सूची, और गवाहों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों को बनाए रखने का प्रस्ताव है, भी संलग्न(अनुबंध III और IV) हैं।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी को इस ज्ञापन की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर अपने बचाव का एक लिखित बयान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है और यह भी बताने के लिए कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने के लिए इच्छुक है।

4. उसे सूचित किया जाता है कि केवल उन्हीं आरोपों के संबंध में जांच की जाएगी जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। अतः उसे प्रत्येक आरोप को विशेष रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना होगा।

5. श्री/श्रीमती/कुमारी को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वह पैरा 3 में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व उसके बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करता/करती है जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता/होती हैं या केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 और 15 के उपबंधों या उक्त नियमों

के अनुसरण में जारी किए गए आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करने में विफल होते/होती हैं या इनकार करते/करती हैं तो जांच प्राधिकारी उसके *खिलाफ* जांच कर सकता है।

6. इस ज्ञापन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जाए।

राष्ट्रपति के नाम से और आदेश द्वारा*

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम*

* राष्ट्रपति की ओर से आदेशों को प्रमाणित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77(2) के अधीन प्राधिकृत उपयुक्त मंत्रालय/विभाग में किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित।

सं.....

सेवा में

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

.....

अनुबंध - I

श्री/श्रीमती/कुमारी (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का नाम)
भूतपूर्व..... के विरुद्ध तैयार आरोप-पत्रों का विवरण

अनुच्छेद - I

जबकि उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी ने
..... अवधि के दौरान..... के रूप में कार्य करते हुए

अनुच्छेद - II

उक्त अवधि के दौरान एवं उक्त कार्यालय में कार्य करते समय उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी
..... ने

अनुच्छेद - III

उक्त अवधि के दौरान एवं उक्त कार्यालय में कार्य करते समय उक्त श्री/श्रीमती/कुमारी
.....

अनुबंध - II

श्री/श्रीमती/कुमारी(सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का नाम) भूतपूर्व..... के विरुद्ध तैयार आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अवचार या कदाचार के आरोपों का विवरण

अनुच्छेद - I

अनुच्छेद- II

अनुच्छेद - III

अनुबंध - III

उन दस्तावेजों की सूची जिनके द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी.....(सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का नाम) भूतपूर्व के विरुद्ध आरोप के अनुच्छेद को बनाए रखने का प्रस्ताव है।

अनुबंध - IV

उन गवाहों की सूची जिनके द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का नाम) भूतपूर्व के विरुद्ध आरोप के अनुच्छेद को बनाए रखने का प्रस्ताव है।

फॉर्मेट 4

[नियम 30 देखिए]

पेंशन और उपदान के लिए सेवा सत्यापन का प्रमाणपत्र

सं.....

भारत सरकार

मंत्रालय.....

विभाग/कार्यालय.....

तारीख.....

प्रमाणपत्र

लेखा अधिकारी के परामर्श से यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(नाम और पदनाम) ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार, दिनांक..... को वर्ष.....मास दिन की अर्हक सेवा पूरी कर ली है।

सेवा का सत्यापन उनके सेवा दस्तावेजों के आधार पर और इस समय प्रवृत्त अर्हक सेवा संबंधी नियमों के अनुसार किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 30 के उपनियम (1) और (2) के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को जिनके अधीन पेंशन और उपदान के लिए सेवा अर्हक होती है, को प्रशासित करने वाले किन्हीं नियमों और आदेशों में तदन्तर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

अर्हक सेवा के ब्यौरें

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम	से	तक	अर्हक सेवा की अवधि
1.				
2.				
3.				

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर

सेवा में,

श्री

(नाम और पदनाम)

फॉर्मेट 5

[नियम 35(3) और 36(4) देखिए]

तत्काल आमेलन होने पर किसी राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में

कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्ति आदेश

सं.....

भारत सरकार

मंत्रालय.....

विभाग/कार्यालय.....

तारीख.....

आदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी (i)
को स्थायी आमेलन होने के आधार पर (iii) के रूप
में (ii) में कार्यभार ग्रहण करने के लिए एतद्वारा कार्यमुक्त किया जाता
है। उन्हें दिनांक (iv) तक (ii)
..... में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। सरकारी सेवा से उनका त्यागपत्र उस
दिन से प्रभावी होगा, जिस दिन वह वास्तव में में अपना कार्यभार ग्रहण
करते/करती हैं और उनके (ii) में कार्यभार ग्रहण करने
की तारीख के बारे में सूचना प्राप्त होने पर अधिसूचित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश
वह दिनांक (iv) तक (ii) में
अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाते/पाती हैं तो उन्हें तुरंत अपने कार्यालय में रिपोर्ट
करना होगा।

2. कार्यमुक्त करने की तारीख और (ii) में कार्यभार ग्रहण करने
की तारीख के बीच की अवधि को किसी भी प्रकार की शोध्य छुट्टी की और यदि कोई
शोध्य छुट्टी शेष नहीं है, तो असाधारण छुट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जाएगा।

(i) कार्यमुक्त किए जाने वाले सरकारी कर्मचारी का नाम, पदनाम और
कार्यालय।

(ii) राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय का नाम।

- (iii) पद जिस पर राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में अधिकारी की नियुक्ति की जानी है।
- (iv) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय उस तारीख को उपदर्शित करेगा जिस तारीख से अधिकारी को राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह तारीख उसे कार्यमुक्ति की तारीख से अधिकतम 15 दिन का समय देकर अवधारित की जाएगी। प्राकृतिक आपदा, नागरिक संक्षोभ आदि जैसे अधिकारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों के होने की दशा में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तारीख को आगे विस्तारित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम)

प्रतिलिपि:

1.(संबंधित अधिकारी)
2. (राज्य सरकार या निगम या कंपनी या निकाय)
3. वेतन एवं लेखा कार्यालय

फॉर्मेट 6

[(नियम 39(8) देखें)]

चिकित्सा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने.....
(सरकारी कर्मचारी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री की सावधानीपूर्वक जांच
की जो कि में (पदनाम) पद पर कार्यरत हैं।
उनके कथनानुसार उनकी आयु वर्ष है।

मेरे/(हमारे) मतानुसार श्री.....(सरकारी कर्मचारी का नाम) विभाग में
..... (यहां रोग या कारण का उल्लेख करें) के परिणामस्वरूप आगे
किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए पूर्णतः और स्थायी रूप से असमर्थ हो गए हैं।

(यदि असमर्थता पूर्ण और स्थायी प्रतीत नहीं होती है तो प्रमाणपत्र में तदनुसार परिवर्तन
किया जाए और निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाए।)

“मेरे/हमारे मतानुसार श्री (सरकारी कर्मचारी का
नाम) इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए योग्य है/
..... मास के विश्राम के पश्चात् इससे पूर्व किए जा रहे कार्य
से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के लिए योग्य हो जाएंगे।”

स्थान

तारीख

चिकित्सा प्राधिकारी का मुहर सहित हस्ताक्षर

फॉर्मेट 7

[नियम 47 के उप-नियम(7) देखिए]

अवयस्क को उपदान के संदाय के लिए संरक्षक द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम(क) (ख)
..... मृतक (ग).....
की/के.....(विधवा/पुत्र/भाई, इत्यादि) हैं, और
..... के निवासी हैं (जिन्हें आगे 'बाध्यताधारी' कहा जाएगा
और (घ) जो की पुत्र/पत्नी/पुत्री है
औरके निवासी हैं और
..... जो की/के पुत्र/पत्नी/पुत्री है
और..... के निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर
से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे
"सरकार" कहा जाएगा) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में
देयरूपए (.....रूपए मात्र) भुगतान
करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने
को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को
इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज दिनांक..... मासदो हजार को
हस्ताक्षरित।

जबकि (ग) अपने मृत्यु के समय सरकारी
सेवा में था/सरकार से प्रतिमास.....रूपए (.....रूपए मात्र) पेंशन
प्राप्त कर रहा था। और जबकि उक्त (ग)..... की मृत्यु दिनांक
..... मास..... 20..... को हुई तथा उसकी मृत्यु के समय उसके
अवयस्क पुत्र/पुत्री को मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान का भाग संदेय था।

और जबकि बाध्यताधारी, उक्त (ग) के अवयस्क पुत्र/पुत्री के
वास्तविक संरक्षक होने के नाते उपर्युक्त राशि का हकदार होने का दावा किया है किन्तु
इन अवयस्क(कों) की बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय से संरक्षकता का प्रमाणपत्र,
बंधपत्र प्रस्तुत करने की तारीख तक प्राप्त नहीं किया है।

और जबकि बाध्यताधारी ने (ड) को समाधान कर दिया है कि वह उक्त राशि पाने का हकदार है और यह कि उक्त रुपये की राशि के भुगतान से पूर्व यदि बाध्यताधारी को सक्षम न्यायालय से संरक्षकता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है तो उससे अनुचित विलंब और कठिनाई होगी।

और सरकार को बाध्यताधारी को उक्त राशि का भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु सरकारी नियमों और आदेशों के अधीन बाध्यताधारी के लिए यह अनिवार्य है कि उक्त राशि का भुगतान किए जा सकने से पूर्व उक्त (ग) को पूर्वोक्त देय राशि हेतु सभी प्रकार के दावों के लिए सरकार को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिभू/दो प्रतिभूओं के साथ एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करे।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और रीति से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा करने की दशा में, बाध्यताधारी और/या प्रतिभू..... रूपे और सरकार द्वारा संदत्त (रूपे मात्र.....) रकम सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्त राशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र अथवा बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किंतु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य रीति या प्रतिभूओं से संबन्धित किसी कानून के तहत कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभूओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाए, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टॉप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू ने उपर्युक्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

(बाध्यताधारी का हस्ताक्षर)

उपर्युक्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1.

2.

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1

2.

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....

(संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृत।

..... की उपस्थिति में

(साक्षी का नाम व पदनाम)

टिप्पण-।

(क) दावाकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम

(ख) 'मृतक' से बाध्यताधारी का संबंध

(ग) मृतक सरकारी अधिकारी का नाम

(घ) पिता/पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

(ङ) भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारी का पदनाम

टिप्पण II- इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

फॉर्मेट 8

[नियम 51(5), 71(6) और 79(3)(iii) देखिए]

लापता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की दशा में उपदान या कुटुंब पेंशन के दावेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

भाग I (लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में भरा जाएगा)

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम(क) (ख)
..... (ग) जो
विभाग/मंत्रालय/कार्यालय में पद धारण कर रहे
थे..... तारीख की/के (विधवा/पुत्र/भाई, इत्यादि) हैं,
और..... के निवासी हैं (जिन्हें आगे 'बाध्यताधारी' कहा जाएगा और (घ)
..... जो की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं और
..... के निवासी हैं और जो
..... की पुत्र/पत्नी/पुत्री और के
निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे "सरकार" कहा जाएगा) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में देय रूपए
(.....रूपए मात्र) वेतन, छुट्टी नकदीकरण, सामान्य भविष्य निधि, उपदान के संदाय और मासिक कुटुंब पेंशन की प्रत्येक रकम के समतुल्य धनराशि का.....% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज दिनांक..... मास दो हजार
को हस्ताक्षरित।

जबकि (ग) अपने लापता होने के समय
सरकारी सेवा में था और सरकार से प्रतिमास रूपए (रूपए
मात्र.....) की दर से वेतन प्राप्त कर रहा था।

और जबकि उक्त (ग) दिनांक मास.....
20..... को लापता हुए तथा उनके लापता होने के समय उन्हें (i) बकाया वेतन
(ii) छुट्टी नकदीकरण (iii) सामान्य भविष्य निधि (iv) मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान
संदेय था।

और जबकि बाध्यताधारी रूपए (रूपए मात्र.....) कुटुंब
पेंशन और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत पाने का हकदार है।

और जबकि बाध्यताधारी ने उपर्युक्त राशि का हकदार होने का दावा किया है और अनुचित
विलंब और कठिनाइयों से बचने के लिए इसका भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध
किया है।

और जबकि सरकार रूपए (रूपए मात्र.....) की उक्त राशि और
..... रूपए (रूपए मात्र.....) रूपए की दर से कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई
राहत का भुगतान बाध्यताधारी को करने के लिए सहमत है और उपरोक्त लापता सरकारी
कर्मचारी को देय रकम सभी प्रकार के दावों के विरुद्ध सरकार को सुरक्षित रखने हेतु
बाध्यताधारी और प्रतिभूओं को उपर्युक्त राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निष्पादन करना
होगा।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू इसमें आगे निहित शर्तों और रीति
से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त
राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या लापता कर्मचारी के अपने
प्रकट होने की दशा मेंरूपए (रूपए मात्र.....) और सरकार द्वारा
संदत्त मासिक पेंशन और राहत की उक्त राशि का दावा किए जाने की स्थिति में,
बाध्यताधारी और/या प्रतिभू..... रूपए (रूपए मात्र.....) और सरकार
द्वारा संदत्त मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर राहत सरकार को प्रतिमास के साधारण
व्याज की दर से..... प्रतिशत लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को
उक्त राशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के संबंध में सभी दायित्वों से
क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और तब उपर्युक्त लिखित बंध पत्र
अथवा बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किंतु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील
और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या
उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभूओं से संबन्धित किसी कानून के तहत कोई भी

तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभूओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाए, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टॉप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू ने उपर्युक्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

(बाध्यताधारी का हस्ताक्षर)

उपर्युक्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1.

2.

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभूओं द्वारा हस्ताक्षरित

1

2.

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....

(संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृत।

..... की उपस्थिति में

(साक्षी का नाम व पदनाम)

टिप्पण I (क) दावाकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम और पता

(ख) 'लापता सरकारी कर्मचारी' से बाध्यताधारी का संबंध

(ग) लापता सरकारी कर्मचारी का नाम

(घ) पिता/पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभूओं का पूरा नाम

टिप्पण II- इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

टिप्पण III- साधारण ब्याज की दर सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दर होगी।

भाग II (लापता पेंशनभोगी की दशा में भरा जाएगा)

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम(क) (ख) (ग) जो विभाग/मंत्रालय/कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे और से पेंशन ले रहे थे तारीख से लापता हैं (जिन्हें आगे 'लापता पेंशनभोगी' कहा जाएगा), की/के (विधवा/पुत्र/भाई, नामनिर्देशिती इत्यादि) हैं, और के निवासी हैं (जिन्हें आगे 'बाध्यताधारी' कहा जाएगा और (घ) जो की पुत्र/पत्नी/पुत्री औरके निवासी हैं और जोकी पुत्र/पत्नी/पुत्री और..... के निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे "सरकार" कहा जाएगा) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में देयरूपए (.....रूपए मात्र) पेंशन और मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत के बकायों की प्रत्येक रकम के समतुल्य

धनराशि का.....% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज दिनांक..... मासदो हजार को हस्ताक्षरित।

जबकि (ग) अपने लापता होने के समय केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी सरकार से प्रतिमास.....रूपए (रूपए मात्र.....) की दर से पेंशन और इस पर महंगाई राहत प्राप्त कर रहा था।

और जबकि उक्त (ग)..... दिनांक मास..... 20..... को लापता हुए तथा उनके लापता होने के समय उन्हें पेंशन बकायों के समतुल्य रकम संदेय था।

और जबकि बाध्यताधारी रुपये(रुपये केवल) कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत का हकदार है। और जबकि बाध्यताधारी ने उपर्युक्त राशि का हकदार होने का दावा किया है और अनुचित विलंब और कठिनाइयों से बचने के लिए इसका भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

और जबकि सरकाररूपए (रूपए मात्र.....) की उक्त राशि और.....रूपए (रूपए मात्र.....) की दर से मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत का भुगतान बाध्यताधारी को करने के लिए सहमत है और उपरोक्त लापता सरकारी पेंशनभोगी को देय रकम के लिए सभी प्रकार के दावों के विरुद्ध सरकार को सुरक्षित रखने हेतु बाध्यताधारी और प्रतिभूओं को उपर्युक्त राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और रीति से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या लापता पेंशनभोगी के अपने प्रकट होने की दशा में रूपए (रूपए मात्र.....) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक पेंशन और राहत की उक्त राशि का दावा किए जाने की स्थिति में, बाध्यताधारी और/या प्रतिभू.....रूपए (रूपए मात्र.....) सरकार द्वारा संदत्त मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर राहत.....प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्त राशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और

सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और तब उपर्युक्त लिखित बंध पत्र अथवा बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किंतु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभूओं से संबन्धित किसी कानून के तहत कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभूओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाए, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टॉप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू ने उपर्युक्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

(बाध्यताधारी का हस्ताक्षर)

उपर्युक्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1.

2.

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभूओं द्वारा हस्ताक्षरित

1.

2.

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....

(संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निर्देशित या अधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृत।

..... की उपस्थिति में

(साक्षी का नाम व पदनाम)

- टिप्पण I (क) दावाकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम
(ख) 'लापता पेंशनभोगी' से बाध्यताधारी का संबंध
(ग) लापता पेंशनभोगी का नाम
(घ) पिता/पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

टिप्पण II- इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

टिप्पण III- साधारण ब्याज की दर सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दर होगी।

भाग III (लापता कुटुंब पेंशनभोगी की दशा में भरा जाएगा)

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम(क) (ख)
..... (ग) जो विभाग/मंत्रालय/कार्यालय
..... से कुटुंब पेंशन ले रहे थे/के लिए पात्र थे
..... तारीख से लापता हैं (जिन्हें आगे 'लापता कुटुंब पेंशनभोगी' कहा जाएगा), की/के.....(पुत्र/पुत्री/माता/पिता/निःशक्त भाई इत्यादि) हैं, और..... के निवासी हैं (जिन्हें आगे 'बाध्यताधारी' कहा जाएगा और (घ)..... जोकी

पुत्र/पुत्री/माता/पिता/दिव्यांग भाई इत्यादि और के निवासी हैं और जोकी पुत्र/पत्नी/पुत्री और..... के निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिन्हें आगे 'प्रतिभू' कहा जाएगा), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे "सरकार" कहा जाएगा) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में देयरूपए (.....रूपए मात्र) पेंशन और मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत के बकायों की प्रत्येक रकम के समतुल्य धनराशि का% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज दिनांक..... मासदो हजार को हस्ताक्षरित।

जबकि (ख) अपने लापता होने के समय केंद्रीय सरकारी कुटुंब पेंशनभोगी सरकार से प्रतिमास.....रूपए (रूपए मात्र.....) की दर से कुटुंब पेंशन और इस पर महंगाई राहत प्राप्त कर रहा था/प्राप्त करने के लिए पात्र था।

और जबकि उक्त (ख)..... दिनांक मास..... 20..... को लापता हुए तथा उनके लापता होने के समय उन्हें कुटुंब पेंशन बकायों के समतुल्य रकम संदेय था।

और जबकि बाध्यताधारी.....रूपए (रूपए मात्र.....) कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत पाने का हकदार है।

और जबकि बाध्यताधारी ने दावा किया है कि वह उपरोक्त रकम के लिए हकदार है और अनुचित विलंब और कठिनाईयों से बचने के लिए इसका भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

और जबकि सरकाररूपए (रूपए मात्र.....) की उक्त राशि और.....रूपए (रूपए मात्र.....) की दर से मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर महंगाई राहत का भुगतान बाध्यताधारी को करने के लिए सहमत है और उपरोक्त लापता सरकारी पेंशनभोगी को देय रकम के लिए सभी प्रकार के दावों के विरुद्ध सरकार

को सुरक्षित रखने हेतु बाध्यताधारी और प्रतिभूओं को उपर्युक्त राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और रीति से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या लापता पेंशनभोगी के अपने प्रकट होने की दशा में रूप (रूप मात्र.....) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक पेंशन और राहत की उक्त राशि का दावा किए जाने की स्थिति में, बाध्यताधारी और/या प्रतिभू.....रूप (रूप मात्र.....) सरकार द्वारा संदत्त मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर राहत.....प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्त राशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और तब उपर्युक्त लिखित बंध पत्र अथवा बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किंतु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इसका भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभूओं से संबंधित किसी कानून के तहत कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभूओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभूओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाए, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टॉप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू ने उपर्युक्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

(बाध्यताधारी का हस्ताक्षर)

उपर्युक्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1.

2.

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1

2.

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....

(संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा
स्वीकृत।

..... की उपस्थिति में

(साक्षी का नाम व पदनाम)

टिप्पणी I

(क) दावाकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम

(ख) 'लापता कुटुंब पेंशनभोगी' से बाध्यताधारी का संबंध

(ग) मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का नाम

(घ) पिता/पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा
नाम

टिप्पणी II- इस बंधपत्र के वैध अथवा बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि
बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

टिप्पणी III- साधारण ब्याज की दर सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दर
होगी।

फॉर्मेट 9

(नियम 57,58,60,63,71,74,76,79 और 80 देखिए)

वचनबंध

तारीख _____

सेवा में

शाखा प्रबंधक

बैंक शाखा का पता

_____ (बैंक)

_____ (शाखा व पता)

विषय : आपके बैंक के माध्यम से खाता सं. -----के अधीन पेंशन/कुटुंब पेंशन का संदाय।

महोदय,

मेरे अनुरोध पर, आपके पास मेरे खाते में प्रत्येक मास जमा करके मुझे पेंशन/कुटुंब पेंशन का संदाय करने के लिए सहमत होने पर, मैं, अधोहस्ताक्षरी, किसी ऐसी रकम जिसका मैं हकदार नहीं हूं या कोई ऐसी रकम जो मेरे खाते में उस रकम से जिसका मैं हकदार हूं या होगा, अधिक जमा की गई हो, को वापस करने या उसकी पूर्ति करने के लिए सहमत हूं और इसका वचन देता हूं। मैं अपने और अपने वारिसों, उत्तराधिकारी, निष्पादकों और प्रशासकों से आबद्ध करने के लिए इस योजना के तहत मेरी पेंशन/कुटुंब पेंशन को मेरे खाते में जमा करने में बैंक को हुई किसी भी हानि से और उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने के लिए और उसे बैंक को तत्काल भुगतान करने के लिए और बैंक को मेरे उक्त खाते या बैंक के कच्चे में मेरे किसी अन्य खाते/जमा राशि को डेबिट करके देय राशि की वसूली के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करने के लिए सहमत हूं और इसका वचन देता हूं।

भवदीय

हस्ताक्षर:

नाम :

पता :

मोबाइल

साक्षी:

(1) हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

तारीख:

(2) हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

तारीख:

फॉर्मेट 10

[नियम 60, 74 और 80 देखिए]

उस पत्र का प्ररूप जिसके साथ लेखा अधिकारी को पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान के संदाय के लिए सरकारी कर्मचारी के कागजपत्र भेजे जाएंगे

सं.....

भारत सरकार

मंत्रालय.....

विभाग/कार्यालय.....

सेवा में,

वेतन और लेखा अधिकारी/महालेखाकर,

तारीख (DD/MM/Y YYY)									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी की बाबत पेंशन/कुटुंब पेंशन और उपदान प्राधिकृत करने के लिए।

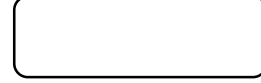
महोदय/महोदया,

- मुझे इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के/की श्री/श्रीमती/कुमारी..... की बाबत उपदान के संदाय के लिए कागजपत्रों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आपको अद्येष्टित करने का निदेश हुआ है।
- उन सरकारी शोध्यों के ब्यौरे, जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/लापता होने/मृत्यु होने की तारीख को बकाया होंगे तथा जिन्हें वसूल किया जाना/विधारित किया जाना है, प्ररूप-7 की मद सं. 14/प्ररूप-11 की मद सं. 7 में उपदर्शित है।
- इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जाए और इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को सूचित किया जाए कि सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/कुटुंब पेंशनभोगी को सूचित करते हुए

पेंशन/कुटुंब पेंशन के संवितरण के लिए आवश्यक निर्देश संबंधित संवितरण प्राधिकारी को जारी कर दिए गए हैं।

4. आपसे प्राधिकार प्राप्त होने पर इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान आहरित और संवितरित किया जाएगा।

भवदीय,



(कार्यालयाध्यक्ष)

संलग्नक:

1. सेवा पुस्तिका (सेवा पुस्तिका में सेवानिवृत्ति/मृत्यु/लापता होने की तारीख दर्शाई जाए)।
2. प्ररूप 4 में परिवार का ब्यौरे
3. संलग्नकों और जांचसूची के साथ विधिवत भरा हुआ प्ररूप 6 या 10 और प्ररूप 7 या 11
4. फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनवद्धता
5. अशक्तता का चिकित्सा प्रमाणपत्र (अशक्त पेंशन के लिए)।
6. अनिवार्य सेवानिवृत्ति/निलंबन/हटाये जाने की दशा में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकंपा भत्ता के संदाय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के आदेश।
7. सरकारी कर्मचारी की बहाली के लिए संलग्न संक्षिप्त विवरण (यदि सरकारी कर्मचारी को निलंबित, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, हटाए जाने या सेवा से निलंबन के पश्चात् बहाल किया गया है।)

टिप्पणियां:

यदि विभिन्न अभिलेखों में सरकारी सेवक का नाम या आद्याक्षर गलत तरीके से दिया गया है या दिए गए हों, तो इस तथ्य का उल्लेख पत्र में किया जाए।

फॉर्मेट 11

[नियम 71(2)(ख) और 71(6) देखिए]

उपदान दिए जाने के संबंध में मृतक/लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के
नामनिर्देशिती/सदस्य को भेजे जाने वाला पत्र

सं									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

भारत सरकार

मंत्रालय

विभाग/कार्यालय

तारीख	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

सेवा में,

विषय: - स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी
संदाय

की बाबत उपदान का

महोदय/महोदया,

मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि:

*(i).....कार्यालय/

विभाग/मंत्रालय के/की श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम) द्वारा दिए गए नामनिर्देशन के निबंधनों के अनुसार उनके नामनिर्देशिती(निर्देशितियों) को उपदान संदेय है। उक्त नामनिर्देशन की एक प्रति यहां संलग्न है।

यह अनुरोध किया जाता है कि उपदान के संदाय का दावा यथाशीघ्र संलग्न प्रपत्र-9 में प्रस्तुत किया जाए।

यदि नामनिर्देशन करने की तारीख के बाद से ऐसी कोई आकस्मिकता घटित हो गई हो, जिससे कि संलग्न नामनिर्देशन पूर्णतः या भागतः अविधिमान्य हो जाता हो तो उस आकस्मिकता के ठीक-ठाक व्यौरों का उल्लेख करें।

या

*(ii) इस कार्यालय/विभाग/मंत्रालय में कोई वैध नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 47 और नियम 51 (केवल लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में) के निबंधनों के अनुसार कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और पदनाम) के कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों को बराबर अंशों में उपदान संदेय है:

- (i) पत्नी/पति, जिसके अंतर्गत न्यायिक रूप से पृथक पत्नी/पति भी है
 - (ii) पुत्र
 - (iii) अविवाहित पुत्रियां
 - (iv) विधवा और तलाकशुदा पुत्रियां
- } जिसके अंतर्गत सौतेली संतान और दत्तक संतान भी आती है

या

(उपरोक्त सदस्यों के न होने पर)

- (v) पिता और माता, जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनकी स्वीय विधि में दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा है, दत्तक माता-पिता भी हैं;
 - (vi) भाई, जिसके अंतर्गत सौतेले भाई भी हैं, जो मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त हैं या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त हैं, को बिना किसी आयु सीमा के और अन्य मामलों में अठारह वर्ष से कम उम्र के सौतेले भाई सहित भाई।
 - (vii) अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी है
 - (viii) विवाहित पुत्रियां; और
 - (ix) पूर्व मृत पुत्र की संतान।
2. यह अनुरोध किया जाता है कि उपदान के संदाय के लिए दावा, संलग्न प्ररूप 9 में, क्षतिपूर्ति बंधपत्र के साथ फार्मेट 8 (केवल लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में) में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

भवदीय,

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

संलग्नक: 1. प्ररूप 9

2. फार्मेट 8 (केवल लापता सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की दशा में)

* लागू न होने पर काट दें।

टिप्पण: यदि एक से अधिक लाभार्थी उपदान की रकम से भाग प्राप्त करने के पात्र हैं, तो सभी लाभार्थियों को पृथक पत्र संबोधित किया जाएगा।

फॉर्मेट 12

[नियम 71 और 79 देखिए]

(कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए मृत/लापता सरकारी कर्मचारी के कुटुंब सदस्य को भेजे जाने वाला पत्र)

सं.

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग/कार्यालय

दिनांक

सेवा में

.....

.....

विषय :- श्री/श्रीमती की बाबत कुटुंब पेंशन का संदाय ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 और नियम 51 (केवल लापता **सरकारी कर्मचारी** की दशा में) के निबंधनों के अनुसार कार्यालय/विभाग/मंत्रालय के/की श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और पदनाम) जिसकी मृत्यु हो गई है/लापता हो गए हैं, की बाबत आपको कुटुंब पेंशन संदेय है।

2. आपको सलाह दी जाती है कि कुटुंब पेंशन की मंजूरी के लिए दावा **संलग्न** प्ररूप 10 में प्रस्तुत किया जाए जिसके साथ **संलग्न** फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध और **संलग्न** फॉर्मेट 8 में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (केवल लापता **सरकारी कर्मचारी** की दशा में) भी प्रस्तुत किया जाए।

*3. विधवा/विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह के पश्चात् अपात्रता होने की दशा में, कुटुंब पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 के उपबंधों के अनुसार, पात्र बच्चे या बच्चों, आश्रित माता-पिता या निःशक्त सहोदरों, यदि कोई है, को मंजूर की जाएगी।

*4. निःसंतान विधवा की दशा में, पुनर्विवाह के पश्चात्, कुटुंब पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 में उल्लिखित शर्तों के अधीन भी संदेय होगी।

*केवल सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में लागू

भवदीय,

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर

संलग्नक :

(1) फॉर्मेट 9

(2) प्ररूप 10

(3) फॉर्मेट 8 (लापता सरकारी कर्मचारी की दशा में)

फॉर्मेट 13

[नियम 79(2)(ख)(i) और 79(3)(i) देखिए]

पेंशनभोगी की मृत्यु होने/लापता होने या कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने/अपात्र होने/लापता होने पर
कुटुंब पेंशन मंजूर करने वाला पत्र

सं.

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग/कार्यालय

दिनांक

सेवा में ,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,

विषय : कुटुंब पेंशन की मंजूरी

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी

.....

भूतपूर्व (पदनाम) को उसकी सेवानिवृत्ति होने पर
दिनांक से रूप की पेंशन का संदाय अधिकृत किया
गया था। इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक
..... को श्री/श्रीमती/कुमारी..... की मृत्यु
हो गई/लापता हो गए।

इस संबंध में दिनांकको पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस से भी
दिनांक की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के
बावजूद श्री/श्रीमती/कुमारी के बारे में पता नहीं लगाया जा सका।
(केवल लापता पेंशनभोगी के मामले में भरा जाए)

या

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के स्व. श्री/श्रीमती/कुमारी
.....भूतपूर्व.....(पदनाम)के.....
.....(नातेदारी) श्री/श्रीमती/कुमारी को
पेंशन संदाय आदेश(पीपीओ) द्वारा दिनांक से
..... रूप की पेंशन का संदाय अधिकृत किया गया था।

इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि दिनांक..... को श्री/श्रीमती/कुमारी..... की मृत्यु हो गई/कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र हो गए/लापता हो गए।

इस संबंध में दिनांकको पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस से भी दिनांक की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद श्री/श्रीमती/कुमारी के बारे में पता नहीं लगाया जा सका। (केवल लापता कुटुंब पेंशनभोगी के मामले में भरा जाए)

2. मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी या लापता पेंशनभोगी के कुटुंब के निम्नलिखित उत्तरजीवी सदस्य हैं:--

क्र. सं.	नाम	जन्म-तिथि	आधार सं.* (यदि उपलब्ध हो तो)	मृतक सरकारी कर्मचारी या मृतक/लापता पेंशनभोगी के साथ नातेदारी	क्या किसी निःशक्तता से ग्रस्त हैं	वैवाहिक प्रास्थिति	पता
1.							
2.							
3.							

3. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50/51 के निबंधनों के अनुसार कुटुंब पेंशन की रकम श्री/श्रीमती/कुमारी को संदेय हो गई है।

कुटुंब पेंशन, अवयस्क/मानसिक रूप से निःशक्त बच्चे की ओर से श्री/श्रीमती/कुमारी जो नामनिर्देशिती/संरक्षक है, को संदेय हो गई है।

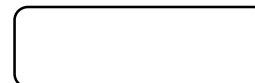
4. श्री/श्रीमती/कुमारी को दिनांक सेतक बढ़ी हुई दर पर प्रति मास..... रूपए और दिनांक सेतक साधारण दर पररूपए की कुटुंब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतद्वारा दी जाती है। कुटुंब पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 और नियम 51 के उपबंधों के अनुसार धार्य होगी।

5. क्या नियत चिकित्सा भत्ता अनुज्ञेय है

हां ☐	नहीं ☐	रकम (रु)

6. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाए और इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को सूचित किया जाए कि संबंधित संवितरण प्राधिकारी को कुटुंब पेंशन के संवितरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी सूचना कुटुंब पेंशनभोगी को भी दी गई है।

भवदीय,



संलग्नक:

1. मृत्यु प्रमाणपत्र (पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु होने की दशा में)
2. प्ररूप 10 (संलग्नकों सहित)
3. फॉर्मेट 9 में बैंक को वचनबंध
4. कुटुंब द्वारा पुलिस में दर्ज की गई रिपोर्ट (सरकारी कर्मचारी के लापता होने की दशा में)
5. पुलिस से कुटुंब को प्राप्त रिपोर्ट

जो लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पण : यदि कुटुंब के एक से अधिक सदस्य हैं, जिन्हें नियम 50 के अनुसार कुटुंब पेंशन देय है, तो प्ररूप में उपयुक्त रूप से संशोधन किए जाएं। ऐसे सभी सदस्यों के नाम और प्रत्येक को देय कुटुंब पेंशन की रकम तदनुसार दर्शायी जाए।



भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

पता – तीसरा तल, लोक नायक भवन,

नई दिल्ली – 110003

www.pensionersportal.gov.in